खण्ड-353, अंक-5
गुरूवार, 1 माघ, शक संवत् 1903
(21 जनवरी, 1982 ई0)

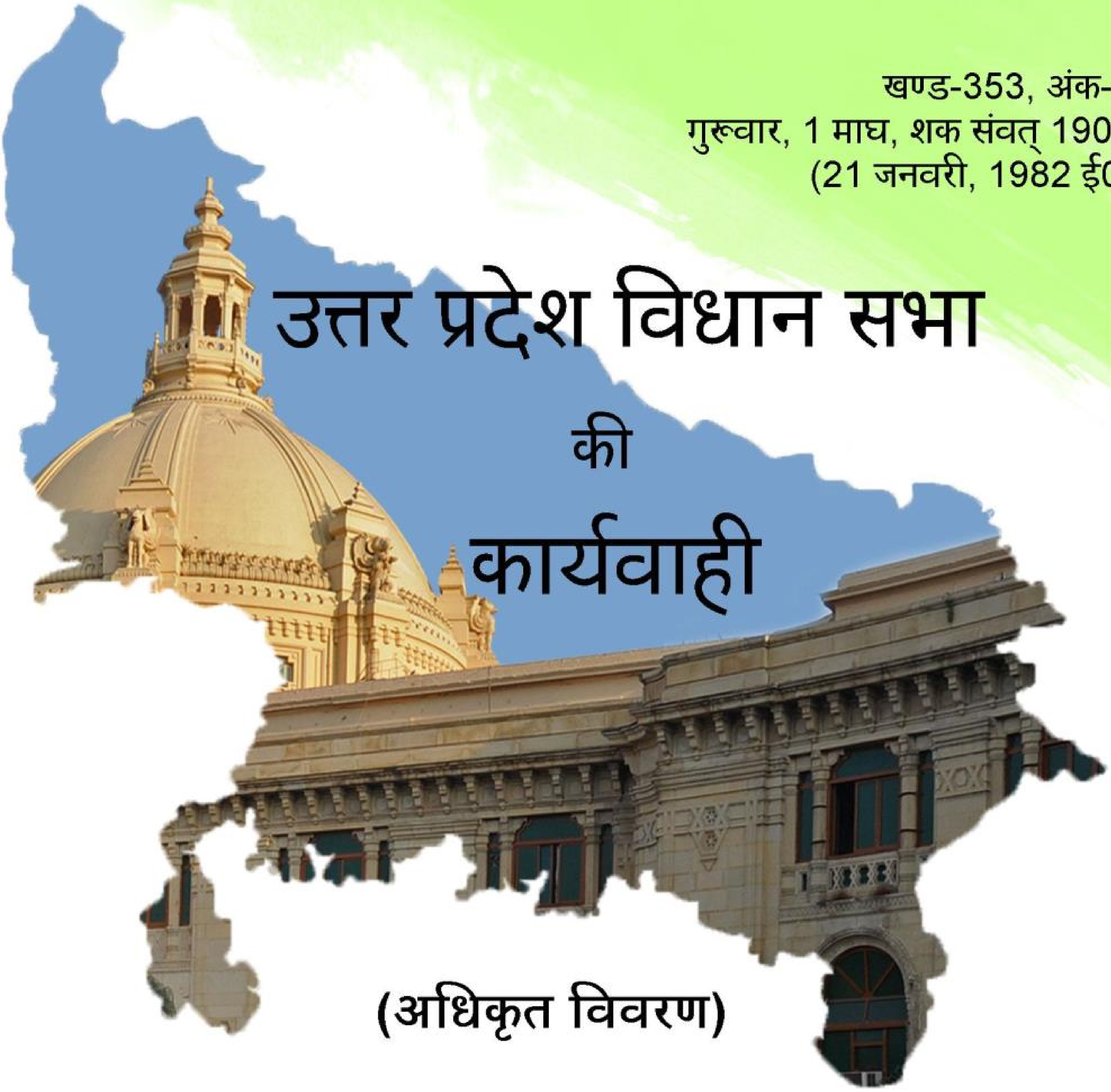

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	435–439
प्रश्नोत्तर	439–516
कस्बा बड़ौत (मेरठ) में श्री चरनदास की दुकान में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा देने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	516
लखनऊ में आये बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल के छात्र श्री दीपक की हत्या तथा श्री संजय कुमार सिंह के लापता होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	516–517
गोण्डा जनपद के तुलसीपुर शुगर फैक्ट्री के गेट पर भाषण कर रहे विधायक श्री अकबाल हुसैन तथा गन्ना किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	517
हल्द्वानी एवं रामनगर जनपद नैनीताल के तराई के जंगलों में नरभक्षी शेर का आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	518
पी0 एम0 बी0 पालीटेकनिक विद्यालय प्रेम नगर, मथुरा के छात्र श्री नारायण सिंह की विरला पुलिस चौकी के इंचार्ज उप निरीक्षक श्री दाहिमा द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	518
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं ..	518
उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति, 1981 का प्रथम प्रतिवेदन .. [सदन के पटल पर रखा गया]	519
विधान सभा सदस्य श्री खैरुल बशर के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	519–520
जिला अधिकारी, आजमगढ़ श्री आर0 चन्द्रा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	520–521
परगनाधिकारी देवरिया, श्री विमल किशोर गुप्त के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	521–522
कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक की सूचना ..	522–523
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	523
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	523
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	523
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	524
उत्तर प्रदेश नागर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	524
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरः स्थापित किया गया)	524

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया) ,, ..	524–525
गढ़वाल का संसदीय उप चुनाव स्थगित कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	525–526
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	526–527
गढ़वाल संसदीय उप चुनाव न कराये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	527–534
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	535–572
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	572–573
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	573–574
नत्थियां	575–593

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उच्चतर शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 21 जनवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 361

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्रप्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयबीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्णभगत सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्द्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर — बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ

चरनजीत सिंह, श्री — पीलीभीत
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नारायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहाँपुर
जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती', श्री — फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजबहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री — मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीनानाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धुपराय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री — पिथौरागढ़
निर्मल कुमार, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — पटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री — मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रभाकरनाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती, — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलवीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बृजकिशोर मिश्र, डाक्टर, — देवरिया

बेनीबाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मण्लेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल मुसूफ, श्री — बस्ती
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरुर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा — आगरा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फर नगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डा0 — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रमान अंसारी, श्री — वाराणसी

यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) — गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
योगेस चन्द्र, श्री — वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रती राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
रामकरन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 — जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री — गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर

राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय,	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नारायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर

हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा	हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरदेव, श्री	बलिया	हरी शंकर, श्री	हरदोई
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर	हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव	हेम चन्द निमेष, श्री	मेरठ
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया		

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 21 जनवरी, 1982

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद में श्री पृथ्वी नाथ वाही को स्थायी पट्टे पर दी गई भूमि

*1—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री को विदित है कि सिविल लाइन प्लाट नं0 14 मुरादाबाद जो 90 साल की लीज पर श्री पृथ्वी नाथ वाही आदि ने लिया था और जिसका समय 2–3 साल रह गया है, को अब 320 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? इसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

जी हां, कुछ अभिलेखों में संदर्भ है कि प्रश्नगत भूमि श्री वाही को स्थायी पट्टे पर दी गयी है। परन्तु मूल पट्टा उपलब्ध न होने के कारण पट्टे की अवधि निश्चित नहीं हो सकी है। कथित पट्टेदार ने भूमि को बेचा है जिसकी अधिकतम दर रुपया 213/- प्रति वर्ग गज है। बिक्री रोकने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

[वृहस्पतिवार, दिनांक 21 जनवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

साधन सहकारी समिति, सरकड़ा खास का मुख्यालय करनपुर में स्थापित करने पर विचार

*1—श्री रियासतहुसैन (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री को विदित है कि ए0 आर0 मुरादाबाद ने एक पत्र संख्या 7330, दिनांक 10-10-77 को डी0आर0, बरेली को इस सम्बन्ध में लिखा था कि साधन सहकारी समिति, सरकड़ा खास के मुख्यालय मोहम्मदी कुलीपुर उर्फ नगला से हटाकर करनपुर में स्थापित कर दिया जाय? यदि हां, तो क्या सोसायटी नियम 2247 सरकड़ा खास के बाइलाज में इसका अमल-दरामद हुआ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों? क्या यह सही है कि ए0आर0, मुरादाबाद का वह पत्र डी0 आर0, बरेली की फाइल से गायब कर दिया गया है?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

जी हां।

जी नहीं।

उप निबन्धक, बरेली के कार्यालय में उक्त पत्र के मिसप्लेस होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। इस चूक के लिये सम्बन्धित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है।

*2—श्री रामेश्वर नाथ चौबे, श्री प्रिय दर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

टाउन एरिया कमेटी मल्लावां, जनपद हरदोई को सड़क अनुदान

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जनपद की टाउन एरिया मल्लावां, जो जिले की सदर से ज्यादा आबादी वाली टाउन एरिया है, को वर्ष 1980-81 में सड़क निर्माण से सम्बन्धित अनुदान स्वीकृत न किये जाने का क्या कारण है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

टाउन एरिया कमेटी मल्लावां, जनपद हरदोई को वित्तीय वर्ष 1976-77 व 1978-79 में स्वीकृत सड़क अनुदान अप्रयुक्त रहने के कारण वित्तीय वर्ष 1980-81 में वांछित सड़क अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह टाउन एरिया मल्लावां के बारे में जो बताया है कि कुछ वर्षों का जो अनुदान दिया गया अप्रयुक्त रहने के कारण 80 और 81 का अनुदान नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन वर्षों का अनुदान अप्रयुक्त रहा, उस अप्रयुक्त रहने के कारण क्या हैं? उसके लिये दोषी कौन हैं और उस दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही क्या की गयी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, वहीं के अधिकारी दोषी हैं उसके प्रयुक्त न करने के लिये जब तक वह स्वीकृत अनुदान इस्तेमाल नहीं होता है, तब तक आगामी वर्ष का अनुदान नहीं दिया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि हरदोई जनपद की मल्लावां टाउन एरिया में गत कई वर्षों से कोई भी निर्माण कार्य नहीं सम्पन्न कराये गये और किसी भी अधिकारियों ने वहां के निर्माण कार्य के प्रति, चाहे टाउन एरिया के अधिकारी हों या जिला के अधिकारी हों, किसी भी अधिकारी ने दिलचस्पी नहीं दिखायी। मैंने माननीय मंत्री जी को इसके बारे में लिखकर दिया भी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां के निर्माण कार्य को सुनिश्चित करने के लिये वह कोई निर्देश देंगे।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जिलाधिकारी जो वहां के प्रशासक हैं उनको निर्देश दिये जायेंगे और जो वहां के कार्य हैं पूरे किये जायेंगे।

*4—श्री खैरुल बशर—

[दिनांक 12-3-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित]

बाराबंकी जिले में फर्जी नसबन्दी की शिकायतों की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

*5—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि 1972-73 वर्ष में बाराबंकी के स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग में नसबन्दी अभियान में फर्जी आंकड़ों द्वारा काफी घोटाला किया था प्रश्नकर्ता ने केन्द्र सरकार को उसी समय शिकायत की थी जिसकी जांच केन्द्रीय जांच दल एवं प्रदेश गुप्तचर विभाग से करायी गयी और गुप्तचर विभाग ने बाराबंकी राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के 43 कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की संस्तुति की थी? प्रश्नकर्ता ने 17-7-81 को राजस्व सचिव एवं 19-7-81 को स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया था? उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

मंत्री स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

वर्ष 1972-73 में बाराबंकी जिले में फर्जी नसबंदी की शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी गयी। अपराध अनुसंधान विभाग ने जांच पूरी कर ली है। जांच रिपोर्ट पर शासन विचार कर रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि, मान्यवर, 72-73 में मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय सरकार से शिकायत की थी कि बाराबंकी में फर्जी नसबंदी हुई, केन्द्रीय सरकार ने अपने एक डिवीजनल डाइरेक्टर को भेजकर जांच कराया तो प्राइमाफेसाई केस इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो केन्द्र सरकार ने प्रदेश शासन को लिखा कि जांच करें तो प्रदेश शासन की सी0आई0डी0 ने जांच किया और 43 लोगों को दोषी पाया कि फर्जी नसबन्दी करने के दोषी हैं और इन पर मुकदमा चलाया जाय। 1973 में जांच पूरी हुई और 1982 में मंत्री जी को रिपोर्ट मिली है तो माल विभाग ने कह दिया कि मुकदमा चलाया जाय। लेकिन बाद में सचिवालय में फाइल दब गयी और जब मैं विधायक होकर आया तो लिखा पढ़ी जारी किया तो स्वास्थ्य सचिव और राजस्व सचिव को लिखा तब अगस्त में स्वास्थ्य विभाग से पत्र जाता है एस0पी0, सी0आई0डी0 को कि इन लोगों को प्राजीक्यूट किया जाय और चार्जशीट दी जाय। फिर सितम्बर में पत्र जाता है कि ऐसा न किया जाय और अभी शासन विचार कर रहा है। इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन से कारण हैं कि माल विभाग ने लिख दिया कि मुकदमा चलाया जाय और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लिखा कि मुकदमा चलाया जाय तो सितम्बर में किन आधारों पर कहा गया कि शासन विचार कर रहा है जबकि मामला 1974 का है और अब 1982 है। इस पर मंत्री जी प्रकाश डाल दें।

श्री लोकपति–

श्रीमन्, यह सही है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है लेकिन कुछ बातें जैसे नसबंदी कराने वालों को शिविरों या चिकित्सालय में लाते हैं। इसलिये जैसा माननीय सदस्य ने कहा और जैसा कि शासन के सामने जो रिपोर्ट है उसमें है कि कुछ लोगों की फर्जी नसबंदी हुई और जांच करने पर पता चला कि वह व्यक्ति नहीं थे या वह व्यक्ति दूसरे जिले के थे। तो नसबंदी व्यक्ति की होती है उसमें हमने आदेश दिये हैं कि जांच करायी जाय कि कौन उनके प्रेरक थे और जिनको फर्जी कहा जाता है या दूसरे जिले के बताया जाता है तो वहां जांच करायी जाय कि वह वहां के हैं कि नहीं। इसलिये अभी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मैं मंत्री जी से प्रश्न के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के शासन के अन्तर्गत राजस्व विभाग भी है और गुप्तचर विभाग भी है। तो गुप्तचर विभाग ने क्या रिपोर्ट दिया है उसको मंत्री जी बतायें। और जब राजस्व विभाग ने मुकदमा चलाने की संस्तुति कर दिया और सी0आई0डी0 को लिखा तो स्वास्थ्य विभाग को ऐसी कौन सी हिच-किचाहट है जबकि दोनों विभाग एक शासन के अंग हैं?

श्री लोकपति–

मान्यवर, जहां तक रिपोर्ट रखने की बात है तो रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है तो इसमें मैंने पहले ही जो तथ्य थे वह उपस्थित कर दिया।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह मामला 1972 से चल रहा है। 10 वर्ष हो गये हैं। विभाग ने लिख तो दिया कि मुकदमा चलाया जाय तो कम से कम विभाग को जानकारी हुई कि इस मामले में दम है और विभागीय अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसलिये मैं जानना

चाहता हूं कि जिन विभागीय अधिकारियों के बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी हुई कि यह फर्जी नसबन्दी कराने के दोषी हैं तो उनके विरुद्ध विभाग ने कौन सी दंडात्मक कार्यवाही किया। चूंकि इसमें बहुत से दोषी कर्मचारी रिटायर हो गए होंगे तब विभाग ने उसमें कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की। क्या इस बात की प्रतीक्षा है कि जो बचे खुचे अधिकारी हैं वह भी रिटायर हो जायं, उसके बाद कार्यवाही होगी?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नसबन्दी करने का है। वह व्यक्ति कौन सा है, कहां का है, यह उसका दायित्व नहीं है। अभी जांच हो रही है इसलिए कोई दोषी या दण्डित नहीं हुआ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, बड़ी भ्रांतियां हो रही हैं।

एक सदस्य--

सदन गुमराह हो रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। केन्द्र के साथ विश्वासघात है जरा इस पर तो गौर कर लें।

श्री हुकम सिंह--

मंत्री ने फरमाया कि विभाग का दायित्व क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी जांच की गयी है उस जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी दोषी पाया गया? यदि हां, तो वह कौन-कौन से अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में क्या संकोच है?

श्री लोकपति--

किसी का दोष पाया गया इससे मैं सहमत नहीं हूं। स्वास्थ्य विभाग के लोग इस कार्यक्रम में थे उसमें डाक्टर्स भी थे, वार्ड ब्वाय भी थे, पूरा मेडिकल स्टाफ था। प्रश्न यह है कि उतने व्यक्ति थे या नहीं इसकी मैं अपने विभाग द्वारा जांच करा रहा हूं उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहता हूं, सी0आई0डी0 ने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जांच की है। डाक्टरों ने फर्जी सर्टीफिकेट दिये हैं उन व्यक्तियों को जिनका वजूद नहीं था, फर्जी प्रमाण-पत्र दे दिये गये हैं। क्या यह तथ्य उनकी रिपोर्ट में नहीं है?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कहा है, जांच करा रहे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, 10 साल हो रहे हैं और यह सरकार अभी विचार ही कर रही है।

श्री विजय सिंह राना--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया था कि जांच पूरी हो चुकी है तो जो जांच पूरी हो चुकी है उसमें यह साबित हुआ कि नहीं कि वह उसी जिले के थे या बाहर के। दूसरी बात यह है कि यह हमेशा होता है कि जब मालूम होता है कि लोग दोषी हैं तो अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे जिले का दिखाकर फर्जी जांच की जाती है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर।)

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दीजिये।

श्री विजय सिंह राना–

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

आज्ञा शिरोधार्य है, मजबूरन बैठना पड़ेगा।

यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

*6–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद का प्रान्तीयकरण करने का मामला अर्से से शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और उसकी कई समस्याओं के सम्बन्ध में छात्र समिति यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ने समय-समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है? वे क्या हैं और उनका निराकरण न करने का कारण क्या है?

श्री हरि सिंह–

जी हां।

प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। छात्र समिति यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ने उक्त कालेज के प्रबन्ध तंत्र को भंग करने, कालेज में परीक्षा की व्यवस्था करने, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज की स्थापना, उप निदेशक, यूनानी की नियुक्ति तथा कालेज के प्रधानाचार्य को अपदस्थ करने की मांग समय-समय पर किया है। शासन द्वारा कालेज के प्रबन्ध तंत्र को निलम्बित किया जा चुका है। परीक्षायें सम्पन्न हो गयी हैं, उप निदेशक, यूनानी का पद सृजित हो गया है। कालेज के प्रान्तीयकरण के पश्चात् राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज की मांग पूरी हो जायेगी। प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में आवश्यक जांचोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

श्री उदल–

मान्यवर, यह प्रान्तीयकरण का मामला काफी समय से शासन के विचाराधीन है, लेकिन यह कब तक सम्भव हो सकेगा, इसकी सूचना इस आदरणीय सदन में माननीय मंत्री जी कृपा करके दे देंगे?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में इसी सत्र में विधेयक आ रहा है।

श्री उदल–

तो क्या मान्यवर, इस बात की आशा की जाय कि यह प्रान्तीयकरण की कार्यवाही जो होने जा रही है उन्हीं के साथ छात्र समिति यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद की समस्याओं का भी निराकरण हो जायेगा?

श्री लोकपति–

जी हां।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश भर में जितने भी ऐसे आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज चल रहे हैं और जिनका अभी तक प्रान्तीयकरण नहीं हो सका है, तो क्या उन सब का भी, इस कार्यवाही में प्रान्तीयकरण हो जायेगा?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, अभी तो जो विद्यालय आयुर्वेदिक या यूनानी यूनिवर्सिटीज से सम्बन्धित हैं, सिर्फ उनका होने जा रहा है।

बी0 एम0 एम0 एस0 तथा बी0 एम0 बी0 एस0 योग्यता के डाक्टरों के कार्यों का आवंटन

*7–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के स्वास्थ्य विभाग के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों तथा चिकित्सालयों पर बी0एम0एम0एस0 तथा बी0एम0बी0एस0 (आयुर्वेद) योग्यता के डाक्टर मेडिकोलीगल इक्जामिनेशन कर रहे हैं? यदि हां, तो शासन के किस आदेश के अन्तर्गत ?

श्री हरि सिंह–

जी हां। शासनादेश संख्या–364 सेक-9/पांच–180/68, दिनांक 2-2-74 के अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारी या ऐसे अधिकारी जिनके नियंत्रण में मेडिकोलीगल कार्य होता है, को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उनकी योग्यता तथा अनुभव के आधार पर उक्त कार्य का आवंटित कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसलिए मैं इतना और जानना चाहता हूं कि उत्तर से कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। मेडिकोलीगल इक्जामिनेशन जो आप करने जा रहे हैं, उसमें आपने योग्यता और अनुभव के क्या आधार रखे हैं?

श्री हरि सिंह–

यह एक शासनादेश के अनुसार सी0एम0ओ0 को पावर दे दिये गये हैं कि वह मेडिकोलीगल इक्जामिनेशन ले लें योग्यता एवं अनुभव के आधार पर।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि कितने वर्षों का अनुभव और योग्यता क्या होगी?

श्री लोकपति–

यह सी0एम0ओ0 के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वह कितना अनुभव और क्या योग्यता निर्धारित करें। इसमें यूनानी और आयुर्वेदिक कालेजेज पर कोई बार नहीं है।

सीतापुर नगरपालिका द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की जांच तथा विकास योजनाओं के संबंध में दिया गया ज्ञापन

*8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके सीतापुर प्रवास के समय दिनांक 29-9-81 को प्रश्नकर्ता द्वारा सीतापुर नगरपालिका द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की जांच तथा विकास योजनाओं के सम्बन्ध में 2 ज्ञापन उन्हें (मा0 मंत्री जी को) दिये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गयी है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां। ज्ञापन में दिये गये सुझावों पर शासन द्वारा यथासम्भव कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इनके उत्तर के सम्बन्ध में 2-3 बिन्दुओं पर और जानकारी चाहता हूं। पहला तो यह कि सीतापुर नगर में जैसे कि अन्य नगरों में प्रदेश की बिजली की सप्लाई है, वैसी ही सीतापुर में भी है, इस कारण वहां वाटर नलकूप चल नहीं पाते और एक-एक

बूंद पानी के लिये वहां का नागरिक तरसता है। इसलिये मैंने इस ओर प्रार्थना की थी कि एक पृथक से जनरेटर की व्यवस्था कर पानी की व्यवस्था कर दी जाय जिससे वहां के नागरिकों को पानी आवश्यकतानुसार मिल सके और दूसरा बिन्दु यह है कि पिछले वर्ष में वहां नगर पालिका द्वारा जितने भी कार्य कराये गये, उसमें भ्रष्टता के कारण कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं हो सका है, इसलिए मैंने इसमें भी प्रार्थना की थी कि इसकी जांच करा ली जाये। हरिजनों के लिए एक कालोनी की जमीन दी गई, उसमें एक ताल है, शासन ने जब जमीन दी थी तो यह वादा किया था कि इस ताल को पटवा दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन तीन मांगों के बारे में शासन क्या प्रयास कर रहा है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जहां तक जल पूर्ति का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में एक सब कमेटी बनायी गयी है मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में कि जनरेटर्स क्रय करना उचित होगा या सीधे लाइन देकर जल की आपूर्ति करना उपयुक्त होगा। इस पर बहुत शीघ्र निर्णय होने वाला है। अगर यह तय होगा कि सीधे लाइन दी जाय तो सीधे लाइन दी जायगी, अगर यह तय होगा कि जनरेटर्स लगाये जायं, तो उनको लगाया जायगा। घटिया काम के सम्बन्ध में छानबीन की कार्यवाही की जा रही है। हरिजन कालोनी के बारे में सूचना उपलब्ध है, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि इस भूमि का विकास हम लोगों की तरफ से किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर की संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो घटिया किस्म के काम की सूचना दी थी, मौखिक रूप से भी बताया था और अन्य कई साथियों ने भी माननीय मंत्री जी को बताया था, जो इसकी जांच कौन एजेन्सी कर रही है? मुझे 3 दिन पहले तक की जानकारी है कि कोई भी व्यक्ति जांच करने के लिये सीतापुर नहीं पहुंचा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच के आदेश किस तिथि को दिये गये और कौन अधिकारी जांच कर रहा है? हरिजन कालोनी के सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई वादा नहीं किया गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेष परिस्थिति में अब शासन इस तरह की व्यवस्था करेगा कि जमीन उनको डेवलप करके दे दी जाय?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जांच रिपोर्ट अभी तो जिलाधिकारी से ही मांगी गयी थी। अगर आवश्यक होगा तो यहां से किसी को भेजकर जांच करा लेंगे।

श्री राम कुमार भार्गव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि ज्ञापन दिया गया था, जो बिन्दु उठाये गये थे, मैं जानना चाहता हूं कि किन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है और उस जांच की अभी तक क्या प्रगति है? जो सबूत दिये गये थे वह खुले सबूत थे कि भ्रष्टाचार किया गया है, वह सबूत आपने स्वयं देखे थे, उन सबूतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जब तक जांच पूर्ण न हो जाय, कुछ बताना उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने घटिया काम की शिकायत की, उसके सम्बन्ध में मैं प्रार्थना कर रहा था कि नगरपालिका का प्रशासक होता है जिलाधिकारी उन्हीं के हस्ताक्षर से सब पेमेन्ट इत्यादि हुए होंगे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उन्हीं को जांच दे दी, तो मैं जानना चाहूंगा कि नगरपालिका में भ्रष्टाचार के मामले की जांच, जिनके हस्ताक्षर से

पेमेण्ट हुए होंगे, उन्हीं, से कराने का क्या औचित्य है? क्या माननीय मंत्री जी, इस सम्बन्ध में कोई टेक्नीकल सैल होता होगा, उससे जांच कराने की कृपा करेंगे? सभी अधिकारियों ने भी इस चीज को कहा था, विधायकों ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, काम ठीक नहीं चल रहा है, तो उनको अभी तक विशेष परिस्थिति में न हटाने का क्या कारण है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जहां तक जांच का सवाल है, मैं किसी अधिकारी को मुख्यालय से भेजकर जांच करा लूंगा, जहां तक स्थानान्तरण का सवाल है, इसकी स्थिति नहीं है, अतः इस पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ के प्रतिनिधियों की मांगों पर कृत कार्यवाही

*9--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी 11 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 28-2-81 को बातचीत हुई थी जिसमें 90 दिन के अन्दर उनकी मांगों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में लिखित आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं और उन पर शासन ने अब तक क्या निर्णय लिया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरि सिंह--

जी हां। कर्मचारियों को 90 दिन के अन्दर स्थायी करने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने का आश्वासन दिया गया था। शेष मांगों को प्रतिनिधियों द्वारा वार्ता करके तय करने का निर्णय लिया गया था। प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ के प्रतिनिधियों के साथ पुनः दिनांक 2-12-1981 को बैठक हुई थी। उनकी मांगों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 28-2-81 को मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और कहा था कि 90 दिन के अन्दर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा, किन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कितने कर्मचारी स्थायी किये गये और कितने बाकी हैं, यह मंत्री जी बता दें?

श्री लोकपति--

मान्यवर, स्थायीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने 28-2-81 को कहा था कि वह 90 दिन के अन्दर कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे, इस बात को पूरा एक वर्ष हो गया है, यह देखने की बात है कि कितनी तेजी इसमें है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह एक निश्चित तिथि बता दें, यह नहीं कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है या शीघ्र ही कर देंगे ऐसा उत्तर नहीं चाहता हूं बल्कि मंत्री जी से यह न कहलाइयेगा कि जल्दी कर देंगे, एक निश्चित तिथि ही बता दीजियेगा, कोई जल्दी नहीं है।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, आदेश हो चुके हैं उनको स्थायी करने के। उनके दो संवर्ग हैं एक शहरी क्षेत्र के और एक ग्रामीण अंचल के। उनकी लिस्ट बन रही है, वह अपनी वरीयता के अनुसार हो जायेंगे।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

वह गरीब लोग 15--20 वर्षों से अस्थायी हैं, अस्थायी होना आप जानते हैं कि कितना अनिश्चित होता है। उनके स्थायीकरण के लिये आप एक निश्चित समय बता दें।

श्री लोकपति–

मान्यवर, यह उनकी सर्विस रिकार्ड का मामला है। उनके सर्विस रिकार्ड एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी पिछले महीने ही इस संबंध में मेरी वार्ता हुई थी उससे वह सहमत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं, यह अतिशीघ्र हो जायेगा। मुझे पूरी आशा है कि इस सदन के समाप्त होने के पूर्व पूरा हो जायेगा।

श्री मित्रसेन–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विभागीय स्थायीकरण की कोई नियमावली है ? यदि है, तो कितने दिनों के बाद स्थायी करने का नियम है? मान्यवर, मेरी इस बात का मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, ऐसी कोई नियमावली है?

श्री लोकपति–

जो शासन की नियमावली है, वही लागू है।

जय प्रकाश नगर मार्ग एवं ठा0 रामपाल सिंह मार्ग, लखनऊ में जल निकासी हेतु नालों का निर्माण

*10–श्री बलबीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय प्रकाश नगर मार्ग एवं ठा0 रामपाल सिंह मार्ग–राम प्रसादखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ में जल निकासी हेतु नाले बनाने की कोई योजना वर्तमान समय में शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां ।

प्रश्नगत योजना नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा बनायी गयी है।

इसके लगभग एक वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।

श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नगर महापालिका को इस सम्बन्ध में फण्ड उपलब्ध करा दिया गया है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां ।

जनपद देवरिया में मिट्टी के तेल तथा सीमेन्ट की चोरबाजारी

*11–श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पूर्ति कार्यालय, देवरिया के एक पूर्ति इंसपेक्टर ने मार्च, 1981 में थाना कोतवाली, देवरिया में इस आशय की रिपोर्ट लिखायी है कि 84 फर्जी विद्यालयों के नाम पर प्रति मास हजारों लीटर किरोसीन तेल की चोरबाजारी की गयी है तथा परमिट बुक चुराकर हजारों बोरी सीमेन्ट चोरबाजारी में बेची गयी है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

देवरिया जनपद में 84 विद्यालयों के नाम पर फर्जी मिट्टी तेल के कोटा कार्ड बनवाकर 59,302 लीटर मिट्टी तेल की चोरबाजारी का मामला प्रकाश में आने पर इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली, देवरिया में पूर्ति निरीक्षक, देवरिया द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1981 तथा 2 अप्रैल, 1981 को दो प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करायी गयी हैं तथा उक्त 59,302 लीटर मिट्टी के तेल की चोरबाजारी के मामले से सम्बद्ध विद्यालयों के

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 11 श्री नन्द किशोर सिंह द्वारा पूछा गया ।

मासिक कोटा कार्ड निरस्त कर दिए गए। दोनों मुकदमें अभी पुलिस के विवेचनाधीन हैं।

सीमेन्ट की परमिट बुक चुराकर हजारों बोरी सीमेन्ट बेचने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया—अतएव इस विषय में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि पूर्ति निरीक्षक देवरिया ने 27 मार्च, 1981 और 2 अप्रैल, 1981 को दो रिपोर्टें दर्ज करायी वे क्या हैं?

श्री वासुदेव सिंह—

जो रिपोर्ट आयी है वह तो बहुत लम्बी है । मैं बताना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में जो एक शिकायत मिली थी उसकी छानबीन के दौरान एक सूरदास इण्टर कालेज के बब्बन पट्टी के नाम 18 सौ लीटर देवरिया नगर के एक निवासी नन्द किशोर को चोरबाजारी में ..... (व्यवधान) । इस मुकदमें में अभियुक्त श्री नन्द किशोर अग्रवाल के प्रार्थना-पत्रों को रजिस्ट्री से मिलान हेतु लखनऊ विशेषज्ञ के पास भेजा गया ...

मान्यवर, ये 84 विद्यालय हैं और इन 84 विद्यालयों में बहुतों ने फर्जी विद्यालय दिखाकर कोटा ले लिया । उसकी विवेचना हो रही है। इन 84 विद्यालयों में 37 ऐसे विद्यालय हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो दो रिपोर्ट लिखायी गयी हैं उनके बारे में मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

श्री वासुदेव सिंह—

वह सब पुलिस के पास विवेचना के लिये भेज दी गयी है। यह मामला गम्भीर है। पहले मालूम हुआ कि यह कोई व्यक्ति है लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यह एक गुट है और गैंग है जो कार्यरत है। अब इसकी विवेचना हो रही है। मार्च और अप्रैल में दो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उन्हीं के आधार पर पुलिस विवेचना कर रही है। जो रिपोर्ट की बात है वह मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, यह 60 हजार लीटर के परमिट का मामला है। इतने बड़े घुटाले का मामला है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या विभागीय कार्यवाही की गयी और कौन-कौन से अधिकारी तथा कर्मचारी इसमें शामिल हैं?

श्री वासुदेव सिंह—

इसमें कार्यवाही हुई है और एक व्यक्ति श्री सुनील कुमार को पकड़ा गया है उनको एक विधायक के दस्तखत की संस्तुति से परमिट जारी किया गया। इन्होंने अपने पिता के नाम पर भी 10 बोरी ..... (व्यवधान) ।

एक सदस्य—

विधायक का नाम बतायें ?

श्री वासुदेव सिंह—

विधायक का नाम बताना उचित नहीं है।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और कुछ स्पष्ट नहीं हो सका।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री वासुदेव सिंह—

यह मामला इतना जबरदस्त फर्जी कार्यवाहियों का है कि इसमें अब विवेचना हो रही है। इस वक्त मैं किसका नाम लूं। हो सकता है उसका भी दस्तखत फर्जी हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया और उन्होंने स्वीकार किया है कि उसमें एक विधायक का नाम है। माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने कहा है उसका वे नाम बता दें। मान्यवर, आप भी इस सदन के सदस्य हैं, आपका भी नाम हो सकता है, आज आप अध्यक्ष पीठ पर बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी भी विधायक हैं, उनका भी नाम हो सकता है, राजेन्द्र कुमार गुप्त का भी नाम हो सकता है मैं भी विधायक हूं। तो वह किस व्यक्ति का नाम है। इससे सम्पूर्ण विधान मण्डल के सभी माननीय सदस्य लांछित हो गये हैं। इसलिये हम सबों के हितों की रक्षा में वह नाम खुलवा देंगे तो प्रदेश की जनता जान जायेगी कि वह व्यक्ति विशेष अपराधी है। कम से कम हम सब की इज्जत तो बच जायेगी इसलिये आप इसका निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं कहना चाहता हूं कि न माननीय गुप्त जी आपका उसमें नाम है और न मेरा है। हम दोनों का नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा और आप का नाम तो साफ हो गया लेकिन मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का भी संकेत किया (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री प्रिय दर्शी जैतली के खड़े होने पर ।) आप बैठिये, मैं व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि किसी विधायक की संस्तुति पर परमिट इश्यू हुआ, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वह फर्जी हो तो उसकी जांच करायी जा रही है। माननीय मंत्री जी आप स्पष्ट कर दें कि क्या आप आश्वस्त हैं कि किसी विधायक की संस्तुति से हुआ है, फिर आपने कहा कि इसमें सन्देह हुआ है तो यह बात स्पष्ट हो जाय ताकि मैं आगे बढ़ूं।

श्री वासुदेव सिंह–

श्रीमन्, इसमें व्यापक आधार पर फर्जी कार्यवाही की गयी है मैं बताना चाहता हूं कि 84 विद्यालय हैं । 37 विद्यालय ऐसे हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं । 33 विद्यालयों को गलत आपूर्ति हुई है। 41 विद्यालय अस्तित्व में हैं उनके बारे में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। तो इस प्रकृति का यह प्रश्न है। मुझे जो नाम मालूम हुआ है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक मैं आश्वस्त न हो जाऊं जिनका नाम है उनके फर्जी दस्तखत तो नहीं हैं कैसे बतायें। अगर कोई अपराधी होगा, चाहे जिस तरफ का होगा चाहे इधर का हो या उधर का उसे नहीं छोड़ा जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि दस्तखत उनके हैं या नहीं हैं । यह केवल साफ हो जाय कि चाहे फर्जी दस्तखत हों तो वह किस विधायक का नाम है जिसकी संस्तुति हुई है। हो सकता है कि गलत नाम हो लेकिन नाम किसका है वह नाम हम जानना चाहते हैं जिसका लिखा गया है?

श्री बिहारी लाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा पिछड़ा हुआ उखलकांडा क्षेत्र है वहां पर दो महीने से मिट्टी का तेल नहीं पहुंचा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं । (व्यवधान) माननीय शर्मा जी, माननीय त्रिवेणी राय साहब आप बैठ जायं। इस प्रश्न पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न में एक बात यह आ गयी कि किसी भी विधायक की संस्तुति से यह हुआ है जिस पर आपका स्वाभाविक प्रश्न था कि वह कौन विधायक है। माननीय मंत्री जी ने फिर कहा कि अभी

वह आश्वस्त नहीं हैं कि जिस विधायक का नाम लिखा हुआ है उसके दस्तखत सही हैं या नहीं, नाम फर्जी तो नहीं लिखा हुआ है। इस पर माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि किस का नाम है चाहे फर्जी हो चाहे सही हो, बता दें। तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि विधायक की बात तो आ गयी अब अगर नाम सही-सही है तो स्पष्ट रूप से सदन में नाम आना अनुचित नहीं है बल्कि आवश्यक है. . . . लेकिन अगर उसका नाम नहीं है और फर्जी किसी ने उसका दस्तखत बनाया है तो उस विधायक पर आप रहम करें जिसका फर्जी दस्तखत बनाया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो उस पर शोधन वक्तव्य हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

एक बात का तो प्रचार हो जायगा, उसकी मर्यादा क्षीण हो जायेगी। शोधन वक्तव्य तो आगे होगा। इसलिए इस उत्तर के लिए मैं इजाजत नहीं देता हूं। वह आश्वस्त हों कि उस विधायक के हस्ताक्षर हैं तो अवश्य उसका नाम बतावें। किन्तु अगर उसके बारे में आश्वस्त नहीं हैं तो उसकी जांच कर लें, तब बतावें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, उसमें किंचित मात्र आपत्ति नहीं है, लेकिन एक जानकारी चाहूंगा, मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न को स्थगित करा दें और यह आज्ञा दें कि सात दिन में आश्वस्त होकर अगले सप्ताह पुनः इसका उत्तर आ जाए। क्योंकि इस उत्तर से हमारी आपकी और हम सभी की मर्यादा लांछित हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नाम साफ हो जाए, जो ब्लैक-शिप है उसका नाम साफ हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

इसकी जांच आप कब तक सम्भवतः पूरी करा लेंगे, जब पता चल जावे कि वास्तविक हस्ताक्षर हैं या नहीं?

श्री वासुदेव सिंह--

इसमें जो हस्ताक्षर का मामला है तो विशेषज्ञ जो होता है उसके पास भेजना होगा . . . (व्यवधान) यह प्रक्रिया है, जैसी प्रक्रिया है वैसी रहेगी। वह माननीय सदस्य मुझे सबेरे से नहीं दिखाई पड़े, जो मैं उनसे ही पूछता कि उनके हैं या नहीं। तो प्रश्न यह है कि अभी मैं आश्वस्त नहीं हूं और अगर मान लीजिए कोई मामला हुआ है फर्जी दस्तखत का और यह भी वैसा मामला हो तो किसी माननीय सदस्य का अवमान हो जाये, तो सदस्य होने के नाते वह हम सबका अवमान होगा। बिना विशेषज्ञ से मालूम किये मैं कैसे बता सकता हूं . . . (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है, प्रश्नों का समय जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन इतने गम्भीर प्रश्न पर अभी अधूरा उत्तर है, अतः आप इसको अगले सप्ताह के लिए टाल दें। जब 11 महीने में मंत्री जी यह पता नहीं लगा सके हैं कि किसके हस्ताक्षर हैं तो इसको थोड़ा और स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं मंत्री जी से चाहूंगा वह यथाशीघ्र उसका पता लगाकर सदन को इसकी सूचना दे दें।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह--

यह व्यवस्था नहीं मेरे लिए आदेश है। विधायक के दस्तखत के बारे में आश्वस्त होकर उसका नाम मैं आपको बता दूंगा।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री खैरुल बशर–

मंत्री जी ने इस सदन में इसके पहले ऐसे विधायक का नाम बताया है। जब फर्जी मोहर पकड़ी गयी थी तो उस विधायक का नाम बताया है, तो इसका नाम बताने में क्या आपत्ति है। एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया था तो उन्होंने विधायक का नाम बताया है, तो इसमें उन्हें क्या आपत्ति है? . . . (व्यवधान)

सहकारी बैंक में लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन हेतु विज्ञापन तथा प्राप्त शुल्क

*12–श्री धनीराम वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80 में उ0 प्र0 सहकारी बैंक में लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोई विज्ञापन निकाला गया था ? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्रों से कितना शुल्क इकट्ठा हुआ? क्या यह सही है कि आज तक उक्त पदों हेतु चुनाव नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार चुनाव शीघ्र करवायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी धनराशि उन्हें वापस की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

जी हां, वर्ष 79-80 में उ0 प्र0 सहकारी बैंक में लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन करने हेतु विज्ञापन निकाले गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों से 97,724.00 रु0 शुल्क बैंक में प्राप्त हुआ। चतुर्थ श्रेणी के पदों में से गार्ड एवं कार चालक के पदों हेतु चयन कर लिया गया है। सहयोगियों तथा लिपिकों का चयन 11-8-80 तक पूर्ण नहीं किया जा सका और 11-8-80 को सम्बन्धित सेवा विनिमय में संशोधन करके चयन का अधिकार उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल को दे दिया गया। लिपिकों के चयन की कार्यवाही मण्डल द्वारा की जा रही है। सहयोगियों का मामला बैंक के विचाराधीन है।

अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री धनी राम वर्मा–

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गये थे। उनमें से डेढ़ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद कार चालक एवं गार्डों का चयन कर लिया गया लेकिन सहयोगियों का चयन नहीं किया जा सका, इसका क्या कारण है और दूसरा, लिपिकों का डेढ़ वर्ष हो गया क्यों नहीं किया गया?

श्री ब्रह्म दत्त–

कुछ वैधानिक आपत्तियों के कारण चयन नहीं किया गया। 27 का कर लिया गया था जिसमें 5 अनुसूचित जाति के थे लेकिन अनुसूचित जनजातियों के कमिश्नर की आपत्ति थी कि जहां 18 फीसदी अनुसूचित जाति के व्यक्ति कार्यरत नहीं हैं वहां 30 प्रतिशत चुने जाने चाहिए, इस कारण उस को नहीं कराया गया, इसको फिर से देखा जायेगा ।

श्री धनी राम वर्मा–

लिपिकों का चयन क्यों नहीं किया गया?

श्री ब्रह्मदत्त–

कठिनाई इसलिए हुई कि बहुत संख्या में आवेदन पत्र आ गये थे । बाद में 11 अगस्त को सेवा मण्डल को काम सौंप दिया गया, वह इस काम को करेगी।

श्री धनी राम वर्मा–

11 अगस्त, 80 को सहकारी संस्था का सेवा मण्डल बना दिया गया लेकिन अभी तक उसके चयन की प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं की गई?

श्री ब्रह्म दत्त--

आवेदन पत्रों की संख्या बहुत है।

श्री दलबीर सिंह--

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में कितने रोजाना के लिपिक और दूसरे कर्मचारी काम कर रहे हैं क्योंकि वह इतने दिनों से रोज काम कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री धनी राम वर्मा--

इन्होंने मान्यवर, कहा है कि सहयोगियों का मामला बैंक के विचाराधीन है, तो क्या उसमें चयन की प्रक्रिया भी विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कब तक पूरी कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो जिन आवेदकों का पैसा आया है, उसे वापस किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

मामला उच्च न्यायालय में है, विचार किया जा रहा है इसलिए पैसा वापस करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*13--श्री मोहम्मद अफी सिद्दीकी--

[14वें अनुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

साधन सहकारी समिति पिथनापुरा विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के सचिव के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें

*14--श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन माह में साधन सहकारी समिति, पिथनापुरा विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के सचिव के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की अनेक शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या उन पर जांच की गई और जांच का परिणाम क्या निकला? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां, ।

जी हां ।

दोषी कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी एवं उसे निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास परिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सहायक इंजीनियर तथा उनकी पदोन्नति

*15--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद में इस समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने सहायक इंजीनियर हैं और उसमें से कितनों की पदोन्नति वर्ष 1976 से 1981 तक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोविन्द--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में अक्टूबर, 1981 तक अनुसूचित जन-जाति के 4 सहायक इंजीनियर थे। जिनमें से वर्ष 1976 से 1981 तक एक सहायक इंजीनियर की प्रोन्नति एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर अक्टूबर, 1981 में की गई है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपके आवास विकास निगम में कुल कितने सहायक अभियन्ताओं के पद हैं और हरिजन और अनु-सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने पद आरक्षित हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, सहायक अभियन्ता इस समय 89 हैं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

इसमें हरिजन और जनजाति के कितने हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या यह सत्य है कि जिन सहायक अभियन्ता की पदोन्नति की गयी उनका चयन 1978 में चयन समिति द्वारा किया गया था? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको 1978 से ही पदोन्नति देंगे? इसके सम्बन्ध में मैं लगातार मंत्री जी से मिलता रहा और जब मैंने प्रश्न किया तो उसके बाद अभी इनकी पदोन्नति की गयी है। इनको 78 से लेकर आज तक जो क्षति उठानी पड़ी है क्या उसकी पूर्ति माननीय मंत्री जी करेंगे और सन् 78 से ही उनको एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर मानेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, 78-79 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि वह जनता पार्टी का शासन था। अगर कोई ज्यादती हुई होगी तो उसकी जांच करवाकर अवश्य ठीक करा दूंगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा इस बात के ऊपर कि यहां पर जब-जब इस प्रकार के प्रश्न सदन में पूछे जाते हैं या पूछे गये हैं तो या तो सरकार बदल गयी या मंत्री बदल गये तो कोई ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित होता हो और किसी प्रश्न को एक-दो बार से ज्यादा यहां न उठाना पड़े।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक सरकार बदलने का प्रश्न है, वह जनता के हाथ में है और मंत्री बदलने का है, वह मुख्य मंत्री के हाथ में है। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह भी बता दीजिये कि मुख्य मंत्री बदलना किसके हाथ में है?

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

यह जो व्यक्ति है जिसकी अभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदोन्नति की गयी है वह सवर्ण है या हरिजन है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने सहायक इंजीनियर अनुसूचित जाति के हैं और उनमें से कितनों की पदोन्नति एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर हुई है? इसका उत्तर मैंने दे दिया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 4 सहायक इंजीनियर थे और उनमें से एक की पदोन्नति करके उसे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया तो इससे यह सिद्ध हो गया कि वह अनुसूचित जाति का था।

हरदोई जिले में अप्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये सीमेन्ट के लाइसेंस

*16–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980-81 में हरदोई जिले में किन-किन लोगों को सीमेन्ट की एजेन्सी दी गयी? क्या यह सच है कि यह एजेन्सी एक ऐसे अधिकारी द्वारा दी गयी है जिसे एजेन्सी देने का अधिकार ही नहीं है? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

प्रश्नगत अवधि में हरदोई जनपद में जिन लोगों को सीमेन्ट के लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। उक्त लाइसेंस अतिरिक्त जिला अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1973 के खण्ड-2 के उपखण्ड (च) के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा 'लाइसेंसिंग प्राधिकारी' के रूप में प्राधिकृत नहीं किया गया था। उक्त लाइसेंस जिला मैजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 575 पर)

नगरपालिका बदायूं व उझानी में वाटर वर्क्स के नियमित कनेक्शन व अवैध कनेक्शन

(अनुपस्थित)

*17–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बदायूं व नगरपालिका उझानी (जनपद बदायूं) में वाटर वर्क्स के कितने कनेक्शन मंजूरशुदा लगे हैं जो कनेक्शन अवैध लगे हैं उनको हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

नगरपालिका बदायूं में नियमित कनेक्शनों की संख्या 3155 है। वर्तमान में 263 अवैध कनेक्शन हैं। जिनके नियमितीकरण हेतु पत्र व्यवहार चल रहा है तथा 14 अवैध संयोजनों को कटवा दिया गया है।

नगरपालिका उझानी में वाटर वर्क्स के नियमित कनेक्शनों की संख्या 1072 है। इस वाटर वर्क्स के अधीन कोई कनेक्शन अवैध नहीं है।

पीलीभीत में डी0डी0टी0 के ड्रमों की चोरी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच

*18–श्री भीखा लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 मई, 1981 को 540 ड्रम डी0 डी0 टी0 शाहजहांपुर से पीलीभीत लाया गया और माल उतारने पर सही पाया गया लेकिन 5 जून, 1981 को पुनः ड्रमों की गिनती करने पर 54 ड्रम कम पाये गये? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी और ड्रम गायब करने वाले दोषी व्यक्तियों को क्या सजा दी गयी? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों?

श्री हरि सिंह–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत ने श्री चेतराम स्टोर लिपिक को 580 ड्रम डी0 डी0 टी0 शाहजहांपुर से लाने के आदेश दिये थे। श्री चेतराम ने 580 ड्रमों की इन्ट्री स्टाक बुक में दिखायी किन्तु सहायक मलेरिया अधिकारी, पीलीभीत द्वारा चेक करने पर ज्ञात हुआ कि 44 ड्रम कम थे। श्री चेतराम ने 31 ड्रमों को शाहजहांपुर से लाया बताकर जमा कर दिया। इस प्रकार केवल 13 ड्रमों की ही कमी रह गयी। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच कराई गयी तथा मण्डलीय स्तर पर भी जांच की गयी। श्री चेतराम को निलम्बित कर दिया गया है और उनसे 13 ड्रमों की धन की वसूली तथा अनुशासनिक कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही है।

श्री भीखा लाल–

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि 44 ड्रमों की कमी पायी गई, जिनमें से 31 ड्रमों को शाहजहांपुर से लाया हुआ बता कर लिपिक ने जमा कर दिया तो कितने दिनों के उपरान्त वे ड्रम्स जमा किये गये?

श्री लोकपति–

दो किस्तों में आये थे 31 ड्रम्स एक महीने के अन्दर 14-6-81 को 11 ड्रम्स और 6.6.81 को 20 ड्रम्स आये।

श्री भीखा लाल–

13 ड्रम्स जो अभी तक नहीं जमा हुए हैं उनके लिए लिपिक से पैसा वसूल करने की कार्यवाही चल रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह मामला स्पष्ट रूप से चोरी का है तो उस लिपिक के खिलाफ चोरी का मामला पुलिस के जरिये क्यों नहीं चलाया गया?

श्री लोकपति–

पीलीभीत कोतवाल ने इस का इन्वेस्टीगेशन किया और उन्होंने लिपिक की लापरवाही दिखलायी लेकिन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश नहीं दिया लिहाजा ऐसी कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की गयी । विभागीय कार्यवाही करके उसे सस्पेंड कर दिया गया है, उससे पैसा वसूल करने की कार्यवाही चल रही है और उसकी चरित्र पंजिका में भी एंट्री करने का आदेश दे दिया गया है।

प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा पाठ्यक्रम आदि को लागू करने पर विचार

*19–श्री माधव प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि नेशनल कालेज आफ नेचरोपैथी, लखनऊ को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने और छात्रों को डिग्री दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक निष्पादित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरि सिंह–

इस प्रकार का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा उसके पाठ्यक्रम आदि को निर्धारित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी तक कोई नीति निर्धारित की गई है।

श्री माधव प्रसाद–

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनके पाठ्यक्रम आदि को लागू करने के प्रश्न पर आवश्यक और गम्भीरता को देखते हुए विचार करेगा?

श्री लोकपति–

एक विधेयक आने वाला है जो सदन के सम्मुख रखा जायेगा । उसमें आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ नेचुरोपैथी भी शामिल है। अगर माननीय सदन की स्वीकृति प्राप्त होगी तो उसके लिये नियम आदि आदेश बना दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में योग की शिक्षा भी शामिल है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो विधेयक आने वाला है उनमें प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन सी विशेष योजना है?

श्री लोकपति–

जब विधेयक पेश करेंगे उसी समय उसकी रूपरेखा बतला देंगे। योग भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ही शामिल है।

बांदा नगर पालिका में हुई अनियमितताओं की जांच

*20—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका में हुई अनियमितताओं की जांच शासन की ओर से वर्ष 80-81, 81-82 में की गई है? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या निकले? दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

बांदा, नगरपालिका में हुई अनियमितताओं की जांच वर्ष 1980-81, 81-82 में सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा की गई।

वर्ष 1980-81 में की गई जांच में अनाधिकृत रूप से लाइसेन्स फीस वसूल करके नगरपालिका कोष में जमा न कर पालिका धनराशि का गबन करने हेतु पालिका के तीन कर्मचारियों को दोषी पाया गया। वर्ष 1981-82 में की गई जांच में पालिका में कराये गये सार्वजनिक निर्माण कार्य, वस्तुओं के क्रय एवं मृत जानवरों को उठाने हेतु दिये गये ठेके आदि में घोर अनियमितताएं किया जाना पाया गया जिसके लिए पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को मुख्यतः तथा अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया गया।

वर्ष 1980-81 की जांच में दोषी पाये गये पालिका के तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध बांदा कोतवाली में 23-8-80 को रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। वर्ष 1981-82 की जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा आरोप पत्र देकर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है। अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध पालिका प्रशासक द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि बांदा नगर पालिका के वर्ष 80-81 के जांच के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों को दोषी पाया गया उन की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा उन के विरुद्ध विभागीय क्या कार्यवाही की गई? क्या उनको निलम्बित किया गया या अन्य कोई कार्यवाही की गई?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मैंने उत्तर में बताया, उनको निलम्बित किया गया है, चार्ज शीट दी गयी है।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

1981-82 में जांच हुई और अधिशासी अधिकारी को निलम्बित किया गया जो अन्य तीन कर्मचारी थे उनके बारे में प्रभारी अधिकारी को कब निर्देशित किया गया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय? उस पर अब तक क्यों कार्यवाही नहीं हुई? क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि मार्च, 1982 तक उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, सभी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी और शीघ्र से शीघ्र की जायेगी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिका देवरिया की नजूल भूमि का आवंटन

**1—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री मोहन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका देवरिया की नजूल भूमि 4.66 एकड़ दीवानी कचहरी के पास तथा 2.5 एकड़ सोमनाथ मंदिर के पास कान्वेन्ट स्कूल को आवंटित कर दी गयी है जिसके विरोध में क्षेत्रीय विधायक श्री रुद्र प्रताप सिंह दिनांक 19-12-81 से आमरण अनशन पर बैठे हैं? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नजूल भूखण्ड क्षेत्रफल 4.76 एकड़ भूमि स्थित देवरिया रामनाथ टप्पा देवरिया परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया का पट्टा जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को दिया गया है। 2.5 एकड़ भूमि स्कूल के पास पट्टे पर पहले से चली आ रही है। इसके विरोध में क्षेत्रीय विधायक दिनांक 19-12-81 से 23-12-81 तक अनशन पर बैठे थे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्नोत्तर दूसरा अन्तुले कांड है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह नजूल की भूमि, जीवन मार्ग स्कूल को देने से पहले किसी ऐसे प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के पास थी, जिससे सम्बन्धित स्व0 गेंदासिंह, श्री रामायण राय जो अब पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं और श्री रामजी वर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य रहे हैं और यह उनके द्वारा संगठित प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र है और क्या यह भूमि उस संस्थान के नाम से थी? यदि थी, तो उसके हाथ से छीनने या उसका स्वामित्व समाप्त करने का क्या कारण है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, यह भूमि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को पट्टे पर दी गई थी और उसकी शर्तों के अनुसार उस पर 24 मास के अन्दर निर्माण हो जाना चाहिये था लेकिन 7 वर्ष में भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया। अतः विधिवत नोटिस दी गयी और वैधानिक कार्यवाही करने के बाद भूमि को खाली कराने की कार्यवाही की गयी। भूमि के खाली हो जाने पर जीवन मार्ग कन्वेन्ट स्कूल को यह जमीन पट्टे पर दे दी गयी।

श्री मोहन सिंह—

यह जमीन जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को पट्टे पर दी गई थी तो उसकी शर्तें क्या थीं और जीवन मार्ग कन्वेन्ट स्कूल को जो पट्टे पर दी गई, उसकी शर्तें क्या हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह भूमि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को कार्यालय भवन, यंत्रशाला, प्रशिक्षण केन्द्र, पुरूष तथा महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए पृथक पृथक छात्रावास सभा मंडप, महिला प्रशिक्षण केन्द्र तथा जिला एवं सेन्ट्रल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए दी गयी थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जहां तक मेरी जानकारी है नजूल की भूमि को किसी को दिये जाने पर यह प्रतिबन्ध है कि उसके लिए शासन की स्वीकृति हो तो इस भूमि को जीवन मार्ग स्कूल को दिए जाने पर शासन की स्वीकृति भी हुयी होगी। इसमें यह भी बन्धन है कि ऐसी जमीन किसी ऐसी संस्था को नहीं दी जायेगी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न हो। जहां तक मुझे जानकारी है यह संस्था पंजीकृत (रजिस्टर्ड) नहीं है। तो माननीय मंत्री जी अपनी पत्रावली देखकर बता दें कि वह शासन का क्या आदेश है? यदि यह संस्था पंजीकृत है तो उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है? गोंडा में भी एक ऐसा

ही मामला हुआ था। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह भूमि किसी व्यक्ति को तो नहीं बेची गयी है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

शासन की स्वीकृति से ही भूमि का पट्टा दिया गया है जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह नियम है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है शासन उसे कोई जमीन या कोई सुविधा अगर देना चाहती है तो नहीं दे सकती। तो क्या यह संस्था एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो पंजीकरण का नम्बर क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

पंजीकरण संख्या की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह अन्तुले का दूसरा कांड है यदि संस्था पंजीकृत नहीं है तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला स्थानीय स्तर पर हुआ है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया है। उनकी पत्नी इसमें इन्वाल्व है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह सरासर गलत कहा गया है।

श्री मोहन सिंह—

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के पट्टे को खारिज करने की क्या तारीख है और जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को पट्टे पर दिए जाने की क्या तारीख है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

5-11-81 को बेदखली के आदेश जारी हुए और दूसरा पट्टा 26-11-81 को दिया गया। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

यह असत्य और सदन को गुमराह करने वाला उत्तर दिया गया है। पट्टा खारिज करने के लिए एक माह का नोटिस दिया जाना चाहिए और विधिवत कब्जा समाप्त होने के एक माह बाद दूसरा पट्टा होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोर्ट का स्टे आर्डर भी प्राप्त किया गया और दिखाया गया, पर वहां के अधिकारियों ने उस स्टे को भी नहीं माना और (व्यवधान) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की तमाम जायदाद आदि भी एक्वायर कर ली। यह गलत बयान है कि वहां पर कोई कन्सट्रक्शन नहीं हुआ। मेरी जानकारी है कि केवल इन जमीन को देने के लिए 3-3 अधिकारियों का वहां से तबादला किया गया, एक अधिकारी को केवल इसी पट्टे के कारण वहां पर भेजा गया (व्यवधान)। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस जीवन मार्ग शिक्षा केन्द्र को किस रेन्ट पर यह जमीन दी गयी है और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के पास किस रेन्ट पर यह जमीन थी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जीवन मार्ग शिक्षा केन्द्र को 566.44 रुपये वार्षिक किराये पर यह पट्टा दिया गया है।

श्री मोहन सिंह—

और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के पास किस हिसाब से थी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

(शोर-व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में एक बड़ा ही गम्भीर आरोप लगाया गया है कि रागवश और द्वेषवश एक शिक्षा संस्था का पट्टा खत्म करके दूसरी शिक्षा संस्था को दिया गया और इसमें माननीय मुख्य मंत्री की पत्नी का इन्वाल्वमेंट है, यह कहा गया। अब इतना गम्भीर आरोप होने के बाद अगर सारी बात सदन के सामने नहीं आती है तो . . .

(शोर-व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

आप नियम 49 के अन्तर्गत इस पर मान्यवर, चर्चा करा दें। इसमें मान्यवर, जीवन मार्ग स्कूल की जो प्रधानाचार्या हैं वे माननीय मुख्य मंत्री की पत्नी को अजमेर में पढ़ा चुकी हैं। इस पट्टे के पीछे उनका पूरा हाथ है। एक बार मान्यवर, यहां पर (व्यवधान) कहा जाता था कि बहू जी का राज्य था और अब महारानी जी का राज्य है।

(व्यवधान–शोर)

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

इसे मान्यवर कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें, बैठ जायें।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर) जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है क्या उसके बारे में कहा जा सकता है? यह अनुचित है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

माननीय नेता सदन इस सदन के सदस्य हैं।

(शोर–व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, कार्यवाही से कैसे निकाला जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

माननीय हरिबंश सहाय और माननीय मोहन सिंह का प्रश्न है– "क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका देवरिया की मजूल भूमि 4.66 एकड़ दीवानी कचहरी के पास तथा 2.5 एकड़ सोमनाथ मन्दिर के पास कान्वेन्ट स्कूल को आवंटित कर दी गयी है जिसके विरोध में क्षेत्रीय विधायक श्री रुद्र प्रताप सिंह दिनांक 19-12-81 से आमरण अनशन पर बैठे हैं?" तो इस संदर्भ में जो उत्तर आया है. . . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अनुपूरक प्रश्न भी इससे मिला दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि जितने प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न हुए हैं, वह सब हमें याद हैं?

(व्यवधान)

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र–

आपके आदेश से अनुपूरक प्रश्न गिला दिया जायगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, वह नहीं बैठ रहे हैं और आप हमें बैठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं दोनों ही माननीय सदस्य को कह रहा हूं, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसी गर्मा-गर्मी में डाक्टर साहब ने कुछ अपशब्द कहा। वह चैलेंज करना चाहते हैं। जब चाहें वह चैलेंज कर लें। यह कुश्ती करना चाहें यहां पर, कर लें।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, जिस विधायक का नाम वह नहीं बता रहे थे, वह यही हैं।

(विरोध पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गयीं।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब शान्त रहें। कृपया शान्त हो जाइये। इस सदन में ऐसे अनेकों प्रश्न सदा उठ सकते हैं, जिनमें परस्पर विरोध, आरोप-प्रत्यारोप भी हों। लेकिन ये सारे प्रश्न ऐसे शान्त माहौल में उठाये जा सकते हैं और उनके उत्तर भी दिये जा सकते हैं और अगर किसी प्रश्न का उचित उत्तर नहीं आता है, तो आप विश्वास रखें, मैं उसका उचित उत्तर दिलाने का स्वतः प्रयास करूंगा। लेकिन सदन में बिलकुल उत्तेजना में, शिष्टता से अलग अगर कोई बात होती है, तो वह किसी के सम्मान के विरुद्ध होता है और सदन के सम्मान के विरुद्ध होता है। कृपया इसका ध्यान रखें। अभी जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जो व्यक्ति सदन में न हो क्या उसके लिये यहां कोई आरोप प्रत्यारोप किया जा सकता है, क्योंकि वह इस सदन में उत्तर नहीं दे सकता है। यह आज नहीं कई बार इस सदन में उत्तरित हो चुका है कि जो इस सदन में नहीं है और जो उत्तर नहीं दे सकता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपने जो प्रश्न उठाया है उसमें 2 बातें ऐसी सामने आई हैं जिसमें श्री गुप्त जी ने यह कहा कि वह किसी ऐसी संस्था को पट्टा दे सकते हैं जिसका पंजीकरण हो। क्या इस संस्था का पंजीकरण है यदि है तो उसका पंजीकरण संख्या क्या है। मंत्री जी उत्तर नहीं दे सके कि पंजीकरण संख्या क्या है। यदि मंत्री जी इतना उत्तर दे दें कि संस्था पंजीकृत है तो नम्बर फिर दे देंगे।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

पंजीकृत हो या न हो शासन को अधिकार है कि वह पट्टा दे सकता है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मेरा आग्रह है कि नियम 49 में इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न उठाया गया उसका उत्तर दिलाने का मैंने प्रयास किया। जो उत्तर दिया गया उसको आपने सुना। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा की मांग अलग से करिये तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

वह पोरशन निकाल दिया जाय जो माननीय मुख्य मंत्री या उनकी धर्मपत्नी के बारे में कहा गया है।

श्री मोहन सिंह–

मुख्य मंत्री प्रतिवाद करें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मुख्य मंत्री जी नहीं हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मोहन सिंह कल से कई मंत्रियों पर आरोप लगा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही को देख लूंगा और कार्यवाही देखने के उपरान्त यदि कोई शब्द जो कि संसदीय नहीं है तो उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र–

श्री रुद्र प्रताप सिंह ने नियम 51 में प्रश्न उठाया है कि देवरिया जनपद में कोई विधायक सीमेण्ट के मसले में है इसमें मोहन सिंह ने कह दिया कि वह विधायक मैं हूं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एथारिटी से इसकी जांच करवा ली जाय कि वह कौन विधायक है जिसने यह काम किया है। यदि मैं हूंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना मोहन सिंह जी इस्तीफा दे दें। किसी पर कोई आरोप लगाना मर्यादा के खिलाफ है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

बड़ी देर बाद में मालूम हो पाया कि मैं नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री मोहन सिंह, आप बैठ जायं।

श्री मोहन सिंह–

मैं इनको संतुष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं। इनका नाम आपने कह दिया और उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दिया। अब 301 की सूचनाएं होंगी।

श्री मोहन सिंह–

मुझे खेद है। डा0 बी0 के0 मिश्रा जी का मैं आदर करता हूं। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी।

नोटः–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सख्या । के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सहकारी संस्थाओं एवं समितियों के चुनाव में निर्णय

**2—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मित्रसेन—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य की सहकारी संस्थाओं एवं समितियों के चुनाव के बारे में शासन ने कोई निर्णय लिया है? यदि नहीं, तो क्या समस्त समितियों में सदस्यों के मनोनयन का निश्चय किया गया है? यदि हां, तो मनोनयन का आधार क्या होगा?

श्री बच्चा पाठक—

सहकारी संस्थाओं एवं समितियों के चुनावों के बारे में शासन द्वारा कोई निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सहकारी संस्थाओं एवं समितियों में चुनाव कराने का निर्णय लेने का अधिकार निबन्धक, सहकारी समितियों का है। वे नियमानुसार चुनाव कराने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

समितियों में सदस्यों के मनोनयन का कोई प्राविधान नहीं है।

समितियों में सदस्यों का चूंकि मनोनयन नहीं किया जाता है, अतएव मनोनयन के आधार का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

अस्थाई निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर में नलकूपों का निर्माण

1—श्री हरिवंश सहाय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 5वें गुरुवार के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर में वर्ष 1978-79 व 79-80 के दौरान कितनी-कितनी गहराई के कुल कितने नल-कूपों का निर्माण किन-किन जगहों पर कराया गया है और उन सभी नल-कूपों पर लुब्रीकेन्ट्स (डीजल, मोबिल आयल); एसेम्बली पाइप (हाउसिंग स्लाटेड व प्लेन पाइप) व पी0 ग्रेविल (लालकुआं या नौतनवां का बुटवेल) व मजदूरी के मदों पर अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि किस-किस दर से व्यय की गयी है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वांछित सूचना को एकत्र करने में जो श्रम और व्यय लगेगा वह उसके लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

शाहजहांपुर शहर वर्ग महमन्द जलालनगर हाउसिंग स्कीम में एक्वायर की गई जमीन के व्यक्तियों के नाम व पते

2—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर शहर वर्ग महमन्द जलालनगर हाउसिंग स्कीम में 22-6-68 के नोटीफिकेशन के आधार पर जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी थी उनके नाम व पते क्या हैं? तथा उन लोगों को जिला जज शाहजहांपुर के एवार्ड दिनांक 29-4-80 के आधार पर अभी तक मुआवजा न दिए जाने के उत्तरदायी कौन है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में परगनाधिकारी द्वारा चीनी के कांटेदार का लाइसेन्स रद्द किया जाना

3—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में सन् 1980-81 में परगनाधिकारी द्वारा 16 (सोलह) चीनी के कांटेदारों का लाइसेंस

उनके द्वारा गलत ढंग से वितरण करने पर रद्द एक साथ किया गया था? यदि हां, तो वे कौन-कौन से दुकानदार थे ? क्या यह सही है कि उन 16 लाइसेंसियों में एक लाइसेंसी नई व्यवस्था तक कोटा उठाता रहा है? यदि हां, तो क्यों? और किस अधिकारी के आदेश से?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में सन् 1980-81 में परगनाधिकारी द्वारा 16 चीनी के कोटेदारों के लाइसेंस उनके द्वारा गलत ढंग से वितरण करने पर एक साथ रद्द किये गये थे जिनके नाम निम्न हैं:–

1– श्री कौलेश्वर
2– श्री राम गोपाल
3– श्री बृज भूषण
4– श्री प्रभात सेन पाठक
5– श्री देवेन्द्र नाथ त्रिपाठी
6– श्री राम नवल चौबे
7– श्री राम नयन उपाध्याय
8– श्री लाल बिहारी सिंह
9– श्री विजय बहादुर सिंह
10– श्री हरीराम गुप्ता
11– श्री राम पूरन चौबे
12– श्री राम लखन सिंह
13– श्री राम अक्षयवर सिंह
14– श्री लालजी गुप्त
15–श्री मिट्ठू लाल
16–श्री राम स्वास्थ शुक्ल

उक्त 16 चीनी कोटेदारों के निरस्त लाइसेंस बहाल नहीं किये गये। श्री राम गोपाल के निरस्त कोटे के स्थान पर श्री राम सूरत को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चीनी कोटेदार परगनाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया था।

फैजाबाद जनपद में डीजल व मिट्टी के तेल के टैंकर्स की संख्या व मात्रा

4–श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत 2 वर्षों में फैजाबाद जनपद में डीजल मिट्टी के तेल के कितने टैंकर्स आये और प्रत्येक टैंकर में कितना-कितना डीजल व मिट्टी का तेल आया?

श्री वासुदेव सिंह–

फैजाबाद जनपद में गत दो वर्षों (1980 व 1981) में हाई स्पीड डीजल के 2288 टैंकर तथा मिट्टी के तेल के 1586 टैंकर आये जिनमें प्राप्त हुए हाई स्पीड डीजल तथा मिट्टी के तेल की मात्रा का विवरण निम्नवत् है:–

हाई स्पीड डीजल के टैंकर	मिट्टी के तेल के टैंकर	प्रत्येक टैंकर में प्राप्त उत्पाद की मात्रा (कि0 लीटर में)
24	–	2·5
2	–	2·7
1	–	2·8

हाई स्पीड डीजल के टैंकर	मिट्टी के तेल के टैंकर	प्रत्येक टैंकर में प्राप्त उत्पाद की मात्रा (कि0 लीटर में)
17	—	3.0
46	—	4.0
152	1	5.0
1	—	5.5
2	—	5.6
68	—	6.0
1	—	7.0
48	—	7.5
103	—	8.0
6	—	8.2
45	—	9.0
1607	1584	10.0
9	—	11.0
128	1	12.0
1	—	14.0
27	—	18.0

पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय, हरदोई के श्री गोविन्द स्वरूप सक्सेना की भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब

5—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री जगदीश सिंह—

प्रथम मत 81 के 3रे गुरुवार के अता0 प्र0 स0 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोविन्द स्वरूप सक्सेना की भविष्य निधि निर्वाह आदि औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने में इतने विलम्ब का क्या कारण है? क्या सरकार उनके समस्त भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके कब तक भुगतान कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

श्री गोविन्द स्वरूप सक्सेना, सेवा निवृत्त पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय, हरदोई ने भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित अभिलेख औपचारिकताएं पूर्ण करके महा-लेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिये गये हैं। अतः औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने में विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता। श्री सक्सेना द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र तथा पूर्व में वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान का विकल्प-पत्र न दिये जाने के कारण नियमानुसार पेंशन व ग्रेच्यूटी के कागजात तैयार किये जाने में विलम्ब हो रहा है।

श्री राजकुमार श्रीवास्तव ज्येष्ठ लिपिक के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, हरदोई द्वारा अग्रसारित श्री राजकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ लिपिक संग्रह का प्रार्थना-पत्र जो उक्त लिपिक की जानमाल के खतरे के सम्बन्ध में है, दिनांक 11-7-80 को उप निबन्धक, लखनऊ मंडल सहकारी समितियों को भेजा गया? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो उसके क्या कारण हैं?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां। श्री राजकुमार श्रीवास्तव का स्थानान्तरण जनपद सीतापुर के लिए किया गया परन्तु उन्हीं के अनुरोध पर जनपद हरदोई से उन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया

मैनपुरी नगर के समस्त नालों की सफाई के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहर मैनपुरी नगरपालिका के अन्तर्गत नालों की सफाई 3 वर्ष से नहीं है, के संबंध में अगस्त, 1981 के शिकायती पत्र आपको एवं जिलाधिकारी, मैनपुरी को दफेदार सिंह यादव आदि मुहल्ला उत्तर छपही आश्रम रोड, मैनपुरी के प्राप्त हुए ? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर अब तक किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम हुआ? यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मैनपुरी नगर के समस्त नालों की सफाई विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष वर्षा से पूर्व तथा आवश्यकतानुसार सामयिक रूप से नगर पालिका द्वारा करायी गई है।

श्री दफेदार सिंह यादव आदि के शिकायती पत्र दिए जाने के समय मैनपुरी नगर अति-वृष्टि एवं गम्भीर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। शिकायती पत्र में इंगित नाले की सफाई जिला प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका, मैनपुरी द्वारा करा दी गयी थी।

तहसील स्तर पर चीफ फार्मेसिस्ट एवं जिला फार्मेसी अधिकारी के पद का सृजन

8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फार्मेसिस्ट की मांग उप निदेशक, फार्मेसी तहसील स्तर पर चीफ फार्मेसिस्ट एवं जिला फार्मेसी अधिकारी के पदों के सृजन पर शासन सहमत है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

केवल राज्य स्तर पर सहायक निदेशक (फार्मेसी) अथवा विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) तथा तहसील स्तरीय अस्पतालों में चीफ फार्मेसिस्टों के पदों के सृजन किये जाने के प्रस्तावों पर सहमति हुई थी और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिला फार्मेसी अधिकारी के पदों के सृजन के बारे में कोई औचित्य नहीं पाया गया था।

कानपुर मेडिकल कालेज में बी0 फार्मा डिग्री कोर्स स्थापित करने की योजना

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से मेडिकल कालेज कानपुर के अन्तर्गत बी0 फार्मा0 पाठ्यक्रम खुलवाने हेतु विधान सभा में 9 मई, 1979 को कोई घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति—

दिनांक 9 मई, 1979 को विधान सभा में इस आशय की कोई घोषणा नहीं की गयी थी, किन्तु मेडिकल कालेज, कानपुर में एक बी0 फार्मा0 डिग्री कोर्स स्थापित करने की योजना शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में कुछ विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की जा रही है।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत भोला खेड़ा (लखनऊ) नामक मोहल्ले के लिए स्वीकृत धनराशि तथा कैलाशपुरी (आलमबाग) में विकास कार्य

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभाषनगर (भोलाखेड़ा) लखनऊ को शासन द्वारा मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है? यदि हां, तो उस पिछड़े इलाके में शासन द्वारा क्या-क्या योजनायें बनायी गयी है तथा किन-किन योजनाओं पर शासन द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया गया है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

भोला खेड़ा नामक मोहल्ले की एक योजना लखनऊ नगर महापालिका द्वारा मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में शासन को प्रस्तुत की गयी थी जिसे 1.47 लाख की लागत पर स्वीकृत किया गया उक्त मोहल्ले की मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में लखनऊ नगर महापालिका को स्नान गृह, सड़क पर ईंट का खड़ंजा, नाली, गली में रोशनी तथा कुआं बनाने के कार्य किये जाने हैं। अभी निविदायें स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं और उनकी स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य आरम्भ किया जायेगा।

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कैलाशपुरी (आलमबाग) स्थित हरिजन बस्ती को मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है? यदि हां, तो उपरोक्त बस्ती में क्या क्या विकास कार्य हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

उपरोक्त मोहल्ले को "मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना" में सम्मिलित किया गया था परन्तु पुनर्विचार पर इस बस्ती में महापालिका द्वारा कोई सुधार कार्य नहीं कराया गया।

महामंत्री, सुभाष नगर कल्याण समिति श्री रमेश चन्द्र यादव के पत्र पर कृत कार्यवाही

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-9-81 को प्रशासक नगरपालिका, लखनऊ को श्री रमेश चन्द्र यादव, महामंत्री, सुभाष नगर, (भोला खेड़ा) कल्याण समिति, सुभाष नगर, आलमबाग, लखनऊ का पत्र मिला है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं? क्या पत्र में उल्लिखित बातों पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्री कृष्ण गोयल—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत हैं :—

1—लखनऊ कानपुर रोड से ताड़ीखाना व शराब खाने के बगल से जाने वाली सुभाष नगर भोला खेड़ा रोड पर पानी के भराव की समस्या है।

2—सुभाष नगर (भोला खेड़ा) रोड का निर्माण श्री पुत्ती लाल के मकान के आगे नहीं किया गया है।

3—उक्त सड़क के किनारे नालियों का निर्माण नहीं किया गया है।

4—उपरोक्त क्षेत्र में पांच गलियों में खड़ंजा नहीं लगवाया गया।

5—मलिन बस्ती पर्यावरण योजना के अन्तर्गत पांच गलियों में खड़ंजे व नाली बनवाने हेतु निवेदन किया गया।

6—स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

7—उपरोक्त क्षेत्र में सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त बातों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

भवनों के मुख्य द्वार के सामने के मार्ग का निर्माण नगर महापालिका द्वारा कर दिया गया था। सीवर और पानी की सुविधा जल निगम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से समयानुसार कराई जायेगी। सुभाष नगर कालोनी के मार्ग को पक्का कर दिया गया है। सड़क के आगे का हिस्सा जो भोला खेड़ा बस्ती के सामने तथा बस्ती के अन्दर है,

मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत कार्य किया जावेगा। भवनों की कतारों के मध्य जो छोटी-छोटी गलियां छोड़ी गयी हैं उन पर खड़ंजा लगाने की उपयोगिता पर सिंचाई विभाग के भूमि सम्बन्धी विवाद समाप्त होने पर ही कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

भोला खेड़ा, सुभाषनगर, आलमबाग क्षेत्र में स्थित है। यद्यपि यहां के लिए स्थाई सफाई कर्मचारी स्वीकृत नहीं हैं फिर भी समय समय पर अन्य क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों से सफाई करा दी जाती है। प्रकाश के सम्बन्ध में लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग लखनऊ द्वारा उक्त स्थल पर 15 स्पेन तार खींचे जाने के पश्चात प्रकाश बिन्दुओं की व्यवस्था की जायेगी।

आलमबाग क्षेत्र में जलभराव के निदान की योजना

13—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र की विकट समस्या जल भराव के निदान की कोई योजना शासन ने बनाई है? यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां,

कार्यारम्भ हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं। कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा।

14—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खाद्य तथा रसद सचिव शाखा में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के भविष्य निधि लेखों की पूर्ति का विवरण

15—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्य सचिव शाखा में कितने अराजपत्रित एवं राजपत्रित कर्मचारियों की भविष्य निधि लेखे की पास बुकें प्रशासनिक सुधार विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 8507/तैंतालिस-6सं0 आर/80 दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के अनुसार पूर्ण कर ली गई हैं? कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की पास बुकें अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी हैं ? और जिन मामलों में महालेखाकार के यहां से पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हुये हैं? उनमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह—

खाद्य तथा रसद सचिव शाखा में कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अनुभाग अधिकारियों की सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की पास बुकें खोलकर उनके द्वारा 1-8-1981 तक जमा की गई धनराशियों के विवरण की प्रविष्टियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन पास बुकों में सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से उनके परिवार का निजी विवरण तथा नाम निर्देशन सम्बन्धी प्रविष्टियां पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर पास-बुकों की प्रविष्टियों का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करा लिया जायेगा।

16—श्री राम आसरे वर्मा—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के संग्रह अनुभाग में सहायक लिपिकों की पदोन्नति

17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियां, उ0 प्र0 लखनऊ के परिपत्र संख्या सी0 55/बकाया/कलेक्शन दिनांक 8 मई, 1978 के अनुसार हरदोई

जनपद के कार्यालय में सहायक निबन्धक के लिपिकों की पदोन्नति अभी तक नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

प्रश्नगत परिपत्र के अनुसार जनपद हरदोई में संग्रह अनुभाग में वरिष्ठ लिपिक का एक पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है।

बांदा जनपद में शहरी व ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति व प्रगति

18—श्री० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में कौन-कौन सी ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है और कितनी पेय जल योजनाएं शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं और इनमें 30 अगस्त, 1981 तक क्या प्रगति हुई है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत विद्युत यांत्रिक संवर्ग के अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा देने पर विचार

19—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री को मालूम है कि जल निगम (तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग) में कार्यरत विद्युत यांत्रिक संवर्ग के अवर अभियन्ताओं को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा के अन्तर्गत 1974 के बजाय 1979 में सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है? यदि हां, तो शासन इन्हें 1974 से यह सुविधा दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब तक यह सुविधा प्राप्त हो जायेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उत्तर प्रदेश जल निगम (तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग) में कार्यरत विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के जिन अवर अभियन्ताओं को नियमों के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड 1974 में देय है, उन्हें 1974 से ही दिया जा रहा है। शेष अवर अभियन्ताओं को वर्ष 1974 से सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का मामला विचाराधीन है।

जनपद वाराणसी में जल निगम के कार्यालय एवं आराजी लाइन सेवापुरी ब्लाक में पेयजल योजनाओं पर विचार व निर्माण

20—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, जनपद वाराणसी हेतु जल निगम के कितने कार्यालय कार्यरत हैं? क्या गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के आराजी लाइन एवं सेवापुरी ब्लाक के पेयजल से ग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये योजनायें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितनी योजनाओं पर विचार एवं निर्माण कार्य हो रहा है? तथा यह कब तक पूरी हो जायेंगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जनपद वाराणसी में जल निगम के 3 मण्डल कार्यालय तथा 11 शाखा कार्यालय कार्यरत हैं।

जी हां।

विकास खण्ड आराजी लाइन तथा सेवापुरी ब्लाक की 3 पेयजल योजनाओं पर कार्य हो रहा है। इन पेयजल योजनाओं के मार्च, 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है।

वाराणसी जनपद में हाथी एवं बरनी ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत सर्वेक्षण

21—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद की जनसभा

ग्राम समूह पेयजल योजना में सरौनी ग्राम सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या हाथी एवं बरनी ग्राम समूह पेय जल योजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है? यदि हां, तो कब तक इन योजनाओं से जनता को पेयजल उपलब्ध हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर, योजना के कार्यान्वियन के पश्चात् पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

भोलाखेड़ा मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कार्य

22–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 53 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सड़क को भोला खेड़ा मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर0 डी0 मिश्रा के मकान तक सड़क का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

भोला खेड़ा सड़क को मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा चुका है जिसकी निविदा स्वीकृत हो चुकी है। श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा के मकान से श्री आर0 डी0 मिश्रा के मकान तक सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कराने की व्यवस्था की जा रही है।

लखनऊ/इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडर टेकिंग (लेसू) द्वारा स्ट्रीट लाइट (ट्यूब) की फिटिंग

23–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब तक लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डर टेकिंग (लेसू) द्वारा स्ट्रीट वायर लाइट कर दिया जायेगा तथा कब तक स्ट्रीट लाइट (ट्यूब) लग जायेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

प्रश्नगत सर्विस लाइन को कसने के लिये लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग (लेसू) को नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा पत्र लिखा जा चुका है लेकिन लेसू द्वारा अभी तक तार कसने का कार्य नहीं किया गया है जिसके कारण उक्त स्थान पर ट्यूब फिटिंग लगाने का कार्य नहीं हो सका है।

श्री रविन्द्र सिन्हा, यौगिक एक्सपर्ट, बलरामपुर के सेवा वृद्धि की स्वीकृति

24–श्री धम्मन सिंह गहलौत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के श्री रविन्द्र सिन्हा, यौगिक एक्सपर्ट जो 31 अक्तूबर, 1980 को सेवामुक्त हुए थे उनके कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष के लिये शासन ने बढ़ाते हुए यह आदेश दिया था कि इस बीच किसी अन्य अभ्यर्थी का चयन कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या चयन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक करने की सम्भावना है?

श्री लोकपति–

जी नहीं। श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, यौगिक एक्सपर्ट, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ को दिनांक 31-10-80 को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा मुक्त होना था। इन्हें एक वर्ष की तथा पुनः 6 माह की सेवावृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है तथा अब वह 30-4-1982 को सेवा मुक्त होंगे। उक्त अवधि के अन्दर उपर्युक्त पद पर चयन करने हेतु लोक सेवा आयोग को लिखा जा चुका है।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विधायक को आवंटित मकान, दुकान या सरकारी क्वार्टर्स की संख्या

25-श्री विजय सिंह राना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में विगत दो वर्षों में किस-किस विधायक या उनके परिवारजनों के नाम कितने मकान, दुकान या सरकारी क्वार्टर्स आवंटित किये गये हैं? और एक ही विधायक या उनके परिवारजनों के नाम कई-कई आवंटन किये गये हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा में श्री आजाद कुमार कर्दम को जून, 1980 में फ्लैट नं0 बी 1/2 आवंटित किया गया।

यह सही नहीं है कि एक ही विधायक अथवा उनके परिवारजनों के नाम कई कई आवंटन किये गये हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा, वाराणसी की वाहन पर व्यय, लाग बुक में मरम्मत का अंकित विवरण तथा ड्राइवर द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र की जांच

26-श्री उदल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा, वाराणसी की गाड़ी नं0 यू0 पी0 एच0 6344 की मरम्मत म0 इकराम खान एण्ड संस वरुणा पुल, वाराणसी के यहां मरम्मत हेतु वर्ष 1979 में दी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसमें 6600 रु0 का फर्जी भुगतान दिखाकर और लाग बुक पर फर्जी ड्राइवर का हस्ताक्षर बनाकर पेमेन्ट ले लिया गया है और पैसे का गबन किया गया है?

श्री लोकपति-

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिंडरा, वाराणसी की वाहन नं0 यू0 पी0 एच0 6344 पर वर्ष 1979 में रु0 6,600 यहां तक रु0 6516.13 पैसे मरम्मत पर व्यय हुए हैं। उक्त धनराशि का भुगतान लाग बुक पर वाहन चालक के हस्ताक्षर करने तथा उसकी संतुष्टि पर ही किया गया है। निर्माण का भुगतान गाड़ी में बदले गये सामानों को चेक करने के उपरान्त ही किया गया है।

27-श्री उदल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाग बुक पेज नं0 128, पेज नं0 129 व लाग बुक नं0 126 व 127 पर सामानों का बिल बनाया गया है? यदि हां, तो उसकी जांच की गयी कि नहीं? क्या सरकार उसकी जांच करेगी?

श्री लोकपति--

लाग बुक के पेज नं0 128 व 129 पर सामानों का बिल नहीं, वरन मरम्मत का विवरण अंकित किया जाता है। लाग बुक के पेज नं0 126 व 127 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं खोले गये हैं। लाग बुक पर संबंधित फर्म ने मोहर एवं अंकन अंकित किया है और संतुष्टि स्वरूप ड्राइवर ने भी हस्ताक्षर किये हैं।

28-श्री उदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त गाड़ी के ड्राइवर का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पी0एच0सी0 पिंडरा के मेडिकल आफिसर इंचार्ज श्रीवास्तव ने बिल का पेमेन्ट दिया है? क्या यह सत्य है कि इस संबंध में उक्त सन्तराम सिंह ड्राइवर ने इसके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया है और उसका विरोध किया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति--

ड्राइवर की रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर के उपरान्त ही गाड़ी की मरम्मत पर हुए व्यय के

बिलों का भुगतान फर्म को किया गया है। श्री नन्दलाल सिंह, ड्राइवर का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ और उसके सम्बन्ध में जांच की गयी। जांच से यह तथ्य सामने आया है कि श्री सिंह फर्म से बिलों पर कमीशन चाहते थे जो उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। इसी से क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने झूठी शिकायत की थी।

जनपद वाराणसी में नजूल की भूमि पर बिना नक्शा पास कराये भवनों के निर्माण के संबंध में शिकायती पत्र की जांच

29—श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली क्षेत्र, शहर वाराणसी में हरतीरथ पोखर, पर नजूल की कितनी भूमि है? क्या यह सत्य है कि उक्त नजूल की भूमि पर बिना नक्शा पास किये कई मकानों का निर्माण हो गया है और होता जा रहा है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में छोटे लाल, हर तीरथ वाराणसी ने मुख्य मंत्री, जिलाधीश, वाराणसी, सचिव विकास प्राधिकरण, वाराणसी को मार्च, 1981 में शिकायती पत्र भेजा है और मूल पत्र प्रशासक नगर महापालिका, वाराणसी को दिया है? उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला वाराणसी के ब्लाक पिंडरा व बड़ागांव में चीनी व मिट्टी का तेल न बांटे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

30—श्री उदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडरा एवं बड़ागांव, जिला वाराणसी में अप्रैल, 1981 की चीनी नहीं बांटी गई है और पिंडरा चीनी गोदाम जहां मार्केटिंग इंस्पेक्टर इंचार्ज है उसने सहकारी संघ मंगारी व सहकारी समिति क्षेत्रीय तथा दूसरी समितियों को न तो चीनी दी और न मिट्टी का तेल ही दिया? क्या यह सत्य है कि सहकारी संघ मंगारी तथा दूसरे सहकारी संघों तथा समितियों ने चेक पेमेन्ट कर दिया था उनको मार्केटिंग इंस्पेक्टर पिंडरा ने लौटा दिया कि जिलाधीश ए0 आर0 के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जायेगा तब चीनी व मिट्टी का तेल दिया जायेगा? क्या यह भी सत्य है कि सभी सहकारी समितियों एवं संघों ने हस्ताक्षर ए0 आर0 का प्रमाणित अप्रैल में ही करा दिया फिर भी चीनी नहीं मिली और ट्रैक्टर वापस कर दिए गए? इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वाम देव सिंह—

ब्लाक पिंडरा एवं बड़ागांव, जिला वाराणसी में अप्रैल, 1981 की चीनी बांटी गई है तथा सहकारी संघ मंगारी व दूसरी समितियों को चीनी व मिट्टी का तेल भी दिया गया है। चूंकि रिलीज आर्डर्स जिला सहायक निबंधक के प्रमाणित हस्ताक्षर सहित 2 मई, 1981 को मार्केटिंग इन्सपेक्टर पिंडरा को प्रस्तुत किये गए, अतएव माह अप्रैल, 1981 की चीनी मई, 1981 में दी गई। समितियों द्वारा लाया गया कोई ट्रैक्टर वापस नहीं किया गया।

31-32—श्री उदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

शांति देवी बनाम नगर महापालिका, वाराणसी के मुकदमें के संबंध में कार्यवाही

33—श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शांति देवी बनाम नगर महापालिका, वाराणसी का मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है और उसमें 5 वर्ष तक

ला आफिसर ने अपनी राय नहीं दी इस पर श्री बृजेन्द्र सहायक, पूर्व प्रशासक ने कार्यवाही किया है? यदि हां, तो इस का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्रीमती शान्ति देवी बनाम नगर महापालिका वाराणसी का इस समय कोई मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं चल रहा है।

श्रीमती शान्ति देवी बनाम नगर महापालिका, वाराणसी का भवन संख्या 46/144ए के संबंध में वाराणसी की एक अदालत में वर्ष 1970 से चल रहा है। यह मुकदमा नगर महापालिका के अधिवक्ता की राय के अनुसार विधि विभाग द्वारा लड़ा जा रहा है। अतः ला आफिसर द्वारा परामर्श न देने का प्रश्न नहीं उठता है। इस संबंध में भूतपूर्व प्रशासक, श्री बृजेन्द्र सहाय ने कोई कार्यवाही करने के लिए आदेशित नहीं किया था।

सरस्वती देवी बनाम नगर महापालिका, वाराणसी के मुकदमों की कार्यवाही

34—श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरस्वती देवी बी0 37/1 भेलूपुर बनाम नगर महापालिका, वाराणसी में असेसमेंट की राय ला आफिसर ने अभी तक नहीं दी है? यदि हां, तो इसमें कितने राजस्व की हानि हो रही है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सरस्वती देवी बनाम नगर महापालिका, वाराणसी, भवन संख्या—बी—37/1, भेलूपुर से संबंधित रेकार्ड देखने पर मालूम हुआ कि बी 37/1 पर श्री देवेन्द्रनाथ गिरी का नाम अंकित है।

असेसमेंट की सूचिकाओं में विधि अधिकारी की राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। असेसमेंट के मामलों में नगर महापालिका के निर्णय के विरुद्ध जज, खलीफा/जिला जज की अदालत में अपील की जा सकती है जिसे इस महापालिका का कर विभाग देखता है। भवन सं0—बी—37/1 से कर की वसूली बराबर की जा रही है। अतः इसमें राजस्व की हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

कसाई बाड़ा पालिखाना, जनपद वाराणसी के मुकदमें पर व्यय धनराशि

35—श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि कसाई बाड़ा पालिखाना नगर वाराणसी बनाम नगर महापालिका, वाराणसी के मुकदमें में महापालिका हाई कोर्ट तक हार गयी है? यदि हां, तो इस मामले में कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

कसाई बाड़ा पालिखाना, नगर वाराणसी बनाम नगर महापालिका, वाराणसी नाम का कोई मुकदमा नहीं चला, अतएव मुकदमा हारने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पिंडरा, जिला वाराणसी के मेडिकल आफिसर इंचार्ज डा0 प्रकाश नारायण श्रीवास्तव को विशेष कोर्स करने की अनुमति तथा उक्त डाक्टर द्वारा दोहरा वेतन लिये जाने की जांच

36—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 हेल्थ सेन्टर, पिंडरा, जिला वाराणसी के मेडिकल आफिसर इंचार्ज डा0 श्रीवास्तव चार माह से आगरा मेडिकल कालेज में विशेष ट्रेनिंग के लिये एक वर्ष हेतु गये हैं? यदि हां, तो उनके स्थान पर दूसरे डाक्टर की नियुक्ति विभाग ने क्यों नहीं किया है और उनको किन-किन शर्तों पर विभाग ने अलग से ट्रेनिंग करने की आज्ञा प्रदान की है?

श्री लोकपति–

जी हां, उन्हें डी0सी0पी0 कोर्स करने की अनुमति 14-1-80 को दी गयी थी। उन्होंने आगरा मेडिकल कालेज में प्रवेश प्राप्त किया है। उनके स्थान पर डा0 के0 एन0 सिंह की नियुक्ति कर दी गयी है।

डा0 प्रकाश नारायण श्रीवास्तव को इस शर्त के साथ डी0सी0पी0 करने की अनुमति दी गयी है कि उक्त परीक्षा पास करने के पश्चात वह 5 वर्ष तक नादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने को बाध्य होंगे।

37–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त मेडिकल आफिसर इंचार्ज डा0 श्रीवास्तव का ट्रांसफर आदेश सन् 1980 में हो गया था उसको लागू क्यों नहीं किया गया? क्या यह भी सत्य है कि उक्त डाक्टर ड्यूटी से लापरवाही करता रहा है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त डाक्टर आगरा में चार्ज लेने के बाद प्रा0 हैल्थ सेंटर पिंडरा वाराणसी से वेतन कई माह का लिया है और आगरा से भी वेतन लिया है? इसकी जांच की गई या नहीं ? यदि की गई, तो परिणाम क्या है ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा दवा खरीदने में गड़बड़ी की जांच

38–श्री उदल–

प्रथम सत्र 1981 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 129 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी मिर्जापुर जब वाराणसी में थे तब उनके द्वारा दवा खरीदने में लाखों की गड़बड़ी की जांच विशेष संप्रेक्षा द्वारा कराई गयी और जिसकी रिपोर्ट 23-1-81 को शासन को प्राप्त हुई है क्या उसमें लाखों का घोटाला पाया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

वाराणसी के सभी अस्पतालों एवं शिव प्रसाद गुप्त तथा महिला अस्पताल के लिये क्रय की गयी दवाइयों में व्यय की गयी धनराशि

39–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में वाराणसी में सभी अस्पतालों एवं शिव प्रसाद गुप्त तथा महिला जिला अस्पताल के लिये कितने लाख की दवाइयां किन-किन फर्मों से मुख्य चिकित्साधिकारी तथा दूसरे अधिकारी वाराणसी ने खरीदी है? क्या यह सही है कि दवाइयां स्टैन्डर्ड की नहीं थीं?

श्री लोकपति–

वर्ष 79-80 तथा 80-81 में वाराणसी के सभी अस्पतालों एवं शिव प्रसाद गुप्त तथा महिला जिला अस्पताल के लिये खरीदी गयी दवाइयों में व्यय की गयी धनराशि का विवरण परिशिष्ट एक तथा जिन-जिन फर्मों से मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी तथा अन्य अधिकारियों ने दवाइयां क्रय की, उनका विवरण परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है। यह सही नहीं है कि दवाइयां स्टैण्डर्ड की नहीं थी। चूंकि परिशिष्ट-2 वृहत्त है अतः इसे मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 576 पर।)

सिटी होटल, हीवेट रोड, इलाहाबाद में गिरफ्तारियां

40—श्री उदल—

प्रथम मार्च 1981 के 1ले गुरुवार के ता0 प्र0 सं0 2 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी होटल, हीवेट रोड, इलाहाबाद में जो गिरफ्तारियां की गयी थीं उसमें कितने लोग थे? उनके नाम व पते क्या हैं? क्या उनमें तीन नर्सें भी मोतीलाल नेहरू अस्पताल की थीं? क्या यह सत्य है कि पर्चे में मोतीलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक एवं क्लर्क के खिलाफ भी शिकायतें हैं?

श्री लोकपति—

सिटी होटल, हीवेट रोड, इलाहाबाद के पास जो गिरफ्तारियां की गयी थीं, उसमें 6 लोग हैं। उनके नाम व पते निम्नवत् हैं :—

1. श्री जमान पुत्र श्री बकरीदी निवासी खागा थाना खागा, जिला फतेहपुर।
2. श्री विजय प्रकाश पुत्र श्री राम औतार निवासी मझौला, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया।
3. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पन्नालाल निवासी 3, विवेकानन्द मार्ग, थाना कोतवाली, इलाहाबाद।
4. सुश्री माला पुत्री श्री कमलेश निवासी गढ़ मण्डी, थाना कोतवाली, इलाहाबाद।
5. सुश्री मुन्नी पुत्री श्री हामिद निवासी 34, राजापुर, थाना कैंट, इलाहाबाद।
6. सुश्री बेबी पुत्री श्री मजीद निवासी पत्थर गली, थाना कोतवाली, इलाहाबाद।

उपरोक्त गिरफ्तार किये गये लोगों में कोई नर्स नहीं थी। पर्चे में मोतीलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक एवं क्लर्क के खिलाफ भी शिकायतें छपी हैं जो जांचोपरान्त असत्य एवं निराधार पायी गयी।

मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में नर्सों को ट्रेनिंग

41—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1980 के बाद मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में कितनी नर्सों को ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के पूर्व ही ट्रेनिंग से वंचित कर दिया गया? उनके नाम व पते क्या हैं? और ट्रेनिंग से निकालने का कारण क्या है?

श्री लोकपति—

जून, 80 के बाद मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद से किसी भी छात्रा नर्स को ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के पूर्व ट्रेनिंग से वंचित नहीं किया गया। अतः उनके नाम, पते तथा कारण इत्यादि बताने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज में मेरिट के आधार पर प्रवेश तथा हरिजनों व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का कोटा

42—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज में भर्ती हेतु इस वर्ष क्या आधार अपनाया गया? मेरिट या कम्पटीशन? उसमें पिछड़े वर्ग एवं हरिजनों का कोटा पूरा किया गया है? यदि हां, तो उसका आधार क्या रखा गया है?

श्री लोकपति—

शैक्षिक सत्र 1980-81 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य राजकीय एवं सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया गया है। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में दिए गए प्रवेश में पिछड़े वर्ग एवं हरिजन अभ्यर्थियों का कोटा नियमानुसार पूरा किया गया है।

जनपद वाराणसी में आवास विकास परिषद् द्वारा मकानों का निर्माण

43—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम में किन-किन स्थानों में आवास विकास परिषद् द्वारा मकानों का निर्माण किया जा रहा है? अब तक कितने मकान आवास विकास परिषद्, वाराणसी ने बनवाए हैं और वे कहां-कहां हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वाराणसी में भेलूपुरा योजना में भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त योजना में 456 चार मंजिले मध्यम आय वर्ग भवनों की स्वीकृति है। इस समय 210 भवनों में निर्माण कार्य हो रहा है।

जल निगम तथा नगर महापालिका वाराणसी द्वारा सड़कों को खोदकर पाइप व सीवर लाइन बिछाने का कार्य

44—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री को पता है कि नगर महापालिका, वाराणसी शहर की ज्यादातर सड़कों को खोदकर पाइप एवं सीवर लाइन बिछाने का कार्य कर रही है जिससे सभी सड़कें खराब हो गई हैं? यदि हां, तो उन सड़कों को तुरन्त ठीक न करवाने का कारण क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां,

जल निगम तथा नगर पालिका वाराणसी द्वारा पाइप तथा सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की अस्थायी मरम्मत तुरन्त करा दी जाती है। स्थायी रूप से तुरन्त न मरम्मत कराने का कारण तारकोल की कमी थी।

वाराणसी क्षेत्र नगर पालिका में खराब हुए ट्यूबवेल ठीक करने के संबंध में कार्यवाही

45—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर महापालिका, क्षेत्र वाराणसी में पेयजल के कई ट्यूबवेल वर्षों से खराब पड़े हैं जिसमें पेयजल का संकट पैदा हो गया है? यदि हां, तो उन ट्यूबवेलों को ठीक करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई, वे कहां-कहां हैं और कब के बने हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वाराणसी नगर में वर्षों से कोई ट्यूबवेल खराब नहीं है और न ही वाराणसी नगर में इस समय कोई पेयजल संकट है।

कुछ ट्यूबवेलों का डिस्चार्ज अवश्य कम हो गया है। जिसे अब ठीक करा दिया गया है।

जिला वाराणसी, ब्लाक पिंडरा के सीमेन्ट स्टाकिस्टों को सीमेन्ट के आवंटन की आपूर्ति

46—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के बहुत से सीमेन्ट स्टाकिस्टों ने सीमेन्ट की कीमत ड्राफ्ट में मार्च, 1981 को जमा कर दिया था उनको मार्च, 1981 का सीमेन्ट नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ब्लाक पिंडरा की सीमेन्ट मार्च, 1981 को नहीं दी गयी इसका क्या कारण है? क्या सरकार उक्त कोटे को पूरा करने पर विचार करेगी?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रथम त्रैमास, 81 के लिये सामान्य आवंटन के अतिरिक्त जन वितरण कोटे के अन्तर्गत चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री से सीमेन्ट का अतिरिक्त आवंटन किया गया था जिसकी पूरी

मात्रा की आपूर्ति उत्पादन न होने के कारण नहीं हो पायी थी। इससे ब्लाक पिंडरा के स्टाकिस्ट भी प्रभावित हुए थे। उक्त त्रैमास के आवंटन की आपूर्ति अवधि समाप्त हो जाने के कारण अनियमित हो गया है। अतः उसकी प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं है।

वाराणसी के शहर तथा देहात में शादी में चीनी के वितरण का आदेश

47—श्री उदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के आदेश के बावजूद शादियों के लिए वाराणसी में शहर तथा देहात में 10, 15, 20, 25 किलो चीनी दी जा रही है? क्या इसमें आदेश साफ-साफ दिया गया है कि 25 किलो से ज्यादा तथा कम चीनी न दी जाय? यदि हां, तो सरकारी आदेश को न मानने का क्या कारण है?

श्री वासुदेव सिंह—

वाराणसी जनपद में चीनी की उपलब्धता एवं मांग को ध्यान में रखते हुए 10 संतोषजनक उपलब्धता की दशा में देहात व शहरी क्षेत्रों में लड़की की शादी हेतु 50 संतोषजनक उपलब्धता की दशा में देहात व शहरी क्षेत्रों में लड़की की शादी हेतु 50 किलोग्राम तथा लड़के की शादी में 25 किलोग्राम तक चीनी का परमिट दिये जाने के शासन के आदेश हैं।

दुर्बल वर्ग के लोगों को नियंत्रित मूल्य के कपड़े का वितरण

48—श्री उदल—

क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सस्ता कपड़ा लोगों को मुहइया करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रदेश में दुर्बल वर्ग के लोगों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये नियंत्रित मूल्य के कपड़े का वितरण उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता संघ, प्रादेशिक सहकारी संघ तथा खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से पहले से ही किया जा रहा है।

वर्तमान समय में राज्य सरकार के समक्ष लोगों को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने की अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

हरतीरथ का तालाब, कोतवाली शहर वाराणसी में बैलगाड़ी एवं ट्रक स्टैण्ड बनाने की योजना

49—श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरतीरथ तालाब वार्ड कोतवाली, शहर वाराणसी जिसको नगर महापालिका ने पटवा दिया है और जिस पर ट्रक खड़ी होती है? उस जमीन पर बैलगाड़ी एवं ट्रक स्टैण्ड बनाने का प्रश्न नगर महापालिका में विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका बैलगाड़ी एवं ट्रक स्टैन्ड कब तक बन जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत स्थल पर बैलगाड़ी एवं ट्रक स्टैण्ड बनाने की कोई योजना नगर महापालिका के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती शान्ति देवी द्वारा हरतीरथ तालाब की नजूल भूमि पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण तथा दक्षिण नगर महापालिका की जमीन पर अवैध निर्माण की जांच

50—श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरतीरथ का तालाब वार्ड कोतवाली, शहर वाराणसी को नगर महापालिका वाराणसी ने पटवा दिया है? क्या यह सत्य है कि उसका नगर महापालिका की जमीन पर पर्चा डालकर तथा दिवाल बनाकर 15—20 दुकानें शान्ति देवी म0 नं0 46/144 हरतीरथ कोतवाली, शहर वाराणसी ने 5/6 वर्ष से बनवा दिया है? क्या उसका नक्शा नगर महापालिका, वाराणसी ने पास किया है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां।

श्रीमती शान्ती देवी ने हरतीरथ तालाब की नजूल भूमि तथा महापालिका सम्पत्ति पर अनधिकृत दुकानों का निर्माण करा लिया था उसका नक्शा नहीं पास कराया था।

51–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मकान नं0 46/124 हरतीरथ वार्ड कोतवाली, शहर वाराणसी एक ट्रस्ट का मंदिर रहा है? क्या यह सत्य है कि उक्त मन्दिर के ऊपर तथा दक्षिण नगर महापालिका, की जमीन में अवैध तरीके से निर्माण करके आढ़त खोली गयी है? यदि हां, तो नगर महापालिका, वाराणसी ने मन्दिर की सुरक्षा एवं अवैध निर्माण को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही किया?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

उक्त मकान के ऊपर तथा दक्षिण नगर महापालिका की जमीन में किये गये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा पुलिस में रिपोर्ट करने के साथ ही न्यायालय में भी एक परिवाद दिनांक 17-3-81 को प्रस्तुत किया गया। आढ़त खोलने की कोई जानकारी नहीं है।

52–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी की उक्त 3 एकड़ हरतीरथ पोखरे की जमीन की रक्षा न करने के सम्बन्ध में अर्सा 10–12 वर्षों से नगर महापालिका, वाराणसी के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही की जांच करायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

हरतीरथ तालाब की नजूल भूमि का क्षेत्रफल 1 बीघा 11 बिस्वा 10 धूर है। उससे संलग्न महापालिका की भूमि 3 बिस्वा 3 धूर है। उपरोक्त भूमि पर अनधिकृत रूप से किये गये निर्माण के विरुद्ध काफी दिनों से कार्यवाही चल रही है। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के फलस्वरूप इसमें विलम्ब हुआ।

ग्राम सभा गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जच्चा बच्चा केन्द्र के भवन का निर्माण

53–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जच्चा-बच्चा केन्द्र की इमारत बनाने की स्वीकृति दे दी गयी है? यदि हां, तो इमारत कब तक बन जायेगी?

श्री लोकपति–

ग्राम सभा गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में उपकेन्द्र की स्थापना तथा उपकेन्द्र के लिये भवन निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

54–श्री उदल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

दवा घोटाला काण्ड में की गयी गिरफ्तारी

55–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दवा घोटाला काण्ड में अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गयी है उनके नाम तथा पद क्या है? क्या उन्नाव, सीतापुर, कानपुर और फतेहगढ़ में भी दवा का घोटाला हुआ है? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

दवा घोटाला काण्ड में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम तथा उनके पद की सूची संलग्न है। उन्नाव, सीतापुर, कानपुर एवं फतेहगढ़ में भी दवाओं के क्रय में घोटाला हुआ है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन, अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 577 पर।)

जपनद वाराणसी में अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही

56–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6-5-81 को उनके वाराणसी आगमन पर रमा शंकर लाल श्रीवास्तव, कबीर चौरा, वाराणसी ने एक ज्ञापन उन्हें दिया है कि हरतीरथ कोतवाली के तालाब की भूमि तथा नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और बिना नक्शा के कई मकान बना लिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां।

संबंधित अनधिकृत निर्माण दिनांक 26-8-81 को महापालिका द्वारा गिरा दिया गया।

वार्ड कोतवाली, शहर वाराणसी के मकान नं0 46/124 में अनधिकृत निर्माण तथा कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम खारिज किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

57–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान नं0 46/124 वार्ड कोतवाली, शहर वाराणसी बहुत बड़ा है और एक सार्वजनिक मन्दिर है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त ज्ञापन में लिखा गया है कि उसको जबरन कब्जा किया गया है और बिना नक्शा पास किये ही बनवा लिया गया है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मकान नं0 के0 46/124 एक व्यक्तिगत सम्पत्ति है। वह सार्वजनिक मन्दिर नहीं है। उक्त भवन में किये गये अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा, नगर विकास अधिनियम की धारा 27, 28 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी तथा परिसर में रिपोर्ट करने के साथ ही उसके विरुद्ध दिनांक 17-3-81 को न्यायालय में एक परिवाद भी प्रस्तुत किया गया है।

58–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ज्ञापन में कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम बदला गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस सम्बन्ध में सन् 75 से लेकर अब तक बहुत प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

भवन संख्या के0 46/124 पर श्री रंगनाथ व श्री आनन्दनाथ पुत्र श्री शिवमूर्ति का नाम पूर्व में दर्ज था। उपरोक्त नाम खारिज कर श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री राजनारायण सिंह का नाम दर्ज किया गया है। यह सही है कि उक्त के सम्बन्ध में कई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। चूंकि उपरोक्त सम्पत्ति व्यक्तिगत है, अतः एवं महापालिका द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरियांवा वाराणसी में कार्यरत प्रेमा देवी के अवशेष वेतन का भुगतान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

59–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरियांवा, वाराणसी में कार्यरत प्रेमा देवी ए0 एन0 एम0 1-11-76 से 3-8-77 तक बीमारी की छुट्टी के बाद 4-8-77 से कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो उस अवधि का वेतन उनको वहां के डाक्टर तथा हेड क्लर्क नहीं दे रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति–

श्रीमती प्रेमा देवी, ए0एन0एम0 को दिनांक 1-11-76 से 3-8-77 की अवधि में से माह मार्च 1977 के अलावा शेष अवधि का वेतन भुगतान नियमित रूप से किया जा चुका है। माह मार्च, 1977 के प्रसव अवकाश का कोई प्रार्थना-पत्र उनसे प्राप्त न होने से इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका। प्रश्नगत अवधि के प्रसव अवकाश का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निर्देश दे दिये गये हैं। उनका प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर प्रश्नगत अवधि का अवकाश स्वीकृत होने के उपरान्त उन्हें उस अवधि का नियमानुसार वेतन भुगतान कर दिया जायेगा। अतएव उनके वेतन को संबंधित डाक्टर तथा हेड क्लर्क द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति सही नहीं है।

60–श्री ऊदल

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि श्रीमती प्रेमा देवी ने इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0 तथा सी0एम0ओ0, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है कि वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ प्रेमा देवी का प्रार्थना-पत्र मा0 स्वास्थ्य मन्त्री को 23 सितम्बर, 1981 को दिया है? उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

श्रीमती प्रेमा देवी द्वारा वेतन भुगतान हेतु स्वास्थ्य निदेशक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी को दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (तृतीय) वाराणसी को माह नवम्बर, 1981 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर श्रीमती प्रेमा देवी को दे दिया गया है कि वे माह मार्च, 1977 के प्रसव अवकाश का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। इस संबंध में प्रश्नकर्ता महोदय से प्राप्त दिनांक 23-9-81 के पत्र को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी को दिनांक 1-10-81 को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया था।

भूमि विकास बैंक, झींझक, कानपुर के प्रबन्धक, श्री शशिकान्त त्रिपाठी के खिलाफ धन के दुरुपयोग करने के आरोप की जांच

61–श्री ऊदल

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक झींझक, जिला कानपुर के प्रबन्धक शशिकान्त त्रिपाठी, के खिलाफ 20 लाख रुपये का गबन करने का मुकदमा विधायक श्री भगवान दीन कुशवाहा ने मंगलपुर थाने में दर्ज कराया है ? और क्या यह सही है कि सन 1980 में 42 लाख रु0 का ऋण किसानों को दिखाया गया है जिसमें से 20 लाख ही मिला है? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बच्चा पाठक–

श्री भगवान दीन कुशवाहा, विधायक द्वारा कानपुर देहात, जनपद के मंगलपुर थाना में सहकारी भूमि विकास बैंक की झींझक शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक

श्री शशिकान्त त्रिपाठी, के विरुद्ध दिनांक 28-7-81 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर तथा धोखा देकर सहकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस द्वारा श्री कुशवाहा की रिपोर्ट के आधार पर श्री त्रिपाठी के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 409, 420 व 467 के अधीन मुकदमा कायम किया गया है।

सहकारी वर्ष (1-7-80 से 30-6-81 तक) में उक्त शाखा द्वारा कुल 44.50 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया जिसमें से श्री त्रिपाठी द्वारा कुल 42.37 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। बैंक की उक्त शाखा के माध्यम से विगत दो वर्षों में किये गए ऋण वितरण का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जा रहा है जिसके पूर्ण होने के बाद ही इस बात की सही जानकारी हो सकेगी कि वितरण ऋण में से वास्तव में कितना धन कृषकों को मिला है। इस मामले में की गई प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप श्री त्रिपाठी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पुलिस की विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा भी जांच की जा रही है।

जिला शाहजहांपुर में सतर्कता विभाग द्वारा छापा मारकर अवैध रूप से रखी दवा की बरामदगी

62—श्री उदल

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1981 में शाहजहांपुर में सतर्कता विभाग ने 6 स्थानों पर छापा मारकर चिकित्सा विभाग, शाहजहांपुर की दो लाख रु0 की अवैध दवाइयां बरामद की हैं और जयभारत व सूरी ट्रान्सपोर्ट से भी 1 1/2 (डेढ़) लाख रु0 की दवाइयां पकड़ी हैं ? और क्या यह सत्य है कि 27 जुलाई, 1981 को सी0एम0ओ0 (प्रथम) के भण्डार जो स्कूल डिस्पेंसरी में है उसमें भी 35 हजार रु0 की अवैध दवाइयां बरामद की हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

सतर्कता अधिष्ठान की टीम द्वारा शाहजहांपुर जनपद में जुलाई, 1981 में जांच स्थानों पर छापा मारकर जय भारत ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से 35 पेटी दवायें, सूरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से 20 पेटी दवायें तथा 27 जुलाई, 1981 को स्कूल डिस्पेन्सरी में स्थित उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम) के भण्डार से लगभग 34,175.75 रुपये की दवायें बरामद की। इनके अतिरिक्त शेष दो स्थानों से भी क्रमशः लगभग 1,766.10 तथा रु0 3,099.66 की दवायें बरामद की गयी। मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है।

शाखा व्यवस्थापक, जिला सहकारी बैंक, वाराणसी का निलम्बन तथा लगाये गये आरोपों की जांच

63—श्री उदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव कम प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, वाराणसी ने पत्रांक 772-81/बैंकिंग/स्था0एफ0 दिनांक 1 अगस्त, 1981 के द्वारा शाखा व्यवस्थापक जिला सहकारी बैंक सिरिहरा शाखा सेवापुरी, वाराणसी को निलम्बित कर दिया है और उन्हें प्रधान कार्यालय में अटैच कर दिया?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

64—श्री उदल—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चार्ज निर्बल वर्ग के उत्थान में उदासीन रहने एवं कर्ज वितरण न करने आदि संबंधित चार्ज आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत लगाया गया है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सुअरों के खरीदने हेतु

दरख्वास्तें स्वीकृत शाखा द्वारा दी गयी थीं? तो क्या भुगतान हेतु कोई भी सदस्य चेक लेकर उक्त शाखा में गया था जिसको भुगतान नहीं किया गया? क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएगी?

श्री बच्चा पाठक–

अन्य आरोपों में से यह भी एक आरोप था।

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि चैक बी0डी0ओ0 के नाम पृष्ठांकित कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक नहीं है।

जिला सहकारी बैंक लि0, वाराणसी हेतु व्यक्तियों की पदोन्नति हेतु संस्तुति

65–श्री उदल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1979 में जिला सहकारी बैंक लि0, वाराणसी ने 6 व्यक्तियों को वर्ग 3-ख से 3-क में पदोन्नति हेतु सभी कागजात अपनी संस्तुति के साथ सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ को भेज दिया है? यदि हां, तो इस पर स्वीकृति अब तक न देने का कारण क्या है?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं।

कागजात जनवरी, 1980 में भेजे गए।

पदोन्नति का मामला सेवा मण्डल के विचाराधीन है।

66–67–श्री उदल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ला आफिसर, नगर महापालिका, वाराणसी की इलाहाबाद यात्रा का टी0ए0, डी0ए0 का भुगतान का विवरण

68–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी के ला आफिसर प्रत्येक शनिवार इतवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरवी के नाम पर जाते हैं और प्रत्येक सोमवार को आकर दो दिन का डी0 ए0 तथा इलाहाबाद तक का टी0 ए0प्राप्त करते रहे हैं? क्या यह भी सत्य है कि हाई कोर्ट शनिवार इतवार को बन्द रहता है? यदि हां, तो ये ला आफिसर कब से नगर महापालिका में हैं और प्रत्येक माह में कितने बार इलाहाबाद गये कितना टी0 ए0, डी0 ए0 लिया?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

ला आफिसर, नगर महापालिका, वाराणसी प्रत्येक शनिवार/इतवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरवी के नाम पर नहीं गये हैं। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ही कार्य दिवस में भेजा जाता है। हाई कोर्ट शनिवार व इतवार को बन्द रहता है, परन्तु हाई कोर्ट का कार्यालय शनिवार को खुला रहता है तथा शनिवार को हाई कोर्ट बन्द रहने के कारण वकील खाली रहते हैं, जिससे मुकदमें की तैयारी अच्छी प्रकार होती है।

ला आफिसर नगर महापालिका, वाराणसी में 16 जनवरी, 75 से कार्यरत हैं। उनके द्वारा प्रत्येक माह में इलाहाबाद की की गई यात्रा तथा भुगतान प्राप्त किए गए टी0 ए0 का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 578-579 पर।)

लखनऊ दवा घोटाला काण्ड में सतर्कता विभाग द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति तथा चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों एवं डाक्टरों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

69–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ दवा घोटाला काण्ड 1979–80 व 1980-81 के सम्बन्ध में लखनऊ के एक प्राइवेट लिमिटेड दवा निर्माता कम्पनी

के प्रबन्ध निदेशक एवं मालिक ग्रोवर को सतर्कता विभाग, उ0प्र0 ने पटना के एक आलीशान होटल से गिरफ्तार किया गया है? क्या यह सत्य है कि इसमें कई चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों एवं डाक्टरों का भी हाथ है जिनकी वजह से दवा की आपूर्ति किए बिना ही बिलों का भुगतान किया गया था? यदि हां, तो उन चिकित्सा अधिकारियों एवं डाक्टरों का नाम क्या है और उनको अब तक गिरफ्तार न करने एवं नौकरी से न निकालने का कारण क्या है?

श्री लोकपति--

जी हां, प्रश्नगत मामले में श्री वेद प्रकाश ग्रोवर प्रबन्ध निदेशक एवं मालिक मेसर्स गोसन्स फारमास्यूटिकल्स प्रा0 लि0, लखनऊ को दिनांक 9-5-81 को पटना में क्लार्क मौर्या होटल से सतर्कता विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में चिकित्सा विभाग के जिन उच्च अधिकारियों एवं डाक्टरों का हाथ पाया गया था व जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी सूची संलग्न है। इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही का परिणाम ज्ञात होने के उपरान्त ही अन्य किसी कार्यवाही करने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(देखिए अन्तर्ग 'ग' आगे पृष्ठ 577 पर।)

देवरिया जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा वार्डब्वाय, स्वीपर, चपरासी की नियुक्ति का आधार

70—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी ने वार्ड-ब्वाय, चपरासी एवं स्वीपर की नई नियुक्ति इस सत्र में की है? नियुक्ति में प्रमेयता का क्या आधार रहा है?

श्री लोकपति--

विगत् सत्र में छः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी थी। नियुक्तियों का आधार निम्न था:—

1—शैक्षिक योग्यता—कक्षा 8 पास

2—साक्षात्कार में:—

1—स्वच्छता

2—स्वास्थ्य

3—किसी विभाग में कार्य करने का अनुभव

4—ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता

5—मानसिक चैतन्यता एवं बात-चीत करने के तौर तरीके पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस सत्र में होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए ऐसी कोई नई नियुक्तियां नहीं की गई।

जल निगम मुख्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

71—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यालय जल निगम, लखनऊ में कौन-कौन ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जो एक ही स्थान पर पिछले 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं? क्या मा0 मंत्री ऐसे भी कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के तुरन्त आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों—

श्री श्रीकृष्ण सोयल--

जल निगम मुख्यालय में निम्नलिखित 6 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवायें एक स्थान पर 5 वर्ष से अधिक हो गई हैं:—

1–श्री सीताराम, अनुभाग अधिकारी,
2–श्री बी0 पी0 जोशी, ,, ,,
3–श्री एन0 यू0 नरियाणी, ,, ,,
4–श्री मुर्तजा हसन कादरी, ,,
5–श्री खड़क सिंह, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक
6–श्री राम नरेन्द्र सिंह ,, ,,

उपर्युक्त 6 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश अन्य स्थानों पर किए जा चुके हैं। एक कर्मचारी (श्री मुर्तजा हसन कादरी) के स्थानान्तरण के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।

72–श्री नन्द किशोर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री मिश्री लाल वर्मा, गांव डमेडीखुर्द राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर द्वारा मकान का निर्माण तथा नियत प्राधिकारी द्वारा मकान गिराने के आदेश के विरुद्ध अपील

73–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिश्री लाल वर्मा पुत्र श्री चन्द्र लाल वर्मा, गांव डमेड़ी खुर्द राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में एक मकान सन् 1978 में बनाया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नियत प्राधिकारी राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर ने कम्पाउन्ड न करके मकान गिराने का आदेश सन् 1979 में दिया था?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी नहीं।

प्रश्नगत निर्माण वर्ष 74 से 76 के बीच किया गया।

नियत प्राधिकारी, राबर्ट्सगंज मिर्जापुर ने दिनांक 26–8–77 को मकान गिराने के आदेश दिए थे।

74–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि मिश्री लाल वर्मा ने नियत प्राधिकारी के उक्त आदेश के खिलाफ शासन में अपील की थी। जिसकी संख्या 980(1) 37-3-31 पुनः 77, लखनऊ मार्च 21 सन् 1980 के द्वारा संयुक्त सचिव श्री डी0एन0 श्रीवास्तव, आवास अनुभाग–3 ने निर्णय दिया कि कम्पाउन्ड कर दिया जाय? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नियत प्राधिकारी माँजूदा शासन के आदेश को नहीं मान रहे हैं और मकान पुनः गिराने का आदेश दे दिया है, ऐसा क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां।

नियत प्राधिकारी, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर ने शासन के निर्णय के अनुसार रु0 4,604.00 (चार हजार छः सौ चार) तावान शुल्क श्री वर्मा के ऊपर लगाया जिसे जमा न करके उन्होंने उक्त शुल्क कम करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी के यहां अपील की है।

म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत जर्जर एवं खतरनाक राजकीय कन्या पाठशाला के भवन को गिराने के आदेश

75–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या नगर पालिका, बस्ती में 8-9-80 को राजकीय बेसिक कन्या पाठशाला को धारा 360 म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत जर्जर और खतरनाक घोषित कर दिया है? यदि हां, तो मकान मालिक को भवन तत्काल गिराने तथा

बेसिक शिक्षा अधिकारी को उक्त भवन से विद्यालय हटाने के आदेश दिए गये हैं? यदि हां, तो विद्यालय अभी तक हटाया गया? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां, दिनांक 8-9-80 को यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 263 के अन्तर्गत प्रश्नगत भवन को खतरनाक घोषित किया गया था एवं नगर पालिका द्वारा मकान मालिक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती को नियमानुसार नोटिस भी दी गयी थी, किन्तु अन्यत्र समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण भवन की आवश्यक मरम्मत करा कर विद्यालय सम्प्रति उसी भवन में चलाया जा रहा है।

जनपद हरदोई, मेरठ, नैनीताल, बस्ती की गन्ना समितियों तथा प्रारम्भिक ऋण तथा समितियों के खातों का पूर्ण मिलान का कार्य

76–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 तथा निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 के संयुक्त परिपत्र संख्या सी–1 60/गन्ना वित्त पोषण/अधि0, दिनांक 21-7-80 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सचिव, जिला सहकारी बैंक/सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां यह सुनिश्चित कर लें कि अगस्त, 1980 से प्रतिदिन दो प्राइमरी समिति के सचिव अपने दस्तों तथा अन्य अभिलेखों के साथ गन्ना समितियों के कार्यालय में उपस्थित होते हैं तथा खातों का पूर्ण मिलान कर लेते हैं और यह कार्य 30 सितम्बर, 1980 तक सम्पन्न हो जाना चाहिए? यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के किन-किन गन्ना समितियों में यह कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां, प्रश्नगत आदेशों के अनुसार गन्ना समितियों तथा प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के खातों के मिलान का कार्य 30 सितम्बर, 1980 तक सम्पन्न कर लेना था। किन्तु वार्षिक अभिलेखों के पूर्ण न होने के कारण यह कार्य उक्त तिथि तक पूरा न हो सका।

77–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 तथा निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 के संयुक्त परिपत्र संख्या सी-1/60/गन्ना वित्त पोषण/अधि0, दिनांक 21-7-80 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सचिव, जिला सहकारी बैंक/सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां यह सुनिश्चित कर लें कि अगस्त, 1980 से प्रतिदिन दो प्राइमरी समिति के सचिव अपने दस्तों तथा अन्य अभिलेखों के साथ गन्ना समितियों के कार्यालय में उपस्थित होते हैं तथा खातों का पूर्ण मिलान कर लेते हैं और यह कार्य 30 सितम्बर, 1980 तक सम्पन्न हो जाना चाहिए? यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद मेरठ के किन-किन गन्ना समितियों में यह कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

जिन गन्ना समितियों के हिसाब का मिलान किया गया उनके नाम खेवाना संखौली, टांडा, दौराला, मेरठ, मलियाना व मुहिउद्दीनपुर हैं।

78–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 तथा निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 के संयुक्त परिपत्र संख्या सी-1/60/गन्ना वित्त पोषण/अधि0, दिनांक 21-7-80 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सचिव, जिला सहकारी बैंक/

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां यह सुनिश्चित कर ले कि अगस्त, 1980 से प्रतिदिन दो प्राइमरी समिति के सचिव अपने बस्तों तथा अन्य अभिलेखों के साथ गन्ना समितियों के कार्यालय में उपस्थित होते हैं तथा खातों का पूर्ण मिलान कर लेते हैं और यह कार्य 30 सितम्बर, 1980 तक सम्पन्न हो जाना चाहिए? यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के किन-किन गन्ना समितियों में यह कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। प्रश्नगत आदेशों के अनुसार गन्ना समितियों से सम्बद्ध समस्त प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के खातों के मिलान का कार्य 30 सितम्बर, 1980 तक सम्पन्न कर लेना था। इनमें से 52 प्राइमरी कृषि समितियों के हिसाब का मिलान पूर्ण हो चुका है। शेष 16 समितियों के अभिलेखों के पूरा न होने के कारण यह कार्य पूरा न हो सका।

79–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 तथा निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 के संयुक्त परिपत्र संख्या सी-1/60, गन्ना पोषण/अधि0, दिनांक 21-7-80 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सचिव, जिला सहकारी बैंक/सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां यह सुनिश्चित कर लें कि अगस्त, 1980 से प्रतिदिन दो प्राइमरी समिति के सचिव अपने बस्तों तथा अन्य अभिलेखों के साथ गन्ना समितियों के कार्यालय में उपस्थित होते हैं तथा खातों का पूर्ण मिलान कर लेते हैं और यह कार्य 30 सितम्बर, 1980 तक सम्पन्न हो जाना चाहिए? यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में किन-किन गन्ना समितियों में यह कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां प्रश्नगत आदेश के अनुसार प्राइमरी समितियों तथा गन्ना समितियों के हिसाब के मिलान का कार्य सितम्बर, 1980 तक सम्पन्न होना था। किन्तु वार्षिक अभिलेखों के पूरा न होने के कारण यह कार्य उक्त तिथि तक पूरा न हो सका।

पर्वतीय जिलों में खोले गये भूमि विकास बैंक तथा कार्यरत कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता व पर्वतीय भत्ता देने का आदेश

80–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में सन् 1981 तक कितने भूमि विकास बैंक खोले गये हैं, उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा उन कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता एवम् पर्वतीय भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, दिया जा रहा है, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

पर्वतीय जिलों में सन् 1981 तक भूमि विकास बैंक के 14 शाखा कार्यालय तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये थे। उनमें 36 कर्मचारी कार्यरत थे, इन कर्मचारियों को सीमान्त वेतन/पर्वतीय भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों की दर पर देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

टाउन एरिया मझौली व भटनी, जिला देवरिया में सीमेण्ट का आवंटन

81–श्री हरिवंश सहाय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया मझौली व भटनी, जिला देवरिया में 1 फरवरी, 1981 से 31 मई, 1981 के बीच कितनी सीमेण्ट लोगों में आवंटित की गयी? आवंटित लोगों के नाम, मात्रा सहित क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

टाउन एरिया मझौली व भटनी जिला देवरिया में 1 फरवरी, 1981 से 31 मई, 1981 के बीच लोगों को आवंटित सीमेण्ट की सूची नाम एवं मात्रा सहित संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 580–584 पर।)

देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक सलेमपुर में सीमेण्ट का आवंटन

82–श्री हरिवंश सहाय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक सलेमपुर में 1 फरवरी, 1981 से 31 मई, 1981 के बीच कितनी सीमेण्ट लोगों में आवंटित की गयी? आवंटित लोगों के नाम पता मात्रा सहित क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक सलेमपुर में 1 फरवरी, 1981 से 31 मई, 1981 के बीच लोगों में आवंटित सीमेण्ट की सूची नाम, पता एवं मात्रा सहित संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 585 पर।)

देवरिया जनपद में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद

83–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्टेट डिस्पेन्सरियों में डाक्टर कब से नहीं है? उन अस्पतालों पर डाक्टर कब तक पोस्ट कर दिए जायेंगे?

श्री लोकपति–

रिक्त पदों का ब्योरा संलग्न है। डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए भर्ती लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से होने के कारण निश्चित रूप से यह बता पाना सम्भव नहीं है कि प्रश्नगत सभी रिक्त पदों पर कब तक डाक्टर पोस्ट किए जा सकेंगे।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 586 पर।)

देवरिया जिलान्तर्गत चकिया अस्पताल के भवन का निर्माण

84–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत चकिया अस्पताल का भवन बनने हेतु 5 एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब तक भवन बन कर तैयार हो जायगी?

श्री लोकपति–

जी हां।

साधन उपलब्ध होने पर नवीन भवन निर्मित किया जा सकेगा।

देवरिया जिले की मातृ शिशु कल्याण विभाग की दाइयों की सेवा समाप्ति

85–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला की 24 हरिजन दाइयां मातृ शिशु कल्याण विभाग की थीं, उन्हें सेवा से निकाल दिया गया है, यदि हां, तो इन दाइयों की भर्ती कब हुई और निकालने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति–

वर्ष 1976 में 54 दाइयों की सेवाएं समाप्त की गयी थीं। इन दाइयों की नियुक्ति वर्ष 1965–74 के बीच की गयी थी। इनकी नियुक्ति प्रशिक्षित ए0एन0एम0/परिवार कल्याण कार्यकर्ती के उपलब्ध न होने तक के लिए की गयी थी। अब अपेक्षित प्रशिक्षित

ए0एन0एम0/परिवार कल्याण कार्यकत्री के उपलब्ध होने के कारण इनकी सेवायें सेवा शर्तों के अनुरूप समाप्त की गयी हैं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया को सहायक निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं कि जब भी कोई पद दाई का रिक्त हो तो वह इन छटनी शुदा दाइयों में से ही भरा जाय ।

86—श्री हरिवंश सहाय—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अभियान को तेज करने के लिए शासन द्वारा उठाये गये कदम

87—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम का अभियान तेज करने के सिलसिले में शासन की ओर से क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्री लोकपति—

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अभियान को तेज करने के सिलसिले में शासन की ओर से निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) परिवार कल्याण सेवाओं को सुदूर ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के लिए परिवार कल्याण सेवा शिविरों का आयोजन।

(2) महिला नसबन्दी आपरेशन को लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किये जाने का प्रसार ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में 640 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला नसबंदी आपरेशन की सेवायें तथा 2,000 उपकेन्द्रों पर लूप निवेशन की सेवायें उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था ।

(4) कार्यक्रम में जनचेतना जागृत करने एवं विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से जनशिक्षा एवं प्रचार के सभी उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाना ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जन स्वास्थ्य एवं प्रसूति की स्वच्छ एवं कुशल सेवायें प्रदान किये जाने हेतु प्रति एक हजार की जनसंख्या पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक और एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था ।

विकास खण्ड साथां, जिला बस्ती में सीमेंट का आवंटन

88—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 80 से 31 दिसम्बर, 80 तक विकास खण्ड साथां, जिला बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेंट किन-किन लोगों को बांटी गयी ? तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाए गये थे ? क्या मा0 मन्त्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुधौली के द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, डा0 आर0 पी0 सिंह द्वारा आहरित मकान किराए का औचित्य

89—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुधौली के द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, (डा0 आर0 पी0 सिंह) वहां के सरकारी अस्पताल के प्रांगण में बने हुए सरकारी भवन में पिछले चार वर्षों से निवास करते रहे और इसके

बाद भी उसी अवधि का किराया अपने द्वारा करीब चार हजार रुपये विभाग से प्राप्त कर लिया? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

श्री लोकपति–

डा0 आर0 पी0 सिंह, ने दिनांक 27-7-76 से 31-8-79 तक की अवधि में रु0 2,924.75 पैसे मकान किराया के रूप में आहरित किया है व रु0 113.15 के किराये का बिल प्री-आडिट हेतु भेजा हुआ है। उनके द्वारा आहरित उक्त किराये के औचित्य की जांच की जा रही है।

बस्ती जिले के बांसी तहसील में चीनी व मिट्टी का तेल का वितरण

90–श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय–

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला के बांसी तहसील में जनवरी, 1981 के चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह–

बस्ती जिला के बांसी तहसील में जनवरी, 1981 के मिट्टी के तेल के कोटा का वितरण कराया गया। जनवरी, 1981 की चीनी का वितरण माह फरवरी, 1981 में उपभोक्ताओं के बीच कराया गया जिसके कारण दुकानदारों द्वारा अधिकांश चीनी की उठान माह फरवरी, 1981 में करना है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के ट्रस्ट विभाग में गायब की गई पत्रावलियां तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

91–श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ट्रस्ट विभाग में सर्वश्री मौला बख्श, रज्जब अली तथा मजार की तौज की पत्रावलियां संख्या 35-बी-249/321/207 सन् 1958 उपलब्ध नहीं हैं और श्री रज्जब अली द्वारा दिनांक 22-12-80 तथा 10-3-81 के उनके निरीक्षण हेतु दिए गये प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त पत्रावलियों के गायब किए जाने के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बदायूं में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तथा अनियमितताएं करते हुए पकड़े गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

92–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में जनपद बदायूं में कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें सहकारिता विभाग द्वारा खोली गयीं और 20 अप्रैल, 81 तक कितने सचिव एवं अन्य कर्मचारी अनियमितताएं करते हुए पकड़े गये और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद बदायूं में वर्ष 1980-81 में सहकारी समितियों द्वारा 234 दुकानें संचालित की गयीं।

20 अप्रैल, 1981 तक 27 सचिव एवं अन्य कर्मचारी अनियमितताएं करते हुए पकड़े गये तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी। उनमें से 8 के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी की गयी।

जनपद बदायूं में सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

93—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में जनपद बदायूं में कितनी सहकारी समितियां जो आवश्यक वस्तुओं और चीनी का वितरण करती थीं जो भ्रष्टाचार एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन करने के सम्बन्ध में पकड़ी गयीं और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक—

पांच सहकारी समितियां पकड़ी गई और सभी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

औषधियों के क्रय में की गई वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप निलम्बित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधिकारी व कर्मचारी

94—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में कितने मुख्य चिकित्सा अधिकारी शासन द्वारा निलम्बित किए गये और उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप हैं? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त वर्ष में दवाइयों एवं अन्य संबन्धित वस्तुओं की चोरी के आरोप में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गये? सरकार को कितनी धनराशि की हानि हुई?

श्री लोकपति—

1980-81 में दो मुख्य चिकित्साधिकारियों को निलम्बित किया गया। इनके विरुद्ध औषधियों के क्रय में की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं।

सतर्कता विभाग से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उक्त वर्ष दवाइयों के क्रय में की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में 18 विभागीय अधिकारी एवं 5 विभागीय कर्मचारी लिप्त पाये गये। शासन को हुई हानि का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं हो सका है।

जनपद बदायूं के नगर सैदपुर के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में बिजली का कनेक्शन

95—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

प्रथम सत्र 81 के 3रे गुरु0 के अता0 प्र0 सं0 20 (दिनांक 19-2-81) के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नगर सैदपुर के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में बिजली का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया और इसके लिए अब तक कौन अधिकारी इसका जिम्मेदार पाया गया और उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी? अब तक बिजली का कनेक्शन न जुड़ने का क्या कारण है?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर जिला बदायूं में बिजली का कनेक्शन दिनांक 22 मार्च, 1981 को जोड़ दिया गया है। अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में चावल का आवंटन एवं सहकारिता विभाग द्वारा चावल का वितरण

96—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में सरकार द्वारा सन् 1980-81 में कितने चावल का आवंटन किया गया और अब तक कितना चावल जनपद में प्राप्त हुआ और प्राप्त चावल का वितरण सहकारिता विभाग द्वारा अब तक कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

जनपद बदायूं को वर्ष 1980-81 में सरकार द्वारा 4450 (चार हजार चार सौ पचास) मैट्रिक टन चावल का आवंटन किया गया था। चावल का भण्डारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रहता है। शासन द्वारा आवंटित चावल में से आवश्यकतानुसार चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से प्राप्त करके सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को निर्गत किया जाता है। माह अप्रैल, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक कुल 334 मै0 टन 8 कुन्तल 15 किलो एवं 500 ग्राम चावल व्यक्तिगत दुकानदारों एवं 5 टन चावल सहकारिता विभाग द्वारा उठाया गया। माह जनवरी, 1981 से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को सहकारिता विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया, परन्तु माह जनवरी से मार्च, 1981 के मध्य व्यक्तिगत दुकानदारों द्वारा उच्च न्यायालय से समय समय पर स्थगनादेश प्राप्त किये जाने के कारण सहकारिता विभाग द्वारा चावल उठाने में अवरोध उत्पन्न हुआ। अतएव, उक्त कारणों से उक्त अवधि में सहकारिता विभाग द्वारा चावल का वितरण नगण्य रहा। सहकारिता विभाग द्वारा चावल के वितरण नगण्य होने का कारण यह भी था कि खुले बाजार में नई फसल का चावल सस्ती दर पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहा जिसके कारण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से चावल की मांग नहीं थी।

जनपद बदायूं में सहकारिता विभाग द्वारा चीनी का वितरण तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही

97–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में सहकारिता विभाग द्वारा चीनी का वितरण जो फरवरी से अप्रैल, 81 में किया गया है, उसमें चीनी जिस-जिस दुकान को आवंटित की गयी है वह राशन कार्डों की संख्या के आधार पर की गयी है? यदि हां, तो क्या इस चीनी का वितरण उन राशन कार्डों पर अंकित किया गया है? यदि नहीं तो क्या चीनी सम्बन्धित सचिवों द्वारा वापस की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार सम्बन्धित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां,
जी हां।
जी नहीं।

कार्ड धारकों द्वारा जो चीनी नहीं ली गई उसे अगले मास में राशन कार्डों तथा शादी विवाह आदि के लिये जारी किये गये परमिटों पर वितरित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिनगर, आलमबाग, लखनऊ के निवासियों द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु जमा किया गया विकास व्यय

98–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिनगर–आलमबाग, लखनऊ के निवासियों द्वारा वर्ष 1965 में सड़कों के निर्माण हेतु विकास व्यय जमा कर दिया गया था, किन्तु बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी उक्त विकास कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक नहीं कराया गया? क्या इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री को दिनांक 25 फरवरी, 1981 को कोई पत्र प्रश्नकर्ता विधायक से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

99—श्री राम आसरे वर्मा—

[2रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रसूलपुर, जिला सीतापुर में यूनानी डिस्पेंसरी तथा जच्चा बच्चा केन्द्र खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र

100—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में यूनानी डिस्पेंसरी खोले जाने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र वर्ष 1977 से 30-9-81 तक उक्त ग्राम वासियों द्वारा शासन को प्राप्त हुए? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

कथित अवधि में केवल दो पत्र प्राप्त हुए परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त स्थान पर यूनानी डिस्पेंसरी स्थापित करना सम्भव न हो सका।

101—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं है जिससे ग्राम वासियों को अत्यधिक कठिनाई होती है? क्या इस संबंध में दिनांक 30-9-81 तक कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

जी हां, ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई जच्चा बच्चा केन्द्र नहीं है। परन्तु ग्राम रसूलपुर से एक किलोमीटर की दूरी पर सिन्दुरवा में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत है, जहां रसूलपुर ग्रामवासियों को भी सेवा सुविधायें उपलब्ध रहती हैं। रसूलपुर ग्राम में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने से संबंधित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता।

स्थानीय निकायों में लगे साइकिल टैक्स को समाप्त करने पर विचार

102—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों में लगे साइकिल टैक्स को समाप्त करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो टैक्स कब से समाप्त कर दिया जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, महोली के चिकित्साधिकारी, श्री के0पी0 गुप्ता का त्याग पत्र तथा अवशेष देयों के संबंध में कार्यवाही

103—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, महोली के चिकित्सा अधिकारी (श्री के0 पी0 गुप्ता) द्वारा अक्तूबर, 78 में अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था? यदि हां, तो उनका त्याग-पत्र कब स्वीकार किया गया तथा क्या जी0पी0एफ0, बीमा तथा बकाया वेतन दे दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

जी हां। डा0 के0पी0 गुप्ता से कुछ सरकारी धन वसूल होना है। अतः धन वसूल हो जाने पर अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर त्याग पत्र स्वीकार करने पर कार्य-

वाही की जाएगी तथा अवशेष देय के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। जी0पी0एफ0 बीमा की धनराशि वाप्स करने के संबंध में डा0 गुप्ता ने निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन नहीं दिया है।

सीतापुर जनपद में लेवी चीनी का आवंटन

104—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद को चीनी का कितना कोटा माह फरवरी तथा मार्च, 81 में मिला तथा अप्रैल तथा मई, 81 में जब शादियों के लिए चीनी के स्पेशल परमिट बटने लगे तब चीनी का कितना कोटा सीतापुर को दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

सीतापुर जनपद को माह फरवरी, 81 से मई, 81 तक प्रति माह 691 मी0 टन लेवी चीनी का आवंटन किया गया। शादी विवाह के लिए स्पेशल परमिट हेतु लेवी चीनी का कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया।

विवाह की न्यूनतम आयु सीमा में वृद्धि पर विचार

105—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में लड़के तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा में वृद्धि किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार क्या आयु रखने का विचार कर रही है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उप केन्द्र सेलूमऊ में सेवा निवृत्त दाइयों का बकाया सामूहिक बीमा तथा जी0 पी0 एफ0 की धनराशि

106—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर की हरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उप केन्द्र सेलूमऊ में कार्यरत दाई जिन्होंने 6 फरवरी, 1978 को अवकाश ग्रहण किया उन्हें अब तक सामूहिक बीमा तथा जी0पी0एफ0 का पैसा न मिलने का क्या कारण है ? कब तक मिल जायगा?

श्री लोकपति—

सहायक निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने सूचित किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरगांव के मातृ शिशु कल्याण केन्द्र सेलमऊ में सेवा निवृत्त दाई श्रीमती कृष्णा के जी0पी0एफ0 की धनराशि रु0 789/- का भुगतान दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 को उन्हें किया जा चुका है। उनके सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान 240/- रुपये (दो सौ चालीस) बैंक ड्राफ्ट सं0डी0सी0 159/982339, दिनांक 2-12-81 के द्वारा प्राप्त हो चुका है। इस संबंध में श्रीमती कृष्णा को लिखित रूप में सूचना भेज दी गयी है कि उक्त धनराशि कार्यालय से तुरन्त प्राप्त कर लें।

राजकीय सिविल अस्पताल, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में सर्जन पद का प्राविधान

107—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि राजकीय सिविल अस्पताल कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में किसी सर्जन का प्राविधान है? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति वहां नहीं है? यदि नहीं, तो क्या सर्जन की व्यवस्था शीघ्र करने की कृपा की जायेगी?

श्री लोकपति—

जी हां, इस अस्पताल में सर्जन के पद का प्राविधान है। इस पद पर डा0 अशोक कुमार की तैनाती के आदेश 11 सितम्बर, 1981 को जारी किये जा चुके हैं।

कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में राजकीय चिकित्सालय का निर्माण

108—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्नौज जिला फर्रुखाबाद में 30 शैय्याओं वाला कोई राजकीय चिकित्सालय बनना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक बन जायेगा?

श्री लोकपति—

जी हां।

साधन उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण किया जा सकेगा।

109—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

साधन सहकारी समिति जनपद फर्रुखाबाद, ग्राम रूदायन, तहसील कायमगंज में गबन

110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज तहसील के ग्राम रूदायन में एक लाख के गबन का मामला 10 वर्ष से अधिक समय से अदालत में विचाराधीन है ? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

साधन सहकारी समिति रूदायन तहसील कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में एक लाख रुपये के गबन का मामला नहीं अपितु 33,808.15 रु0 के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद में उक्त मामले की रिपोर्ट अपराध संख्या 172/70 दिनांक 26-9-70 को दर्ज हुई। आरोप पत्र संख्या 8 दिनांक 30-7-1971 के द्वारा कम्पिल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत में दिनांक 10-8-71 को मुकदमा कायम किया। अब यह मुकदमा जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में सबूत की तारीख 19-3-82 निर्धारित हुई है।

चूंकि वर्ष 1974 में केस को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था और उसके पश्चात् वर्ष 1976 से 1981 तक यह केस कई न्यायालयों में ट्रान्सफर हुआ, इस कारण अभी तक लम्बित है।

प्रदेश में औषधि निर्माताओं को लेवी चीनी का आवंटन

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लाइसेन्स प्राप्त सिंथेटिक व आयुर्वेदिक सीरप निर्माताओं को शक्कर का कोटा प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं, तो किस अवधि से तथा किस कारण? क्या सरकार कोटा पुनः जारी करने की कृपा करेगी?

श्री वासदेव सिंह—

17 दिसम्बर, 1979 से वर्तमान लेवी चीनी वितरण योजना लागू होने पर औषधि निर्माताओं को लेवी चीनी का आवंटन नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा औषधि निर्माताओं को लेवी चीनी दिये जाने का निर्णय होने पर ही प्रदेश में उन्हें कोटा दिया जाना सम्भव होगा।

रिकार्ड कीपर, श्री फकीर चन्द की सेवा काल में मृत्यु से उनके पुत्र विनोद चन्द की नियुक्ति में न लिये जाने का कारण तथा मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पुत्री कु0 लता तिवारी की नियुक्ति का आधार

112—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि अल्मोड़ा नगरपालिका रिकार्ड कीपर श्री फकीर चन्द (अनुसूचित जाति) की मृत्यु उनके सेवाकाल में 10-12-75 में हो गयी? क्या यह भी सही है कि मृतक के पुत्र श्री विनोद चन्द ने अपने पिता के स्थान पर नौकरी दिए जाने हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, निदेशक, स्थानीय निकाय, अल्मोड़ा तथा संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन, नगरपालिका अनुभाग-4 को विभिन्न तिथियों को प्रार्थना-पत्र दिए? यदि हां, तो उसे नगरपालिका, अल्मोड़ा में नियुक्त न किए जाने का क्या कारण है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

जी हां।

पालिका में उपयुक्त पद रिक्त न होने के कारण श्री विनोद चन्द की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

113—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सन् 1976 में नगरपालिका कार्यालय, अल्मोड़ा के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पुत्री कुमारी लता तिवारी को उक्त कार्यालय में नियुक्ति दे दी गयी? यदि हां, तो श्री विनोद चन्द जो अनुसूचित जाति के हैं और जिनके पिता की मृत्यु पहले हुई थी, उसे अभी तक नियुक्ति न देने का क्या कारण है? क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

कु0 लता तिवारी के पिता की मृत्यु (दिनांक 7-10-1973) श्री विनोद चन्द के पिता की मृत्यु (दिनांक 10-12-75) से पूर्व होने तथा कु0 लता तिवारी की नियुक्ति प्रार्थना-पत्र श्री विनोद चन्द के प्रार्थना-पत्र से पूर्व प्राप्त होने के कारण कु0 लता तिवारी की नियुक्ति पालिका प्रशासन द्वारा पहले की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

114—श्री हरिवंश सहाय—

क्या यह भी सही है कि श्री विनोद चन्द से कहा जा रहा है कि उसके लिए एक नए पद की स्वीकृति की जा रही है? यदि हां, तो उसे उसके पिता के स्थान पर नियुक्ति न देने तथा बाद में मृत कर्मचारी के आश्रितों को पहले नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी है, और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं। शासकीय आदेशानुसार पालिका में सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पालिका द्वारा नियुक्त किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार नगर-पालिका, अल्मोड़ा में भविष्य में पद रिक्त होने पर श्री विनोद चन्द को उनकी शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता के दृष्टिगत पालिका द्वारा नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जायगी।

मेलूपुर विकास योजनान्तर्गत आवास विकास परिषद् द्वारा मकानों का नक्शा व इस्टीमेट तथा कालोनी के विकास हेतु सड़क का निर्माण

115—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 165, 166, 167, 168, 169 के उत्तर के संदर्भ

में क्रमशः बताने की कृपा करेंगे कि मेलूपुर विकास योजना नं0 5 को स्वीकृति 27-8-51 को दी गयी थी और उसमें मदनी की 30 एकड़ के करीब एवं नगवा की 9 एकड़ के करीब जमीन ली गयी थी तो इसमें आवास विकास परिषद् ने कितने मकानों का नक्शा बनाया था उसका इस्टीमेट क्या है ? क्या उसमें एक भी मकान नहीं बनाया गया और उक्त जमीन पट्टे पर कालोनाइजरों को दे दी गयी है? और किसानों को किस रेट से मुआवजा दिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

116–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि 166 के उत्तर में जो कहा गया है कि कालोनी का विकास वर्ष के अन्दर कर दिया जायेगा यह कब का फैसला है और क्या यह सही है कि न तो 100 फिट चौड़ी ही सड़क बनी है और न कालोनी का विकास ही हुआ है? कालोनाइजर को किस रेट से जमीन दी गयी ? उनके नाम व पते क्या हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रवीन्द्रपुरी–लंका मार्ग में मकान का निर्माण

117–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री 167 व 168 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि गंगा सहाय पाण्डेय व लक्ष्मी प्रसाद को जमीन पट्टे पर किन शर्तों के अधीन दी गयी, क्या सिर्फ 100 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है, जो रवीन्द्रपुरी लंका मार्ग है? क्या उसमें मकान का निर्माण किया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास प्राधिकरण द्वारा घसियारी टोला दुर्गाकुण्ड, वाराणसी के पास भवन का निर्माण

118–श्री ऊदल–

क्या आराजी नं0 2549/2-73 डिसमिल की है जो अयोध्या प्रसाद वगैरह 28/71 घसियारी टोला दुर्गाकुण्ड, वाराणसी की है उसके अगल-बगल विकास प्राधिकरण की कोई जमीन नहीं है? यदि हां, तो 3-11-80 को प्राधिकरण ने संकल्प संख्या 27 के द्वारा जो प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत करके कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इस भूखण्ड में भवन बनाये जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी में वितरित पाम आयल का वितरण व अनियमितताएं

119–श्री बनवारी राम–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में सन् 1980-81 में कितना पाम आयल भेजा गया? उसे कहां-कहां वितरित किया गया? क्या इसके वितरण में अनियमितताएं बरती गयी हैं? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद वाराणसी में वर्ष 1980-81 में कुल 21,813 टीन पाम आयल सहकारी संस्थाओं को भेजा गया ।

सूची संलग्न है।
वितरण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है। प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 587-588 पर।)

जनपद इलाहाबाद में चिकित्सालय अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

120—श्री रमाकान्त मिश्रा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में किन-किन स्थानों पर चिकित्सालय या पी0एच0सी0 स्वीकृत हुए हैं इनमें से कौन-कौन से प्रारम्भ हो गये हैं और कौन नहीं ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में जनपद इलाहाबाद में कोई चिकित्सालय अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लालबाग, हजरतगंज, मकबूलगंज के सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

121—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ के मुहल्ला लालबाग, हजरतगंज व मकबूलगंज के सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी के विक्रेताओं के विरुद्ध प्रश्न-कर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक फरवरी, 1981 उनको प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति उन्होंने अपने पत्र संख्या एफ0एम0 236/81, दिनांक 18 फरवरी, 1981 द्वारा की है ? क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित ए0आर0ओ0 व इंस्पेक्टर ने फर्जी यूनिट पकड़ कर सरकार का लगभग 13 लाख रुपया प्रति वर्ष दण्ड किया और दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुमोदन किया है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ था। जांचोपरान्त 4519 1/2 फर्जी यूनिट निरस्त किये गये। एक राशन की दुकान को निरस्त किया जा चुका है और शेष के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

122—श्री धनीराम वर्मा—

[2रे गोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन की सुविधा

123—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या भारत सरकार द्वारा अभी कुछ समय पूर्व अपने कर्मचारियों को तीन बच्चों तक नसबन्दी आपरेशन कराने पर एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन की सुविधा प्रदान की गयी है ? परन्तु राज्य सरकार ने उक्त सुविधा दो बच्चों तक ही अपना परिवार सीमित रखने वाले कर्मचारियों को ही प्रदान की है ? यदि हां, तो क्यों? इस विषमता को दूर करने हेतु उक्त आदेश तीन बच्चों वाले कर्मचारियों पर कब से लागू किया जाएगा ?

श्री लोकपति—

जी हां, बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा दो बच्चों तक अपने परिवार सीमित रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन की सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सी0एम0ओ0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

124—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, चिकित्सा विभाग को मई, 80 के प्रथम पखवारे में श्री हरीश, पत्रकार, शाहजहांपुर की ओर से सी0एम0ओ0, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र मिला? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

जी हां। मुख्य शिकायतें सरकारी धन व पद का दुरुपयोग, बिना मान्यता प्राप्त फर्मों से दवाइयां खरीदना, वास्तविक मूल्य से चार गुने मूल्य पर हैंड पम्प लगवाने आदि हैं। सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

जिला सहकारी बैंक, वाराणसी के सचिव का ट्रान्सफर विषयक पत्र

125—श्री उदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, वाराणसी के सचिव के ट्रान्सफर हेतु एक पत्र स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने मा0 खाद्य मंत्री वासुदेव सिंह को लिखा था कि उक्त सचिव ने जून, 80 के चुनाव में उनका विरोध किया है इसलिए उनका ट्रांसफर कर दें ? यदि हां, तो क्या वह पत्र सचिव की फाइल में है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

126—श्री उदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कई विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करके जिला सहकारी बैंक के सचिव के खिलाफ सहकारिता मंत्री को पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पांच विधायकों ने सहकारिता मंत्री को लिखकर दिया है कि हस्ताक्षर फर्जी हैं और उन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है ? तो ऐसा किसने किया है, जांच की जायेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं। श्री शिव किशोर सिंह, सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, वाराणसी के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षरों का कोई पत्र विधायकों से प्राप्त नहीं हुआ है।

नगरपालिका, बांदा के कर्मचारियों को ट्रिबूनल द्वारा बहाल किये जाने के बावजूद सेवा में न लिया जाना

127—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि बांदा नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों को ट्रिबूनल द्वारा वर्ष 1980-81 में सवेतन बहाल कर दिए जाने पर भी उन कर्मचारियों को अब तक सेवा में नहीं लिया गया? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। प्रश्नगत कर्मचारियों ने पालिका के सेवा समाप्ति/पदावनति आदेश के लोक सेवा अधिकरण में वाद दायर किया था जो उनके पक्ष में निर्णीत हुआ। उक्त निर्णय के विरुद्ध पालिका द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील प्रस्तुत की गयी

थी जो प्रारम्भिक सुनवाई पर ही अस्वीकृत हो गयी थी। इसके विरुद्ध पालिका द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति अपील याचिका प्रस्तुत की गई है जो उन कर्मचारियों के पिछले वेतन के सम्बन्ध में आंशिक रूप से स्वीकृत हुई है तथा विचाराधीन है।

जिला चिकित्सालय, हरदोई की महिला चिकित्साधिकारी के पति द्वारा आत्महत्या के कारणों की जांच

128—श्री राम आसरे शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, हरदोई की महिला चिकित्साधिकारी डा0 शकुन्तला रेड्डी के पति द्वारा की गयी आत्महत्या के कारणों से सम्बन्धित एक पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा 11 सितम्बर, 81 को दिया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां। मामला शासन के विचाराधीन है।

उ0 प्र0 भूमि विकास बैंक के डेली वेजेज कर्मचारियों को बोनस देने पर विचार

129—श्री राम आसरे शर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भूमि विकास बैंक की तरह उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में दैनिक वेतन (डेली वेजेज) तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस देने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक यह लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 द्वारा अपने दैनिक वेतन (डेली वेजेज) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस देने के सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त बैंक द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना संभव होगा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों के मांग-पत्र पर विचार

130—श्री भीखा लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ के कर्मचारियों ने अपने संगठन के माध्यम से कोई मांग-पत्र दिनांक 20-1-81 उनको दिया है? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उनकी पूर्ति के सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री लोकपति—

जी हां, मांग पत्र दिनांक 6-1-1981 प्राप्त हुआ है। मांग कर्मचारियों के वेतन, स्थायीकरण एवं भत्ते आदि के भुगतान से सम्बन्धित हैं।

शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित अस्पतालों को केवल अनुदान दिया जाता है। चिकित्सालय का प्रबन्ध एक रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जो कर्मचारियों की नियुक्ति तथा चिकित्सालय के प्रबन्ध के मामलों से सम्बन्धित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कमण्डा, जिला सीतापुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

131—श्री भीखा लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कमण्डा, विकास खण्ड कमण्डा, जिला सीतापुर ग्राम सभा के पंचायत घर में स्थापित है? यदि हां, तो कितने दिनों से है और ग्राम सभा को किराये के रूप में तथा पंचायत घर के रख-रखाव व सालाना मरम्मत पर कितना धन शासन द्वारा अब तक व्यय किया गया? क्या यह भी सही है कि स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत बनाने का प्रस्ताव शासन ने स्वीकार कर

लिया है और उसके लिए धन का प्राविधान भी कर दिया गया है? लेकिन अभी तक इमारत का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है कि इमारत अभी तक नहीं बन पाई?

श्री लोकपति–

जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमण्डा, विकास खण्ड कसमण्डा, जिला सीतापुर ग्राम सभा के पंचायत घर में लगभग 15 वर्षों से कार्यरत है। शासन द्वारा किराये के रूप में अथवा अस्पताल भवन मरम्मत में कोई भी धन व्यय नहीं किया गया है। केन्द्र के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा रु0 5,85,500 स्वीकृत किया जा चुका है और अगस्त, 1981 से भवन निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

श्री रघुनाथ तिवारी, ग्राम धुरहेरा, जिला गाजीपुर का हार्निया के आपरेशन से मृत्यु तथा जांच

132–श्री भीखा लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-10-80 को श्री रघुनाथ तिवारी पुत्र श्री अर्जुन तिवारी, निवासी ग्राम धुरहेरा जिला गाजीपुर का सदर अस्पताल गाजीपुर में हार्निया का तीन बार आपरेशन करने से डा0 एस0 के0 श्रीवास्तव की लापरवाही से मृत्यु हो गयी और मृतक श्री रघुनाथ तिवारी के पुत्र श्री राम बदन तिवारी ने शासन से उक्त डाक्टर के विरुद्ध धारा 303 ता0 हिन्द का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है? यदि हां, तो क्या इसकी विवेचना कराई गयी और मुकदमा चलाने की अनुमति दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

श्री रघुनाथ तिवारी पुत्र श्री अर्जुन तिवारी निवासी ग्राम धुरहेरा जिला गाजीपुर की फंसी हुई आंत का डा0 एस0 के0 श्रीवास्तव ने सदर अस्पताल गाजीपुर में दिनांक 15-10-1980 को आपरेशन किया। पेशाब रुक जाने पर उसका कारण जानने हेतु डा0 श्रीवास्तव ने दिनांक 16-10-80 को दूसरी बार आपरेशन किया। पेशाब रुक जाने के कारण पुनः दिनांक 19-10-80 को सर्जन डा0 पी0 सी0 तिवारी ने आपरेशन किया। चूंकि तीन बार आपरेशन हुआ अतः खून की कमी को दूर करने हेतु उन्हें एक बोतल खून दिया गया किन्तु दिनांक 20-10-80 को उनकी मृत्यु हो गई। श्री राम बदन तिवारी का पत्र दिनांक 17-11-80 उपलब्ध नहीं है किन्तु दिनांक 12-11-81 का उसका अनुस्मारक प्राप्त हुआ है। इस मामले में अभी जांच की जा रही है।

कर अधीक्षक, नगर महापालिका, कानपुर श्री पी0 एन0 मिश्रा को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

133–श्री भीखा लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एन0 मिश्रा, कर अधीक्षक, नगर महापालिका, कानपुर की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में शासन के आदेश 2622ए/11-न0पा0-4-1976, दिनांक 8 जून, 1976 तथा आदेश संख्या 3674-11-1-80-4 टी0 एस0-74, दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां। शासनादेश दिनांक 8 जून, 1976 के अनुपालन में श्री पी0 एन0 मिश्रा को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रेणी दो के पद पर तदर्थ एवं अस्थाई प्रोन्नति दे दी गयी है।

134–श्री भीखा लाल–

[2रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

135—श्री भीखा लाल—

[2रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

136—श्री भीखा लाल—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटपाररानी, जिला देवरिया में खण्ड प्रसार शिक्षकों की नियुक्ति

137—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाटपाररानी, जिला देवरिया में दो खण्ड प्रसार शिक्षक 1-11-80 से कार्यरत हैं इसका कारण क्या है?

श्री लोकपति—

जी हां, जनपद देवरिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटपाररानी में दो खण्ड प्रसार शिक्षक दिनांक 1-11-80 से 2-7-1981 तक कार्यरत रहे थे। इसका कारण प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण आदेशों का निरस्तीकरण तथा स्थानीय व्यवस्था पर मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया द्वारा एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दोनों प्रसार शिक्षकों का समायोजन था। अब भाटपाररानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में यह स्थिति नहीं है।

138—श्री हरिवंश सहाय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद के कतिपय बाजारों को टाउन एरिया बनाने का विचार

139—श्री रमाकान्त मिश्रा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले कामा, जसरा, जारी एवं लोहेजरा बाजार को टाउन एरिया बनाने का आग्रह मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मंत्री जी से किया था? यदि हां, तो इन्हें टाउन एरिया बनाने की कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

केवल जसरा, जारी व कामा बाजार में टाउन एरिया बनाने हेतु पृथक तीन पत्र दिनांक 23-9-1981 माननीय विधायक महोदय से प्राप्त हुए थे। लोहेजरा बाजार के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

इन तीनों ग्रामों में टाउन एरिया बनाने हेतु जिलाधिकारी, इलाहाबाद से आवश्यक सूचना मांगी गई है।

जनपद इलाहाबाद में मेहदौरी आवास योजनान्तर्गत विद्यालय के लिए जमीन का आवंटन

140—श्री रमाकान्त मिश्रा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में मेहदौरी आवास योजना (आवास विकास परिषद्) में विद्यालय के लिए छोड़ी गयी जमीन का आवंटन मा0 मंत्री जी ने किया था? यदि हां, तो क्या अधिकारियों ने विद्यालय के लिए नहीं दी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जनपद गोरखपुर के कतिपय गांवों में अस्पताल खोलने की योजना

141—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के महावीर छपरा,

जेगल बेलवार, बड़गहन, सोहगौरा और बडगौ नामक बड़े महत्वपूर्ण गांवों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पताल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो उपरोक्त महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्पताल कब तक खोल दिया जायेगा? क्या इस संबंध में अप्रैल, 80 में मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और अस्पताल कब तक खोले जायेंगे?

श्री लोकपति–

इन ग्रामों में चिकित्सालय स्थापित करने की शासन की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्या का अप्रैल, 80 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर से निर्धारित मानक के अनुसार प्रस्ताव मांगे गये हैं। यदि निर्धारित मानक के अनुसार किसी ग्राम में अस्पताल खोलने का औचित्य पाया गया तो अस्पताल खोलने पर यथासमय विचार कर लिया जाएगा ।

झांसी नगर के मुहल्लों में पेयजल की सुविधा

142–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर के कितने मुहल्लों में अभी तक पेयजल की लाइन नहीं बिछाई गयी है और इसके कारण क्या हैं?, और कब तक पेयजल की लाइन बिछेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

झांसी नगर के अन्तिम छोर पर स्थित पांच मुहल्लों में अभी तक पेयजल की लाइनें नहीं बिछी हैं।

झांसी नगर की पेयजल योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत ही उपरोक्त मुहल्लों में पाइप लाइन बिछाने पर विचार किया जायेगा। जो कदाचित 4–5 वर्षों में पूरा हो सकेगा।

रामपुर जिला अस्पताल के सी0 एम0 ओ0 द्वारा जांच हेतु ग्रामों के पेयजल कुएं के पानी के नमूने

143–श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र स्वार टाण्डा में ग्रामीण क्षेत्र में रामपुर, जिला अस्पताल के सी0 एम0 ओ0 के द्वारा 20 ग्रामों के पेयजल कुएं के पानी के नमूने भेजे थे? क्या सभी पेयजलों के नमूने का पानी पीने योग्य नहीं है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के सभी ग्रामों के लिए पेयजल की क्या व्यवस्था की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

उक्त क्षेत्र के चार ग्रामों के पेयजल कुएं के पानी के नमूने जांच हेतु राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ को भेजे गये थे उक्त सभी नमूने जांच उपरान्त असंतोषजनक पाये गये। ग्रामीण क्षेत्र कार्यकर्ताओं को पानी में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर डाल कर विसंक्रमण कराते रहने के आदेश दे दिए गए थे।

श्री झंडूसिंह थाना जैतीपुर की अवैधानिक रूप से गिरफ्तारी तथा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, कुर्क अमीन के विरुद्ध आरोप पत्र

144–श्री जगदीश सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में भूमि विकास बैंक शाखा मीरानपुर कटरा के अन्तर्गत ग्राम गोरा बकैनिया में झंडूसिंह को अवैध रूप से गिरफ्तार करके 15 दिन तक हवालात तहसील तिलहर में बन्द रखा गया?, और

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि पीड़ित व्यक्ति ने अपराध संख्या 11 धारा 342 भा0 द0 विधान की रिपोर्ट 11-5-81 थाना तिलहर में लिखाई? इस पर क्या कार्यवाही अमल में लाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री झंडूसिंह पुत्र रोहन लाल निवासी ग्राम गोरा बकैनिया थाना जैतीपुर को कथित अवैधानिक रूप से तहसील तिलहर के हवालात में दन्द करने के सम्बन्ध में अपराध संख्या 111 धारा 323/342 भा0 द0 वि0 कायम किया गया है और श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, कुर्क अमीन के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 15-10-81 को न्यायालय भेजा जा चुका है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर के घुघली विकास खण्ड में सहकारी सचिवों द्वारा चीनी व मिट्टी का तेल न उठाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

145—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आपूर्ति मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर के घुघली विकास खण्ड में सहकारी सचिवों ने माह सितम्बर, 1981 के लिए आवंटित चीनी एवं मिट्टी का तेल नहीं उठाया जिससे किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सचिवों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

गोरखपुर जनपद के घघली विकास क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा संचालित 8 सस्ते गल्ले/चीनी/मिट्टी के तेल की दुकानें हैं। माह सितम्बर, 1981 में उक्त दुकानों द्वारा चीनी की निकासी नहीं कराई गई। पांच सहकारी सचिवों द्वारा मिट्टी का तेल उठाया गया।

5-9-1981 को साधन सहकारी समिति लि0, बेलवाटीकर पर अराजक तत्वों द्वारा धमकी दिये जाने तथा अपमानित किये जाने की घटना को लेकर सचिवगण ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जब तक उक्त घटना की न्यायिक जांच न हो जाय तथा सुरक्षा व्यवस्था न कर दी जाय, वे तब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य नहीं करेंगे।

परगनाधिकारी, महाराजगंज के हस्तक्षेप पर सचिवगण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु सहमत हो गए और माह अक्तूबर, 81 से चीनी/मिट्टी तेल उठाकर वितरण प्रारम्भ कर दिया है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

घुघली विकास क्षेत्र गोरखपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें

146—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि घुघली विकास क्षेत्र (गोरखपुर) में फरवरी, 1980 से सितम्बर, 1981 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अन्तर्गत घुघली थाने में कितने मुकदमें दर्ज हुए एवं इनमें कितने में चार्जशीट लगी? जिसमें चार्जशीट नहीं लगी, उसका क्या कारण है?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत अवधि में घुघली विकास क्षेत्र गोरखपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत घुघली थाने में 22 मुकदमें दर्ज हुये जिनमें से 16 मामलों में चार्ज-शीट लगाई गई। शेष 6 मामलों में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है।

आगरा जिले के किरावली क्षेत्र में टाउन एरिया का सृजन

147—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के किरावली क्षेत्र में

टाउन एरिया का सृजन करना वर्तमान समय में शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो किरावली क्षेत्र को कब तक टाउन एरिया घोषित कर दिया जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

किरावली क्षेत्र को टाउन एरिया घोषित किया जा चुका है।

जिला आगरा में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने पर विचार

148—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1977-78 में आगरा जिले के लिये एक बीस (20) प्लंग का आयुर्वेदिक अस्पताल स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो उक्त अस्पताल तहसील किरावली के हेड क्वार्टर पर बनाने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महायोजना में प्रस्तावित भू उपयोग के परिवर्तन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

149—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के परिवर्तन के कितने प्रार्थना-पत्र शासन के समक्ष लम्बित हैं और कितने-कितने समय से?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रार्थना-पत्र इस समय लम्बित हैं।

एक—वर्ष 1976 से
दो—वर्ष 1977 से
चार—वर्ष 1978 से
चार—वर्ष 1979 से
पांच—वर्ष 1980 से
दो—वर्ष 1981 से

150—151—श्री जगदीश सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

152—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जनपद के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत हैन्ड पम्प व पेयजल कूपों की योजना

153—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम घुरौन्डा में शासन की ओर से दो हैन्ड पम्प व दो पेयजल कूपों के निर्माण की योजना है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं।

महाराजगंज कस्बा में प्रस्तावित टाउन एरिया बनाने पर विचार

154—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 80 के 3रे गुरुवार (दिनांक 4-9-80) में प्रश्नकर्ता के ता0 प्र0 सं0 14 में लिखित उत्तर में बताया गया था कि महाराजगंज कस्बा के "जलगणना कार्य" मार्च, 1981 तक चलने की संभावना है इस कार्य के समाप्त होने के बाद प्रश्नगत दोनों टाउन एरियाओं के सृजन के प्रस्ताव पर निर्णय

लिया जायेगा'' यदि हां, तो क्या इसकी तत्काल घोषणा कराकर चुनाव कराने की तिथि की घोषणा कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल

जी हां।

महाराजगंज में प्रस्तावित टाउन एरिया बनाने पर विचार किया जा रहा है।

ग्राम भुइली, विकास खण्ड जमालपुर, जनपद मिर्जापुर में पेयजल योजना द्वारा पानी की टंकी बनाने का सर्वे

155—श्री राम चरण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 फरवरी, 81 को प्रश्नकर्ता ने एक पत्र ग्राम भुइली, विकास खण्ड जमालपुर, जनपद मिर्जापुर में पेयजल योजना द्वारा पानी की टंकी बनाकर पानी देने के संबंध में लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां,

ग्राम भुइली विकास खण्ड जमालपुर, जिला मिर्जापुर में पानी के अभाव को देखते हुये विगत सूखे के समय हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की व्यवस्था उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा करा दी गई है। पानी की टंकी की योजना हेतु शीघ्र सर्वे कराने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश जल निगम को दिये जा चुके हैं।

श्री राम चरण सिंह द्वारा दिये गये पत्र पर विचार

156—श्री राम चरण सिंह—

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 16-3-81 को जो पत्र लिखा था उस पर अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सन्दर्भगत पत्र में उल्लिखित विषय पर नीति निर्धारण का मामला शासन के विचाराधीन है।

जनपद कन्नौज के महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर की नियुक्ति

157—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में महिला चिकित्सालय में गत 3 वर्षों से महिला डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में महिला डाक्टर को भिजवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री लोकपति—

जी हां। महिला चिकित्सालय कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में दिनांक 22-6-81 को एक महिला डाक्टर की व्यवस्था कर दी गई है।

गोरखपुर जनपद के गोला बाजार टाउन एरिया के हरिजन व खटिक बस्ती में जलकल की सुविधा

158—श्री मारकण्डेय चन्द—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला बाजार टाउन एरिया में जलकल की लाइन टाउन एरिया के हरिजन बस्ती और खटिक बस्ती में नहीं लगाई गई है और प्रश्नकर्त्ता ने फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1981 में आपको इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिया तथा सचिव, स्वायत्त शासन को भी आवेदन पत्र दिया है? यदि हां, तो क्या यथाशीघ्र जलकल की सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

प्रश्नकर्त्ता के आवेदन पत्र दिनांक 17-3-81 एवं 28-6-81 शासन को प्राप्त हुये हैं। इन बस्तियों में दो हैण्ड एम्प लगाकर पेयजल व्यवस्था कर दी गई है।

इन बस्तियों में पेयजल लाइन भी बिछाने हेतु प्राक्कलन बनवाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

159—श्री नन्द किशोर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कृषक सेवा सहकारी समिति, पडरी कृपाल, जनपद गोण्डा में गबन की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

160—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 77-78 एवं 78-79 में कृषक सेवा सहकारी समिति, पडरी कृपाल, जनपद गोण्डा में गबन से संबंधित कोई विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी? क्या उक्त विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां। वर्ष 77-78 एवं 78-79 की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है।

खाद्य विभाग के लेखा संगठन के संप्रेक्षकों की स्थायीकरण एवं पदोन्नति की कार्यवाही

161—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा रसद निदेशालय, उ0 प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के लेखा संगठन के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये संप्रेक्षकों को उनकी नियुक्ति के चार वर्ष उपरान्त परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी नियमानुसार स्थायीकरण एवं पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री वासुदेव सिंह—

खाद्य विभाग के लेखा संगठन के सम्प्रेक्षकों की सेवा नियमावली अन्तिम नहीं हो पाई है। परिणामतः लेखा संगठन के अन्तर्गत कार्यरत सम्प्रेक्षकों की, जिनमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त सम्प्रेक्षक भी सम्मिलित हैं, पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित नहीं हो पाई है। इन कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार की जा रही है जिसके प्रख्यापित होने पर इसके प्राविधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता सूची तैयार करने के बाद ही लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये सम्प्रेक्षकों के स्थायीकरण/प्रोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न हो सकेगी।

तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में कोआपरेटिव सोसाइटियों में चीनी का वितरण

162—श्री राम चरण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में कितनी कोआपरेटिव सोसाइटियों ने माह मार्च, 1981 की चीनी का वितरण नहीं किया और क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

कतिपय विशिष्ट स्थानीय कठिनाइयों के कारण जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार की आठ सहकारी समितियों द्वारा माह मार्च, 1981 की चीनी का वितरण नहीं किया जा सका।

तहसील चुनार में चीनी के नियमित वितरण की व्यवस्था

163—श्री राम चरण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि लगभग 190 कि0 चीनी का तहसील चुनार में माह मार्च 1981 में वितरण नहीं किया गया? यदि हां, तो मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? अगर नहीं की, तो क्यों? क्या उन कोआपरेटिव सोसाइटी की सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे जिन्होंने मार्च, 1981 की चीनी वितरण नहीं किया?

श्री इच्छा पाठक—

जी हां।

चीनी के नियमित वितरण की व्यवस्था करा दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता। वांछित सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 589 पर।)

अधिशासी अभियन्ता अस्थायी निर्माण शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर द्वारा सामानों की आपूर्ति पर किया गया व्यय

164—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 45 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या माननीय नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 व 1979-80 में क्रमशः 6.03 लाख व 3.00 लाख का व्यय जो सामग्रियों की (क्रय) आपूर्ति पर किया गया था, उसमें अलग-अलग प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि का व्यय किन-किन सामानों की आपूर्ति पर किया गया था?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 590 पर।)

अधिकारियों द्वारा बिना टेन्डर निकाले क्रय किये जाने वाले सामान का शासनादेश

165—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

शासकीय आदेशानुसार कुल कितने हजार रुपये तक का सामान कोई अधिकारी बिना टेन्डर निकाले क्रय कर सकता है व किन परिस्थितियों में? उपरोक्त शासनादेश की मूल भाषा व (प्रतिलिपि) क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के खण्ड प्रथम के अपेन्डिक्स 19 के नियम 9 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 591 पर।)

श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम की सेवा समाप्ति

166—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम की सेवा समाप्ति के आदेश सं0 2094/अ-2/16 (1265), दिनांक 21 मई, 1981 के संबंध में दिनांक 26-8-81 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र तीन अन्य संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जांचोपरान्त कौन-कौनसी बातें सही पायी गयीं व उस पर कब व क्या आदेश दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 26-8-81 का नहीं बल्कि 25-8-81 संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है जिस पर जांच कराई जा रही है। श्री हसनैन खां ने अपनी सेवा समाप्ति

के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में एक याचिका दायर की है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

अस्थाई निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर द्वारा घोषी नलकूप सं0–9 (जिला आजमगढ़) का निर्माण

167–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

अस्थाई निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर द्वारा घोषी नलकूप सं0–9 जिला आजमगढ़ में कागजों में दर्शाये गये नलकूप 245'– 31/2'' के स्थान पर कुल 204 फुट ही एसेम्बली है? इस संबंध में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 41–3 1/2'' पाइप का अधिक मेजरमेण्ट लेने वाले अधिकारी, अधिक गहराई दिखलाकर अधिक मात्रा में पी0 ग्रेविल (बजड़ी) का मेजरमेण्ट लेने वाले कर्मचारी व दोषी डिलर इंचार्ज तथा पाइप व बजड़ी का फर्जी भुगतान करने वाले शाखा अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम गोरखपुर द्वारा घोषी नलकूप नं0–1 (जिला आजमगढ़) का निर्माण कराया गया और यह नलकूप नं0–9 न होकर नलकूप नं0–1 है। माप पुस्तिका के अनुसार उक्त नलकूप में एसेम्बली 245 फिट 7 1/2'' है। अधिक मेजरमेण्ट या कम असेम्बली लोवर किये जाने के संबंध में पुष्टिकरण तब तक किया जाना सम्भव नहीं है जब तक नलकूप पुल आउट न किये जाय।

नगरपालिका मेरठ स्थित नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटाने के विषय में शिकायती-पत्र

168–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका मेरठ स्थित खसरा नं0 4615 मो0 पुर्वा अहिरान बढ़ाना गेट जो नजूल लैण्ड पर है अनाधिकृत कब्जा हटाने के विषय में भूतपूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर श्री इकबाल अहमद नवम्बर, 1976 में एड-मिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल बोर्ड, मेरठ, जिलाधिकारी मेरठ और मुख्य मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री, उ0 प्र0 को शिकायती पत्र भेजे थे? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गोरखपुर में नजूल भूमि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जांच व कार्यवाही

169–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में नजूल भूमि के खुले दुरुपयोग के विषय में माह अक्तूबर व नवम्बर, 80 में कितनी शिकायतें नगरपालिका प्रभारी अधिकारी व शासन को प्राप्त हुई हैं? क्या इन शिकायतों में नजूल अधिकारी श्री अजीम खां के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो अब तक इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

माह अक्टूबर व नवम्बर, 1980 में नगर पालिका प्रभारी अधिकारी अथवा शासन को जिला गोरखपुर में नजूल भूमि के खुले दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उ0 प्र0 जल निगम में कनिष्ठ सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची को नजर अन्दाज करते हुए पदोन्नति

170—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में अप्रैल, 1979 में सिविल कैडर में कनिष्ठ सहायक अभियन्ताओं (श्री महताब चन्द जैन, श्री जी0 अली व एल0 एस0 हंस) की पदोन्नति कुछ वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता को नजरन्दाज करते हुए की गयी है? यदि हां, तो किन-किन वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति रोकी गयी है व पदोन्नति रोकने का कारण क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां, सर्वश्री एम0 एल0 शर्मा, आर0 एन0 सेन, डी0 के गुप्ता, आर0 सी0 गुप्ता तथा एम0 पी0 त्रिपाठी, जो सर्वश्री महताब चन्द्र जैन, जी0 अली व एल0 एस0 हंस से वरिष्ठ थे, की पदोन्नति नहीं की गई। इनका चयन समिति द्वारा चयन नहीं किया गया।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध जांच

171—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 80 के 2रे गुरु0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 28 के उत्तर के संदर्भ में नगर विकास मंत्री द्वारा उस समय यह लिखित उत्तर दिया गया था कि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध लगाए गये आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गये हैं, तो जांच रिपोर्ट क्या है व सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? और नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई। जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका इटावा द्वारा नगर सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जे हटाये जाने की कार्यवाही

172—श्री धनीराम वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका इटावा, जनपद इटावा द्वारा नगर सम्पत्ति (रास्ता आदि) पर अनधिकृत कब्जों पर सन् 1977 से 1980 तक कुल कितने मुकदमे कायम करवाये गये? क्या यह सत्य है कि उक्त मुकदमों में से कुछ मुकदमें ऐसे भी हैं जिनके निर्णय में स्पष्ट कहा गया है कि अनाधिकार कब्जा तुरन्त हटाया जावे? अनाधिकार कब्जा हटाये जाने की जिम्मेदारी किसकी है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका इटावा द्वारा नगर सम्पत्ति (रास्ता आदि) पर अनाधिकृत कब्जों पर सन् 1977 से सन् 1980 तक कुल 514 मुकदमें कायम करवाये गये। नगर पालिका इटावा के अभिलेखों के अनुसार उक्त मुकदमों में से ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसके निर्णय में स्पष्ट कहा गया हो कि अनाधिकार कब्जा तुरन्त हटवाया जाये।

अस्तु कब्जा न हटाए जाने की जिम्मेदारी निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

भूमि विकास बैंकों के चुनाव

173 श्री बलवीर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि विकास बैंकों के चुनाव दो बार स्थगित किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

प्रथम बार उक्त बैंक की निर्वाचन तिथियां प्रदेश में जनगणना कार्य तेजी से चल रहे होने के कारण स्थगित कर दी गईं, दूसरी बार अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाने की आशंका से निर्वाचन का कार्यक्रम आगे के लिए बढ़ा दिया गया पर नये सिरे से नई मतदाता सूची के प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से कई स्थगनादेश प्राप्त होने के फलस्वरूप निर्वाचन निरस्त कर दिये गये।

साधन सहकारी समितियों के सचिवों का वेतनमान तथा सेवा नियमावली

174–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि साधन सहकारी समितियों के सचिवों के लिए अभी तक न कोई मान्य वेतनमान है और न इनके लिए कोई सेवा नियमावली ही है? क्या सरकार इन्हें भी समकक्ष कर्मचारियों का वेतनमान व अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी?

श्री बच्चा पाठक–

साधन सहकारी समितियों के सचिवों का वेतनमान रु0 230–6–290–द0रो0–8–330द0रो0–10–380 है और उनकी सेवा नियमावली भी निर्मित है। साधन सहकारी समितियों के आर्थिक रूप से सक्षम एवं विकसित हो जाने पर ही सचिवों को समकक्ष कर्मचारियों की भांति वेतनमान व अन्य सुविधाएं दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

175–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुधौली, जनपद बस्ती के संबंध में शिकायती पत्र तथा भ्रष्टाचार का आरोप

176–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या मतीबुल्लाह, ग्राम सोनौरा, पो0 डिड़ई, जिला बस्ती का कोई शिकायती पत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुधौली, जनपद बस्ती के बारे में दिनांक 17-11-80 को रजिस्ट्री डाक द्वारा संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि मुख्य शिकायतें क्या हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति–

जी हां, इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

177–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या श्री राम आसरे मिश्र, ग्रा0 करना, पो0 डिड़ई, जनपद बस्ती का कोई शिकायती-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को दिनांक 18-11-80 रजिस्ट्री डाक द्वारा बाबत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुधौली में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां।

शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिड़ई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, डा0 ओ0 पी0 पाठक स्थानीय राजपूत मेडिकल स्टोर पर मरीज

देखते हैं तथा उनसे फीस प्राप्त करते हैं। शिकायतों के सम्बन्ध में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती द्वारा जांच कराई गयी थी। जांचोपरान्त लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं।

विकास खण्ड सांथा, जनपद बस्ती में सीमेन्ट वितरण में अनियमिततायें

178–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि 1 जनवरी, 81 से 31 मार्च, 81 तक विकास खण्ड सांथा, जनपद बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के बारे में प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए थे? और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे? क्या माननीय मंत्री जी सम्पूर्ण सूची (मय नाम, पता तथा दी गयी सीमेन्ट की मात्रा एवं परमिट नं0 मय तारीख) सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

दशम शाखा जल निगम, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता व ठेकेदार के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट की जांच

179–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दशम शाखा जल निगम, गोरखपुर में माह सितम्बर, 81 में वहां के अधिशासी अभियन्ता व किसी ठेकेदार के विरुद्ध वहीं के किसी सहायक अभियन्ता ने कैन्ट थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी है? यदि हां, तो उपरोक्त रिपोर्ट में क्या बात लिखी गयी है व दोषी ठेकेदार व अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

दिनांक 18-9-1981 को दशम शाखा गोरखपुर के सहायक अभियन्ता, श्री पृथ्वेश कुमार ने कैन्ट थाने गोरखपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने दिनांक 17-9-81 को मार्गदर्शन कार्यालय कक्ष में श्री गोविन्द चरण तथा श्री नरेन्द्र पति त्रिपाठी, ठेकेदार के विरुद्ध अभद्रता व मार-पीट का प्रयास एवं धमकी देने का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी तथा उसमें तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव तथा अवर अभियन्ता श्री द्विजलेश्वरी प्रसाद का भी हाथ होने की संभावना व्यक्त की थी। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही कोई कार्यवाही करना सम्भव होगा।

जिला देवरिया की मथौली ग्राम समूह पेयजल योजना में बल्लियों का क्रय तथा भुगतान

180–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

दशम शाखा जल निगम, गोरखपुर के अन्तर्गत जिला देवरिया के मथौली ग्राम समूह जल प्रदाय योजना के लिए लाखों रुपये की बल्ली किन जरूरतों की वजह से खरीदी गयी व 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान क्यों किया गया व संबंधित ठेकेदार ने पैसा लेकर पूरी बल्लियां भी सप्लाई नहीं कीं? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जिला देवरिया की मथौली ग्राम समूह पेयजल योजना के लिए कुल 100 बल्लियों का क्रय 59/- रु0 प्रति बल्ली की दर से किया गया था। यह बल्लियां योजना के

निर्माण कार्य के लिए खरीदी गयी थीं। कार्य स्थल पर बल्लियों के प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही ठेकेदार को 5900/- रु0 का कुल भुगतान किया गया।

जनपद गोरखपुर में नालों की सफाई पर व्यय

181–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

दशम शाखा जल निगम, गोरखपुर द्वारा वर्ष 81 में किन-किन नालों की सफाई गोरखपुर नगर में करायी गयी है व नालों की सफाई के नाम पर अब तक कुल कितनी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है या किया जाना प्रस्तावित है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

वर्ष 1981 में गोरखपुर नगर के धर्मशाला बाजार से डामिनगढ़ नाले तथा शाहपुर नाले की सफाई कराई गई है। इन नालों की सफाई पर कुल 69,523/- रु0 का व्यय किया गया है। इस सफाई के सम्बन्ध में अब कोई भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय, लखनऊ पर अध्यक्ष, जल निगम के आवास हेतु बनाये गये मकान की लागत तथा अधिकारियों द्वारा किराये की अदायगी

182–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय, लखनऊ पर अध्यक्ष, जल निगम के आवास हेतु जो मकान बनाया गया है उसकी लागत मूल्य क्या है तथा उसका स्टैण्डर्ड रेन्ट क्या है? उसके निर्माण काल से लेकर अब तक कौन-कौन से अध्यक्ष या अन्य अधिकारी उसमें रहे हैं तथा उसका कुल कितना किराया जल निगम को दिया गया है और नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय, लखनऊ पर अध्यक्ष, जल निगम के आवास हेतु बनाये गये मकान का लागत मूल्य रु0 1,20,000 तथा उसका स्टैन्डर्ड रेन्ट रु0 600/- प्रति माह है। अध्यक्ष द्वारा उसका अपने निवास के रूप में प्रयोग किये जाने के कारण इसका उपयोग अधिकारियों के लिए निरीक्षण भवन के रूप में किया गया है। इसमें तीन कक्ष हैं। इनमें से कक्ष सं0–1, जो अधिक बड़ा है का शुल्क 5 रु0 प्रतिदिन तथा शेष दोनों कक्षों का शुल्क रु0 2/- प्रति कक्ष प्रतिदिन है। यह आवास नवम्बर, 1977 के अन्त में तैयार हुआ था। इसमें जो अधिकारी लखनऊ दौरे पर आते थे ठहरते रहे व उपयोग किये गये कक्ष के अनुसार शुल्क का भुगतान करते रहे। दिनांक 16-5-78 से दिनांक 31-10-81 तक श्री भगवती प्रसाद वर्मा, लखनऊ में महाप्रबन्धक व प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत रहते हुए इन तीनों कक्षों में रहे व रु0 9/- प्रति दिन की दर से शुल्क देते रहे। श्री वर्मा ने उक्त अवधि का कुल रु0 11,385/- शुल्क के रूप में भुगतान किया।

रिंग मशीन पर सामानों की आपूर्ति पर व्यय

183–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के 1ले गुरुवार के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रशासन रिंग मशीन पर 29,000 रु0 का व्यय किन-किन सामानों की आपूर्ति पर किया गया है व किस दर से? आपूर्ति या मरम्मत किनसे व कब-कब कराई गई? 53,000 रु0 का प्रस्तावित व्यय किन-किन सामानों की आपूर्ति हेतु किया जाना है? प्रशासन रिंग मशीन से जो सात नमक्कूप वर्ष 79, वर्ष 80 व 81 में बनाये गये हैं, वे कहां-कहां बने हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रथम निर्माण शाखा जल निगम, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता श्री एच0 के0 लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र तथा स्थानान्तरण

184-श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम निर्माण शाखा जल निगम, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता श्री एच0 के0 लाल के भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 31-7-81 व श्री भगवान दीन सी0-370, महानगर, लखनऊ का कोई पत्र उन के कार्यालय में क्रमशः दिनांक 31-7-81 व 22-8-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पूरी जांच रिपोर्ट क्या है व किन-किन कारणों से प्रथम निर्माण शाखा, जल निगम लखनऊ से स्थानान्तरित व कार्यमुक्त करने के उपरान्त पुनः प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा उसी शाखा में जुलाई, 79 में नियुक्त कर दिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 31-7-81 पर जांच कराई गयी जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गईं ।

2--श्री भगवान दीन, सी-370 महानगर, लखनऊ के शिकायती पत्र दिनांक 22-8-81 पर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई परन्तु शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 1981 द्वारा जांच अधिकारी को सूचित किया कि वे अपनी शिकायती पत्र दिनांक 22-8-81 को वापस लेते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त शिकायती पत्र पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जांच कार्यवाही तो रोक दी गयी। परन्तु उसी शिकायती पत्र दिनांक 22-8-81 को वापस लेते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त शिकायती पत्र पर आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। श्री एच0 के0 लाल की टांग में फ्रैक्चर तथा प्लास्टर चढ़े होने के कारण वे फील्ड ड्यूटी करने में असमर्थ थे। अतएव उनको प्रथम निर्माण शाखा से प्रथम मर्द अनुसंधान शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया। बाद में फील्ड ड्यूटी के योग्य होने पर दिनांक 9-7-1981 को उन्हें पुनः प्रथम निर्माण शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया ।

रानीखेत को नगरपालिका बनाने पर विचार

185-श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या व आवश्यकता को देखते हुए रानीखेत को नगरपालिका बनाने के लिए सोच रही रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं । रानीखेत में कैन्टोनमेन्ट बोर्ड है और यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट की धारा 3(2) में यह प्राविधान है कि प्रदेश सरकार किसी क्षेत्र को जो कैन्टोनमेन्ट हो अथवा उसका भाग हो, नगरपालिका घोषित नहीं कर सकती।

जिला आजमगढ़ में स्वतंत्रता सेनानियों हेतु चिकित्सा सुविधा तथा चिकित्सीय भत्ता देने पर विचार

186-187--श्री राजकुमार राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चिकित्सा सुविधा हेतु कितनी धनराशि की दवा जिला चिकित्सालय में इस वर्ष 1981-82 के लिए आवंटित की है ? और गत वर्ष 1979-80 में कितनी धनराशि इस मद में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी?

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को दवा मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और दवायें मिलती भी नहीं हैं? इस कारण यह वर्तमान

व्यवस्था समाप्त करके बिहार सरकार की तरह उ0 प्र0 सरकार भी सेनानियों को चिकित्सा भत्ता देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कतिपय कालोनियों में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्ति तथा बकाया किराया

188-189–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की पेपर मिल, एशबाग, पाण्डे का तालाब तथा राजेन्द्र नगर कालोनियों में कितने व्यक्ति सितम्बर, 81 तक अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं तथा उनको निकालने के लिये महापालिका द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनियों में ऐसे किरायेदार भी हैं जिन पर किराया बाकी है ? यदि हां, क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा लखनऊ नगर महापालिका के भवनों के विस्तारण पर विचार

190–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा लखनऊ नगर महापालिका के भवनों को बेचने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो वे मकान कहां-कहां हैं तथा बिक्री कब तक की जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

भवनों के निस्तारण पर विचार किया जा रहा है। उक्त निर्णय के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जा सकेगा ।

लखनऊ नगर महापालिका में आडिट की आपत्तियों का निस्तारण

191–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका में आडिट आपत्तियों के मामले वर्ष 1979 से अब तक हजारों की संख्या में हैं जिनके निस्तारण के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन निदेशालय द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां। एक उप नगर अधिकारी की देखरेख में संबंधित आडिट आपत्तियों की तेजी से निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है ।

नगरपालिका लखनऊ में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं अपव्यय के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

192–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ में दवा और धोती की खरीद तथा नालों की सफाई में हुए लाखों रुपये के गोलमाल की जांच की रिपोर्ट स्वायत्त शासन निदेशालय द्वारा नियुक्ति समिति ने जून, 1981 में नगर विकास सचिव को दी ? क्या यह भी सही है कि उक्त रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, हेराफेरी और अपव्यय की पुष्टि भी की गयी है ? यदि हां, तो समिति ने कौन-कौन सिफारिशें की हैं ? तथा कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गए हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं अपव्यय के आरोप के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति थी। समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण होने पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं।

नजूल कार्यों की समीक्षा हेतु गठित उप समिति तथा सुधार हेतु संस्तुतियां

193—श्री राम आसरे वर्मा—

दिनांक 17-9-81 के अता0 प्र0 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित उप समिति में कौन-कौन से सदस्य थे तथा नजूल विभाग में सुधार हेतु कौन-कौन संस्तुतियां की तथा सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नजूल कार्यों की समीक्षा के लिये गठित उप समिति के सदस्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम थे। उक्त समिति ने नजूल कार्य में सुधार लाने के लिये नजूल भूमि का सर्वे कराने, नजूल भूमि के अतिक्रमणों को बलपूर्वक हटाने के अधिकार प्रदान करने, नजूल रिकार्ड ठीक कराने, अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करने तथा नवीउल्ला रोड स्थित नजूल भूमि पर योजना बनाने की संस्तुतियां की थी।

लखनऊ नगर में नजूल की भूमि

194—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 संख्या 8 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो 418.52 हेक्टर नजूल भूमि लखनऊ नगर में बाकी पड़ी है वह किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

195—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर महापालिका लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा जल संस्थान में अधिकारियों का स्थानान्तरण

196—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बतलायेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा जल संस्थान के कौन-कौन अधिकारी ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण वर्ष 1981 में किया गया तथा कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनका स्थानान्तरण रोका गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 592-593 पर।)

विकास प्राधिकरण के अधिकारियों तथा सचिव का घेराव

197—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा में दिनांक 17-9-81 का उल्लिखित अता0 प्र0 सं0 70 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उसी दिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का घेराव किया गया तथा घन्टों विकास प्राधिकरण के सचिव को उनके कमरा में बन्द रखा गया? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग में गोलमाल की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

198—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग में लाखों रुपये के गोल माल की जांच वर्ष 1981 में उच्च अधिकारियों द्वारा अथवा सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो वे कौन-कौन से मामले हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग में लाखों रुपये के गोलमाल की जांच नहीं चल रही है। एक शिकायती पत्र के आधार पर नजूल के कतिपय मामलों में गोपनीय जांच चल रही है।

जाजमऊ एवं साधन व रूनकता पेयजल योजनाओं हेतु विद्युत उपलब्धि की समुचित व्यवस्था

199—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद की तहसील किरावली की पेयजल ग्राम समूह योजनाएं (ग्राम जाजमऊ साधन व रूनकता) इंजिन द्वारा पानी खींचने के कारण क्षेत्रीय जनता को पूरी तादाद में पानी नहीं दे पा रही है? यदि हां, तो उक्त पेयजल योजनाओं के लिए समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जाजमऊ एवं साधन ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु कार्यस्थल पर विद्युत उपलब्ध न होने के कारण इन योजनाओं को डीजल जेनरेटरों द्वारा चलाया जा रहा है। जाजमऊ में निजी कनेक्शनों की संख्या 105 व साधन में निजी कनेक्शनों की संख्या 84 है। उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार जेनरेटरों को 2 से 3 घण्टे प्रतिदिन चलाकर पानी आपूर्ति की जाती है और आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाता है।

रूनकता पेयजल योजना में नलकूप पर पम्पिंग प्लान्ट को दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में बिजली मिल पाई है। शीर्षस्थ जलाशय का टेस्टिंग करने के बाद लाइनों की टेस्टिंग की जायेगी। इस योजना में अभी कोई निजी कनेक्शन नहीं है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय मोहल्लों के खाली भूमि में बसने वालों को सुविधा हेतु जोनल प्लान की स्वीकृति

200—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के मुहल्ला बिलंदपुर रसूलपुर, दाउदपुर, बतियाहाता, कालेपुर एवं पड़वागंज तथा पैडलगंज के खाली भूमि में बसने वालों की सुविधा हेतु कोई जोनल प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी अंतिम स्वीकृति दे दी गई है? यदि हां, तो इन मुहल्लों में जन सुविधा की सम्पूर्ण व्यवस्था कर दी गई?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। जनपद गोरखपुर के मुहल्ला बिलन्दपुर, दाउदपुर, कालेपुर तथा रूस्तमपुर के आंशिक भाग के लिए जोनल प्लान तैयार कर लिया गया है किन्तु अंतिम स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

चीनी के वितरण के विरुद्ध दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

201—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में वर्ष 81 माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च में क्या सभी सहकारिता विभाग की दुकानों ने चीनी का कोटा उठाया था? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण था और जिस क्षेत्र में इन तीन महीनों में चीनी का वितरण नहीं हो सका वहां संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार संबंधित दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं।

चीनी के निजी कोटेदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण ऐसे क्षेत्रों में यथा संभव सरकारी कर्मचारी द्वारा चीनी वितरित कराई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा बड़रौत (मेरठ) में श्री चरनदास की दूकान में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा देने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 25 मिनट मध्याह्न]

श्री नरेन्द्र सिंह–

मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को सदन के सम्मुख उठाना चाहता हूं:–

मान्यवर, दिनांक 22-12-81 को कस्बा बड़ौत जनपद मेरठ में रात्रि के लगभग 9.30 बजे श्री चरनदास की दूकान में कुछ अपराधी तत्वों ने पेट्रोल फेंका और आग लगायी। दूकान में आग लगा दी। दूकान में आग लग जाने से श्री चरनदास दूकानदार, श्री सुभाष पुत्र राजे, श्यामलाल पुत्र राम स्वरूप निवासी बड़ौत तीन व्यक्तियों की जलकर मृत्यु हो गयी है। एक अन्य युवक दर्शन पुत्र राजकुमार निवासी निरोजपुर, थाना बागपत के हाथ तथा चेहरा आग से जल गये हैं। तीनों युवक युवा थे और अपने-अपने परिवारों के एक मात्र रोजी कमाने वाले थे। मृतक चरनदास की दूकान में उसका लगभग 5 हजार रुपये का सामान भी जलकर राख हो गया है।

मान्यवर, उक्त भयावह दुर्घटना से कस्बे के हजारों लोग भय से ग्रस्त हैं और आतंक का वातावरण बना हुआ है। सभी अपराधियों को पकड़ पाने में पुलिस असमर्थ रही है। कस्बे के युवकों ने जन संघर्ष समिति का गठन किया है और क्रमिक भूख हड़ताल दिनांक 6 जनवरी, 82 से अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा मृतकों को मुआवजा दिये जाने की मांगों को लेकर चल रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि मृतकों के परिवारों को कम से कम 10-1॥ हजार रुपया मुआवजा दिलाया जाय और सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके दंड दिलाया जाय।

लखनऊ में आये बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल के छात्र श्री दीपक की हत्या तथा श्री संजय कुमार सिंह के लापता होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

मान्यवर, बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल के छात्र सर्दियों में पढ़ाई हेतु लखनऊ आते हैं तथा गोमती नदी के किनारे स्थित बिड़ला छात्रावास में ठहरते हैं, इस छात्रावास से दीपक नाम का छात्र 26 दिसम्बर, 1981 को लापता हुआ था और बाद में उसका शव 2 जनवरी, 1982 को गोमती में मिला था। उसी छात्रावास का एक अन्य छात्र संजय कुमार सिंह भी 17 जनवरी, 1982 को रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया है और अभी तक उसका पता नहीं लग पाया है। जिससे अभिभावकों एवं आम जनता में भय, क्षोभ एवं निराशा व्याप्त हो गयी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं पुलिस के व्यवहार एवं उदासीनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इतने दिन बीतने पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतएव हम अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मा0 गृहमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि इस गंभीर मामले में सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराई जाय तथा लापता छात्र संजय कुमार सिंह का शीघ्र पता लगाया जाय।

गोण्डा जनपद की तुलसीपुर शुगर फैक्ट्री के गेट पर भाषण कर रहे विधायक श्री अकबाल हुसैन तथा गन्ना किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गोंडा जनपद के तुलसीपुर सुगर फैक्टरी के गेट पर दिनांक 10 जनवरी, 1982 को मा0 विधान सभा के सदस्य श्री अकबाल हुसैन साहब किसानों की सभा को संबोधित कर रहे थे। तथा किसानों से गन्ने के मूल्य अधिक न पाने तक मिल में गन्ना न सप्लाई करने का आग्रह कर रहे थे कि मिल मालिक के साजिश से स्थानीय तुलसीपुर थाना की पुलिस तथा कुछ गुण्डों ने बड़े पैमाने पर किसानों व विधायक पर हमला कर दिया। उस हमले में विधायक श्री अकबाल हुसैन बुरी तरह घायल हुए। सैकड़ों किसानों को भी चोटें आयीं। किसानों की व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारी भी की गयी है। स्थानीय पुलिस घूम-घूम कर उस क्षेत्र के गांवों में लोगों को प्रताड़ित व परेशान कर रही है। क्षेत्रीय विधायक पर प्राण घातक हमला होने के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य जिला जेल गोंडा में उत्तरोतर गिर रहा है। विभिन्न प्रकार के फर्जी मुकदमें स्थानीय पुलिस मिल मालिकों की साजिश से क्षेत्रीय किसानों पर दर्ज करके सीधे-सीधे किसानों को उसमें फंसाने का प्रयास कर रही है जिससे पूरे क्षेत्र में लोगों में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त घटना की न्यायिक जांच कराकर जिला जेल गोंडा में बन्द स्थानीय विधायक एवं क्षेत्रीय किसानों को तत्काल रिहा कर फर्जी मुकदमें वापस लेने की कार्यवाही करके मिल मालिकों एवं दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

हल्द्वानी एवं रामनगर, जनपद नैनीताल के तराई के जंगलों में नरभक्षी शेर के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान हल्द्वानी एवं रामनगर, जनपद नैनीताल के तराई के जंगलों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर लगभग 2 माह के भीतर 16 व्यक्तियों की जानें नरभक्षी शेर ने ले ली है। शेर के भय से हल्द्वानी डिवीजन एवं रामनगर क्षेत्र में शेर के आतंक से जनता भयभीत है। जनता की ओर से बार-बार लिखे जाने पर भी शासन की ओर से नरभक्षी शेर को मारने अथवा पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

ठेकेदारों द्वारा हल्द्वानी डिवीजन के कलौनिया क्षेत्र में काम बंद कर दिया है। ठेकेदार एवं मजदूर शेर के भय से भाग गये हैं। पशु विहार के नजदीक जो गांव हैं वहां की जनता भी भयभीत है। शासन से मेरा अनुरोध है कि जिन व्यक्तियों को नरभक्षी शेर द्वारा मारा गया है उनके परिवार वालों को शासन की ओर से जीवन यापन हेतु सहायता प्रदान की जाय, साथ ही उक्त नरभक्षी शेर को मारने एवं पकड़ने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय जिससे जनता का भय दूर हो सके और वे नियमित रूप से अपने कारोबार को कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट]

जहां तक मुझे सूचना है कुछ अन्य व्यक्ति जो नेपाली आदि हैं व जिनका ठीक से पता नहीं है भी नरभक्षी के शिकार हुये हैं। अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को प्राथमिकता देकर उचित कार्यवाही कराने की कृपा करें।

पी0एम0बी0 पालीटेक्निक विद्यालय प्रेमनगर, मथुरा के छात्र श्री नारायण सिंह को बिड़ला मंदिर पुलिस चौकी के इंचार्ज उप निरीक्षक श्री दाहिमा द्वारा गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मथुरा जनपद की हाल ही में घटित घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दिनांक 6 जनवरी, 1982 को पी0एम0बी0 पालीटेक्निक विद्यालय प्रेमनगर मथुरा के छात्र श्री नारायण सिंह को बिड़ला मंदिर पुलिस चौकी मथुरा के इंचार्ज उप निरीक्षक श्री दाहिमा ने साड़ी छपाई कारखाने के मालिकों से मिलकर गोली से मार दिया । प्रथम सूचना रपट में एस0आई0 श्री दाहिमा नामजद अभियुक्त हैं लेकिन अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार न करने के कारण छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त है । अतः मथुरा, वृंदावन की सभी शिक्षण संस्थायें जिला अधिकारी, मथुरा ने बंद कर दी हैं । छात्रों, अध्यापकों व अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है। अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने के कारण तथा रोष व्याप्त होने के कारण शान्ति व्यवस्था भंग हो जाने का अंदेशा है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि दोषी उप निरीक्षक को शीघ्र गिरफ्तार कराया जाय ।

श्री गौरी शंकर शैया--

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत देवरिया, बलिया तथा हरदोई जनपद में शुगर मिलों पर करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना अस्वीकृत हो गयी है। अगर यह महत्वपूर्ण मामला है तो आप लिख कर फिर दे दीजिएगा।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं

[12 बजकर 33 मिनट से]

श्री अध्यक्ष--

अब मैं गिरफ्तारी की सूचनाएं ले रहा हूं ।

जिला मैजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 20 जनवरी, 1982 जो इस सचिवालय में 21 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री मित्र सेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद), जो दिनांक 19 जनवरी, 1982 को गिरफ्तार किये गये थे, उसी दिन न्यायालय द्वारा रिहा कर दिये गये ।

जिला मैजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 20 जनवरी, 1982, जो उसी दिन इस सचिवालय ने प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री गोपी नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद) दिनांक 20 जनवरी, 1982 को न्यायालय द्वारा रिहा कर दिये गये ।

उक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना सदन में दिनांक 20 जनवरी, 1982 के उपवेशन में दी जा चुकी है ।

नगर मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने वायरलेस संदेश दिनांक 20 जनवरी, 1982 जो इस सचिवालय को 21 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री सत्यपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर), दिनांक 20 जनवरी, 1982 को जिला कारागार शाहजहांपुर से रिहा कर दिये गये।

उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी तथा उन्हें कारावासित किये जाने की सूचना सदन में दिनांक 20 जनवरी, 1982 के उपवेशन में दी जा चुकी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति, 1981-82 का प्रथम प्रतिवेदन*

श्री यादवेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति, 1981-82 का प्रथम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा सदस्य श्री खैरुल बशर के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 36 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

पिछले वर्ष विशेषाधिकार की अवहेलना से संबंधित जितनी सूचनाएं माननीय सदस्यों ने दी थी, उनके संबंध में मैंने जो निर्णय लिये हैं, उनको आपके सामने पढ़ रहा हूं।

श्री विजय कुमार त्रिपाठी ने दिनांक 1 अप्रैल, 1981 को श्री खैरुल बशर, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन की अवमानना की एक सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि दिनांक 26 फरवरी, 1981 को सदन में स्वर्गीय श्री छेदा सिंह चौहान, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा की हत्या के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर जिसे मा0 नियोजन मंत्री श्री ब्रह्मदत्त पढ़ रहे थे, अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में श्री खैरुल बशर, ने सदन में यह कहा था, "मान्यवर इस तरह की लीपा-पोती नहीं होनी चाहिए, कातिल यहां पर बैठा हुआ है।" माननीय श्री त्रिपाठी का कहना था कि चूंकि उनका नाम इस संबंध में लिया जा रहा था अतः श्री खैरुल बशर का कथन सीधे उन पर आरोप था तथा उनको बदनाम करने व उनकी चरित्र हत्या करने की नियत से लगाया गया था।

इस संबंध में मैंने सदन की संबंधित कार्यवाही को देखा। भूतपूर्व विधायक श्री छेदा सिंह चौहान की हत्या के विषय में मुख्य मंत्री की ओर से माननीय वित्त मंत्री श्री ब्रह्मदत्त द्वारा सदन में जो वक्तव्य दिया गया था। उसमें श्री विजय कुमार त्रिपाठी के नाम का उल्लेख नहीं था किन्तु श्री मोहन सिंह के आग्रह पर जो एफ0 आई0 आर0 माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में पढ़कर सुनाई गयी थी उसमें प्रार्थी श्री राम गोपाल सिंह (मृतक के पुत्र) द्वारा यह उल्लेख था कि उक्त हत्या राजा विजय कुमार त्रिपाठी व उनके भाई श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेई की साजिश से हुई है। अनुपूरक प्रश्नों द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगी गयी कि जो नाम एफ0 आई0 आर0 में आये हुए हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही अथवा गिरफ्तारी या पूछताछ क्यों नहीं की गयी। कुछ सदस्यों ने इस संबंध में माननीय श्री विजय कुमार त्रिपाठी का नाम लेते हुए यह जानकारी मांगी। माननीय वित्त मंत्री ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अन्त में यह कहा कि सारे मामले को अपराध अनुसंधान शाखा को दिया गया है और जो भी जरूरी कार्यवाही होगी, वह सरकार करेगी। इन अनुपूरक प्रश्नों और उत्तरों के दौरान ही माननीय श्री खैरुल बशर ने उक्त शब्द कहे, जिनके ऊपर माननीय सदस्य श्री त्रिपाठी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है।

माननीय सदस्य, श्री त्रिपाठी के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में मैंने शासन से भी वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी और दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के पत्र में तत्कालीन गृह मंत्री ने मुझे यह सूचित किया है कि अपराध शाखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रथम सूचना पत्र (एफ0 आई0 आर0) में किसी अभियुक्त का नामांकन नहीं है, केवल राजा विजय कुमार त्रिपाठी व उनके भाई श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेई की साजिश से यह हत्या किये जाने का विश्वास वादी (मृतक का पुत्र श्री राम गोपाल सिंह) ने अंकित किया है और उसके अतिरिक्त अपराध शाखा का एक विवेचक दल लगातार इस हत्या के रहस्य के अनावरण के लिए विवेचना में लगा हुआ है।

---

*छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

जैसा कि उक्त दिनांक 26-2-1981 की कार्यवाही से स्पष्ट है, जिस वक्त मा0 श्री खैरुल बशर ने उक्त शब्द कहे थे, जिन पर आपत्ति करते हुए माननीय त्रिपाठी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है, मैंने तत्काल माननीय श्री खैरुल बशर को टोकते हुए यह व्यवस्था दी थी कि "निश्चित रूप से ऐसे अपराधों की सही रूप में जांच होनी चाहिए, लेकिन केवल इस तरह से उत्तेजना में कह देना कि कातिल यहीं बैठा है, ऐसे शब्द यहां शोभा नहीं देते, नहीं कहना चाहिए।" मेरी उक्त व्यवस्था के बाद उपर्युक्त शब्दों को विशेषाधिकार भंग या अवमान की परिधि में लिया जाना भी उचित नहीं है। अतएव, समस्त परिस्थितियों तथा शासन से प्राप्त स्पष्टीकरण को देखते हुए मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

जिला अधिकारी, आजमगढ़ श्री आर0 चन्द्रा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 40 मिनट से]

श्री अध्यक्ष–

श्री शम्भू नाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ श्री आर0 चन्द्रा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि दिनांक 8 मार्च, 1981 को सायंकाल लगभग 5 बजे जब वह जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निवास स्थान पर अपने क्षेत्र से सम्बंधित कतिपय कठिनाइयों को लेकर उनसे मिलने गये थे और जब उन्होंने जिलाधिकारी से अपने क्षेत्र के राशन के कोटेदारों के बारे में शिकायत की तो वह बात जिलाधिकारी श्री आर0 चन्द्रा को बुरी लगी और श्री आर0 चन्द्रा ने उनसे कहा कि–

"आपने विधान सभा के पिछले सत्र में 3-10-80 को एक सूचना विधान सभा में पढ़ी थी जो मेरे पास आई थी, उसमें तो आपने पागलपन की बात लिखी थी। आप लोगों का यही काम रह गया है कि विधान सभा का दुरुपयोग करें और अनाप सनाप बातें करें, जिससे हमारी परेशानी खड़ी हो जाती है और पुनः आपने ऊल जलूल शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को समय-समय पर लिखा है जो मेरे पास आया है। विधान सभा की सूचना और आपका पत्र देखकर मुझे लगता है कि विधान सभा पागलों का झुण्ड है।"

इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री से जांच कराकर वस्तुस्थिति की जानकारी देने का अनुरोध किया था। माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त मामले की जांच आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा करवायी और जांच आख्या तथा जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण अपने दिनांक 16 अप्रैल, 1981 के पत्र के साथ मुझे प्रेषित किया। जांच आख्या के अनुसार जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने दिनांक 5 मार्च, 1981 को सरकारी कार्य से लखनऊ जाने और वहां से आकस्मिक अवकाश पर दिल्ली जाने के लिए उक्त आयुक्त की मौखिक अनुमति 3-3-81 को ली थी। जिलाधिकारी श्री आर0 चन्द्रा के स्पष्टीकरण के अनुसार दिल्ली से वापस आते हुए वह दिनांक 8 मार्च, 1981 को पूर्वाह्न लगभग 9.30 बजे लखनऊ पहुंचे तथा वहां विभिन्न कार्य सम्पादित करने के पश्चात् लगभग 3 बजे अपराह्न आजमगढ़ के लिए रवाना हुए और रात्रि में लगभग 9.30 बजे आजमगढ़ पहुंचे। उक्त जिलाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया कि दिनांक 8 मार्च, 1981 को उनकी नियुक्ति सचिव तथा दो अन्य अधिकारियों से लखनऊ में टेलीफोन पर बात हुयी थी। जिलाधिकारी श्री आर0 चन्द्रा के इन कथनों के संबंध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री से सुसंगत अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया। उसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने 11/12-9-81 के पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि तत्कालीन नियुक्ति सचिव श्री माता प्रसाद ने श्री चन्द्रा के कथन को (अर्थात् इस तथ्य को कि श्री चन्द्रा ने उनसे 8-3-81 को दिन

में लगभग 1 बजे टेलीफोन पर बात की थी) पुष्टि की है, तथा अन्य दोनों अधिकारियों ने कहा है कि श्री आर0 चन्द्रा ने उनसे टेलीफोन पर बात तो अवश्य की थी परन्तु लम्बी अवधि के व्यतीत होने के कारण सही तिथि एवं समय की पुष्टि में वे असमर्थ हैं। मुख्य मंत्री के पत्र में इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है कि "आयुक्त ने अपनी आख्या में बताया है कि आजमगढ़ के अतिरिक्त जिलाधिकारी तथा कुछ अन्य-कर्मचारियों से बातचीत के दौरान उन्हें यह आभास हुआ है कि दिनांक 8 मार्च, 1981 को जिलाधिकारी रात को काफी देर से आजमगढ़ पहुंचे।"

इस प्रकार मा0 मुख्य मंत्री के माध्यम से जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उन पर प्रश्नगत शिकायत के प्रसंग में विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि असंदिग्ध एवं स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि तत्कालीन जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निवास स्थान पर 8 मार्च, 1981 को सायंकाल लगभग 5 बजे मा0 श्री शम्भू नाथ सिंह की कोई बातचीत उक्त अधिकारी से हुई थी जिसके दौरान विशेष रूप से श्री शम्भू नाथ सिंह के सदन के सदस्य के रूप में किये जाने वाले कृत्य और सामान्य रूप से विधान सभा के सदस्यों के कृत्यों के सम्बन्ध में आपत्तिजनक बातें कही गयीं। इसी प्रकार के एक विशेषाधिकार के प्रश्न में उत्तर प्रदेश की षष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति में अपने एक प्रतिवेदन में, जो 1 नवम्बर, 1976 को प्रस्तुत किया गया था और जिसे सदन ने 3 नवम्बर, 1976 को स्वीकार किया था, यह सिफारिश की थी कि मामले के संदिग्ध और अस्पष्ट होने के कारण उसे समाप्त किया जाय। इस सदन की वर्तमान विशेषाधिकार समिति ने भी अपने द्वितीय प्रतिवेदन में, जो 21 सितम्बर, 1981 को प्रस्तुत किया गया है, इसी आशय की संस्तुति माननीय श्री बदन सिंह द्वारा अभिसूचित प्रश्न के सम्बन्ध में की है। अतः वर्णित परिस्थिति और इन दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में श्री शम्भूनाथ सिंह द्वारा अभिसूचित उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

परगनाधिकारी, देवरिया, श्री विमल किशोर गुप्त के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 42 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

श्री कुबेर भण्डारी, सदस्य, विधान सभा ने परगनाधिकारी, देवरिया, श्री विमल किशोर गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी है। इसमें उनका कहना है कि दिनांक 7-6-81 को वे उक्त अधिकारी के निवास स्थान पर कुछ सार्वजनिक समस्याओं के विषय में बात करने गये थे। परगनाधिकारी उस समय अपने निवास के अन्दर थे। श्री भण्डारी का कहना है कि जैसे ही उन्होंने उनके मकान में लगी बिजली की घण्टी को दबाया, उनके दो चपरासी व एक जीप चालक आये और चपरासियों ने कहा कि साहब का हुक्म है कि इस समय विधायक या कोई भी हो उनसे न मिलने दिया जाय। माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार चपरासियों व जीप चालक ने उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित किया। जोर-जोर की बातें सुनकर परगनाधिकारी स्वयं बाहर आये और उन्हें डांटने लगे और कहने लगे कि– "आप लोगों को तमीज नहीं है कि हाकिमान से कब मिला जाय और कब न मिला जाय, आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह मेरे आराम का समय है।" माननीय सदस्य के कथनानुसार उनके इस आग्रह पर कि बात सार्वजनिक महत्व की होने के कारण उनसे उसी समय बात करना आवश्यक था, परगनाधिकारी ने अपने चपरासी व जीप चालक को आदेश दिया कि इन्हें धक्के मार कर मकान के परिसर से बाहर कर दो और श्री भण्डारी के अंगरक्षक, जो उनके साथ था, के विरोध करने पर परगनाधिकारी ने तैश में आकर कोतवाली टेलीफोन करके कोतवाल देवरिया तथा सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि इन्हें गिरफ्तार कर लो परन्तु कोतवाल ने विवेक से काम लेते हुए उनके साथ

[श्री अध्यक्ष]

कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया और परगनाधिकारी को समझा-बुझा कर अन्दर किया। परगनाधिकारी ने न तो उनकी समस्याओं को सुना और न उनसे बात किया। मैंने माननीय मुख्य मंत्री से इस संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1981 द्वारा मुझे सूचित किया है कि उक्त सूचना की प्रति जिलाधिकारी, देवरिया को जांच हेतु भेजी गयी थी और जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देवरिया से करायी है। माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त जांच आख्या की प्रतिलिपि श्री विमल किशोर गुप्त, परगनाधिकारी का स्पष्टीकरण तथा इस संबंध में श्री सीता राम, चपरासी, जीप चालक व श्री राम सेवावन सिंह, कोतवाल, थाना देवरिया के बयानों की प्रतिलिपियां मुझे अपने उक्त पत्र के साथ भेजी हैं।

उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री भण्डारी के आरोपों तथा उक्त जांच आख्या में बताई गई स्थिति में विरोधाभास है। अतिरिक्त जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार उक्त परगनाधिकारी, श्री गुप्त इसमें दोषी नहीं हैं बल्कि श्री गुप्ता के चपरासी व जीप चालक के अविवेकपूर्ण रवैये के कारण उक्त घटना हुई। इस आख्या में कहा गया है कि श्री गुप्ता व माननीय सदस्य के बीच कोई अशोभनीय और अशिष्ट वार्तालाप नहीं हुआ। परगनाधिकारी ने अपने चपरासी व जीप चालक को डांटा और माननीय विधायक से उनकी समस्याओं के बारे में बात किया तथा उक्त कर्मचारियों द्वारा माननीय सदस्य के साथ किये गये उक्त व्यवहार के लिये खेद भी प्रकट किया। जहां तक घटना के सम्बन्ध में पुलिस आने का प्रश्न है, इसके संबंध में जीप चालक व चपरासी के बयानों के अनुसार वहां पुलिस अवश्य आयी थी परन्तु पुलिस वहां कैसे आयी, इस सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सम्बद्ध कोतवाल का इस संबंध में कहना है कि उन्हें वहां बुलाया नहीं गया था बल्कि वे निजी कार्य से पुलिस लाइन से वापस जा रहे थे तथा परगनाधिकारी के गेट पर यह सुन कर कि कुछ आदमी उनके यहां झगड़ा करने पर उतारू हैं वे वहां गये थे और वहां उन्होंने परगनाधिकारी तथा माननीय सदस्य को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बात करते पाया और उनके अनुसार यह कहना गलत है कि उन्हें वहां एस0 डी0 एम0 ने बुलाया था।

इस घटना क्रम में जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न निहित होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि माननीय सदस्य उक्त अधिकारी के पास एक सार्वजनिक कार्य से गये थे जिसका कोई सीधा संबंध उनके सदस्य के नाते किये गये किसी कृत्य से नहीं है। इस सदन में पहले इस आशय के निर्णय हो चुके हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उसी समय उत्पन्न होता है जब किसी माननीय सदस्य को सदन या सदन की समिति से संबंधित किसी कार्य के निर्वहन के संबंध में बाधा उत्पन्न की जाय या ऐसे किसी कार्य के संबंध में किसी सदस्य को प्रभावित करने की चेष्टा की जाय। प्रश्नगत घटना क्रम में ऐसी कोई बात निहित नहीं प्रतीत होती है। अतः इसको मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप उठाने की अनुमति नहीं देता हूं, किन्तु मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि वे अपने अधिकारियों को इस आशय का आदेश दें कि जब माननीय सदस्य उनसे किसी सार्वजनिक कार्य से मिलने जायें तो उनके साथ शिष्टतापूर्ण तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाय और किसी समय की बात न की जाय कि कौन सा समय उनसे मिलने का है और कौन सा नहीं।

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की सूचना

[12 बजकर 52 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे। उसके संबंध में अभी संसदीय कार्य मंत्री का एक पत्र आया है जिसमें कुछ परिवर्तन

किये जाने की प्रार्थना की गयी है, इसलिये आज 3.00 बजे फिर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलायी गयी है। उसमें जो निर्णय लिये जायेंगे उससे सदन को अवगत कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) संशोधन) विधेयक, 1982†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम रतन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक, सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982†

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को आपकी आज्ञा से पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982†

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982†

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ।)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982†

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम रतन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982†

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुमति मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम रतन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982†

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

चौधरी नौनिहाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

गढ़वाल का संसदीय उपचुनाव स्थगित कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

[12 बजकर 54 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अपना औचित्य का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय संविधान की सतत अवहेलना के कारण आज लोकतंत्र को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। मेरी जानकारी है कि गढ़वाल का चुनाव राज्य सरकार के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था और मेरी यह भी जानकारी है कि चुनाव आयोग ने फिर जानना चाहा है कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, इस पर आज 4 दिन पहले मुख्य मंत्री के सचिव ने एलेक्शन कमीशन को सूचित कर दिया है, मुख्य सचिव ने कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है, शांति व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है इसलिए मना कर दिया है। इससे जो संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, मान्यवर, संविधान के 324(6) अनुच्छेद को देखें, जो संशोधित हुआ है उसमें यह है कि –– जब निर्वाचन आयोग ऐसी प्रार्थना करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारीवृन्द प्राप्त करायेगा जैसा कि खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को दिए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

अब मान्यवर कल्पना करें कि ऐसे समय क्या स्थिति हो सकती है और राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है क्योंकि राज्य सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है। यह "आज" 19 तारीख का है इसमें अम्बेदकर द्वारा पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ने 22 नवम्बर को होने वाले मतदान को स्थगित करने के लिए स्पष्ट शब्दों में भले ही न कहा हो, लेकिन शान्ति और व्यवस्था के ठीक न होने का उल्लेख किया है जिससे यह निष्कर्ष और संकेत होता है कि उस दिन मुक्त और निष्पक्ष मतदान नहीं कराया जा सकता। अब मान्यवर, देखें कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाय जब राज्य सरकार का कहना है कि हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। आज 20 महीने हो गए और राज्य सरकार चुनाव नहीं करवा रही है तो इस प्रकार यदि राज्य सरकार मध्यावधि चुनाव के लिए भी मना कर दे तो इसका यह तात्पर्य होगा कि कभी चुनाव नहीं हो सकेगा। इस सम्बन्ध में जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी यह बात उठी थी कि यदि चुनाव आयोग की बात सरकार ने नहीं मानी तो क्या होगा? उस समय अम्बेदकर साहब का कहना था कि चुनाव आयोग की बात मानना राज्य सरकार के लिए मन्डेटरी है उसको न्यायपालिका के स्तर के समान दर्जा दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में दि कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली डिबेट्स का यह इन्डेक्स है। इसके पेज 906 पर उस समय भी श्री अम्बेदकर ने यह बात साफ बताई है। उनका कहना था कि––

"Then the question was whether the Electoral Commission should have authority to have an independent staff of its own to carry on the work which has entrusted to it."

अर्थात् जब यह प्रश्न पैदा हो जाय कि जो चुनाव आयोग का कार्य प्रस्तुत किया है उस कार्य को करने के लिए वहां स्टाफ दिया जाय। उनका कहना था कि–

"Therefore we have provided in clause (5) that it should be open for the Commission to borrow from the provincial Governments such clerical and ministerial agencty as may be necessary for the purposes of carrying out the functions with which the Commission has been entrusted. When the work is over that ministerial staff will return to the provincial Government"

मैं आपके सामने यह परिस्थिति पेश करना चाहता हूं कि जैसा कि दो-दो बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

अवहेलना की गयी और मेरी जानकारी के अनुसार अभी 4 दिन पहले फिर ऐसी सूचना दी गई है कि चुनाव न कराये जायें तो उत्तर प्रदेश में बाइ-इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन की व्यवस्था यह कैसे कर पायेंगे? इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जिस सम्बन्ध में आपका औचित्य का प्रश्न है उसी सम्बन्ध में नियम 56 में कई कार्य स्थगन के प्रस्ताव आये हैं। जहां तक आपका औचित्य का प्रश्न है, औचित्य का प्रश्न कहां उठता है पहले मैं आपके समक्ष वह रखना चाहूंगा। औचित्य का प्रश्न हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 में दिया हुआ है कि किस प्रकार से उठाया जा सकता है। नियम 300 इस प्रकार है :—

300(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

यह निर्वाचन का मामला है, यह हमारे सदन के कार्य को विनियमित या निर्वचन करने से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये कोई औचित्य का प्रश्न उठाने की आज्ञा इस पर मैं नहीं देता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[1 बजकर 1 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

कार्य स्थगन प्रस्ताव की 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से पहली एक सूचना गढ़वाल संसदीय उप चुनाव को अनिश्चित काल के लिये टलवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले सर्वश्री मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, भीखालाल, राम आसरे वर्मा, राजेन्द्र अग्निहोत्री, रियासत हुसैन, शिवानन्द नौटियाल, हरी किशन श्रीवास्तव, फखरे आलम, राम सरूप वर्मा, कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी और मित्रसेन यादव हैं। फिर एक दूसरी सूचना सर्वश्री हुकम सिंह और राधेश्याम पटेल की हस्ताक्षरित इसी सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की इसी सम्बन्ध में है और चौथी सूचना भी इसी सम्बन्ध में श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री मित्रसेन यादव और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की हस्ताक्षरित है। पांचवी सूचना श्री कुंवर भंडारी की पूर्वांचल के गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से असंतोष की स्थिति के बारे में है। छठी श्री माता प्रसाद पांडेय की है जो इस प्रकार है: 10 जनवरी, 82 को तुलसीपुर चीनी मिल गेट पर आयोजित सभा को श्री अकबाल हुसैन द्वारा सम्बोधित करते समय उन पर प्राणघातक हमला किये जाने के संबंध में। सातवीं श्री हरगोविन्द वर्मा की है जो इस प्रकार है: जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत लगे नहर से हुई क्षति के सम्बन्ध में। आठवां श्री सरदार सिंह की है, दिनांक 11-1-82 को जिला जेल मथुरा में कैदियों के दो गुटों में चाकू चलने से महावीर सिंह नामक कैदी के मारे जाने के सम्बन्ध में। नवां श्री गौरी शंकर भैय्या और श्री अकबर हुसैन की रायबरेली में 20-1-82 को सिविल लाइन चौराहे के पास सर्कस के व्यक्तियों द्वारा कुछ दुकानों में आग लगाने और गिराये जाने से उत्पन्न आतंक के सम्बन्ध में है।

जहां तक पांचवीं सूचना का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में चर्चा करने की बात स्वीकार हो चुकी है जो गन्ना मिलों से संबंधित है। श्री माता प्रसाद पांडेय की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, 401 के अन्तर्गत वे सदन को इस सम्बन्ध में सूचित कर चुके हैं। अब श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री गौरी शंकर भैय्या और अकबर हुसैन की सूचनाओं को मैं कार्यस्थगन प्रस्ताव के योग्य नहीं समझता हूं इसलिये उनको अस्वीकार किया जाता है।

इसके पहले कि मैं इस पर निर्णय दूं मैं देख रहा हूं कि पहली सूचना पर श्री मोहन सिंह के साथ 9 आदमियों के दस्तखत हैं और एक में दो आदमियों के दस्तखत हैं, तीसरी सूचना में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के दस्तखत हैं . .

एक सदस्य—

यह श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री होंगे।

श्री अध्यक्ष–

दोनों में गुप्त लिखा हुआ है। श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री मित्रसेन यादव ने भी दो-दो दस्तखत कर दिये हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय को इस दृष्टि से देख लें कि यह निर्वाचन से संबंधित प्रश्न है और निर्वाचन आयोग के निर्णय करने का प्रश्न है। (व्यवधान) मेरी बात सुनने के बाद ही आप ग्राह्यता पर बोलें । जहां तक चुनाव आयोग या उसके निर्णय का प्रश्न है, हमारे इस सदन में उसके सम्बन्ध में कोई बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) जहां तक राज्य सरकार उसमें जितनी संबंधित है उस बारे में आप कहें और इसकी ग्राह्यता पर ही बोलें। कृपया अपनी बात एक-दो मिनट में समाप्त कर दें।

गढ़वाल संसदीय उप चुनाव न कराये जाने के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

मान्यवर, 19 जून, 1980 को गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में यह स्थान रिक्त घोषित हुआ । 14 जून 1981 को चुनाव हुआ और परिणाम की घोषणा को चुनाव कमीशन द्वारा रोक दिया गया। उस चुनाव की एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई, जो सर्व-विदित है। उसके उपरान्त यह चुनाव 22 नवम्बर, 1981 को होना था। इस चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 6 हजार पुलिस कर्मियों का प्रबन्ध कर दिया गया था। पोलिंग स्टेशनों पर नियमानुसार ट्रेनिंग दे दी गयी थी। छोटे-छोटे स्थानों को पुलिस वायरलैस सैट द्वारा जोड़ दिया गया था। जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में सभी लोग अपना कार्य पूरा कर चुके थे। परन्तु जब 8 दिन शेष रह गये तो 14 नवम्बर, 1981 को उत्तर प्रदेश शासन ने चुनाव आयोग को यह सूचित किया कि चुनाव कराने के लिये जो उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये, वह व्यवस्था उ0 प्र0 शासन उपलब्ध कराने में असमर्थ है । उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी ओर से गृह मंत्री और आई0 जी0 पुलिस को चुनाव कमीशन के पास भेज कर इस बात से अवगत करवाया। मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले इस विषय पर औचित्य का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा था जबकि यह बात साफ की गई थी कि चुनाव कमीशन के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती जिसके द्वारा चुनाव कराये जायं । चुनाव आयोग प्रदेश शासन से ही उनके कर्मियों को लेकर के चुनाव को सम्पन्न कराता है।

प्रस्ताव में ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में लोक महत्व क्या है? वह है आम चुनाव । यदि आप चुनाव को ही लोक महत्व नहीं मानेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी विशेषकर हमारी इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जिसका आधार चुनाव द्वारा शासन का गठन होना है। इसी महत्व के कारण यह जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है कि यदि यही परम्परा रही और इस बात को महत्व नहीं दिया गया तो भविष्य में जो भी पार्टी शासन में आयेगी उसका इन्टेलिजेन्स विभाग अगर यह रिपोर्ट देगी कि आपका प्रत्याशी हार रहा है तो शासन अपने किसी अधिकृत अधिकारी को चुनाव के पास भेजेगा और पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध न करने के आधार पर वह चुनाव आयोग से चुनाव को टलवा देगा । परिणामस्वरूप हमारा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जायेगा वही कार्य उत्तर प्रदेश शासन ने इस गढ़वाल चुनाव में किया है। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय प्रश्न है। अभी विधान सभा खुली है। मैं चाहूंगा कि कम से कम इसको स्वीकार कर लें और इस सदन में एक इतिहास इस बात का आप बना दें कि जब लोकतंत्र पर प्रहार होने लगा तब माननीय अध्यक्ष महोदय, ने एक पर्टिकुलर विशेष प्रस्ताव को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। मान्यवर, चर्चा होती ही है लेकिन अगर चर्चा कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में होगी तो यह लोक महत्व का होगा और हमारी लोकतंत्र की जड़ें अधिक मजबूत होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करें।

*श्री मोहन सिंह–

गढ़वाल संसदीय उप चुनाव को बराबर टालना यह लोकतंत्र की मूल भावना पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। मुझे अफसोस है कि इस कुठाराघात में उत्तर प्रदेश की सरकार सम्मिलित है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब तक गढ़वाल चुनाव नहीं हो जाता तब तक वह इस पद पर बने हुए हैं। वह केवल अपनी उम्र बढ़ाने के लिए चुनाव टाल रहे हैं। चुनाव आयोग की किसी कार्य प्रणाली की समीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो समाचार पत्रों में बातें आईं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का अवसर नहीं दिया कि चुनाव आयोजित कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी असफलता इस बात पर जाहिर की कि हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है।

लेकिन हम लोगों ने जानकारी की है इस बात के तथ्य मौजूद हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर पुलिस जनों की नियुक्तियां कर दी थीं. . . लोग अपने-अपने जिलों से रवानगी कर चुके थे। इस हालत में चुनाव टालना बिलकुल अनचित था। हम इस आदरणीय सदन में यदि इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कहां तक दोष है, तो हमारे ऊपर और पूरे देश की जनता के ऊपर इस बात का लांछन आयेगा कि चुनाव आयोग ने ही जिसकी निष्पक्षता और असंदिग्धता पर सारी जनता का विश्वास है, उसके ऊपर संदेह पैदा हो जायेगा। जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह हो जायेगा तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। हम इस पर बहस इसलिये भी करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्य मंत्री ने कितने पत्र चुनाव आयोग को इसके सम्बन्ध में लिखे हैं, किन परिस्थितियों में लिखे हैं और क्या जवाब चुनाव आयोग ने उनको दिया है, क्या पक्ष रखा गया है– जब तक यह सारा तथ्य हमारे सामने नहीं आयेगा, हो सकता है कि शासन कुछ ऐसा पक्ष प्रस्तुत कर दे जिससे इसको भी संतुष्टि हो जाय. तब तक हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। इसलिये इस विषय पर मान्यवर, आप चर्चा करा दें।

श्री भीखालाल–

अध्यक्ष महोदय, गढ़वाल के चुनाव जून में कराये गये थे, उसे चुनाव कमीशन ने रद्द कर दिया। किस परिस्थिति में किया यह सबको मालूम है। वहां के चुनाव को कांग्रेस पार्टी और उनकी अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। उन्होंने यहां के मुख्य मंत्री को आदेश दिया है कि किसी न किसी प्रकार से वहां के चुनाव को जीतना है चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े। इसलिये उस चुनाव को तो रद्द करवा दिया गया दुबारा फिर चुनाव की तारीख रखी गई, उसमें इस तरह के हथकन्डे अपनाये गये, इस तरह की तिकड़मों की गई कि चुनाव की सारी तैयारी हो जाने के बावजूद भी एक हफ्ते पहले चुनाव कमीशन को अंधेरे में रखकर, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था न किये जा सकने का बहाना बनाकर चुनाव कमीशन को विवश किया गया कि वह इस चुनाव को पुनः टाल दे। सान्यवर, इस चुनाव को बराबर टालते रहने से जनता में यह धारणा बनती जा रही है कि भविष्य में चुनाव होंगे ही नहीं और जब तक कांग्रेस पार्टी या उसका कंडीडेट नहीं जीत सकेगा तब तक चुनाव नहीं कराया जायेगा। इस तरह से लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था घटती जा रही है। इसलिये हम चाहते हैं कि इस निश्चित विषय पर आप हमें चर्चा का मौका दें और कदम स्वीकार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गढ़वाल संसदीय उप-चुनाव न कराये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो बातें कही गयी हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, नये तथ्य आपके सामने रखूंगा। गढ़वाल संसदीय चुनाव को दो बार टाला गया। कौन सी ऐसी जनतंत्र विरोधी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं कि चुनाव को टाला गया। एक तर्क शासन की ओर से यह दिया गया कि हमारे पास पुलिस नहीं है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। एक पत्रकार सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं जानकारी दी है कि इसके पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पुलिस थी उसको वापस कर दिया गया है। मैं इस बात को चेतावनी के साथ कह सकता हूं। पहले तो आपने दूसरे प्रदेश से पुलिस बुलाई, यहीं पर काफी पुलिस मौजूद थी। इससे साफ स्थिति पैदा हो जाती है कि यह सरकार जानबूझकर अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिये सत्ता का दुरुपयोग करके जनतंत्र के मार्ग में एक रोड़ा अटकाना चाहती है। इससे प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे कि लोकतंत्र कुंठित हो गया है। इसलिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय पर चर्चा करा दें।

*श्री फखरे आलम–

अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल से अधिक का समय हो गया है गढ़वाल की पार्लियामेंटरी सीट खाली है। इस मुल्क में प्रजातंत्र और हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन की तारीख में यह पहला मौका है कि डेढ़ साल से कोई वैकेंसी रही हो और वहां का इलेक्शन न कराया गया हो। मान्यवर, जाहिर है कि सरकार दीवार पर जो लिखा है "राइटिंग आन दि वाल" को पढ़ रही उसको पढ़-पढ़ कर चुनाव स्थगित करा रही है। जब जून 81 में चुनाव हो गया तो वह किन हालात में कैंसिल किया गया उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। उसके बाद 22 नवम्बर चुनाव की तारीख मुकर्रर हुई। सब लोग वहां पहुंच गये सरकार की तरफ से तमाम आदमी वहां पहुंच गये. . .

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री फखरे आलम–

22 नवम्बर को चुनाव होना था लेकिन 14 नवम्बर को उसे खतम कर दिया और तब से आज तक कोई तारीख चुनाव करने की मुकर्रर नहीं की गयी। अगर यह तरीका अख्तियार किया गया, अगर इस तरह से चुनाव टालते गये, इस तरह जम्हूरियत को खतम किया गया तो क्या हश्र होगा आगे कोई चुनाव नहीं हुआ करेंगे, जब चाहेंगे चुनाव करायेंगे, जब सत्तारूढ़ दल चाहेगा चुनाव करायेगा और जब चाहेगा नहीं करायेगा। इस चुनाव को टालने की वजह सिर्फ एक है कि सरकार समझ रही है कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो यह सरकार बदली हुई नजर आयेगी, उधर के बैठे हुए लोग इधर बैठे नजर आयेंगे, सौ से ज्यादा लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री फखरे आलम–

इसलिए इस पर बोलने का मौका दिया जाय और यहां चर्चा हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, गढ़वाल चुनाव स्थगित करना इसके कई पहलू हैं। एक तो यह है कि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक मर्यादाओं से है। यदि लोकतांत्रिक मर्यादा समाप्त हो गयी तो आज जो हम लोग हैं वह भी यहां बैठने लायक नहीं रह जायेंगे। एक तरफ लोकतंत्र की मर्यादा की समाप्ति है और दूसरी ओर डेढ़ साल से पार्लियामेंट की सीट खाली है और गढ़वाल की जनता को उसके प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। यह भी कम गम्भीर बात नहीं है। इस पर पर्दा पड़ा हुआ है मैं उसे उठाना चाहता हूं। एक तरफ तो गढ़वाल क्षेत्र में चुनाव कराने का नाटक भी हो रहा था जब तक कि चुनाव आयोग उसे स्थगित न कर दे और दूसरी ओर इसी सचिवालय में बैठकर स्थगित कराने का सामान जुटाया जा रहा था जिससे चुनाव आयोग चुनाव स्थगित कर दे और उसे संतुष्ट किया जा सके। मान्यवर, मंत्रिमंडल के एक सम्मानित सदस्य हैं जिनके दफ्तर के एक कर्मचारी, कर्मचारी महासंघ के हैं उसके द्वारा 72 घंटे का नोटिस दिया गया। उस महासंघ के पदाधिकारियों को बुला कर वहां पर हड़ताल का नोटिस दिया गया। आप आश्चर्य करेंगे कि वह नोटिस माननीय मंत्री जी के कार्यालय में टाइप किया गया तो यह प्रस्तावना श्री चुनाव आयोग के सामने रखने के लिए, और चुनाव स्थगित कराने के लिए।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा–

दूसरा पहलू भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जेल कर्मचारियों की हड़ताल उस समय तक चलती रही जब तक कि गढ़वाल चुनाव स्थगित नहीं करा दिया, चुनाव स्थगित हो गया तो जेल कर्मचारियों को बुला कर हड़ताल वापस करा दी गयी (व्यवधान) इन महत्वपूर्ण मसलों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं। आप बैठ जायें।

श्री राम आसरे वर्मा–

इसका संबंध लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, जो ग्राह्यता की शर्तें हैं यह प्रस्ताव उनको पूरा करता है ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला यह कि यह लोक महत्व का प्रश्न है। यह संसदीय सीट का चुनाव है और उसका अविलम्ब होना चाहिए जिसको कराने की जिम्मेदारी हमारी इस प्रदेश की सरकार की है। इसलिए यह लोक महत्व का और अविलंबनीयता का भी है। मान्यवर, सरकार ने यह लिखा है कि हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं और चुनाव कराना संवैधानिक उत्तरदायित्व है। तो जब संवैधानिक उत्तरदायित्व में कोई सरकार विफल रहेगी तो उसे भंग किया जा सकता है तो सरकार के भंग होने की स्थिति भी इसमें आ गई है। यह अगर यदि केरल में या बंगाल में होता तो निश्चित रूप से वह भंग कर दी जाती इस बिना पर कि आपने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया है। इसलिये इसमें सरकार भी अन्तर्ग्रस्त है। वह अपनी विफलता के लिए सदन में स्पष्ट रूप से अपनी बात कहे कि उसको क्या परेशानी थी कि उसने चुनाव नहीं कराये। इसलिए यह विषय अविलम्बनीय और लोक महत्व का है साथ ही आवश्यक भी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गढ़वाल संसदीय उप-चुनाव न कराये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, गढ़वाल चुनाव का जहां तक प्रश्न है। आपने इसको दो भागों में विभाजित किया है। चुनाव आयोग वाले भाग पर मुझे कुछ नहीं कहना है। चुनाव कराने की सारी की सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है और जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें प्रदेश सरकार ने कहा है कि गढ़वाल में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत भयंकर है और वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि वहां की सड़कें टूटी हुई हैं। यह कहा है कि वहां पर व्यवस्था हो नहीं सकती है, इसलिए वहां चुनाव कराना असम्भव है। मैं वहां के विषय में वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं, जहां तक ला एण्ड आर्डर की स्थिति का सवाल है प्रदेश के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां प्रत्येक दिन 24-24 व्यक्तियों का मर्डर हुआ करता है, वहां उनको ला एण्ड आर्डर की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है, किन्तु गढ़वाल ऐसे शान्तिप्रिय इलाके में इनको ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब दिखाई देती है, जहां एक मक्खी तक मरने की सूचना नहीं है। यह सड़कों की बात करते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में इतने यात्री बद्री-केदार कभी नहीं गये, जितने इस बार गये थे। इसलिए सड़कें टूटी होने का बहाना भी सही नहीं है। जहां तक सरकार की व्यवस्था की बात है, हर कैबिनेट मंत्री हर ब्लाक का इंचार्ज बनाकर यहां से भेजा गया था। हर पोलिंग स्टेशन पर विधायक की ड्यूटी लगा दी गई थी। इसके बावजूद सरकार कहती है कि आम चुनाव नहीं करा सकते हैं, यह सरकार की असफलता का द्योतक है तथा चुनाव न करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग तभी चुनाव करा सकता है जब प्रदेश की सरकार इसके लिए तैयार हो (व्यवधान)

एक सदस्य–

अध्यक्ष जी, यह मुर्दा कब गाड़ा जाएगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हर दल के सदस्य को हमने बोलने का मौका दे दिया है, अब इस तरह नहीं श्री हुकम सिंह बोलेंगे।

*श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, चुनाव कराना भले ही चुनाव कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था का इन्तजाम करना इस सरकार की जिम्मेदारी थी। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चुनाव कमीशन के सामने बार-बार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से यह रपट दर्ज कराई कि वहां पर चुनाव कराना हमारे वश में नहीं है-न हमारे पास अधिकारी हैं न पुलिस है और न कर्मचारी हैं। इनके द्वारा पहले जिनको कलंकित किया जा रहा था, उन्होंने बाद में यह भाषण दिया कि मैंने कोई दरख्वास्त चुनाव कमीशन के सामने चुनाव स्थगित कराने के लिए नहीं दी है। इससे बड़ा कलंक और पाखण्ड इस सरकार के लिए कोई हो नहीं सकता है. . . (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

चुनाव आयोग की जो भी घोषणा थी, वह इस बात की थी कि चुनाव हर प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ सम्पन्न होगा। आज प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है, एक दिन तो हमारे मुख्यमंत्री जी हनुमान जी बन जाते हैं और दूसरे दिन लंगोटी छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र की पवित्रता के प्रति जनता में एक शंका आज पैदा हो गई है और इस कारण से आज जनता जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

कौन सी बात आ गई इन लोगों के सामने जिससे यह चुनाव नहीं करा रहे हैं। जब वह जानती है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहां पर रोज कत्ल और बलात्कार न होते हों। गढ़वाल के बारे में जो यात्री नीचे से ऊपर को जाते हैं, अगर वे वहां पर सामान छोड़ आते हैं तो वह उन्हें 6 महीने बाद भी प्राप्त हो जाता है। वहां के बारे में यह सरकार कहती है कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बयान निकला उसमें कहा गया था कि चुनाव अवश्य होंगे लेकिन नहीं हो सके। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको कार्य-स्थगन के रूप में तुरन्त लिया जाना चाहिए।

श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी इम्पोर्टेन्स होती है लेकिन गढ़वाल के चुनाव को बार बार स्थगित करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था और लोकतंत्र की हत्या की गयी है, यह दुनिया में बेमिसाल है, ऐसी मिसाल कोई देखने को नहीं मिलेगी।

मान्यवर दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि दुनिया में गढ़वाल के चुनाव जैसी कहीं मिसाल नहीं है कि चुनाव कराकर गिनती को स्थगित ही कर दिया गया हो यह पहला ही अवसर है। जब 22 नवम्बर, 1981 को गढ़वाल चुनाव की तारीख रख दी गयी थी तो सरकार की ओर से और कुछ लोगों की ओर से ये बयान आने लगे थे कि गढ़वाल में सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, वहां पर विश्वविद्यालय की परीक्षायें हो रही हैं तो यह कोई असामान्य स्थिति नहीं थी। चुनाव आयोग के अधिकारी श्री गणेशन वहां पर गये और उन्होंने वहां का दौरा किया और बड़े अदब और फख्र के साथ कहा कि गढ़वाल की स्थिति सामान्य है, चुनाव हो सकते हैं लेकिन उन परिस्थितियों में कौन सा परिवर्तन हो गया कि श्री शकधर साहब ने 15 नवम्बर, 1981 को चुनाव स्थगित कर दिया। दूसरी चीज यह है कि अगर चुनाव स्थगन हुआ तो किस परिस्थिति में हुआ, इसकी जानकारी हम लोगों को हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस प्रकार से बार-बार लोकतंत्र की हत्या करके हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

इस गढ़वाल के चुनाव के सम्बन्ध में चुनाव आयोग के सचिव श्री गणेशन का 13 नवम्बर का बयान निकला कि कोई वजह नहीं कि यहां पर चुनाव स्थगित किया जायेगा लेकिन 14 तारीख को यह चुनाव स्थगित हो जाता है। सरकार कहती थी कि उनके पास पुलिस फोर्स नहीं है लेकिन यहां से 6 हजार से भी ज्यादा पुलिस के लोग वहां पर भेज दिए गये थे और छोटे-छोटे स्थानों तक को वायरलैस स्टेशन्स द्वारा जोड़ दिया गया था। पोलिंग पार्टीज को ट्रेनिंग भी दी गयी थी, सारी गाड़ियों का रिक्विजिशन कर लिया गया था तो 8 दिन पहले चुनाव को क्यों स्थगित कर दिया जाता है। सरकार अपने को बड़ा ही निष्पक्ष कहती है जब कि यहां के आई0 जी0 और मुख्य सचिव, चुनाव आयोग के पास दिल्ली रिपोर्ट लेकर जाते हैं कि सरकार चुनाव नहीं करा सकती। तो यहां पर यह भी आना चाहिए कि किस कारण से चुनाव स्थगित हुए हैं। सरकार यह भी कहती है कि हम तो चुनाव कराने को तैयार हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह व्यक्त किया है।

*श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी है इसलिए इस प्रश्न को सदन में लाना और भी जरूरी हो जाता है। गत 3-4 वर्षों से देश में लोकतंत्र के प्रति आस्था क्षीण होती जा रही है। हमें अत्यन्त खेद है कि राज्यपाल ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विषय पर नीति निर्देशन का काम नहीं किया है जिसका राज्यपाल के अभिभाषण से ही पता चलता है। इसी से पता चलता है कि सरकार आगे क्या करने जा रही है और उसकी क्या नीति है? उसका इसमें जिक्र न होने से यह शंका पैदा होना स्वाभाविक है कि यह सरकार लोकतंत्र से दूर भाग रही है। इसलिये इस प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा होना चाहिए। अगर माननीय राज्यपाल ने तनिक भी चुनाव का जिक्र कर दिया होता तो यह शंका नहीं होती। इसलिए यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, यह कार्य-स्थगन का विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। सरकारी पक्ष का कहना है कि हमारी मजबूरियां रही हैं, विरोध पक्ष का कहना है कि यह सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है, तो इस पर चर्चा साफ हो जाना चाहिये। आप इसलिए इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाय। मैं माननीय सदन के माध्यम से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत बेईमानी की है, या यह सरकार विरोध पक्ष के आरोप को सही साबित करे। सच्चाई सामने आना चाहिए, इसलिये चर्चा बहुत आवश्यक है।

*गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाकर बार-बार एक ही बात को कहा जा रहा है कि हमारी नीयत साफ नहीं है। यह बिलकुल गलत है, सही यह है कि यह विरोध पक्ष ही प्रजातंत्र से दूर भाग रहा है। जनता का विश्वास इनमें रह नहीं गया है और यही कारण है कि पिछले चुनाव में एक भी सीट इनको नहीं मिली। यह प्रमाण इस बात का है कि जनता का हममें विश्वास है और लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। (शोर-व्यवधान)

जहां तक गढ़वाल चुनाव की बात है, वहां पर चुनाव हुये। यह वर्तमान शासन चुनाव आयोग के हर आदेश का पालन करता है और उसके पालन के लिये कटिबद्ध है। चुनाव आयोग ने जब आदेश दिया, चुनाव को स्थगित कर दिया, हमने उस आदेश को माना। दोबारा चुनाव आयोग ने जब आदेश दिया हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी, शासन की तरफ से निवेदन यह किया गया था कि जो अव्यवस्था वहां पर है उसे रोकने के लिए बाहर से पुलिस मंगाने पर आपने जो रोक लगा रखी है उससे दिक्कत होगी, यहां की पुलिस को ले जाना उस अनुपात में सम्भव नहीं है। तो हमने उनका उस संबंध में मार्ग दर्शन मांगा था। हमारी तरफ से तैयारी पूरी थी। अगर हमारी मंशा चुनाव को टालने की होती . . .

(शोर-व्यवधान)

आज आपका (विरोध पक्ष) स्वरूप जो विभाजित हो रहा है उसके कारण आपका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रह गया है (व्यवधान) इसलिये आप रोज-रोज इन्दिरा गांधी का नाम लेकर इस तरह की बातें करते हैं। जो रोज रोज दल बदलते हैं, जो रोज रोज अपना स्वरूप बदलते हैं . . (शोर-व्यवधान) मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें।

(शोर-व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

आयोग की हर आज्ञा हमें सिरोधार्य है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है, मैं वापस ले लूंगा, लेकिन एक बात का निर्णय हो जाय कि क्या इस शासन ने आयोग को यह लिखा है कि हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, यह शासन ने कभी नहीं लिखा कि हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं?

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मैं यही चाहता हूं मान्यवर, कि जो कुछ इन्होंने कहा, उसे सदन के पटल पर रख दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सदन को इन्होंने गुमराह किया है। मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइये। यह माननीय सदस्यों का आपस में और स्पीच का ध्यान न देते हुए बोलना यह उचित नहीं है और ऐसे जब कोई वरिष्ठ सदस्य इस बात में सम्मिलित हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर वह ऐसा करते हैं। जो कुछ नवआगंतुक सदस्य हों, तो ऐसी बात सोची जा सकती है कि शायद इनको नियम से, इस बात से ज्यादा ज्ञान न हो, लेकिन वरिष्ठ माननीय सदस्यों के लिए यह उचित नहीं लगता है। मैंने आपके कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में कहने के लिए आपसे निवेदन किया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जब आपकी ग्राह्यता की बात कही तो उन्होंने कहा कि ग्राह्यता के अतिरिक्त लोग और भी बातें कह रहे हैं और इस प्रकार की दोनों बातें सही हैं। कुछ ग्राह्यता पर भी कहा गया और कुछ ऐसी भी बातें उसकी पृष्ठभूमि में कही गयी हैं और कुछ अन्य बातें भी तथ्य के रूप में कही गयी हैं। अच्छा होता कि बिलकुल ग्राह्यता के विषय रूप में कहा गया होता। लेकिन बातचीत या भाषण के बीच में ऐसा सम्भव नहीं हो पाता।

इसलिए ऐसी बातों का आना कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके लिए हम कोई ज्यादा आपत्ति कर सकें। मैंने प्रारम्भ में यह निवेदन किया था कि एक चुनाव आयोग से संबंधित बात है और दूसरी राज्य सरकार से संबंधित है और मुझे प्रसन्नता है कि श्री हरी किशन श्रीवास्तव ने अभी-अभी यही कहा, माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी ने यह कहा कि उसमें असमर्थ नहीं लिखा था।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

साबित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इससे मैं यह निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, आप जो सोच कर खड़ा होना चाहते थे। इससे मैं यह निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि आप उसी जगह अपने को सम्बद्ध किये हैं, जो राज्य सरकार से संबंधित बात है और जैसा त्रिपाठी जी ने राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसा असमर्थ होना नहीं लिखा गया है। यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संबंध में राज्य सरकार का पक्ष उसको स्थगित करने या उसको टालने का नहीं था किन्तु इससे संबंधित किसी तरह की वार्ता माननीय मुख्य मंत्री से हुई हो उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें जो चुनाव आयोग से नहीं, राज्य सहकार से सम्बन्धित बात होगी और यह सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

[1 बजकर 40 मिनट से]

श्री मोतीलाल देहलवी–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वही पुरानी शराब नई बोतल में रखी गई है। मान्यवर, हर वर्ष हर साल राज्यपाल महोदय, दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हैं और हर साल सरकार की घिसीपिटी पुरानी बातों को कहते हैं कि एक साल के अन्दर प्रदेश को स्वर्ग बना देंगे। जिसमें किसानों की तरफ ध्यान दिया जायेगा, हरिजन का उत्थान किया जायेगा, मूल्य बृद्धि को रोका जायेगा, नलकूप लगाये जायेंगे, शान्तिव्यवस्था का प्रबन्ध होगा, लेकिन आज कुछ वर्ष को।

(इस समय 1 बजकर 41 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

छोड़कर जो 33 साल आजादी के हुए हैं उनमें कुछ वर्षों को छोड़कर जिसमें विपक्ष शासन में बैठा था, लगातार कांग्रेस शासन करती चली आ रही है और मान्यवर, लगातार यह घिसीपिटी बातें कांग्रेस सरकार की ओर से कही जाती रही है।

इस समय प्रदेश में मान्यवर, चार प्रमुख समस्यायें हैं। मूल्य बृद्धि की, भ्रष्टाचार की, शान्ति व्यवस्था की और मान्यवर, कृषकों की उपेक्षा की। इससे अतिरिक्त निर्माण कार्य की तथा वितरण कार्य की प्रणाली की। वैसे मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कुछ कहा है अगर आइटम वार उसकी व्याख्या मैं करूं तो शाम तक पूरा नहीं होगा, समय सीमित है। लेकिन आपने भी राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण को पढ़ा होगा। उसमें किंचितमात्र इसका आभास नहीं मिलता है कि इस सरकार को आभाषित है कि जीवन उपयोगी वस्तुओं के दाम निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही नहीं चले जा रहे हैं बल्कि इस समय दाम असहाय हो गए हैं। बर्दाश्त के बाहर हो गए हैं।

लेकिन मान्यवर, यह तो अपनी आंखों से जनता को दिखलवाना चाहते हैं वह समय आप भूल जाइये। जनता ने अब अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया है। अब वह आपकी आंख से नहीं देखेंगी। थोड़े समय में आपको मालूम हो जायेगा। अब ज्यादा दिन आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। इनका सारा का सारा भाषण भ्रमित करने वाला है, गुमराह करने वाला है कहीं इसका जिक्र नहीं है कि मूल्यबृद्धि को रोका जायेगा। इससे कष्टदायक और दुखद बात नहीं हो सकती है। जनता मूल्यबृद्धि से कराह रही है। महामहिम राज्यपाल ने जनता की परेशानी का कोई उल्लेख नहीं किया। जनता की परेशानी का इस सरकार को आभास नहीं है। क्या आशा की जा सकती है इस प्रदेश में इस सरकार से? कोई आशा नहीं की जा सकती है।

अभिभाषण में मान्यवर, इस तरह से लगता है कि जैसा पूरा शुद्ध प्रशासन हो गया है, भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख आभास नहीं है, जबकि हालत यह है कि ऐसी कोई जगह

†20 जनवरी, 1982 की कार्यवाही से

[श्री मोती लाल देहलवी--]

नहीं है ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां बगैर घूस लिये बिना रिश्वत लिये जनता का कोई काम हो रहा हो। मैं इस सरकार और मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि अगर कोई विभाग इस प्रकार का हो जहां बिना घूस के काम होता हो, तो वह बता दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा।

एक सदस्य--

आपके समय में क्या हुआ?

श्री मोती लाल देहलवी--

जो बुनियाद आपने सन् 47 में डाली थी उसी पर हमको रहना पड़ा। सारी जिम्मेदारी आपकी है। जो बुनियाद आपने डाली थी उसी पर दूसरों को रहना पड़ा। दूसरी बात कोई चीज आज ऐसी नहीं है जो बिना मिलावट के मिल रही हो। जहर भी असली नहीं मिल रहा है ऐसा समय आ गया है।

एक सदस्य--

पिछला तजुर्बा बता दें?

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा निश्चित मत है कि यह सरकार न तो मूल्य वृद्धि रोक सकती है और न भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश लगा सकती है। इसके कारण हैं, जिसे सब जानते हैं। मेरी अपनी धारणा है कि निजी चरित्र और सार्वजनिक चरित्र में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। मेरी अपनी धारणा है कि निजी चरित्र सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता है यदि राजनीतिक लोगों का चरित्र अच्छा हो जाय तो अच्छा काम होगा। राजनीतिक लोगों का निजी चरित्र अच्छा नहीं होगा तो न तो अच्छी राजनीति चलेगी और न प्रदेश के अन्दर कोई अच्छा काम होगा और न ही वह सरकार अच्छी नीति-निर्देशन लागू कर जनता को राहत दे सकती है। मेरा अपना विश्वास है कि यदि राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त हो जाय तो मेरी धारणा है कि यदि 90 प्रतिशत दूसरी समस्याएं इस प्रदेश के अन्दर अपने आप स्वतः समाप्त हो जायेंगी। मान्यवर, यह बातें भ्रष्टाचार की मैं नहीं कह रहा हूं। यह माननीय लोकपति के भाई ने कहा है जो मजदूर वाहिनी के अध्यक्ष मायापति त्रिपाठी जो कमला पति त्रिपाठी के पुत्र हैं, उत्तर प्रदेश शासन के कथित भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करें और राज्य के गृहमंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी को तुरन्त बरखास्त करने की मांग की।

श्री उपाध्यक्ष--

जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो उसके भाषण का क्या यहां उल्लेख हो सकता है?

श्री मोती लाल देहलवी--

मुझसे चूक हो गयी है। नाम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि इस सरकार के मंत्री हैं लोकपति त्रिपाठी, इसलिये मेरे लिये इतना काफी था कि उनके भाई ने इस तरह का बयान दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने स्वयं कह दिया कि नाम नहीं लेना चाहिए तो ठीक है

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने कहा कि जो सदन का सदस्य न हो उसके भाषण का यहां क्या जिक्र हो सकता है? इसमें मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है या भाषण भी नहीं किया जा सकता है, इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री मोती लाल देहलवी ने उत्तर दे दिया है कि नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, तो फिर डकैतों का नाम क्यों लिया जाता है जबकि वह सदन के सदस्य नहीं हैं?

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, भ्रष्टाचार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज का कथन है कि कल भारत विकास के वार्षिक समारोह में सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "कालेधन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और अधिक कार्यों में व्याप्त हो गया है और ऐसा महसूस होने लगा है कि कालेधन को समूल उखाड़ फेंकने में राजनीतिक संकल्प का अभाव है। जब तक सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों पर जो कि पार्टी के कोष के आवरण में कालेधन संग्रह में जुटे हुए हैं कड़ा अंकुश नहीं लगाया जाता है तब तक इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है।" यह दैनिक 'आज' में बात छपी है जो कि रिटायर्ड जज ने कहा है। इसलिये अगर राजनयिक निजी चरित्र अच्छा नहीं है तो फिर वह व्यक्ति जितने ही ऊंचे पद पर होगा उतना ही अधिक शासन कलुषित होगा। यहां यह बात है। मान्यवर, इस प्रदेश की गृह मंत्री जिनके बारे में जिक्र आया था कि उन्हें कुल 18 हजार रुपये मुआवजे का मिलना चाहिये था। लेकिन उस 18 हजार के बदले उन्होंने ले लिया 8 लाख रुपया मुआवजे में। वह विधायक थीं ऐसी हालत में उन्होंने ले लिया। कोई भूखे नंगे घर की नहीं हैं राजा की रानी हैं लेकिन यह स्थिति है। मान्यवर, सबसे बड़ा गलत काम किया है जो उन्होंने अपने पति राजा बख्शी के जीवित रहते हुए उन्हें मृत बताकर मुआवजा लिया है। इससे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात कोई और नहीं हो सकती।

(शेम शेम की आवाजें।)

मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले जिस वकील ने रानी साहिबा को मुआवजा दिलाया था 8 लाख रुपया उसका लड़का स्कूटर चोरी में पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो उसको गृह मंत्री जी ने छुड़वा दिया।

एक सदस्य–

इसको वह मना कर चुकी हैं।

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के पत्र डकैतों की जेब में मिले हैं। जो पुलिस मंत्री होते हुए भी चोर की सिफारिश करे, तो क्या यह संभव है कि इस प्रदेश की जनता की जानमाल की हिफाजत हो सकेगी? नहीं संभव है। जब चौकीदार चोरी कर रहा हो तो संभव नहीं है कि माल की हिफाजत हो सके। आज यही हालत है। मान्यवर, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, शांति और व्यवस्था नाम की कोई चीज अब इस प्रदेश में नहीं रह गयी है। मैं यह कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा हूं आज गांवों में लोगों

[श्री मोती लाल देहलवी–]

की यह धारणा हो गयी है कि अगर बाहर निकलेंगे और रिश्तेदारों में जावेंगे तो इनकाउंटर हो जायगा। गांव-गांव में यह चर्चा हो रही है। शांति और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री ने यह 20 नवम्बर को कहा था देहली से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि शांति और व्यवस्था की स्थिति काबू के बाहर हो चुकी है। जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री यह कह रहे हों तो नैतिक स्तर का तकाजा यही था कि उनको एक क्षण अपने पद पर नहीं रहना चाहिए।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें।)

लेकिन वह अपने पद पर बने हुए हैं। उन्हें सन्तोष इससे हो गया है कुछ निर्दोष लोग मारे गये हैं। निर्दोष लोगों के खून अपनी कुर्सी में लगाकर उससे चिपके हुए हैं और उनको संतोष हो गया है कि स्थिति काबू में हो गयी है। कोई सूची बद्ध डाकू नहीं पकड़ा गया और नहीं मारा गया है। मैं जानता हूं कि यह सब उनकी नजर में हैं, वह डाकू कांग्रेस के लोगों के संरक्षण में हैं और आजादी से घूम रहे हैं। फूलन देवी, मलखान सिंह, वगैरह जितने भी नामी डकैत हैं वह सब आजादी से घूम रहे हैं। तो आज शांति और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। डाकू आजाद तो रहेंगे ही जब माननीय मुख्य मंत्री के दो जीभ हो गयी हैं। दो जीभ का जानवर आप तो जानते हैं ही कि कौन होता है। अगर काट ले तो पानी नहीं मिलेगा कोई-कोई ऐसा होता है। एक तरफ प्रदेश में शांति व्यवस्था का आश्वासन दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था काबू के बाहर है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप पानी की रक्षा करें, और कृपया विराजें। 'पानी गये न ऊबरे मोती, मानुष चून।' इसलिए अब आप कृपया पानी की रक्षा करें।

श्री मोती लाल देहलवी–

मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसे पूर्णतया निरर्थक और तथ्यहीन पुलिन्दे से अधिक नहीं मानता हूं और जो माननीय नेता विरोधी दल ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री खुदादीन अंसारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे इस बात पर बेहद अफसोस है कि यह विपक्ष के लोग आज भी बोतल और शराब की ही बात को दोहरा रहे हैं और हर समय घूस-खोरी, रिश्वत खोरी, चोरी और डकैती की बातें ही करते हैं या शासन को कुछ बहुमूल्य सुझाव भी देंगे या केवल टीका-टिप्पणी और कीचड़ का उछालना ही इनका काम रह गया है इन्होंने अपने शासन काल में भी यही किया है इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सके और यही वह मेन कारण है जिसकी वजह से यह खुद भी डूबे और सारे प्रदेश को भी ले डूबे थे। आज जब हमारा शासन कुछ ऊपर उठना चाहता है और इस वर्ष को उत्पादन वर्ष के रूप में मनाना चाहता है, लेकिन विपक्ष के लोग इसका उल्टा कर रहे हैं जो प्रदेश और देश की प्रोन्नति के विपरीत है।

आप नहीं चाहते कि प्रदेश और देश कुछ आगे बढ़े। प्रदेश के कल-कारखानों का उत्पादन बढ़े। ये तो उत्पात बढ़ाने पर तुले हुए हैं और जिन लोगों का ऐसा भ्रष्ट चरित्र है उनको आप संरक्षण देते हैं इसीलिए जगह-जगह लूट-पाट, डकैती बसों में, ट्रेनों में मचा है और लोगों को बिना रिवाल्वर्स के लाइसेंस, हथगोले, लाठी-डंडे व शराब आदि उपलब्ध कराकर ये लोग देश और प्रदेश में अराजकता का एक वातावरण पैदा करना चाहते हैं यही इनकी भी नियत है।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री खुदादीन साहब, आप मुझ से मुखातिब हैं न कि किसी और से। इसलिए आप-आप करके बात न करिये।

श्री खुदादीन अंसारी–

जी हां, मान्यवर, मैं आपके द्वारा विपक्ष से ही मुखातिब होकर कहूंगा।

हम तो उत्पादन की अंतिम लक्ष्य को पार करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बंद का नारा लगा रहे हैं। अगर इनको यहां के नागरिकों से जरा भी हमदर्दी होती जो बेचारे परेशान हैं और दो रोटियों के लिए दिन रात अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, अगर उनके साथ इनको थोड़ा भी हमदर्दी और दुख-दर्द होता तो आप भारतवर्ष बंद का नारा कभी न लगाते और यही नहीं ये लोग हर जगह बंद ही बंद का नारा लगाते हैं। बंद खाते-खाते इनका दिमाग ही आप लोगों का बंद हो गया। और आप कहते हैं कि प्रशासन चुस्त नहीं रहा। लेकिन प्रशासन जब अपनी चुस्ती दिखाता है किसी चोर, डाकू या किसी बदमाश का इनकाउंटर हो जाता है तो ये लोग हाउस के अंदर बैठकर चिल्लाते हैं कि यह इन-काउन्टर सही नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर बात यह नहीं है, जिनका इन-काउन्टर हुआ होता है वह इनके सगे-सम्बन्धी ही होते हैं इसलिए आप यहां पर भी चिल्लाते हैं। इसलिये मैं इस आदरणीय सदन के अंदर बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका नाजायज तरीके से इन्काउन्टर हुआ हो, जिसका इन-काउन्टर हुआ भी होगा तो इनका ही या इनके दल से उनका सम्बन्ध होगा, अतः आपको उसके लिए दर्द पैदा होना स्वाभाविक ही है। हम देश के अंदर स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं इनके साथ बैठे हुए ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनके नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन पर डकैती और चोरी के केसेज चले हैं और चल रहे हैं और वह माइक के सामने आने पर मुखौटा लगाकर सामने बात करते हैं

(व्यवधान)

आप परेशान मत होइए। आप कानून की बात करते हैं, पूर्वांचल के पिछड़े हुए किसान, मैं खुद भी किसान हूं कितने परेशान थे। मैं पिछले दिनों के शासन काल में आपको ले जाना चाहता हूं। पूर्वान्चल के किसान गन्ने को बचपन से जिस तरह मां अपने बच्चे को पाल पोष कर बड़ा करती है और जब वह जवान हो जाता है तो सोचती है कि वह उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसी तरह से अपने गन्ने को तैयार करते हैं, फसल तैयार होने पर किसान मेड़ पर खड़े होकर वर्ष भर का लेखा-जोखा तैयार करने लगता है सोचते हैं कि फसल बिकने पर लड़की के हाथ पीले करेंगे, बच्चों की फीस अदा कर देंगे, बीमार मां का उपचार हो जाएगा, बाप के कपड़े बनवायेंगे इत्यादि-इत्यादि। परन्तु इनके शासन काल में जो हुआ सबको मालूम है लेकिन क्या उस समय गन्ने का रस समाप्त हो गया था, जब ये लोग सत्ता में थे? जब यह शक्ति में थे तब इन्होंने क्या किया? उन गरीब किसानों को अपनी फसल में आग लगानी पड़ी। लढ़िया पर लादकर गन्ना चरण सिंह की नाक पर होकर गुजरता था और सड़कों पर गन्ने को गिराकर किसान बुझे दिल से वापस आ जाते थे। ये तो वही बात हुई कि–

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

उनको अपना कोई ध्यान है कि प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने क्या किया ? विपक्ष में विरोध पक्ष के लोग हैं, जो कि आज प्रदेश को लूका लगाकर फूंक देना चाहते हैं।

मैं पूरे विश्वास के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में आस्था रखते हुए यह बताना चाहता हूं कि विरोध पक्ष ने जो षड़यन्त्र रचा है, हमारी सरकार उसका डटकर मुका-

[श्री खुदादीन अंसारी-]

मानेंगे और उधर से टूटकर हमारी ही साइड में आयेंगे। अभी इन्हीं परीक्षा के बाद हमने जनता का विश्वास पाया आपने कहा गढ़वाल के इलेक्शन के बारे में। ये लोग स्वयं मैदान छोड़कर भागते हैं, इनका काम केवल इल्जाम लगाना है। अगर इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो अभी हाल के इलेक्शन का परिणाम आपके सामने है। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो मैं आपको अखबार पढ़कर सुना सकता हूं। जनता ने इन लोगों को कड़ी डांट दी फिर भी इनका दिमाग नहीं सुधरता है। आज भी श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस प्रदेश की नहीं, देश की जनता की पूरी आस्था है। और जनता ने जो गदगद कण्ठ से नारा दिया था कि "आधी रोटी खायेंगे, इन्दिरा जी को लायेंगे" लेकिन जितने आदमी विपक्ष में चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाता है और न हुआ है। मैं विपक्ष के अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश आज संकट की घड़ी से गुजर रहा है। एक तरफ देश की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ यह लोग देश को बन्द करने की कार्यवाही कर रहे हैं, देश के अंदर हुड़दंग मचा रहे हैं, आन्तरिक झगड़े को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रशासन को छिन्न-भिन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस संबंध में मेरा कहना यही है कि :—

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस-धार नहीं,
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जब चाहे इधर के भाई हों चाहे उधर के भाई हों, जब कोई सदस्य अपना भाषण देता है तो दूसरी ओर के लोग उसके बीच में व्यवधान पैदा करते हैं। समय बोलने के लिए आप दस मिनट का ही देते हैं तो सदस्य उस व्यवधान के कारण अपनी बात नहीं कह पाता। इस पर आप कोई व्यवस्था दीजिये। यदि यही व्यवस्था रही तो कोई सदस्य अपनी बात नहीं कह सकता है। मान्यवर, अध्यक्ष की हैसियत से आप कोई ऐसी व्यवस्था दें जिससे कि भाषण के बीच में बार-बार व्यवधान न पैदा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, यदि आपने मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस को पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा कि प्रजातंत्र में एक दूसरे के भाषण में व्यवधान डालने के हकदार नहीं माने गये हैं। इसलिये इस पर मुझे व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर पहले ही व्यवस्था हो चुकी है।

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया जाना)

श्री खैरूल बशर—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं समझता हूं कि राज्यपाल का जो भाषण है वह एक अनर्गल बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है और एक बात, कि आज हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है उससे और उनके अभिभाषण से कोई मेल नहीं है। प्रदेश में आज जनता किस चीज से त्रस्त है? वह पुलिस के ताण्डव से, पुलिस द्वारा जो 302 के केस किये जा रहे हैं पुलिस हुक्कामों के साथ मिल कर जो कृत्य कर रही है, पुलिस पैसा लेकर मर्डर की कार्यवाही कर रही है, पुलिस इनकाउन्टर के नाम पर निरीह जनता का मर्डर कर रही है जिसके कारण आज लोगों को अपने बच्चों से कहना पड़ रहा है कि जरा समझ-बूझ कर दूसरे स्थानों पर जाना। वह इसलिये कि पुलिस छात्रों को पकड़ कर ले जाती है और बेवजह उनकी हत्या कर देती है। हमारे जिले में राम सनेही राय का मर्डर इसी प्रकार से हुआ। उस बेचारे का 15 साल का

लड़का बिलख-बिलख कर रो रहा था, उनको ले जा कर उनकी हत्या कर दी गयी। पुलिस इस तरह से छात्रों को पकड़-पकड़ कर मर्डर कर रही है।

मैंने एस0 एस0 पी0, आजमगढ़ से बात की। एक नौजवान जो दुबई से पासपोर्ट बनवा कर आया था, उसे वीजा मिल गया था, वह अपनी बीवी से मिलने के लिये आया था रात को अपने घर में सो रहा था, बीवी के साथ, पुलिस ने पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। मैंने एस0 एस0 पी0 से कहा, तीन दिन के लिए बीवी से मिलने आया था, एस0 एस0 पी0 ने कहा कि यह अपराधी है। मैंने कहा तो मुकदमा चलाइये, तो उन्होंने कहा कि ये लोग मिलते कहां हैं इस पर मैंने कहा कि यह तो कत्ल है, मर्डर है, और हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। सबसे बड़े जो जज हैं, उनको भी जब फांसी की सजा देने का मौका आता है तो बहुत सोच समझ कर सजा देते हैं। लेकिन ये लोग तो अपने विरोधियों का मर्डर कर रहे हैं। झारखण्डे राय का वह समर्थक था, उनको विजयी बनाया, एक एम0 पी0 को जिताने वाला आदमी था। यह ऐसी चीज है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं....

श्री त्रिवेनी–

मान्यवर, वह हिस्ट्रीशीटर था, 4 केस में इन्वाल्व था।

श्री खैरूल बशर–

हमारे प्रदेश में देवली, साढ़ूपुर आदि कांड हुए जिसमें हरिजनों की हत्याएं हुईं। इसमें एक मामला बड़ा गम्भीर है। हमारी गृह मंत्री, स्वरूप कुमारी बख्शी जी जब दूसरे दिन साढ़ूपुर गयीं तो वहां के हरिजनों ने कहा कि वापस चली जाओ। हम तुम्हारा काला मुंह नहीं देखना चाहते। हमारी होम मिनिस्टर से उन्होंने कहा। उसके बाद कुरील साहब गये, हरिजनों के मंत्री हैं, उनके सामने सरकार के दिए हुए कपड़े उन लोगों ने जला दिये, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सहायता नहीं चाहिए। इस तरह से हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था नहीं रह गयी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। पुलिस का राज है, जंगल का राज है। अगर सत्ता पक्ष ने अपने को न सम्हाला, अपनी नीतियां न बदलीं तो वह कूड़े-करकट के ढेर में फेंक दिया जायेगा।

सप्लाई विभाग मान्यवर, एकदम भ्रष्ट हो गया है। चोरबाजारी अपनी चरम सीमा पर है। सप्लाई विभाग चोर बाजारियों, ब्लैक मार्केटियर्स को प्रोटेक्शन देता है, उन को बचाता है। उनसे इनका हिस्सा बंधा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस विभाग के जरिए कोई आदमी अपना मकान नहीं बना सकता, 34 रुपये में बिकने वाली सीमेण्ट 90 और 100 रुपये में बिक रही है और ये लोग अब यही धंधा कर रहे हैं।

मैं इसी सदन में बताना चाहता हूं कि दिसम्बर मास की चीनी, ऐसे दुकानदारों को दुकानें दी गयी हैं कि, मेरी चीनी, चोर-बाजार में चली गयी और मुझे दिसम्बर मास की चीनी नहीं मिली। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

आज यही वजह है कि शासन पर जनता को भरोसा नहीं रह गया है। यह सरकार जनता की आशाओं का, नीतियों का हनन कर रही है, हत्या कर रही है। काला कानून बना कर जनता को दबाने की चेष्टा की जा रही है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे सेवा अधिनियम का कानून हो।

मजदूरों पर जो हमला किया गया है, यह जनतंत्र विरोधी है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के हमारे प्रदेश की जनता पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

[श्री खैरुल बशर]

मान्यवर, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। जिन जिलों की जनसंख्या 30 लाख से अधिक हो उनको विभाजित करके प्रशासन को सुधारने के लिए 2 जिले बना दिये जायं। आजमगढ़ में भी दो जिले बना दिये जायं। जो शहर 50 हजार से अधिक आबादी के हैं उनमें जिला स्तर के अस्पताल बनाये जायं। जिन शहरों में आवागमन की उचित व्यवस्था नहीं है उसको सुधारा जाय, जनता की तकलीफों को, दुखों को देखें और सुनें और ऐसी चीजें जो राजनीति से प्रेरित हों उनको नहीं करना चाहिए। इस तरह से जनतंत्र की भावना समाप्त होती जा रही है इसलिए मैं राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय।

*श्री नकली सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर मैं अपने सामने बैठे हुए साथियों की तीन चीजों के लिए बड़ी चिन्ता से देख रहा हूं। वह किसान के लिए बहुत चिंतित हैं, हरिजन के लिए बहुत चिंतित हैं और ला एण्ड आर्डर के लिए बहुत चिन्तित हैं। मान्यवर, ऐसा लगता है कि विरोध पक्ष का काम केवल सरकार का विरोध करना ही रह गया है। उनके अच्छे कामों को निगलना हो गया है। अगर हम किसान की ही बात लें तो कुछ कहते हैं सामने बैठने वाले कि गन्ने का भाव कम है, कुछ सामने बैठक वाले कहते हैं कि व्यापारियों को मुनाफा मिल रहा है, कुछ सामने बैठने वाले कहते हैं कि उपभोक्ता को चीनी नहीं मिल रही है।

मान्यवर, यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि तीन तरह की भाषा बोलने वाले आदमी एक मत पर सहमत हो जायं। शायद वह भूल रहे हैं कि यह पहली सरकार है जिसने किसी मिल मालिक से, किसी किसान से उसकी इच्छा नहीं पूछी, बल्कि गन्ने का भाव तय करके बता दिया है जिससे चीनी मिल मालिकों को उसके सामने झुकना पड़ा। यही कांग्रेस सरकार है जिसने सोचा है कि किसान का हित होना चाहिए। यही वह सरकार है जिसमें तीनों चीजों का समन्वय है। मान्यवर, आपकी याददाश्त के लिए बता देना चाहता हूं कि आपके तथाकथित नेता ने गन्ने का मूल्य 3 रुपया करवाया। मैं समझता हूं कि आप इस बात को नहीं भूले होंगे कि आपके तथाकथित नेता का कहना था कि गन्ना मेरे सिर पर बोओ। मान्यवर, मैंने कहा है कि तीनों बातें बराबर होनी चाहिए। आज न किसान गर रहा है और न उपभोक्ता गर रहा है।

मान्यवर, किसानों के लिये सरकार जो कुछ कर रही है, मैं चाहता हूं कि विरोधी पक्ष वाले उसमें सरकार को सहयोग दें, उसकी प्रशंसा करें। आज जानते हैं कि बिजली का उत्पादन कितना कम रहा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आसन से बातचीत न करें।

श्री नकली सिंह–

इसके बावजूद किसानों के खेतों पर बिजली पहुंची है, हर जगह पहुंची है। मोदी फैक्टरी या मोहन फैक्टरी या और दूसरी फैक्टरी भले ही बिजली से वंचित रही हों लेकिन इस सरकार ने किसानों के खेत नहीं सूखने दिया।

दूसरी बात जिसके लिये वे बहुत कहा करते हैं कि हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है और वे उनके दुख से बहुत द्रवित हैं। मान्यवर, मैं पूछता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो है वह उसका अधिकार सबको दिया है। क्या इससे बढ़ कर कोई और सम्पत्ति हम लोगों के पास हो सकती है? मताधिकार के अलावा और कोई बड़ी चीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे पास नहीं है लेकिन मेरे जनपद में इनके तथाकथित नेता ने कई क्षेत्रों में हरिजनों को वोट तक नहीं डालने दिया। मैंने तो इनके तथाकथित नेता चौधरी साहब को चैलेंज किया था कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाय तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर जनपद का सर्वे कराया जाय और देखा जाय कि सन् 1969 से 1980 तक वहां की क्या हालत रही है? क्या हरिजनों को राजनैतिक हक नहीं है कि वे अपना वोट जिसे चाहें दें? विरोधी पक्ष के लोग उनके मताधिकार को भी छीन लेना चाहते हैं।

आप जानते हैं कि सन् 1980 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो मुजफ्फरनगर जनपद के हरिजनों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया था। हमारी नेता तो श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं जिन्होंने हरिजनों के लिए सब कुछ किया क्योंकि वे गरीबों को समझते हैं। हरिजनों की मजदूरी, डेलीवेजेज को बढ़ाया, उनके वजीफे बढ़ाये हैं और सरकार ने मिल मालिकों के ऊपर 50 लाख से ऊपर के बकाये को लगान की तरह से वसूल करने के आदेश सरकार ने दिये हैं। व्यापारिक संस्थाओं में मजदूरों की हिस्सेदारी दी है।

तीसरी बात मैं ला एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में बता दूं कि जब मत पत्रों को मतदान के बक्स छीन कर ले भागने के इनके गैंग बने हुए हैं तो इनको क्या हक है कि वे सरकार के अच्छे कामों की भी भर्त्सना करें। उनके परिवार के दुःख को बांटते, उनके लिए कुछ कर देते, डकैतों को पकड़वाने में सहयोग करते, लेकिन आपने तो सबको पोलिटिकल इश्यू बना लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भला हुआ होगा चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी बाजपेयी जी के द्वारा पद यात्रा करने से? क्या उनकी पद यात्रा से दुःखी लोगों के पास अनाज पहुंच गया, उनका घर बन गया, उनको कपड़ा पहुंच गया। इतने निराश थे लोग हो गये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने चुनौती को स्वीकार किया नैतिक आधार पर। खुल्लमखुल्ला कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है। अगर एक माह के अंदर देहुली के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो इस्तीफा दे दूंगा।

मान्यवर, जिन लोगों का नैतिक पतन हो चुका होता है वे दूसरों का उत्थान नहीं देख सकते। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सराहना करनी चाहिए थी। 24 तारीख को लगभग सभी अभियुक्त पकड़ लिये गये। लेकिन कहने लगे राधे नहीं पकड़ा गया। डकैत मारे जाते हैं तो कहते हैं कि यह इनकाउन्टर है। डकैत पकड़े जाते हैं तो कहते हैं राजनीतिक समर्पण है। ठाकुरों ने भेजा बचाने के लिए। मैं अपनी ओर से कहता हूं कि आप राजनीतिक समर्पण करा दीजिए। आप ऐसा नहीं करा सकते क्योंकि आपको डाकुओं से प्रेम है।

आपकी मजबूरी है। (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुन्दर भारत का डाकू सम्राट नहीं था? एक तरफ डाकू मारे जायेंगे तो आप प्रदर्शन करेंगे। मैं कहता हूं कि डकैतों के प्रति प्रेम छोड़ दीजिए। कल माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे। ऐसा लगता था कि हाउस में नेता नहीं किसी कोतवाली का दीवान हो। मैं कहता हूं बदमाश मारे जायेंगे। आप कहते हैं भले आदमी मारे गये हैं। आपको उनके लिए दर्द हो रहा है। मैं कहता हूं कि एक मुंह से दो बातें न करें। एक तरफ ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं और दूसरी तरफ डकैतों को मारना फेक कहते हैं, फेक इनकाउन्टर हो रहे हैं, इस प्रकार की अनर्गल बात करते हैं। ला एण्ड आर्डर की स्थिति सम्भली है, उसमें और भी सुधार किया जा रहा है।

आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री भीखालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने, अन्य लोगों ने और मैंने रखा है उसके समर्थन में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं अपनी बात 19 तारीख की

[श्री भीखालाल]

हड़ताल से शुरू करना चाहता हूं। वैसे तो आपने कृपा करके बहस का समय दे दिया है लेकिन इस सम्बन्ध में दो-एक टिप्पणियां करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश के कुछ मजदूर संगठनों ने 23 नवम्बर को दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था और यह नारा दिया था कि 19 जनवरी को एक दिन की हड़ताल की जायेगी और "भारत बन्द" का नारा किसी भी संगठन ने जिसमें कि इन्टक भी शामिल है, नहीं दिया था। केवल बुर्जवा प्रेस और देश की प्रधान मंत्री ने स्वयं इसे "भारत बन्द" कहा और इसको राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी। उसी से प्रभावित होकर हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी इसे राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी।

मान्यवर अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्ट्राइक क्यों हुई? एक काला कानून भारत सरकार ने पास किया था जिसके द्वारा कि श्रमिकों के मौलिक अधिकारों, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल का जो मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है उस पर कुठाराघात किया गया है, उसके विरोध में यह हड़ताल थी। अपने देश के उत्पादन को गिराने, उसके विकास को पीछे ले जाने के संबंध में यह हड़ताल नहीं थी बल्कि काले कानून के प्रति विरोध को प्रकट करने के लिये यह हड़ताल की गई थी और इसी पर इस मजदूर और मेहनतकश वर्ग को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी गई। शासक दल के लोग भूल जाते हैं कि वह वर्ग राष्ट्रद्रोही नहीं है, वह देशभक्त है जिसने कि अपने देश की आजादी की रक्षा की है, देश के उत्पादन बढ़ाने में और उसकी सार्वभौमिकता की रक्षा करने में उतना ही योगदान दिया है, जितना कि आपने दिया है उतना ही दर्द उसको भी है जितना कि आपको है। यह वही वर्ग है जिसने कि बम्बई में बड़ी-बड़ी हड़ताल करके और मालिक विद्रोह करके अंग्रेजों के जमाने में उसकी नींव हिला दी और उनको हिन्दुस्तान से जाने के लिये मजबूर कर दिया। आप उसको राष्ट्रद्रोही कहते हैं।

एक टिप्पणी और करना चाहता हूं। हमारा देश अपनी आत्मनिर्भरता की नीति पर आगे बढ़ रहा है। समाजवादी देशों, सोवियत रूस और दूसरे मित्र देशों की मदद से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है लेकिन सरकार के तथाकथित दोस्त—ऊपर से दोस्ती और अन्दर से दुश्मनी—साम्राज्यवादी देश अमेरिका जैसे नहीं चाहते हैं कि यह देश अपने पैरों पर खड़े हो सके या तरक्की करे। वह नहीं चाहते कि यहां पर खुशहाली रह सके इसलिये वे तरह-तरह की बाधायें पैदा कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान हमारे ऊपर लड़ाई थोप रहा है और इसके लिये फौजों की भी तैयारी कर रहा है। जब इस तरह की स्थिति है, दुश्मन से टकराव की तैयारी है तो जरूरत क्या है, इस मौके का तकाजा क्या है। आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश के सभी वर्गों को एकताबद्ध किया जाय, परन्तु हमारे देश की सरकार की यह अदूरदर्शिता है कि वह ऐसे मौके पर देश में माने गये देश भक्त श्रमिकों को देशद्रोही कह रही है और उनसे टकराव लेना चाहती है। मान्यवर, मैं बराबर यह महसूस कर रहा हूं कि हमारे देश और प्रदेश में जनतांत्रिक प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर की जा रही है और एक दिन ऐसा आ सकता है कि पूरी व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाय। इसकी बहुत सी मिशालें हैं। हमारे नियमों में प्राविधान है कि विधान सभा की कम से कम 90 सिटिंग्स होंगी। मान्यवर, इस विधान सभा के कारण ही सरकार है और उसी को यह सरकार फेस करना नहीं चाहती है। नियमों में यह भी है कि विधान सभा के तीन सेशन होंगे। क्यों नहीं, सरकार विधान सभा बुलाती ?

[2 बजकर 40 मिनट]

अध्यादेशों से रूल करना चाहते हैं। विधान सभा बुलाने में क्यों कतराते हैं क्यों यहां से बिल पास नहीं कराते हैं? यह एक उदाहरण है। दूसरा मान्यवर, निष्पक्ष चुनाव

हों इस पर आज जनता में संदेह पैदा हो रहा है कि अब देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे। गढ़वाल की चर्चा प्रातःकाल हो चुकी है इसमें मैं इस समय डिटेल में नहीं जाऊंगा। यह एक उदाहरण है। जिला परिषदें भंग हैं कहते हैं कि जनता पार्टी ने भंग किया, गलत किया मैं उसका समर्थक नहीं हूं लेकिन क्या आपने उनको जिन्दा करने की कोशिश की? 11 साल हो गये हैं पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। यहां विधान सभा में खड़े होकर कहते हैं कि उसकी तैयारी में एक साल लगेगा।

पिछले डेढ़ साल से तीन बार चुनाव घोषणा की गई लेकिन क्या रुकावट है तैयारी करने में? क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों आदि में कब्जा करने के लिए उल्टा रास्ता अपना रहे हैं उनमें नामजदगी हो रही है। जिला परिषदों को जनता पार्टी की सरकार ने भंग किया लेकिन कोआपरेटिव सोसायटीज को किसने भंग किया, इस सरकार ने भंग किया। उसमें भी नामजदगी हो रही है, हर साधन सहकारी समिति में सरकारी सरपंच नामजद हो रहा है। वह सरपंच मिल कर ब्लाक समिति में पांच सदस्यों का चुनाव करेंगे, इसके बाद जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो इस तरह से एक तिकड़म हो रही है और जनतांत्रिक प्रणाली में कुठाराघात किया जा रहा है और अपने लोगों को भरा जा रहा है।

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का विश्वास जनतांत्रिक व्यवस्था से हटता जा रहा है। कड़वी बात सुनने का साहस होना चाहिए। अगर विश्वास होता और कांग्रेस (आई) संगठन में जनतांत्रिक व्यवस्था लागू होती, और पूरे देश में कमेटियों का चुनाव होता लेकिन नहीं। ऊपर से नीचे तक सब कमेटियां नामजद किये गये हैं। चाहे प्रदेश में हों या केन्द्र में हों सब कमेटीज में एक व्यक्ति द्वारा नामजदगी हो रही है। यह तानाशाही का द्योतक है।

मुझे सूचना मिली है कि कांग्रेस (आई) अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदेश आये हैं कि जिला कमेटियों की भी सूचियां मेरे पास भेजी जायं, उनको भी मैं नामजद करूंगी। उसके बाद मंडलों में भी नामजद करेंगे। तो यह जनवादी परम्परा अपनाई जा रही है। मान्यवर, हमारे संविधान में प्राविधान है कि चुनाव के बाद जो भी पार्टी बहुमत में आयेगी वह सरकार बनायेगी। 1980 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई उसको पूरा हक था कि वह अपनी सरकार बनाये। लेकिन मान्यवर, हमारे प्रदेश में कांग्रेस आई की जो सरकार है इसके नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह इस दल के द्वारा चुने हुए नेता नहीं हैं ऊपर से थोपे हुए हैं। अगर जनतंत्र में आस्था होती, माननीय सदस्यों को जो अधिकार दिया गया था उनके चुने हुए नेता तो संजय जी थे लेकिन उनको नहीं बैठाया गया था तो यह परम्परा जो है इससे जनतंत्र में आस्था कम हो रही है। यह प्रयास है कि पूरे देश की सत्ता श्रीमती गांधी के हाथ में रहे उसके लिए राष्ट्रपति प्रणाली का प्रयास हो रहा है।

श्रीमती गांधी अपने विश्वासपात्रों से इसका प्रचार करा रही हैं ताकि जनता में धीरे-धीरे यह बात आये। यह हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक चीज है। गढ़वाल संसदीय चुनाव का टालना, जिलापरिषदों में नामजदगी, पंचायतों के चुनाव न कराना, तकिल बाडीज के चुनाव न कराना इससे एक धारणा लोगों में बन रही है कि भविष्य में चुनाव होंगे या नहीं होंगे। शायद भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। यह धारणा बन रही है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं अनुशासनहीनता की, कानून तोड़ने की भावना बढ़ती चली जा रही है। शासन को चाहिए था कि इस प्रवृत्ति को रोका जाय। लेकिन अगर शासन, शासक लोग, शासक पार्टी भी वही करने लगेंगे तो उसका असर जनता पर क्या पड़ेगा, पूरे देश पर क्या असर पड़ेगा? आज कानून शासक पार्टी और शासन के लोग

[श्री भीखा लाल]
तोड़ते हैं। मान्यवर, मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ से निकलने वाले नार्दन इंडिया पत्रिका अखबार को जो इस बात का भंडाफोड़ कर रहा है। . . .

हमारे लखनऊ का मास्टर-प्लान बना हुआ है और एल0 डी0 ए0 का नियम यह है यदि कोई बिल्डिंग बने, कोई नया भवन बनवाए तो उसका नक्शा पास होना चाहिए और बिना नक्शा पास हुए कोई भवन बनाता है तो वह नियम विरुद्ध होगा और तोड़ा तक जा सकता है लेकिन हमारी सरकार ही इन नियमों को तोड़ रही है। हमारे सेक्रेटेरिएट की एनेक्सी पास में बन गई है, लेकिन इसका नक्शा पास नहीं है एल0 डी0 ए0 से। सरकार ने इतना बड़ा टूरिस्ट होटल गोमती होटल के नाम का बना लिया, और उसका भी नक्शा पास नहीं है। तो जब यह हालत है, उसमें यदि साधारण नागरिक बिना नक्शा पास कराये कोई भवन बना ले तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं। आज एन्क्रोचमेन्ट रोकने की बात कही जाती है, बड़े-बड़े दस्ते उसके लिये बनाये गये हैं। जिसके द्वारा छोटे गरीब लोगों की दूकानें तोड़ दी जाती हैं, रातों रात झोपड़ी उजाड़ दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर सरकार की तरफ से नजूल की जमीन पर, सरकारी जमीन पर इन्क्रोचमेन्ट होते हैं और सरकारी भवन बना लिए जाते हैं। इस स्थिति में यह सरकार कैसे हिम्मत रखती है कि दूसरे साधारण नागरिकों को ऐसे गलत कामों से वह रोक सके। यदि इस सबको रोकना है तो शासक दल के लोगों और विधायकों की ओर से इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। यदि शासक दल का कोई विधायक या अन्य आदमी ट्राफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्राफिक द्वारा रोका जाता है तो उसे चाहिए न्ये यह कि वह अपनी गलती मान ले, लेकिन यदि वह गलती मानने के बजाए उसको पकड़ कर उसके तमाचा मार देता है और उसकी कमीज पकड़ कर फाड़ डालता है, तो क्या आप इस चीज को रोक पायेंगे?

इसी तरह से शासक पार्टी के लोग यदि किसी मकान पर जाकर जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेंगे और उसके रहने वाले को बाहर निकाल फेंकेंगे, तो क्या आप कानून व्यवस्था की स्थापना कर पायेंगे? इसका असर हमारे ऊपर और पूरे देश की जनता पर पड़ता है, आपको इसको रोकना पड़ेगा यदि आपको अपने प्रदेश को ठीक से चलाना है। सरकारी हस्तक्षेप सरकारी काम में इतना बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे अभी दहेलवी साहब कह रहे थे कि बिना पैसा दिये प्रदेश के किसी दफ्तर में कोई काम होना सम्भव नहीं है, वह बिलकुल सही है। पहले तो बाबू के पास यदि कोई चला गया तो वह काम कराने के लिए, उसके बाद में 1-2 रुपया मांगता था, लेकिन अब तो वह बात करने के लिए ही रुपया मांगता है। काम तो वह बाद में करेगा, उसके लिए अलग से चाहिए। आज इतना अधिक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, फिर भी यदि कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो वह सरकार के डर से वर्तमान व्यवस्था में काम कर नहीं सकता है। अब तो ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि सरकारी प्रशासन सरकार पार्टी के हाथ की कठपुतली हो जाए।

मैंने एक पेपर में पढ़ा है कि यू0 पी0 सी0 सी0 के एक सेक्रेटरी ने बहराइच में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाषण दिया कि हमारी केन्द्रीय कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि जिलों में ट्रांसफर तभी किये जायेंगे जब उस सम्बन्ध में हमारी कमेटी प्रस्ताव पास कर देगी तो अब जिलाधीश पहले जाकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सलाम करेगा और तब जाकर उनकी मर्जी के मुताबिक प्रशासकीय कार्य करेगा। इस तरह से निष्पक्ष शासन क्या चल सकता है? यह रोज की दखलन्दाजी जो बढ़ रही है, उसमें रुकावट आनी चाहिए और इनको रोकना चाहिए।

मान्यवर, हरिजनों के उत्थान की बहुत बात कही गई है और राज्यपाल ने भी उस पर काफी कहा है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जितना कहा जाता है उसका

10 प्रतिशत भी यदि हो जाए तो हरिजनों के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन केवल प्रचार किया जाता है। सरकार ने एक स्कीम चलाई स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की। मैंने जब इस सम्बन्ध में जब बी0 डी0 ओ0 और दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों से पूछा कि यह क्या है, तो वह कहते हैं कि इसको अभी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाये हैं। तो जिसको उसे लागू करना है, वही समझ नहीं पाया है तो इसके अन्तर्गत क्या और कैसे काम होगा? इस प्लान में अपने प्रदेश में 15 लाख परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने की बात है। तो कैसे उठाना है, कैसे करना है, इसको करने वाला जानता ही नहीं है तो यह कैसे होगा? मैं चाहूंगा कि हमारे बाद जो मंत्री या विधायक यहां बोलें वही इसके बारे में प्रकाश डालें कि यह कैसे और कहां पर लागू हो रही है?

श्री मोहन सिंह–

प्रतापगढ़ में यह लागू हो रही है।

श्री भीखालाल–

. . . किस तरह से पूरा होगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हरिजनों के लिए आवासीय सुविधायें दी जा रही हैं। कुछ मकानों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं। 29 हजार मकान बन चुके हैं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक 45,000 मकान बन जायेंगे। क्या कहीं 2400 रुपये में मकान बन सकता है जिसके लिए 1800 रुपया सरकार की ओर से दिया जाता है और रुपया लेने वाले को 600 रुपया अपने श्रम से लगाने को कहा जाता है। कुछ उत्साही बी0 डी0 ओज0 हैं वे कहते हैं कि पक्के मकान बनाओ। हमारे क्षेत्र में हसनगंज ब्लाक के अवाद्वार गांव में लोगों को कहा गया कि आप पक्के मकान बनवाओ, हम ईंटें दे देंगे। 6 हजार ईंटें भी दे दी तो उससे कुछ ऊंची दीवारें तो बन गयी लेकिन उसके बाद छत खुली रह गयी तो इस प्रकार की आवासीय सुविधायें दी जा रही हैं।

मेरा तो इतना निवेदन है कि अगर उनको कुछ सुविधा वास्तव में देना चाहते हैं तो ऐसी रकम दीजिए भले ही आप कम को दें, 10 के स्थान पर 5 को ही दें लेकिन वह ऐसी तो हो कि जिससे वह 2 कोठरी, एक अपने लिए और एक जानवरों के लिए चहरदिवारी तो बनवा लें ताकि रात में उसके बच्चों को भेड़िया न उठा ले जाये। तो इस तरह से हरिजनों के उत्थान की बातें कही जाती हैं लेकिन काम बहुत कम होता है।

मंहगाई का जहां तक सम्बन्ध है जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक नहीं किया जाता है और उत्पादन को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाता है तब तक वितरण पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। जब तक वितरण के लिए जनता की कमेटियां नहीं रखी जायेंगी तो स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। गांवों में मिट्टी के तेल और चीनी के वितरण को प्राइवेट लोगों के हाथ में से लेकर कोआपरेटिव समितियों के हाथ में दे दिया गया। लेकिन वहां पर भी उनके अधिकारी बैठे हैं। पहले तो लाइसेन्सी डर भी जाता था लेकिन अब तो इनके अधिकारी बैठे हैं वे 2-2 और 3-3 महीने कोटा नहीं उठाते हैं।

आपने वेतन आयोग बैठाया, आप तनख्वाहें बढ़ाते चले जा रहे हैं और निश्चित आंकड़े तो मुझे नहीं मालूम लेकिन 40–50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार सरकार के ऊपर पड़ेगा लेकिन उससे आप किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाये हैं क्योंकि जितनी सरकार वेतन बढ़ाती है उतनी ही मंहगाई बढ़ जाती है। आप जड़ को पकड़िए और जब तक आप जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक मंहगाई का क्रम बढ़ता ही रहेगा। सरकारी कर्मचारी, मजदूर और मेहनत कश लोग, कोई न कोई, रोज प्रदर्शन करते ही रहते हैं। आज भी बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0 और वी0 एल0 डब्लू0 हजारों की तादाद में प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं क्योंकि जो तनख्वाह वेतनक्रम, आपने निश्चित किए हैं, उनसे वे संतुष्ट नहीं हैं।

आज महंगाई बढ़ रही है लेकिन प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ने किसानों के साथ कोई न्याय नहीं किया है। उनके उत्पादन की कीमत के बारे में एक ही बात कह कर अपनी पीठ ठोकते हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने तो 13 रुपये प्रति क्विन्टल गल्ले का दाम दिलाया था हम तो 22-23 रुपये दिला रहे हैं लेकिन शायद इनको स्मरण नहीं है कि उस समय चीनी का दाम भी 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो था जब कि आपने 3 1/2 (साढ़े तीन) रुपये प्रति किलो कर दिया है। तो अगर आपने गन्ने का दाम बढ़ा दिया है तो कोई वाह वाही नहीं लूटी है।

अभी परसों यहां पर माननीय मोहन सिंह जी ने जब प्रश्न किया तो बताया गया कि गेहूं की उत्पादन लागत 136 रुपये प्रति क्विन्टल आती है लेकिन किसान को आप 130 रुपये ही दे रहे हैं। मेरी तो निश्चित सूचना है कि जिस समय प्राइस कमीशन ने या भारत सरकार ने कीमतें मुकर्रर की थी तो जितनी भी हमारी सरकारी संस्थायें हैं, जैसे पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर की यूनिवर्सिटी, जहां पर कृषि का कार्य होता है, और सूरतगढ़ फार्म वहां से सूचनाएं आयीं थीं कि 150 रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं का लागत दाम आता है लेकिन आप 130 रुपया ही उनको देंगे। हिन्दुस्तान के किसान को यह 130 रुपये देंगे लेकिन अमेरिका से गल्ला 200 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से मंगायेंगे। अगर हिन्दुस्तान के किसान को यह 150 रुपये प्रति क्विन्टल का भाव दे देते तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इनको बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत ही न पड़ती। 150 रुपये किसान को देने से शायद इनको 10-15 करोड़ रुपया सब्सीडी के रूप में देना पड़ता, मगर अमेरिका से मंगाकर बेचने में सरकार को 100 करोड़ रुपया सब्सीडी देना पड़ रहा है। अमेरिका से गल्ला मंगाकर इस तरह से करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन किसान को नहीं देंगे।

अब मैं शान्ति व्यवस्था पर कुछ कहना चाहता हूं। शान्ति व्यवस्था पर यहां चर्चा आये दिन होती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में क्राइम रेट नेशनल क्राइम रेट के मुकाबले दुगुना हो गया है और इसमें उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली है। सामूहिक हत्याओं के मामलों में तो सरकार ने सेन्चुरी बनायी है। जब दीवली काण्ड हुआ तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक प्रतिज्ञा कर डाली कि अगर शान्ति व्यवस्था ठीक नहीं हुई, जाने माने गुण्डे और डाकू नहीं पकड़े जा सके तो वे इस्तीफा दे देंगे। बहुत अच्छी बात कही। प्रदेश की जनता को उससे कुछ तसल्ली भी हुई। तुलसी दास जी की एक चौपाई भी है — रघुकुल रीति सदा चलि आयी, प्राण जाय पर बचन न जायी। यह मुख्य मंत्री जी रघुवंशी हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह [* * *], रघुकुल वाले नहीं हैं।

श्री भीखा लाल—

प्रदेश के शासन ने मुख्य मंत्री जी के इस कथन पर सोचा कि कहीं मुख्य मंत्री की कुर्सी न चली जाये, अतः एक हजार एनकाउन्टर्स कर डाले जिसमें बहुत से फेक हैं, फर्जी हैं। कई के नाम यहां बताये गये, आजमगढ़ के एक रामसनेही राय का नाम भी लिया गया, आप उसी की जांच करवा कर देख लें। प्रशासन ने ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की है कि शांति-व्यवस्था बिलकुल ठीक है ताकि मुख्य मंत्री की कुर्सी न जाने पाये प्रदेश रघुवंशी वर्ग स्थिति से सजग हो उठा था। उसने इस बात को चुनौती स्वरूप लिया कि एक रघुवंशी प्रदेश की मुख्य मंत्री की कुर्सी पर पहली बार बैठा है उसकी कुर्सी किसी प्रकार न जाने पाये, प्रदेश का नाश भले हो जाये। उन्होंने यह भी महसूस किया है कि दो रघुवंशियों ने — संतोषा और राधे ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उनके कारण यह कुर्सी जा रही है। इसलिए संतोषा की गिरफ्तारी की व्यवस्था

नोट [***]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की गई है। आखिर कानपुर में एक रघुबंशी ने उसको पकड़वाया। मगर उसको वी0आई0पी0 ट्रीटमेंट दिया गया। राधे को भी पकड़ा गया, उसको भी वी0आई0पी0 ट्रीटमेंट दिया गया। अगर उसकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो गोली से भून दिया जाता। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री रघुकुल ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश चाहे चला जाये, उनकी कुर्सी न जाने पाये।

मान्यवर, भूतपूर्व गृह मंत्री श्री नौनिहाल सिंह ने एक बात कही थी कि हमारे प्रदेश में जो डकैत और अराजक तत्व हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। माननीय नौनिहाल सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने वह सूची बनवा ली है, मगर आज तक वह प्रस्तुत नहीं की गयी। माननीय बख्शी जी और माननीय मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं कि सूची बनवायी है, मगर उसे सामने लाइये और वह सूची निष्पक्ष रूप से चाहिये। श्रीमती बख्शी जी भी जब साढ़ूपुर गयीं थी तो उन्होंने बिना जांच किये यह फैसला दे डाला कि यह हत्याकाण्ड राजनीति से प्रेरित है। सूची की निष्पक्षता की एक ही कसौटी है और वह यह कि उस सूची में नं0 1 पर श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी का नाम होना चाहिये . . . (शोर व्यवधान) जब ऐसा होगा तभी वह सूची सही होगी, नहीं तो गलत। मान्यवर, लखनऊ के अन्दर एक स्कूटर लिफ्टर को माननीया गृह मंत्री जी ने छुड़वाया। मान्यवर, यह अखबारों में भी आया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अगर मेरे खिलाफ एक भी चार्ज साबित हो जाय, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता है, तो आप इस्तीफा देने के लिये तैयार हो जायें।

श्री भीखा लाल–

लखनऊ के अन्दर एक स्कूटर लिफ्टर है, माननीया मंत्री जी ने उसको छुड़वा दिया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अगर मैंने न छुड़वाया हो, तो आप रिजाइन करिये। मेरा चैलेन्ज आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा चैलेन्ज स्वीकार करिये।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, यह लखनऊ के अन्दर की ही बात है . . .

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं यहां के एक-एक डाकू को सफाया करने के लिये तैयार हूं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया।

श्री भीखा लाल–

सरकार के पास सूचना आई कि आर्म्स के जितने व्यापारी हैं वे जितने डकैत हैं, उत्तर प्रदेश के, उनको अम्यूनेशन सप्लाई करते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

लखनऊ में मेरे चार्ज लेने के बाद 6 डाकू पकड़े गये, मेरे जमाने में पकड़े गये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय भीखा लाल जी, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, सरकार को सूचना मिली कि यहां के आर्म्स डीलर्स जो हैं, डकैतों को आर्म्स देते हैं, उनका हिसाब-किताब देखा जाय। इसके लिये उनकी दूकानों पर छापे डाले गये और जांच की गई, लेकिन मान्यवर, छापे मारे जाने के पहले माननीया गृह मंत्री जी के यहां यह सूचना दे दी गई कि छापे मारे जाने वाले हैं इस प्रकार माननीया गृह मंत्री जी डकैतों और अराजक तत्वों को संरक्षण देती हैं घर से उनको पहले ही सूचना दे दी गयी कि छापे मारे जाने वाले हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बिलकुल गलत आरोप है। अगर यह आरोप सिद्ध हो जाय, तो मैं रिजाइन करने के लिये तैयार हूं, नहीं तो भीखा लाल जी इस्तीफा दे दें। मैं इसको चैलेंज करती हूं।

(श्री राम कुमार भार्गव का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हमारे चार्ज लेने के बाद जो डकैतों का सफाया हो रहा है, उसी से आप लोग परेशान हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार भार्गव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण उत्तर प्रदेश के जन-जीवन के हर पहलुओं पर रोशनी डालने वाला जो अभिभाषण है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मेरा चैलेंज स्वीकार किया कि नहीं, आया कि वह इस्तीफा देने को तैयार हैं कि नहीं, मैं पूछना चाहती हूं।

(श्री राम कुमार भार्गव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री जी का चैलेंज स्वीकार हो जाने दीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिये।

श्री राम कुमार भार्गव--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की कल्याणकारी नीतियों पर प्रकाश डाला है साथ ही साथ इसमें पैरा 17 में सरकार की नीतियों का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, सन् 1979-80 में 155 करोड़ रुपया किसानों के गन्ना का बाकी था यह तत्कालीन सरकार की मिल मालिकों के प्रति प्रेम था और तत्कालीन सरकार की नीति को यह उजागर करता है। मान्यवर, नवम्बर, 81 तक 155 करोड़ का घाटा था. . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, यह 155 करोड़ घटकर 13 लाख रह गया है। यह इस प्रकार की महान उपलब्धि है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री राम कुमार भार्गव–

पैरा 14 में आलू के सम्बन्ध में कहा गया है मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री से वार्ता भी हुई थी यह बात सही है कि मेरे प्रदेश में आलू की कीमत कम दी जा रही है दूसरे प्रदेशों में आसाम और गौहाटी में दुगुना मूल्य दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए केन्द्रीय खरीद बनाई जाय। केन्द्र द्वारा सरकार आलू लेकर अपनी तरफ से 20 रुपया कुन्तल मिलाकर दे और उसको उन प्रदेशों में भेजें जहां हमारे प्रदेश से आलू महंगी है। केन्द्रीय नीति इस प्रकार की होनी चाहिये। उद्योग बन्धु भी एक महान कदम है एक सुझाव देना चाहता हूं कि सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिष्ठा 56 और उनके साथ और सहायक को मिलाकर 100 कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में 25 अरब रुपया के नियोजन में 78-79 में घाटा 210 करोड़ का था और 79-80 में 382 करोड़ का हो गया। प्रति वर्ष 2 अरब रुपया घाटा हो रहा है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। अब मैं चाहूंगा कानून व्यवस्था के बारे में कुछ कहना। नेता विरोधी दल ने तो डकैती और कानून व्यवस्था के बारे में आधा समय लगा दिया। नेता विरोधी दल शिकायत एवं चिंता है डकैती उन्मूलन और डकैती अध्यादेश से।

मैं चाहूंगा कि वह अपना योगदान देखें जब उनकी सरकार बनी थी। स्मगलरों, कत्ल करने वालों को, जुल्म करने वालों को, डकैतों को जिनको मीसा में बन्द किया गया था उनको आने माला पहनाया और हीरो तथा नेता बनाया। अपने सरकार के इतिहास को देखें आपके 28 महीने के शासन में जितने आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस दिए गये हैं उतने पूरे देश के इतिहास में कभी लाइसेंस नहीं दिए गये। आप तो लगे रहे आयोग और कालपात्र की खुदाई करने में उसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि सदन की व्यवस्था के अन्तर्गत हमको बात करनी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की आड़ में कितने लोगों का कत्लेआम हो चुका है।

मैं चाहूंगा कि उनके आंकड़े देखे जाय और उनके आंकड़े पर देश को चलाते हैं, बल्कि सख्ती से जन जीवन की रक्षा की जाय और उनकी रक्षा ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता कह रहे थे कि फिर एमरजेन्सी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एमरजेन्सी की वकालत तो नहीं करता लेकिन आज रेल 1–2 दिन, 24 घंटे देर से चल रही है। उस वक्त भी यही रेल थी यही बसें थी यही दफ्तर थे जहां आम आदमी का काम सामान्य रूप से होता था। आज आदमी सड़क से उठा लिया जाता है यह लोकतंत्र की दोहाई देकर जिन लोगों का षड़यंत्र है मैं विरोधी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके नेता श्री राज नारायण ने यही लखनऊ में जो दिल बहलाने वाले कहलाते हैं, दो सम्प्रदायों के बीच में झगड़ा फैलाने के लिए नारों के बीच में अपनी फोटो खिंचाया यह सच्चाई है। लोकतंत्र के नाम की दोहाई देकर जो काम हो रहे हैं क्या वह उचित है? आज देश और प्रदेश में जो अराजकता का वातावरण फैला हुआ है उसके संबंध में मैं मांग करता हूं कि जो भी आपस में, दो धर्मों के बीच में विद्वेष फैलाने वाले हों, चाहे वह राजनैतिक पार्टियां हों, उन पर बैन लगाया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अमीनाबाद में मीटिंग हुई जिसमें गोडसे के भाई का भाषण हुआ और भाषण के समाप्त होने के दो दिन बाद वहां दो सम्प्रदायों के बीच में झगड़ा हो गया। इसलिए देश और प्रदेश को यदि बचाना है तो सख्त कदम उठाना चाहिए, चाहे उसका कोई रूप हो। लेकिन लोकतंत्र की आड़ में लोक की हत्या कभी भी बरदाश्त नहीं करना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जहां हमारी सरकार से हमें बहुत सी चीजें मिली हैं जैसे नया बिजली घर और सड़कें, लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में हमारा इलाका भी आता है जहां समुदाय की बात नहीं होती बल्कि वहां गरीबी का अभिशाप है इसलिए हमारे क्षेत्र का विशेष ध्यान बजट में रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं भी श्री बल्देव सिंह आर्य द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद तो नहीं दे सकता लेकिन सत्ता पक्ष के उन सदस्यों को जरूर बधाई देता हूं कि जो अपने शासन के दोषों पर पर्दा डालने की खूबी के साथ चेष्टा की है।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण जो तीन मुद्दों को मिले हैं उनमें प्रदेश की जो 11 समस्याओं के महत्वपूर्ण बिन्दु रहे हैं उनके आधार पर मैं सदन में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देने की बात राज्यपाल ने अपने पहले अभिभाषण में कहा था। लेकिन उसके बाद अपने दोनों अभिभाषण में मौन रहे। लगता है कि उनको अहसास हो गया था कि प्रदेश में पूरा स्वच्छ प्रशासन आ गया है वरना या तो स्वच्छ प्रशासन से उनको घृणा है। दूसरी चीज निर्बल वर्ग हरिजन महिलाओं एवं अल्प संख्यकों पर अत्याचार के बारे में तो पहले अभिभाषण में कहा था। खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस समय पहले अभिभाषण में तो कहा लेकिन उसके बाद दूसरे अभिभाषण में विशेष ध्यान दिया जायेगा केवल कहा था और तीसरे जो यह अभिभाषण है उसमें सुरक्षा पर केवल मौन हो गये कि हरिजनों की सुरक्षा यह सरकार कर पायेगी कि नहीं इस पर मौन हो गये और राज्यपाल महोदय ने कहा कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु यह सुविधायें दी जायेगी यानि खाने को दिया जायेगा जैसे मांसाहारियों को बकरे को भोजन के रूप में दिया जाता है और उसके मांस को खाया जाता है। इसलिए बड़े ही खेद की बात है कि राज्यपाल महोदय ने.....।

केवल उन हत्याओं देवली काण्ड और साढ़पुर में जो हुयी है उन पर ही अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, लेकिन ऐसे काण्ड की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, फिर बताओ किस तरह से धन्यवाद दिया जाए, अगर इस पर हम आपको धन्यवाद देते भी हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता हो नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता हमारे मुंह पर थूकेगी। खैर हरिजनों के बारे में तो अभी चर्चा होनी है, इसलिए इस पर तभी कहा जायेगा। लघु उद्योग के बारे में क्या कहा गया?

राज्यपाल महोदय ने तो इस सम्बन्ध में पहले अभिभाषण में कुछ ऊपर की बात कही थी लेकिन अब इस अभिभाषण में ऊपर से बिलकुल ही नीचे उतर आये। यह नहीं कहा कि गांवों की बेरोजगारी दूर करने के लिये लघु उद्योग को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जायेगी। इसलिए मैं 11वें मुद्दे को यहां पर सिद्ध करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने तो लघु उद्योग के साथ एक खिलवाड़ किया है और यह कहा कि इसे बड़े उद्योगों के साथ इनको भी विकसित किया जायेगा। मान्यवर, अंत्योदय की योजना इस प्रदेश में लागू थी जिसमें 5 परिवार प्रति वर्ष प्रति गांव के गरीब लाभान्वित हो रहे थे, पिछले अभिभाषण में तो स्वयं राज्यपाल महोदय ने यह स्वीकार किया था कि बड़ी अच्छी योजना है, इसे चलने दिया जायेगा। परन्तु मान्यवर, अब यह योजना समाप्त हो गयी है तो आपको किस दिल से धन्यवाद दिया जाए।

मान्यवर, सत्तापक्ष की तरफ से यह कहा गया कि आधी रोटी खाकर के मान्यवर, यह आधी रोटी किसकी खायेंगे अमीर की नहीं खायेंगे बल्कि आधी रोटी उसी गरीब की खायेंगे जो दिन भर के अथक परिश्रम से खून और पसीने को एक करके एक रोटी को कमाता है उसी की रोटी को ये लोग अब खा रहे हैं। पिछली सरकार की नीतियों के बारे में कहा गया कि इनकी नीतियों के कारण अप्रत्याशित मूल्यों में वृद्धि हुई है। लेकिन इनको तो इधर डेढ़ वर्ष से अधिक हो गये हैं शासन को संभाले हुए, तब भी यह मूल्यों पर कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन इनके (पिछली सरकार) ढाई साल के शासन काल में मूल्य जहां पर थे, वहीं पर रुके रहे और काफी कंट्रोल रहा, लेकिन अब इनके काल में प्राइस तो आसमान को छू रहे हैं, जिन पर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहा, मान्यवर, अगर उस समय की प्राइस-लिस्ट को मंगाकर देख लिया जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि उस समय मूल्य क्या थे और आज मूल्य क्या हैं। इनको धन्यवाद किस तरह से दिया जाए। अब मान्यवर, सहकारी समितियों के चुनाव की बात को ले लीजिये। आपको भी मान्यवर, स्वयं याद होगा और इस आदर-

णीय सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि पहले गन्ना विकास परिषद् के अध्यक्ष का नाम-निर्देशन पहले भी कांग्रेस की सरकार स्वयं कर दिया करती थी, यह प्रथा कांग्रेस के ही जमाने से ही चली आ रही है, लेकिन चुपके अब खुले आम इस सम्बन्ध में एप्लीकेशन इंवाइट की जा रही है, जिससे जनतांत्रिक मूल्यों का खुले आम मखौल उड़ा रहे हैं।

तो मान्यवर, आज शासन का यह हाल है कि यह सहकारी समितियों का चुनाव नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ का हृदय इस बात को सुनते ही कांपने लगता है और इनको अब अपने ही जमाने के चुने हुए प्रधानों पर भी भरोसा नहीं रहा। आज के प्रधान जो हैं वह जनता पार्टी के समय के चुने नहीं हैं। यह इन्हीं के जमाने के चुने हुए प्रधान हैं, जिनके ऊपर से भी इनका विश्वास उठ चुका है, इसकी मुख्य वजह यह है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। मान्यवर, यह रही लोकतांत्रिक मूल्यों की बात। जहां तक कृषकों को दर्शन का सवाल है, उनको केवल पानी दे रहे हैं। अन्य सामग्रियों की चिन्ता नहीं है। राज्यपाल महोदय को साहस नहीं हुआ कि इसको एक लाभकारी उद्योग के रूप में विकसित करने की बात करें। फिर हम धन्यवाद किस मुंह से दे सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, खाद्यान्न योजना के सम्बन्ध में, इस योजना को भी आपने खटाई में डाल दिया। इस योजना के नाम को बदल कर ग्रामीण रोजगार योजना पर थोड़ी बहुत धनराशि पहुंचायी जा रही है, लेकिन जिस व्यापक रूप से जनता पार्टी इसको चला रही थी, वह व्यापक रूप इसका समाप्त हो गया।

मैं सत्तापक्ष से कहना चाहता हूं बेलछी काण्ड में हाथी के हौदे पर सवार होकर जाने वाली इन्दिरा गांधी को आपने अपना रहनुमा माना, लेकिन उससे हुआ क्या? नारायणपुर काण्ड को देख लें मामूली काण्ड की आड़ में आपने शासन बदल दिया। देवली और साढ़ूपुर में जो हत्यायें हुईं, मेरा स्पष्ट चार्ज है कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर यह हत्याएं करा रहा है। यहां पर हरिजनों को षड़यंत्र के नाम पर आतंकित करने का काम मुख्य मंत्री ने किया है। अगर ऐसे लोग हैं जो षड़यंत्र में भाग लेते हैं तो उन्हें पहले जेलों में बंद कर दिया जाना चाहिए तब कहना चाहिए। इसका कारण बताना चाहता हूं। बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में जो बिगुल बजाया गया है, उससे इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है इसलिए अब अगले चुनाव तक हरिजनों को आतंकित कर अपने वस में रखना चाहते हैं। संतोषा को सर्किट हाउस में मुलाकात करने के लिए बुलाया गया और उसे मुर्गा खिलाया गया जबकि अच्छे नेताओं के साथ जेलों में ऐसा व्यवहार आपातकाल में नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उनको 12 वर्ष और 7 वर्ष के बालकों की हत्या से दिल नहीं भरा कि अपनी जबरन कुर्सी से चिपके हैं वे प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। क्या उस खून से यह द्रवित नहीं हुए? भावनाएं हैं ही नहीं सत्ता पक्ष की तरफ, इसलिए यह कविता हमारे तरफ से शोभा देती इधर से नहीं मैं कहना चाहता हूं कि—

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भावुकता जैसी कोई वस्तु उनके हृदय में है? 80 हजार के नाम पर साढ़े आठ लाख रुपया मुआवजा लेने वाली स्वरूप कुमारी बख्शी जब इस प्रदेश की गृह मंत्री हुई हैं तो इस प्रदेश का कल्याण सम्भव नहीं है।

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री भीखा लाल जी ने इस सम्बन्ध में सही कहा है कि माननीय गृह मंत्री अपराधियों की सूची में दर्ज करने योग्य हैं। आज हरिजनों पर जो जुल्म ढाये जा रहे हैं, वह बयान करने के काबिल नहीं है। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

*श्री पन्ने लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कल जो माननीय बल्देव सिंह आर्य द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह वर्ष उत्पादन का वर्ष रखा गया है। हमारे विरोधी नेताओं के सामने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, जब उन्होंने उत्पादन का नाम सुना तो भयभीत हो गये। हमारे देश की जनता गरीब है, उसकी गरीबी को दूर करने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जनता के कल्याण के लिये तमाम योजनाएं बनायी हैं। जब उन्होंने देखा कि इस वर्ष उत्पादन हर क्षेत्र में बढ़ेगा चाहे वह खेत हो, चाहे वो मिल व कारखाना हो, चाहे वह रेलवे हो, चाहे वो दफ्तर हो, तो देश की स्थिति इतनी मजबूत हो जायेगी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के लिये जो संकल्प किया है गरीबों की गरीबी को दूर करने का, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का वह सपना साकार हो जायेगा, तो ये लोग भयभीत हो गये। इसलिए इन्होंने यह सोचा कि देश के उत्पादन को आगे न बढ़ने दें जिससे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की जो कामना है गरीबों की गरीबी को दूर करने की, वह उनकी गरीबी दूर न हो।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे साथियों ने यहां पर हरिजनों की बात कही। मैं भी एक हरिजन हूं और मैं उनकी पीड़ा को जानता हूं। जितने लोग हरिजन नहीं हैं वह केवल दिखावे के लिए यहां पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, हरिजनों का हवाला दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर उनके दिल में दर्द होता तो हरिजनों पर ये अत्याचार न होते।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इस सदन के माध्यम से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज विरोधी पक्ष की जो स्थिति है जब ये सत्ता में थे तो बाबू जगजीवन राम के प्रधान मंत्री पद की बात आयी तो ये सहमत नहीं हुए। जब हरिजनों का सवाल आया तो कुछ लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हरिजनों ने खुलेआम चुनाव के समय बाबू जगजीवन राम का साथ दिया। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हरिजनों के लिये 10 वर्ष के आरक्षण के समय को बढ़ाया। हरिजनों का आरक्षण पदोन्नति में भी किया गया उनके सम्बन्ध में हमारे साथियों ने कल यहां पर चर्चा की और तमाम टीका-टिप्पणी हुई अगर यह माना जाय कि वे हरिजनों का हित चाहते हैं तो फिर जो बातें की गयी हैं, जो अत्याचार उनके साथ हुए हैं, यदि सरकार उनके लिए उनकी पदोन्नति के लिए कुछ करती है तो वे उसमें बाधक न होते बल्कि सहयोग देने की कोशिश करते।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उस समय एक "नसबन्दी का अभियान" चलाया गया था। यह काम देश की बेहतरी के लिये था परन्तु इसके अन्तर्गत तमाम भ्रामक प्रचार शुरू हो गये। इसी प्रकार से जब डाकुओं के अभियान का कार्यक्रम चलाया गया है तो फिर इन्होंने वही भ्रामक प्रचार अपना लिये हैं। तमाम गरीब अत्याचार के शिकार होंगे। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को आगाह करता हूं कि यदि इस पर कन्ट्रोल न किया गया, इस तरह के गलत प्रचार को यदि रोका न गया तो देश का विकास नहीं हो पायेगा। मैं यह नहीं कहता कि जो काम गलत हुए हैं उन पर कार्यवाही न की जाय परन्तु मुझे आपत्ति इस बात की है भ्रामक बातों का प्रचार न किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं फिर विरोधियों की भावनाओं को दोहराता हूं। अभी कुछ दिन पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आसाम समस्या को हल करने के लिये एक त्रिपक्षीय आयोग बनाने की बात कही। इसमें सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष तथा छात्र पक्ष को रखे जाने की बात थी। परन्तु उसके विरोध में माननीय चौधरी चरण सिंह ने इन्कार कर दिया कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा। इस तरह से जाहिर होता है कि हमारे विरोधियों की नियत कैसी है। माननीय उपाध्यक्ष जी, तमाम ऐसे मसले हैं जिससे इस देश की जनता के सामने काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो अगर आप हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं तो हर जिले में जिलाधिकारी और एस0पी0 में से कोई एक हरिजन जरूर होना चाहिए और उनको यह हिदायत होनी चाहिए कि जिसकी गलती से भी काम होगा, उसको दण्ड दिया जायेगा। यह जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाये। दूसरा—जहां इस सरकार ने तमाम योजनाएं चलायी गई हैं, भूमि के पट्टे की जो व्यवस्था की है, तो उस संबंध में सरकार मुस्तैदी से काम करे। कुछ लोग जबरिया पट्टे करा लिये हैं, दूसरों के पट्टों पर कब्जा किये हैं। मान्यवर, एक गांव कौवाडीह है, वहां के मनीराम भट्ट प्रधान के लड़के हैं, भूमिहीन भी नहीं हैं, उसके बावजूद गांव समाज की जमीन का पट्टा करा लिया है। पिछले सदन में भी मैंने कहा था लेकिन कोई सुनवायी हुई थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कठोर कदम उठाये जायें ताकि हरिजनों को पट्टे मिल सकें।

इसके साथ माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की तरफ से धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है और उस पर हमारे नेता ने जो विचार रखे हैं, उससे अपने को जोड़ता हूं और कहना चाहता हूं कि अभिभाषण जो हम लोगों के बीच में आया है, पहले तीन अभिभाषणों को पढ़ने से बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्रदेश को गुमराह करने के लिए सत्तारूढ़ दल का केवल प्रचार करने के लिए यह पुस्तिका छापी गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर इसको आप विस्तार से देखें तो आप को लगेगा कि प्रदेश की मूल जो स्थिति है, उसको तुलना करें, 15 अगस्त, 1947 से आज तक की स्थिति को देखें, तो मान्यवर, 37 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे और उसके बाद, जैसा कि हमारे माननीय योजना मंत्री ने केन्द्र को बताया है, उसी के आधार पर हमारे देश में 56 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गये हैं। उत्तर प्रदेश करीब-करीब सभी प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। प्रदेश के अन्दर इस समय करीब-करीब 61-62 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और उनके लिये जो विचार किया गया है, जो कुछ किया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मैं आपके माध्यम से एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और गांवों में निवास करता है। तो पहली चीज यह है कि जब तक गांवों को शहरों से जोड़ने का काम नहीं किया जाता तब तक गरीबी नहीं जा सकती। हमारी सरकार ने, जनता सरकार ने बहुत विस्तार से गांवों को शहरों से जोड़ने का काम किया था। दूसरा काम है शिक्षा का। मैं आप को बताना चाहता हूं कि पूरे तौर से प्रदेश को देखें तो जो जनता सरकार के समय में स्कूल खुले थे वे आज पेड़ के नीचे लग रहे हैं और एक मास्टर बैठा काम कर रहा है। यही नहीं दो हजार प्राइमरी स्कूल, मान्यता प्राप्त, हमारे प्रदेश में हैं जिनमें आज भी वेतन देने का काम व्यवस्थापक लोग करते हैं। जिसमें 60 से 100 रुपया वेतन दिया जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द वर्मा]

पानी की व्यवस्था की बात है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कहीं भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देखें पिछले दो सालों के अन्दर इस सरकार ने पानी की कीमत दोगुनी कर दी है। जहां पानी 8 रुपया बीघा मिलता था वहां अब 16 रु0 बीघा हो गया है। बिजली का दाम बढ़ाकर भी पानी की कीमत बढ़ाने का काम किया गया है। किसानों की पैदा की हुई चीज की कीमत उसको नहीं मिलती है। उसका शोषण करने का मौका यहां के पूंजीपतियों को दिया गया है। भारत की सरकार ने यह कहा कि अबकी बार 70 लाख मैट्रिक टन शक्कर पैदा होगी। आपकी सरकार ने चीनी का 15 पैसे प्रति किलो पर दाम बढ़ाने का काम किया है। इससे एक अरब पांच करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों की जेब में चला जायेगा। यह कहते हैं कि हम मजदूरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, किसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पहले मुख्य मंत्री ने यह घोषणा किया, कि पिछले साल से हम गन्ने का मूल्य नहीं घटायेंगे लेकिन गन्ना 23 रुपये से घटाकर साढ़े 21 रुपया और 22 रुपया से घटाकर साढ़े 20 रुपया किया गया।

आप निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि इससे 70 करोड़ क्विंटल गन्ना इस देश से चला जायेगा और एक अरब पांच करोड़ रुपया किसानों की जेब से निकलकर पूंजीपतियों की जेब में चला जायेगा। इस तरह से किसानों का शोषण करने का काम किया गया। पिछले गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद और अपने इस अभिभाषण के बीच में तमाम महंगाई बढ़ाने का काम किया गया है। किसान की जमीन का लगान बढ़ाने का काम किया गया है। पिछली जनता सरकार ने, लोकदल की सरकार ने हरिजनों की जमीन पर लगान माफ करने का काम किया था। उस समय 3 1/8 एकड़ जमीन का लगान माफ किया गया था। अब केवल 7 बीघा रखा गया है यानी एक एकड़ और कुछ अंश। किसान के लगान को सवाया किया गया है। खाद के दाम को ड्योढ़ा किया गया है। पानी के दाम को दुगुना किया गया है। बिजली के दाम को दुगुना किया गया है। बसों के किराये को बढ़ाने का काम किया गया है। ट्रेन के किराये को बढ़ाने का काम किया गया है। हर चीज के दाम को बढ़ाने का काम किया गया है।

मैं कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष के साथियों से कि चलकर देखें कि सीतापुर में 4 रुपया और 5 रुपया गन्ने की कीमत हमारे किसानों को मिल रही है। इस तरह से देश को लूटने का काम किया जा रहा है। वह गरीब जो धरती का राजा होता है, वह गरीब की जो धरती को खोदता है, पाटता है उस गरीब को लूटने का काम किया जा रहा है। आपने 32 वर्षों के शासन में क्या किया है इस पर आपको विचार करना होगा और अगर आप विचार नहीं करते हैं, केवल बोलना जानते हैं और बेशर्मी पर पर्दा डालना चाहते हैं, केवल भाषण करने का काम करते हैं तो इस तरह से शासन नहीं चलने वाला। आप इन्दिरा गांधी जी की तुलना कर लें और विरोध पक्ष के नेताओं की तुलना कर लें। कौन सा नेता यहां का ऐसा है जो पूंजीपतियों से हाथ मिलाता है। इन्दिरा गांधी पूंजीपतियों से हाथ मिलाती हैं। इस तरह से हिन्दुस्तान की जनता को आप कब तक गुमराह कर सकोगे। नारायणपुर के काण्ड का किस तरह से रोना रो रहे हो और बाकी जो काण्ड हो रहे हैं उनको किस तरह से रोना रो रहे हो। कल हमारे नेता ने कहा था कि सीतापुर के अन्दर कुछ बदमाश पकड़े गये थे और उन बदमाशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक मंत्री के रिश्तेदार हैं। सीतापुर में क्या हो रहा है, इस को चल कर आप देख लें। आज सीतापुर पूरी तरह से डकैती, लूट और घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है। वहां के एक प्रमुख मंत्री 15 दिन के अन्दर एक दिन अवश्य जाते हैं। वहां बाशिन्दों के ऊपर पुलिस गोली चलाती है। इस तरह की घटनायें सीतापुर में आये दिन हो रही हैं। सत्तारूढ़ दल के इशारे पर दूसरे दल के निर्दोष कार्यकर्ताओं को दफा 302 व तमाम सेक्शन्स के अन्तर्गत फंसाने की साजिश की जा रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश को ऊपर उठाने की योजना सरकार की है।

समय निकलता जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि समय के रहते हुए आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, देश और प्रदेश को ऊपर उठाने का काम नहीं किया और टाटा, बिड़ला आदि पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाने का ही काम करते रहे तो इसका नतीजा अच्छा न होगा।

(3 बजकर 40 मिनट)

आज बिड़ला हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा पूंजीपति है आज उसकी पूंजी अकेले ही 1185 करोड़ रुपये की है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले प्रदेशों की सारी सम्पत्ति बेंच दी जाय तो इसके मुकाबले में एक अकेला बिड़ला परिवार रह जाता है। हिन्दुस्तान के इन दोनों बड़े राज्यों को नंगा करके बिड़ला दिन प्रति दिन अपनी पूंजी बढ़ाता ही जा रहा है। आज सर्दी के महीने में आप चल कर देखें कि इन राज्यों के ज्यादातर गरीब सूती कपड़े ओढ़ पहन कर ही किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि हम हिन्दुस्तान की रहनुमाई कर रहे हैं लेकिन आपने लाखों करोड़ों गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कोई काम नहीं किया है। श्री अम्मार रिजवी साहब जो इस सरकार की कैबिनेट के एक प्रमुख मंत्री हैं, अपने क्षेत्र में चलकर महमूदाबाद व लहरपुर की हालत देखें कि वहां के पचासों हजार परिवार किस तरह से अपनी जिन्दगी काट रहे हैं उनके तमाम घर गिरते जा रहे हैं, पूरा गांव गिर रहा है। जहां खाना बनाते हैं वहीं नीचे से पानी निकल आता है जिससे उनका रोटी बनाना भी मुश्किल हो रहा है। यह कितने शर्म की बात है कि उसी क्षेत्र का एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत से रह रहा हो और उनकी हालत पर कोई ध्यान न दे सके। जब सीतापुर, महमूदाबाद और लहरपुर की हालत को आप नहीं देखते हैं तो फिर झांसी, हमीरपुर और देवरिया में क्या हो रहा है उसको आप कैसे देख सकते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी तो आज पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहीं हैं। मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूं कि आपके ऊंचे अधिकारी जो यहां बैठे हुए हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि इस प्रदेश की हालत क्या है और उनके साथ भी आपका व्यवहार कैसा है।

हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये जो वेतन आयोग बैठा था उसकी रिपोर्ट को भी सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया है जिसकी वजह से आज लाखों कर्मचारी जनपद से लेकर ब्लाक स्तर तक के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि वेतन आयोग की रिपोर्ट उनके खिलाफ है। वेतन बढ़ाने की मांग पर आपने आयोग बैठाया था लेकिन वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनका एक पैसा भी नहीं बढ़ा है और वह किसी न किसी खाते में चला गया है। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री झूठे हैं। आज सरकारी कर्मचारियों द्वारा जगह-जगह भूखहड़तालें हो रही हैं, नारे लगाये जा रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार किया जाय लेकिन यह सरकार तमाम आश्वासन देने के बाद भी उससे मुकर जाती है। अभी जेल कर्मचारियों की जब हड़ताल हुई थी तो मुख्य मंत्री ने लिखित आश्वासन दिया कि उनकी मांगें पूरी कर दी जायेंगी लेकिन दूसरी तरफ मुकर गये। इस सरकार ने गढ़वाल उप चुनाव के नाम पर जेल कर्मचारियों को ठोकर दिया और उनको लूटने व दबाने का काम किया।

मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यही चीज चलती रही तो आप लखनऊ में गद्दी पर बैठे रहेंगे और प्रदेश आप के पैरों से निकल जायगा और प्रदेश की जनता आप को जनता की अदालत में पेश करेगी और वह सजा देगी जो आप के सामने आयेगी। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह देश और प्रदेश जनता का है, गरीबों का देश है, यह प्रदेश मजदूरों का प्रदेश है, किसानों का है, उन के साथ अन्याय बंद करिये। बहुत कुछ हो चुका है।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आपने वादा किया है। गांवों को सड़क से जोड़ने का काम कीजिए, गांवों में पानी दीजिए। अपने कमीशन से रिपोर्ट मंगवाइये कि गेहूं की कितनी पैदावार होती है, कितना मुनाफा होता है। किसान को उस की उपज

[श्री हरगोविन्द वर्मा]
का उचित दाम दीजिए। गन्ने का ठीक दाम दीजिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस वर्ष कपड़े की कीमत 160 फीसदी बढ़ी है। कन्ट्रोल का कपड़ा जो दो रुपये मीटर था वह साढ़े पांच रुपये हो गया है। उचित दामों पर चीजें उपलब्ध कीजिए. . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप का समय समाप्त हो गया।

श्री हरगोविन्द वर्मा–

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और अपने को अपने नेता विरोधी दल से जोड़ता हूं।

*श्री सुन्दर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए आप ने जो अवसर दिया उस के लिए मैं आप का आभारी हूं।

मान्यवर, हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने बहुत ऊंची आवाज में कांग्रेस शासन की विफलताओं पर प्रकाश डाला लेकिन वह यह भूल गये कि जिन परिस्थितियों में 1980 में माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शासन की बागडोर संभाली थी उस समय उन्होंने देश को किस परिस्थिति में छोड़ा था। लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नाम की दुहाई दे कर, कांग्रेस के प्रति व्यापक असंतोष पैदा कर के, हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं ने, जो राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं उन्होंने, लोकदल, जनसंघ आदि तमाम पार्टियों को मिला-कर जनता पार्टी बनाई और हिन्दुस्तान की 65 करोड़ जनता ने उस को शासन करने का मौका दिया। हरिजनों के लिए प्रेम प्रदर्शित करने वाले जो विरोधी पक्ष के लोग थे उन्होंने कहा, लोक नायक जय प्रकाश नारायण से कहलवाया, कि यदि कांग्रेस हट गयी और जनता पार्टी शासन में आई तो हरिजन प्रधान मंत्री होगा। मान्यवर, जनता ने इस की मांग पूरी कर दी। कांग्रेस को अलग कर दिया शासन के सूत्र से। जनता पार्टी शासन में आई। लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो। उसी समय राजघाट में जनता पार्टी ने महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ ली, कसम उठाई एकता की और उस महान व्यक्ति के प्रति विश्वासघात किया प्रधान मंत्री पद के लिए झगड़ा कर के।

चौधरी चरण सिंह अस्पताल में दाखिल हो गये, अटलबिहारी वाजपेयी कहीं चले गये, जगजीवन के नाम पर बदबू आने लगी। इन विरोधी पक्ष के लोगों ने हरिजनों का क्या सम्मान किया? जगजीवन राम को प्रधान मंत्री बनाना स्वीकार नहीं किया। आप हरिजनों के नाम पर कौन सा प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता पार्टी के उस शासन को इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश की जनता ने भले ही आप को अलग नहीं किया मगर आप स्वयं अपने को समाप्त कर लिये, आप स्वयं बिखर गये इसलिए कि आप के सामने कोई राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य नहीं था। आज हर वर्ग कांग्रेस पार्टी का एक लक्ष्य है। वर्ष 1982 को हमारी प्रधान मंत्री ने उत्पादन वर्ष घोषित किया है जब कि आप लोग उत्पादन में हानि पहुंचाने के लिए भारत बन्द जैसे नारे लगा रहे हैं। इस जनता ने आप के नारे को ठुकरा दिया। मान्यवर, दूसरी तरफ आप लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं। बार-बार आप चुनाव के बारे में कहते रहते हैं कि कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं चाहते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब चुनाव हुए हैं वे सब कांग्रेस के शासन काल में ही हुए हैं। आपने अपने शासन काल में हरिजनों के लिए घड़ियाली आंसू बहाये हैं। अभी आपके एक साथी हरिजनों के बारे में बोल रहे थे। कांग्रेस का लोकदल के साथ क्या मुकाबला करना है? कहां कांग्रेस एक विशाल दल और कहां आपका लोक दल एक छोटी सी पार्टी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि आपने 4 बार अपने झण्डे को बदला है, नाम को बदला है। आपने हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया है, उनको पोलिंग बूथ पर तक नहीं जाने दिया है और यहां आप हरिजनों की दुहाई दे रहे हैं। हमारे शासन को बदनाम करने की आप कार्यवाही कर रहे हैं। इस सरकार ने जो दस्यु उन्मूलन का अभियान चलाया है उससे निःसंदेह कई डाकुओं का सफाया किया गया है और प्रदेश में शान्ति की लहर दौड़ी है। हरिजन और निर्बल वर्ग के लोग यदि जीवित रह सकते हैं तो वे केवल इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही जीवित रह सकते हैं।

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जब चिकमंगलूर से चुनाव जीतकर आयीं तो आपने उनको लोक सभा में शपथ लेने का अवसर नहीं दिया और उनको लोक सभा से भारी मत से निष्कासित किया। क्या वह 7 लाख जनता इस देश की नहीं थी जिसने उनको चुनकर वहां भेजा था? क्या यह उनका अपमान नहीं था? इस तरह से लोकतंत्र के हत्यारे आप हैं, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं हो सकती है। यह इस देश के लोकतंत्र के लिये सबसे बड़ी मिसाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके नेता चौधरी चरण सिंह किस तरह से गद्दी पर बैठे? क्या एक दिन भी वे संसद को फेस कर सके, क्या उन्होंने एक दिन भी संसद का विश्वास प्राप्त किया? किस दांव और तिकड़म से वे प्रधान मंत्री बने। पद लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुर्सी लेने के लिए बेचैन थे। शासन करने के लिए जनता ने आप को भेजा था। आपके पास एकता और राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था। आपने देश में इस तरह से अराजकता पैदा कर दी कि सारी आर्थिक स्थिति ही देश की डांवाडोल हो गई थी। यहां पर आप से पहले कांग्रेस का शासन था। उस समय बड़े-बड़े डकैतों को और स्मगलरों को पकड़ा गया था, जेलों में उनको बन्द कर दिया गया था। उनको आपने अपने शासनकाल में बड़ी-बड़ी उपाधियां दीं। कहां वह गोना चांदी गया, यह किसी से छिपा नहीं है। कोरे प्रस्तावों और संकल्पों से जैसा कि आपकी सरकार ने किया था, उससे काम चलने वाला नहीं था, झूठे प्रचार से आप जनता को गुमराह नहीं कर सके। 19 तारीख की हड़ताल करके आपने देख ली है।

गढ़वाल के चुनावों में जो आपने धांधली की है उसे कौन नहीं जानता। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी चुनाव हुए हैं वे हमेशा लोकतंत्रीय तरीके से और जनता के पक्ष में केवल कांग्रेस के ही शासन काल में हुए हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। 10 करोड़ से अधिक यहां की जनसंख्या है। इसी तरह से उसके अनुपात में समस्याएं भी हैं। यहां पर कई भाषा बोलने वाले और कई मजहब मानने वाले लोग रहते हैं जिनको कि एक सूत्र में बांधकर ले चलना कठिन है। यहां पर कई औद्योगिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। इस हेतु हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में विशाल औद्योगीकरण की नीति बनायी गई है। इसे आप चाहते हैं कि वह न हो पाये, ऐसा वातावरण रहे जिससे यह प्रदेश आगे न बढ़ सके। हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट संकेत दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प है।

हमारे भाई उधर से किसानों की बड़ी दुहाई देते हैं। आप ही बताइये कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना अधिक गन्ने का मूल्य 21 और 23 रुपया कभी दिया गया? 156 करोड़ रुपया 1979-80 के मुकाबले में 1980-81 में किसानों को दिया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक किसानों के लाभ का सवाल है, गरीबों के उत्थान का प्रश्न है, इस प्रदेश को देश के औद्योगिक मानचित्र में दिखाने का प्रश्न है अगर हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता है तो आप सदियों तक आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यह निश्चित बात है। आज हमारे प्रदेश और देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व दृढ़संकल्प है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारे जो प्रगति के कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं आपके बहकावे से अराजक तत्व नहीं रुक सकते हैं। हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता।

[श्री सुन्दर सिंह]

मान्यवर, मैं थोड़ा अपने जनपद बहराइच के लिए भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां घाघरा घाट पर पुल बन रहा है। यह हमारे कांग्रेस शासन की महान देन है। पचासों वर्षों से इसकी मांग थी। यह बहराइच, गोंडा, बस्ती, नेपाल और बाराबंकी जिलों को मिलायेगा. आज तक यह अवरोध था। लगभग साढ़े 6 करोड़ की विशाल योजना से यह पुल बन रहा है। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे पूर्वी जिले भी औद्योगिक चित्र पर आ जायेंगे।

मान्यवर, हमारे जिले में रोडवेज की एक वर्कशाप नहीं है, डिपो नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमारे जिले में एक वर्कशाप बननी चाहिए और औद्योगिक इकाइयां लगनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सोच रहा था कि मैनपुरी में इतने सब कांड हुए और कोई एम0 एल0 ए0 बोला नहीं है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो है उसमें हरिजनों को सुरक्षा देने की बात है। हरिजनों को कितनी सुरक्षा यह सरकार दे पाई है यह बताना चाहता हूं। जून 80 में यह सरकार सत्तारूढ़ हुई थी। मैनपुरी में केवल एक मास में बदनपुर से शुरू होकर साढ़ूपुर का 15 वां कांड है। इस सदन में समय नष्ट कर वे सब बातें आई हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता। इन हत्याओं में लोधी भी मारे गये, काछी भी मारे गये, यादव भी मारे गये, ठाकुर भी मारे गये, ब्राह्मण भी मारे गये। डकैतों ने किसी को नहीं छोड़ा। बदनपुर, देवली और साढ़ूपुर में हरिजन मारे गये। मुख्य मंत्री जी वहां थे 23 तारीख को मैनपुरी में एक हाई लेवल की मीटिंग की गयी थी उसमें कुछ प्रश्न आये थे, कुछ प्रस्ताव उनके सामने रखे गये थे माननीय सदस्यों ने जो आगरा डिवीजन के विधायक थे उन्होंने रखे। मैनपुरी जिले में एक आम चर्चा है कि यह सरकार और पुलिस डकैतों से मिल कर हत्यायें करा रही है। यह इससे सिद्ध होता है कि भूरा सिंह जो जगरावे तहसील का था उसको सी0 आई0 और डी0 एस0 पी0 जो उसी के जाति का है, ने सरैंडर कराया। बल्कि भूरा जिस गांव का रहने वाला है उसी के डी0 एस0 पी0 रहने वाले हैं। इसी तरह पपुवा लाल का एक डाकू है जिसको सरैंडर कराया। सब-इंस्पेक्टर आफ पुलिस जो उसी के गांव का रहने वाला है उसे डी0 आई0 जी0 के सामने सरैंडर कराया जिसको हजारों लोगों ने देखा। यह उदाहरण है पुलिस के आदमी जो तक उनकी इच्छा रहती है उनसे काम कराते हैं, उनसे सांठगांठ लेते हैं और जब मुख्य मंत्री जी की गद्दी खतरे में पड़ गयी तो उन्होंने सरेंडर कराकर मुख्य मंत्री जी को सेटिसफाइड कर दिया ऐसा वहां आम चर्चा का विषय बन गया है बुद्धिजीवियों में और जनता में भी।

मान्यवर, यह सन्तोषा और राधे शुरूवाती डकैत थे, 22-22 और 24-24 साल की इनकी उम्र है और हाई स्कूल और इन्टर तक पढ़े हुए हैं। पढ़ने के समय ही गुण्डे बदमाश बन गये और बढ़ते बढ़ते आज इतने बड़े डकैत हो गये और दुर्दान्त डकैत हो गये . . . (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, जो उसी क्षेत्र का और उसी जाति का हूं। अब बड़े खतरनाक हत्यारे हैं, इनके साथ किसी की भी हमदर्दी नहीं है। इन्होंने कोई गांव छोड़ा नहीं है, कोई क्षेत्र और कोई जाति नहीं छोड़ी है जिसे इन लोगों ने उत्पीड़ित न किया हो। लेकिन अखबारों और शासक दल के लोगों ने।

(इस समय 4 बजे अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

उन्हें संरक्षण दिया। जिस तरह का नाटक कानपुर में उनकी गिरफ्तारी का किया गया, गिरफ्तारी के बाद की परिस्थितियों ने सिद्ध कर दिया कि वह मात्र नाटक था।

मैनपुरी के बेवर इंस्पेक्शन हाउस में जिस प्रकार बिठाकर उसको अंडे खिलाए और शराब पिलाई गई, उससे स्पष्ट है कि उसके साथ वी0 आई0 पी0 ट्रीटमेंट हुआ है। कहा गया है कि कानपुर में उन्हें मुर्गा खिलाया गया, इसके बारे में तो मैं जानता नहीं, लेकिन बेवर इन्स्पेक्शन हाउस में जिस तरह की इनकी खातिरदारी पुलिसवाले कर रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि यदि पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग न हो और बड़े राजनीतिक लोग बीच में न पड़े हों, तो पुलिस वाले उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बेवल में उसकी खातिरदारी को मैंने वहां स्वयं देखा है। मैनपुरी वाले इस सब बात को अच्छी तरह से जानते हैं।

दूसरी तरफ शिवपाल सिंह नाम का 55 वर्षीय, कलेक्ट्रेट का एक हेड क्लर्क, जिला परिषद् प्लानिंग आफिस और दूसरे आफिसों के हजारों आदमियों के सामने पुलिस द्वारा पकड़ा गया और वह 24 घंटे तक कोतवाली में रहा, और दूसरे दिन उसका पुलिस द्वारा एन्काउन्टर कर दिया गया। यह सारी चीजें सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट में सामने आयेंगी। शिवपाल सिंह जैसे सरकारी आफिशियल/कर्मचारी का पुलिस ने एन्काउण्टर किया और इसलिए केवल किया कि उसका लड़का बदमाश था, और उसने पुलिस को चैलेंज किया था। शिवपाल सिंह को पकड़ा गया और उसके लड़के को उसके ननिहाल से पकड़ा गया और एन्काउन्टर हो गया। (व्यवधान) शिवपाल सिंह जिस जाति का है उसी जाति का वह सन्तोषा है, मैं और मुख्य मंत्री जी भी उसी जाति के हैं . . (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आज सवर्णों की जिन्दगी भी संकट में पड़ गई है, क्योंकि दूसरी जाति के लोग इस बात को बरदाश्त नहीं कर रहे हैं कि उनमें बदमाशों में परस्पर भेदभाव बरता जाए और पुलिस जिसके साथ जैसा चाहे, व्यवहार करे।

अनारसिंह और छविराम किस जाति के हैं, क्या वह यह सब बरदाश्त करेंगे? मान्यवर, इस बात से भी कुछ चिन्ता है कि मैनपुरी की यह घटनाएं आखिरी घटना नहीं है, साढ़ूपुर कांड आखिरी घटना नहीं है। ऐसी व्यवस्था सरकार कर दे तो हमें सन्तोष होगा। मैं परसों नरसों जब गांव से आ रहा था मुझे एक जाटव मिला था, उसने मुझे बताया कि मेरे पास गांव के लोग आते हैं और बताते हैं कि अब हत्याकांड हमारे यहां होने वाला है। मैं एस0 पी0 से मिला तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है और न होगी। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राजेन्द्र त्रिपाठी को काफी कुछ करना होगा और इसके पीछे के कारणों को देखना होगा, राजनैतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की ओर देखना होगा। वहां के इतिहास और जाफी को उनको देखना होगा और उसे देखकर उन्हें सोचना होगा कि किस प्रकार का विकास और किस प्रकार के उद्योग वहां दिये जायें। वहां सड़कें होनी चाहिए, वहां साइंस कालिज और पालीटेक्निक होने चाहिए। वहां के लड़के जो रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं उनको जब हम नौकरी नहीं दिला पाए तो वह मजबूर होकर डकैत हो गये। पढ़ा-लिखा बेरोजगार वर्ग आज क्राइम की ओर जा रहा है। मैनपुरी में जितनी भी सड़कें रोजगार स्कीम के अन्तर्गत बननी चाहिए थीं उसमें 2 वर्ष पहले का बजट यूटिलाइज नहीं हुआ है। वर्ष 1980-81 व 1979-80 के स्कूल्स भी नहीं बने हैं। मेरी प्रार्थना है कि सत्ता पक्ष के लोग सोचें और समझें और शर्म महसूस करें कि वर्ष 1980-81 के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल्स अभी खुले हैं।

साढ़ूपुर और दवेली में लोगों को कुछ मामूली सा कम्पेन्सेशन दिया है। जो जन हानि हुयी है, उनके परिवार वालों को 5-5 और 10-10 हजार रुपया दिया गया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप कितने हमदर्द हैं। हमारे गांव उझैइया में 12 लोग मरे 11 नवम्बर, 1981 को लेकिन वहां पर एक भी रुपया नहीं दिया गया। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में जरैला में बोधी मरे,

[श्री लल्लू सिंह चौहान]—

सर्वपुर में ब्राह्मण मरे, दलोलपुर में काछी लोग मरे और जायमयी औरावर और लरिया में यादव लोग मरे। ये सामूहिक हत्याकांड हुये लेकिन किसी को एक भी रुपया सरकार की ओर से नहीं दिया गया। तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि आप एक नीति अपनाइये, एक सिद्धान्त बनाइये।

अगर आप हरिजनों को 10 हजार रुपया देते हैं, सवर्णों को 8 हजार रुपया देते हैं और बैकवर्ड को 7 1/2 हजार रुपया देते हैं तो सब को दीजिए। इसमें एकरूपता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो इससे ईर्ष्या भी होगी और द्वेष भी बढ़ेगा।

जहां तक एनकाउन्टर्स की बात है मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कहा गया कि मुन्ना नाग का डाकू मार दिया गया लेकिन वह आज भी जिन्दा है। मेरी अपनी मांग है कि अगर आपकी गृह मंत्री श्रीमती बख्शी रहें और विश्वनाथ जी मुख्य मंत्री रहें और प्रदेश में शासन व्यवस्था रहे तो एक एन्काउन्टर जो पुलिस दिखाती है जिस समय आपके पास ऐसी रिपोर्ट आती है तो आप जांच करायें। होता यह है कि एक अनआइडेन्टिफाइड आदमी को मार दिया और कह दिया कि यह अमुक डाकू है। जिस व्यक्ति को आप पहचानते नहीं हैं तो उसे कैसे डाकू कह सकते हैं। इस प्रकार की घटनायें मैनपुरी में हुयी हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 23 तारीख को एक बात कह दी अपनी सार्वजनिक घोषणा में कि डाकू पीड़ित इलाकों में जो अस्त्र शस्त्र के विक्रेता (प्राइवेट डीलर्स) हैं उनके लाइसेन्स समाप्त किये जायेंगे और थाने के संरक्षण में दुकानों से बन्दूक और कारतूस मिला करेंगे लेकिन आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। मेरी माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें कि बैड करेक्टर्स को आप बस का लाइसेन्स, ट्रक का लाइसेन्स, दे सकते हैं, सीमेन्ट बेचने की एजेन्सी दे सकते हैं लेकिन क्या आर्म्स बेचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को लाइसेन्स दे सकते हैं। जो ऐसे करेक्टर का आदमी है कि उसे एक बन्दूक का लाइसेन्स नहीं मिल सकता है। क्या उसको आर्म्स बेचने का लाइसेन्स दिया जा सकता है? आप इसकी जांच करा लें। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जायेंगे।

लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी जा रही है। इधर के लोग उधर वालों को और उधर के लोग इधर वालों को कहते हैं कि ये लोग खाये जा रहे हैं। इधर के लोग कहते हैं कि आप लोग खाये जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे दिन दहाड़े डकैती नहीं डालते हैं। आपका शासन दिन दहाड़े डकैती डाल रहा है।

मान्यवर, आज समाज प्रधान जीवित हैं, अगर कोई मर गया है तो उप प्रधान जीवित हैं। उनसे आप कोआप्ट करवाते। मगर आपने जो तरीका मनोनयन का अपनाया है वह गलत है क्योंकि आपको उन प्रधानों पर विश्वास नहीं था कि वे आपको वोट करेंगे, इसलिये आपने यह गलत तरीका अपनाया। फिर शिष्टाचार के लिये ही कम से कम आप विधायकों से ही पूछ लेते, उनकी राय भी इसमें ले लेते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसमें जो नीति अपनायी है, वह गलत है।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मैं एक बात माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, आपके द्वारा इस वर्तमान शासन का सम्पूर्ण प्रधानों में विश्वास है, इसीलिये पुनः उनको मतदान का अधिकार दिया है।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

विश्वास था तो यह गलत तरीका क्यों आपने अपनाया?

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है, आप कृपया बैठें।

कुमारी अलमेल अम्माल–

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हूं। मैं सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने जो हड़ताल की थी उसके बारे में कहना चाहती हूं। वहां के गन्ना किसानों ने जब हड़ताल शुरू की, कुछ दिन वह चली, पर जब हम कांग्रेस के विधायकों व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको जाकर उन्हें समझाया, उनके बीच में हम गये, कांग्रेस की नीति को उनको बताया, तो उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। आज गन्ने का जो मूल्य मिल रहा है उसके बारे में मैं शासन से एक प्रार्थना करना चाहती हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो तरह के गन्ने के मूल्य हैं जिनको लेकर विवाद है। मेरी प्रार्थना है कि दोनों जगह, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, गन्ने का मूल्य एक ही भाव होना चाहिए और इसकी शुरुआत इसी सीजन से, शुरुआत से लेकर आखिर तक, होना चाहिए। पश्चिमी इलाके के किसान को गन्ने का जो भाव दिया जा रहा है वही भाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान को मिलना चाहिये।

डाकू उन्मूलन के लिए जो अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसके लिये जो नीति अपनायी गयी है उसका मैं स्वागत करती हूं। डाकू पीड़ित इलाकों में शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये सरकार ने बहुत ज्यादा काम किये हैं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं। देवली और साढ़पुर में जो कांड हुए उसमें निर्बल वर्ग के लोग ही पीड़ित हुए हैं और उन्हीं पर अन्याय हुआ है। मैं भी मौके पर गयी और लोगों से बात की। मुझे देखने को मिला कि एक निर्बल वर्ग परिवार के वंश को ही नष्ट करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक दुश्मनी के कारण ऐसा किया गया है। औरतों और बच्चों को मारा गया है ताकि वंश ही नष्ट हो जाये। जब मैं उन गांवों में गयी तो मैंने अधिकारियों से कहा कि उन गरीब लोगों को भी अपनी रक्षा के लिये बन्दूक का लाइसेन्स दीजिये। मुझे बताया गया कि वे गरीब लोग कैसे उसे खरीद पायेंगे। मेरा निवेदन है कि वहां के गरीब लोगों को सरकारी खर्च पर बन्दूक दी जानी चाहिए। लेकिन अफसरों ने मुझसे पूछा कि अगर इनको बन्दूक देंगे, तो ये निर्बल वर्ग के लोग बदला लेंगे। मैंने उनसे कहा कि नहीं, बदला नहीं लेंगे। बल्कि उन लोगों के पास अगर बन्दूक रहेगी, तो उनके अन्दर ताकत रहेगी और डाकू लोग उनके गांव में नहीं जा सकेंगे।

मान्यवर, पिछड़े इलाकों में कप्तान या कलक्टर में एक अवश्य ही निर्बल वर्ग का होना चाहिए। अगर निर्बल वर्ग का कलक्टर या एस0पी0 रहेगा, तो वह इन गरीबों के दुःखों को समझ सकेंगे। मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र बस्ती के बारे में कहना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में मुंडरवा में एक चीनी मिल है। वहां पर सरकार की तरफ से एक रिसीवर है, जिसको सरकार भी पैसा देती है और वह मिल से मिल के प्रबन्ध के लिये भी पैसा लेते हैं। वह अफसर अपने घर पर बिजली लगाना, सजावट कराना, खुद अपना खर्च कराना बहुत जरूरी समझता है। वहां पर, वहां के अवकाश प्राप्त मजदूरों की ग्रेच्युटी हजारों की तादाद में मिलनी है, लेकिन वह ग्रेच्युटी सरकार के आदेश के बावजूद भी नहीं देना चाहते हैं। मजदूरों को नये सीजन में नौकरी देना चाहते हैं, ग्रेच्युटी नहीं देना चाहते हैं। वहां पर जो मजदूर 7-8 साल की नौकरी कर चुके हैं। वह रिसीवर उनको गेट पर मारते हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस रिसीवर के विरुद्ध सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। उसको हटा कर या सस्पेंड करके, उसके खिलाफ कार्यवाही करें और उनकी जगह पर जनता की भलाई करने वाला अफसर वहां पर नियुक्त करें ताकि हमारे क्षेत्र की जनता इस शोषण से बच सके। बस्ती जिला ऐसा जिला है, जहां पर बहुत ज्यादा बेकारी है। वहां के लोगों को उस मिल में नौकरी दी जाय। वहां का रिसीवर जिसको पसन्द करते हैं, या वह जहां से आये हैं, वहीं के

[कुमारी अरुणेलु अम्माल]
लोगों को वे नौकरी देते हैं। बस्ती के लोगों को वह न नौकरी देते हैं और न देंगे ही। इसलिए मैं चाहूंगी कि वहां के मौजूदा रिसीवर को हटा कर दूसरा रिसीवर वहां पर भेज दें ताकि बस्ती के लोगों को उस मिल में काम करने का मौका मिल सके।

(श्री धनीराम वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धरमपाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री धरमपाल—

मान्यवर, अब तक की यह प्रथा रही है कि प्रत्येक दल के एक नेता के बोलने के बाद अन्य दल के माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाता है, परन्तु मेरे दल को अभी तक एक बार भी मौका नहीं दिया गया और अब अन्य दल को पुनः टेक-अप किया जा रहा है। हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी मौका मिलेगा।

*श्री धनीराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं अपना विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अभिभाषण दिया था, वह उनका अभिभाषण बिलकुल नीति विरोधी अभिभाषण था। उनके अभिभाषण से बिल्कुल यह जाहिर होता है कि यह सरकार देश के गरीब किसानों के बिल्कुल विरुद्ध है। मान्यवर, यह जो समस्यायें चल रही हैं वह ऐसी हैं जो किसानों और मजदूरों के बिल्कुल विरोधी हैं। किसान का धान 115 रुपये में आपने लेने को कहा, लेकिन वह 95-100 रुपये में बिक रहा है। मिल मालिक 115 रुपये की रसीद काटते हैं और देते हैं 96 या 100 रुपये के हिसाब से। इस प्रकार वह एक तरफ काम देते हैं और दूसरी तरफ टैक्स की बचत करते हैं जिससे किसान लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं हमारे इटावा में विगत 2 वर्षों में एक किलोमीटर भी सड़क पी0 डब्लू0 डी0 ने नहीं बनाई है और न सिंचाई के लिये किसी माइनर की व्यवस्था की गई है किन्तु किसान को लूटने की व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार किसान पूरी तरह से लूटा जा रहा है।

मान्यवर, खेती में काम आने वाली बीज, खाद और औजारों की कीमतें दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं किन्तु किसान की आवश्यकता की चीजें जैसे चीनी, लोहा, सीमेन्ट, खाद आदि की कीमतें दूनी और तिगुनी होती जा रही हैं। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि जनवरी, 1980 में जिस समय यहां लोक दल की सरकार थी उस समय 115 रुपये क्विंटल गेहूं था और यूरिया खाद की कीमत छोटे किसानों को 54 रुपये और बड़े काश्तकारों को 74 रुपये, डी0 ए0 पी0 खाद 100 रुपये में थी जब कि इस समय यूरिया 122 रुपये में और डी0 ए0 पी0 200 रुपये में हो गयी है। जब कि एक क्विंटल गेहूं बेचने से 76-77 किलो खाद मिल जाती थी और आज गेहूं की कीमत 130 रुपये है और यूरिया खाद 123 रुपये है लेकिन एक क्विंटल गेहूं बेचने पर केवल 54-55 किलो खाद मिलती है। इस प्रकार आप देखें तो एक क्विंटल गेहूं बेचने में करीब 20-25 किलो खाद की लूट की गयी है और उत्तर में कहा जा रहा है कि हम किसानों के हमदर्द हैं। इसी तरह मान्यवर, लोहे की कीमत दूनी और ढाई गुनी, डीजल की कीमत जो 1.65

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में थी। वह 3.25 और 3.40 में मिल रहा है जबकि गेहूं के उत्पादन की कीमत केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गयी है।

मान्यवर, अब मैं प्रशासन के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे इटावा जिले में इतने फर्जी इन्काउन्टर हुये हैं जितने कि सारे प्रदेश में नहीं हुये होंगे। मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में खानपुर कस्बा जिसमें मुस्लिम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 25 वर्ष, जिसके 4-5 छोटे छोटे मासूम बच्चे और एक छह महीने का बच्चा है उसको इटावा नुमाइश से पकड़ा गया और औरैया की नहर पर इन्काउन्टर कर दिया गया और कहा गया कि वह मुस्तकीम का रिश्तेदार था। इसके अलावा 56-57 और जो फर्जी इन्काउन्टर किये गये हैं उनकी जांच कराने की मांग करता हूं। इसके साथ ही साथ इन्काउन्टर में झूठे लोगों को फंसाया गया है। एक फर्जी इन्काउन्टर, विधूना कस्बे का जिसका नाम शिवलाल है, उम्र 65 वर्ष जिसको तीन महीने पहले पुलिस ने तारकटी में फंसाया था उसको अभी पिछले दिन घर से बुलाकर पुलिस ले गयी तो मुहल्ले के लोगों ने पूछा कहां लिये जा रहे हैं तो पुलिस ने कहा कि थाने तक और फिर छोड़ देंगे लेकिन 65 वर्ष के उस व्यक्ति को जेल में बन्द कर दिया गया। उसका परिवार जो भाड़ जलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था, वह बेसहारा हो गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं राज्य गृह मंत्री से कि वह बताएं कि इसमें कितनी सत्यता है क्योंकि जिनका पेशा है डकैती डालना और जो शातिर बदमाश हैं उनको कहीं नहीं पकड़ा गया है। इटावा में 6 लोगों को निक्शे गिरोह ने पकड़ा जिसमें से 4 को छोड़ दिया और दो को नहीं। इतना ही नहीं, बलबीरा ने हमारे जिले में बड़पुरा थाना के अन्तर्गत एक गांव है बाहुरी जहां बलबीरा ने हत्यायें किया है क्योंकि उन्होंने बलबीरा के गैंग के एक आदमी की सुरागजनी किया था और वह पुलिस द्वारा मारा गया था जिसका बदला बलबीरा ने लिया और पुलिस उनको कोई संरक्षण नहीं दे सकी। हमारे यहां के एक इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य, श्री यदुनाथ सिंह तोमर हैं जो हमारे लोकदल से जनपद इटावा से पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे, उन्हें केवल इस आरोप में बन्द कर दिया गया है कि वह डाकुओं को प्रश्रय देते हैं और उनसे इसको स्वीकार कराने के लिए जेल में तरह-तरह की यातनाएं दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि तुम यह सिर्फ स्वीकार कर लो कि हम डाकुओं को प्रश्रय देते हैं तो तुम्हें छोड़ दिया जायगा। लेकिन वह इस गलत आरोप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है।

इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि हमने जितने भी मामले आपके सामने रखें हैं उनकी आप जांच करा लें, यदि इनमें से एक भी गलत साबित हो जाए तो मैं विधान सभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं इन मामलों से वहां की जनता बहुत ही आंदोलित हो गयी है अगर इन झूठे मामलों की जांच नहीं की गयी, तो ऐसा आंदोलन इस प्रदेश में होगा, जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं होगा और न ही ऐसा आंदोलन आज तक प्रदेश भर में हुआ होगा और इसकी जिम्मेदारी शासन पर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती महारानी दोहरे–

मान्यवर, आपकी मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। तीन दिन से इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और इस संबंध में इस पक्ष के लोगों की और विरोध पक्ष के लोगों की बातें सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पिछले नेतृत्व में और आज के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती महारानी दोहरे]

वर्तमान के नेतृत्व में देश को जो दिशा आगे आने में दी है व देश में समानता बनी रहे, इसके प्रयास में जो भी कार्य हुए हैं, योजनाएं बनाई गयी हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं और देश व प्रदेश की जनता ने उसे दिल से स्वीकार भी किया है और श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रत्येक नीति को चाहे वो आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, चाहे वह देश के विकास से संबंधित हो और चाहे विश्वमैत्री से संबंधित हो, हर एक ने इस बात को, और इनके प्रत्येक कार्य की सच्चे दिल से सराहा है, चाहे यहां की जनता हो चाहे विश्व की जनता हो, सबने एक आवाज से इस बात को स्वीकारा है। उन्हीं चीजों को देखकर यह हमारे विरोधी भाई अनुसूचित जाति के संबंध में उल्टी बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इस संबंध में मैं एक शेर पढ़ूंगी, जिससे बात काफी साफ हो जायेगी।

"जिंदगी भर तुमको हमारी शक्ल से नफरत रही,
अब ढिंढोरा पीटते हो, हमारे मर जाने के बाद।"

जहां तक कर्तव्य की बात है, उस संबंध में हमारे सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कदम-कदम पर पूरा किया है। यह आपकी ड्यूटी है कि कहां पर हम अनियमितता कर रहे हैं, कहां पर हम गलत चल रहे हैं, यह नुक्स निकालने का काम आपका है, लेकिन आप दिशाहीन हैं, चिन्तनविहीन हैं और कर्तव्य से बहुत दूर हैं। आपको केवल इस सदन की कुर्सी की ही चिन्ता है। मैं पूछना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को आवास एवं आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया जाय। जो कब्जा नहीं दोगे हैं उनको 6 महीने की सजा दी जायगी। आप में से कितने ऐसे सम्मानित सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति के हिमायती होने का ढिंढोरा पीटते हैं, आपने कितने लोगों को कब्जा दिलाया।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप सब बैठें।

श्रीमती महारानी दोहरे—

मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिये। मैं कहना चाहती हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश को बढ़ाना चाहती हैं, इसलिये उन्होंने यह वर्ष उत्पादन का वर्ष रखा है। मैं कहना चाहती हूं कि अगर वास्तव में आप अनुसूचित जाति के हमदर्द हैं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन 40 प्रतिशत आपके बीच हैं उन लोगों के लिये जो मजदूर हैं, खेत-खलिहान में काम करने वाले हैं, उनकी भलाई के लिये जो कार्यक्रम चलाया है, उनमें सहयोग दीजिये। मैं उस जनपद से सम्बद्ध रखती हूं, जहां चौधरी चरण सिंह का ढोल पीटा जाता है। जब पिछली बार विधान सभा के चुनाव हुए और मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो मैं सही बात कहती हूं, जो बुजुर्ग थे, मेरे समाज से सम्बन्ध रखते थे, उन्होंने कहा कि हमने बैलट पेपर पहली बार देखा है। आप सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिये आप कुछ करके नहीं दिखायेंगे। जब तक आप कुछ करते नहीं हैं तब तक यह ढिंढोरा आप पीट नहीं सकते। अभी एक बात कही गयी कि जगजीवन राम के नाम पर अनुसूचित जाति के सदस्य उधर जाने वाले हैं। ढिंढोरा पीट-पीटकर आपने यह कहा . . .

(व्यवधान)

हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूलों में हमारे बच्चों से किस तरह की नफरत की जाती है। हम जिस प्रकार की चर्चा करते हैं बच्चों पर उन्हीं बातों का प्रभाव पड़ता है। परिवारों में जो विचारधारा होगी, वही बच्चों में भी होगी। यदि वास्तव में आप

इस समाज को उठाना चाहते हैं तो हमें अपनी नयी पीढ़ी को बदलना होगा, विचारों को बदलना होगा। जब तक मनुष्यता के नाम पर आप कुछ करेंगे नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा, तब तक आप इसके समर्थक नहीं हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से मेरी अपनी जानकारी में है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि जो सीलिंग से बचकर जमीन आ रही है, वह अनुसूचित जाति के लोगों को बांट दी जाय, मैं जानती हूं और खुद ऐसे केसेज को डील करती हूं, कितने लोगों ने आप में से इसमें सहयोग दिया।

मैनपुरी का प्रश्न उठा। मैं साढ़पुर गांव में गयी, अपनी हिन्दू बहनों से मिली। मैं बच्चों से मिली, सारी स्थिति को सुना समझा यह हमारा दुर्भाग्य है, मैं सच्चाई के साथ कहती हूं कि यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही रहा जो हमेशा अनुसूचित जाति कहलाने वाले लोग सताये गये। ऐसा क्यों है? आप हमको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, आप हमको ऊंचा नहीं उठाना चाहते हैं, आप बस केवल हमारी दिक्कतों को हासिल करना चाहते हैं। आप यह समझ लें कि अब यह समाज जाग उठा है, अब इसे आप ज्यादा गुमराह नहीं कर सकते चाहे इस साइड के लोग हों चाहे उस साइड के लोग हों, आपको उन्हें मानवता का दर्जा देना होगा तभी आप समाज में उठ सकेंगे।

प्रश्न उठता है कि आज 21 तारीख है, 26 तारीख को आजादी का बिगुल बजेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब देश आजाद हुआ था तो क्या देश की आजादी के लिये जो बिगुल देश के लोगों ने बजाया था उसमें अनुसूचित जाति के लोग नहीं थे? क्या उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपनी कुर्बानी नहीं दी थी? आज देश आजाद हो गया तो आप इन चीजों से इन्कार कर रहे हैं। स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर ने हरिजनों के उत्थान के लिये नारा दिया। मैं कहती हूं कि जितने नेता हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चाहे मोरार जी देसाई हों, चाहे दूसरे नेता हों, इस टिमटिमाते दिये में जिसने तेल दिया वह थे स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, उन्होंने हरिजनों को उठाया, उनके संरक्षण की व्यवस्था की, उनके लिये उद्योग की व्यवस्था की, उनके बच्चों को शिक्षा तथा नौकरी में लाने का प्रयत्न किया।

मैं मान्यवर, इस सदन के माध्यम से यह मांग करती हूं कि आज वस्तुस्थिति यह है कि यदि हमारी सरकार हरिजनों का उद्धार करना चाहती है तो पुलिस में हरिजनों का कोटा पूरा किया जाय। पुलिस विभाग में, पी0 ए0 सी0 और होमगार्ड्स में हरिजन डाल दिये जाते हैं। जब तक आप उनको थाने में स्थान नहीं देंगे, थाने में उनको नौकरी नहीं देंगे, तब तक ऐसे अत्याचार होते रहेंगे और ऐसे अत्याचारों को बढ़ावा मिलता रहेगा। आप हरिजनों को थाने में स्थान देकर हिंसा की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त कर दीजिये। अभी यहां पर बाबू जगजीवन राम के लिये कहा गया। मैं बतलाना चाहूंगी कि अभी बाबू जगजीवन राम के सुपुत्र श्री सुरेश राम साढ़पुर में गये और उन्होंने वहां की जनता से बातचीत की और कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदेश से हमारी सरकार ने जो उनको कम्बल और स्वेटर दिये थे, उनमें आग लगा दी गयी। उसमें आग लगाने में सुरेश राम की पत्नी का हाथ था। ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिये बाबू जी की तरह कुर्बानियां करनी होंगी, आग लगाने से कुछ नहीं होने का।

इस देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। आप इमरजेन्सी को लाना चाहते हैं इसीलिये समाज में आप इतने भ्रामक प्रचार किये जा रहे हैं, इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और यहां आकर आप हरिजनों का साथ देने का दिखावा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठिये।

श्रीमती महारानी दोहरे–

यहां खड़े होकर चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, वह देश का विकास करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना चाहती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये।

श्री धरमपाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे महामहिम राज्यपाल के भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं संशोधन के ऊपर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, विकलांग वर्ष की देन यह विकलांग सरकार है। विकलांग वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है जिसकी देन हमारी सरकार है, खास करके उत्तर प्रदेश की विकलांग मुख्य मंत्री दे दिया है जिसे कि दूसरों की बैसाखी चाहिये। जिसे अरुण नेहरू की बैसाखी चाहिये, जिसे राजीव गांधी की बैसाखी चाहिये जो कि प्रजातंत्र के लिये कलंक है जिसे "अभयदान" दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिये। पिछले दिनों राजीव गांधी जी का दौरा हुआ था कानपुर के अन्दर, सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर छपा है, राजीव गांधी द्वारा अभयदान। यह प्रदेश की सरकार न हुई, मुख्य मंत्री न हुए प्रदेश के कोई अपराधी हैं जिसको अभयदान की आवश्यकता होती है।

राज्यपाल के अभिभाषण से जानकारी मिलती है कि न गांवों के विकास की बात कही गयी है और न आने वाले समय में कोई विकास होगा। गत वर्ष इसी तरह का अभिभाषण था, बड़े मोटे-मोटे शब्दों में। आज की चौड़ाई लम्बाई घटती जा रही है जैसे जैसे इस सरकार की उम्र घटती जा रही है।

कानून और व्यवस्था की दुहाई देने वालों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि अन्नार सिंह पकड़ा गया, फूलन देवी, मान सिंह पकड़े गये, नहीं। अगर कानून और व्यवस्था देखना है तो कानून के नाम पर बेगुनाहों की हत्यायें करा कर। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अगर मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, हमारी गृह मंत्री का लड़का स्कूटर चोरी में पकड़ा गया, मैं भी इस बात का विश्वास नहीं करता, न मुझे यह कहना चाहिए क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है लेकिन जैसा राजा वैसी प्रजा। डकैतों को पकड़ना आपके अधिकार में नहीं है क्योंकि उनके सरगना आपकी सरकार में बैठे हैं।

(इस समय 4 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय स्वास्थ्य मंत्री मुझे टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं इसलिए मैं कुछ हिचकिचा रहा हूं। कानून और व्यवस्था की बात समाप्त हो गयी, विकास की बात पर आता हूं। प्रदेश का एरिया देख लिया जाये, भारत ही नहीं सम्भवतः संसार के अन्दर यह सबसे बड़ा प्रदेश होगा और इसमें केवल एक हजार किलोमीटर लम्बी सड़क की बात कही गयी है। क्या हमें हरियाना के युग में प्रवेश करने के लिए 100 वर्ष लगेंगे? मैं समझता हूं कि इस सरकार से प्रगति तो हो नहीं सकती। समाजवाद की बात कही जाती है। आज समाजवाद की बात पूंजीवाद की ओर चल पड़ी है। पिछले दिनों बिना किसी कानून और नियम के बिजली बनाने का ठेका टाटा और बिड़ला को दे दिया है। इसमें मेरी स्पष्ट जानकारी है कि न नियम कानून अपनाया गया और न उसूल। मनमाने रेट पर, यह केवल कमीशन पाने की चाल है।

कांग्रेस पार्टी की दुहाई देते हैं। कांग्रेस तो मर गई स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के साथ और आत्मा चली गयी शास्त्री जी के साथ। श्रीमती गांधी सड़कों के चौराहों पर आज उसकी लाश लिये घूम रही हैं, इस सड़ी लाश से बदबू आ रही है, घृणा हो गयी है। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इस सदन को भंग कर दिया जाय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री धूप राय–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के भाषण में, पढ़ने से और सुनने के बाद ऐसा लगा कि वह एक नीति, जैसे निर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी को दूर करना, 15 लाख लोगों को गरीबी के लेविल से ऊपर उठाना,

इसका लक्ष्य है। कानून और व्यवस्था में सुधार लाने का इसका लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार को चलाने के लिए प्रथम कानून और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हमें यह देखना है कि यह सरकार जो पिछले डेढ़ साल से बनी हुई है, इसके समय में कानून और व्यवस्था में सुधार आया है या नहीं। मैं इतना जानता हूं कि गांवों में जो पिछली जनता सरकार थी, उस समय कानून और व्यवस्था में जो गिरावट आई थी वह अब दूर हो गई है और गांवों में गरीब लोग, नीचे के स्तर के लोग अब पहले से ज्यादा सुरक्षा महसूस कर रहे हैं।

कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जैसे देवली और साढ़पुर काण्ड जिसमें कुछ हरिजन मारे गए हैं, यह कष्ट की बात है परन्तु यह देखते हुए कि अब गांवों की सुरक्षा बढ़ी है, गरीबों की सुरक्षा बढ़ी है और गांवों में चोरी-डकैती करीब-करीब बन्द हो चुकी है और समाज अपने को निर्भय महसूस करने लगा है। दूसरी बात गरीबी हटाने की है। हम जानते हैं कि हमारा देश गरीबी के मामले में दसवें नम्बर पर है और गरीब देशों में से एक है। हमारी आबादी दुनिया की 15 प्रतिशत आबादी के बराबर है और जमीन हमारे पास 2.5 प्रतिशत ही है परन्तु यह होते हुए भी आज खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारी प्रगति उस तरफ काफी हुई है। हमें इण्डस्ट्रियल प्रोग्रेस में उन्नति करना बाकी है। इण्डस्ट्रियल प्रोग्रेस में भी हम यहां जनता शासन काल में 4 परसेंट नीचे हो गए थे आज बढ़कर 13.2 परसेंट पर हम आये हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश की अपनी समस्यायें हैं। 57 जिलों का यह प्रदेश जिसमें से 31 जिले बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं और 86 लाख 83 हजार लोग बाढ़ से त्रस्त रहते हैं तथा 16 लाख 13 हजार हेक्टेयर भूमि बाढ़ से त्रस्त रहती है। बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में भी जो राहत कार्य हुए हैं वह भी काफी प्रशंसनीय हैं। मेरे क्षेत्र में ढाई सौ गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते थे, अब जब से वहां पर बंधे का निर्माण हो गया है अब वहां पर करीब 25 गांवों में ही बाढ़ आई और बाकी गांवों में अनाज और गन्ने की फसल इतनी अच्छी हुई है जितनी कि कभी नहीं हुई थी। वहां के लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उनकी गरीबी अब दूर होने को आई है।

आबादी के हिसाब से अगले दो सालों में इस देश की आबादी करीब 98 करोड़ हो जायेगी। इस आबादी के हिसाब से यदि हमारी प्रगति उससे ऊपर नहीं हुई, उससे तेज नहीं हुई तो हर 10 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे ही रहेंगे। हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। हमारी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इस साल उत्पादन बढ़ाने का वर्ष मनायेंगे। हम चाहते हैं कि हम तो उनके नारे को बल दे ही रहे हैं, विरोधी पक्ष भी उनका साथ दे ताकि उत्पादन बढ़ाने में और सहयोग मिल सके। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में कहा है कि—

'फार फ्रीडम टु बि फुलफिल्ड शी एंडेड सोशल जस्टिस एण्ड इकोनामिक डिस्पैरिटी मस्ट एण्ड एण्ड दयर मस्ट बि फ्रीडम प्रामीनेन्ट फार पावर्टी'

इस गरीबी को हटाने के लिए हमने जो कदम उठाया है उसमें आप साथ दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय धूप राय जी, जो आपने अंग्रेजी में कहा है उसको हिन्दी में कह दीजिए।

श्री धूप राय—

इण्डस्ट्रियल प्रगति में उत्पादन में आप उनका साथ दें। आप देखेंगे कि जिस हिसाब से यह देश अगर इण्डस्ट्रियल क्रान्ति में आगे बढ़ता चला जायेगा तो यह समस्या होते हुए भी हम दुनिया के बड़े देशों में हो जायेंगे। आज एशिया की आमदनी योरप की आमदनी से बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ 5 प्रतिशत हमारी इनकम बढ़ी है और आस्ट्रेलिया में केवल 3 प्रतिशत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में इसको 6.7 प्रतिशत तक

[श्री धूप राय]

बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर यह इससे कुछ कम भी हो तो काफी सराहनीय है। ऐसा लक्ष्य हमारी प्रगति का लक्षण है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां तेल की बहुत कमी है जिसकी वजह से हमारे देश का काफी रुपया बाहर चला जाता है। 1977-78 में 137 करोड़ रुपया, 1980-81 में 5 हजार करोड़ रुपया इस मद में खर्च हुआ है और इस साल करीब 7 हजार करोड़ रुपया खर्च होने की आशा है। इतनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाने के वजह से देश आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है। आज जो हमारे यहां तेल के कुओं से तेल का उत्पादन हो रहा है और जिस तरह से तेल प्राप्त हो रहा है, 1985 तक इस देश में तेल का उत्पादन करीब 45 लाख टन हो जायेगा और इसकी खपत केवल 38 लाख टन रहेगी। इतना बड़ा उत्पादन होने के बाद इस देश की प्रगति काफी हो जायेगी और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो दुनिया में हमारा देश अग्रणी हो जायगा। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने थोड़ा समय मुझे भी बोलने के लिए दिया और इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जटाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को तैयार करने वाले अधिकारियों ने अतिशयोक्ति का इतना अधिक सहारा लिया है कि यह सत्य के धरातल से परे, पूरा कल्पना पर आधारित एक दस्तावेज मात्र बन कर रह गया है। मान्यवर, पैरा दो में ग्रामीण रोजगार योजना का बहुत जिक्र किया गया है लेकिन मैंने देखा है कि ग्रामीण रोजगार योजना के नाम पर प्रदेश में कहीं भी कोई प्रगति नहीं दिखलायी पड़ रही है। इसके नाम पर मैंने केवल एक ही चीज देखी है कि हमारी जनता सरकार ने जिन सड़कों को पटवा दिया था या जो सड़कें बनवा दी थीं उन्हीं के ऊपर ग्रामीण रोजगार योजना का एक बोर्ड लगा दिया गया है। इस तरह से ग्रामीण रोजगार योजना केवल कागज पर है, धरती पर कहीं भी दिखलायी नहीं पड़ती है। आगे बड़ी बुलन्दी के साथ 'कब्जा दिलाओ' अभियान का उल्लेख किया गया है परन्तु इस दिशा में भी कागजी घोड़े ही दौड़े हैं धरती पर इसका कोई वजूद नहीं पाया जाता। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ही सैकड़ों उदाहरण हमारे पास हैं। बहराइच जिले के नानपारा थाने के ग्राम सरैया के पहलवान नामक एक हरिजन के मामले में दसों बार अधिकारियों को लिख चुका हूं, एस0 डी0 एम0 तक मौके पर जा चुके हैं लेकिन उसे आज तक कब्जा नहीं दिलवाया जा सका है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बड़े फख्र के साथ कहा जाता है कि हमने राज्य में व्यवस्था ठीक कर दी है। लेकिन इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे ही क्षेत्र के भटेही न्याय पंचायत क्षेत्र में 5 महीने से शक्कर का एक दाना भी नहीं पहुंचा है और वहां के तमाम कर्मचारी ब्लैक करते हैं। ब्लैक करने वाले एक कर्मचारी सचिव को मैं स्वयं लेकर जब मोतीपुर पुलिस थाने में पहुंचा तो वहां जब कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो मैंने बहराइच के कलक्टर को कंटेक्ट किया तो मालूम हुआ कि शासन की तरफ से बार-बार यह पूछा जाता है कि इन सचिवों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 क्यों दर्ज करते हो, इनके खिलाफ मुकदमा क्यों कायम करते हो। इस तरह से पृष्ठ पोषण को देखते यही निर्णय पर पहुंचना पड़ता है कि शासन का अप्रत्यक्ष रूप से इन गलत कामों में हाथ है जिसकी वजह से चोरबाजारी आदि बढ़ती जा रही है। इन दुकानों से चावल भी वितरित होना चाहिए था लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि पूरे प्रदेश में और कम से कम मेरे क्षेत्र में राशन की दुकानों से आज तक कहीं भी चावल वितरित नहीं हो सका है।

मान्यवर, सबसे बड़ी दुःख की बात महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण में यह है कि जो शिक्षा का मेरुदंड है – प्राथमिक शिक्षा

इस सम्पूर्ण अभिभाषण में उनका कोई जिक्र ही नहीं है। श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जब शिक्षा मंत्री थी तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना कर दी जायगी। प्रत्येक किलोमीटर पर तो दूर डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में प्रत्येक जिले में कहीं आठ स्कूल भेज दिये, कहीं दस स्कूल भेज दिये इस गति से हर किलोमीटर में पांच वर्ष के कार्यकाल में आप स्कूल कदापि नहीं खोल सकते। भवन एवं अध्यापकों का अभाव समाप्त करने की दिशा में भी आप कोई कारगर प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में केवल एक ब्लाक मिहीपुरवा में 46 अध्यापकों की कमी है। अगर स्कूल आपने खोले और अध्यापकों की पूर्ति नहीं की तो स्कूल खोलने का मतलब क्या होगा?

मान्यवर, आगे पैरा में वनों में वृद्धि के बारे में और सामाजिक वानिकी योजना के बारे में कहा गया है। दुःख है कि सारे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर बागों और वृक्षों का अवैध कटान बुरी तरह से हो रहा है। उस कटान को रोकने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब तक वह कटान रोका नहीं जायगा आप नाम मात्र के लिए वृक्ष लगाने की बात कर रहे हैं। अवैध कटान करना तो दूर रहा बहराइच जनपद में भूतपूर्व सांसद चौधरी रुद्र सेन के बाग में नानपारा डी0 एस0 पी0 बिपिन बिहारी चौबे ने पैसा लेकर अवैध कटान करने वालों से आम के हरे पेड़ कटवाया। जिन अधिकारियों को कटान रोकना चाहिए वे ही कटान करवा रहे हैं और आप वृक्षों को संरक्षण देने की बात करते हैं यह विडम्बना नहीं तो क्या है?

मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में दावा किया गया कि तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र तिलहन का सबसे बड़ा सरपलस एरिया है लेकिन वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रोत्साहन योजना इन पृष्ठों पर नहीं दी गयी है और न आज तक कोई योजना मेरे संज्ञान में या वहां के अधिकारियों के संज्ञान में आई है। सम्पूर्ण बोआई समाप्त हो जाने के बाद 30 दिसम्बर, 81 को बीजों के लिए ऋण देने के लिए बीज एवं धन पहुंचा। ऋणों की अनिवार्यता के कारण खाद का यूटिलाइजेशन भी न हो सका। यह आपके प्रभावी दावों का ह्रास है।

शांति व्यवस्था का जहां तक सवाल है, शांति व्यवस्था के विषय में सोचते ही लगता है कि इस प्रदेश में न तो कोई सरकार है और न कोई प्रशासन चल रहा है। डाकू समस्या से निपटने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह शपथ ली कि 24 तारीख तक अगर डाकुओं को साफ नहीं कर दिया जायगा तो वह मुख्य मंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे। अब बहाना लिया जा रहा है कि केवल हमने देवली काण्ड के लिए शपथ ली थी। मान्यवर, केवल चार डकैतों, दस डकैतों, के लिये आप ने यह भीष्म प्रतिज्ञा की थी? बाकी डकैतों का क्या होगा? हजारों डकैतों को मार डालने का आप ने दावा किया है लेकिन उनको जनता की अंगुली पर गिना जा सकता है। फूलन देवी, महाबीरा, और क्या-क्या नाम हैं, इन चार छः को नहीं मार सके, हजारों को मारने का दावा करते हैं। यह थोथी कल्पना है, फर्जी मुठभेड़ है। माननीय रियासत जी कल सदन में कह रहे थे कि साढ़ूपुर और देवली के लोगों ने कुछ मिनट पहले यह सूचना दी थी और यदि उस पर अमल किया गया होता तो यह जो घटना हुई है, वह न होती। मान्यवर, एक बात बताना चाहता हूं कि बरेली जनपद में बुलाकी धोबी को वहां के एक कांस्टेबुल गंगा सहाय जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को श्री नन्दराम विधायक ने फरीदपुर थाने में दी। थानेदार ने मौके पर उसके पास जो असलाहा था उसको जब्त कर लिया। मान्यवर, पीलीभीत के एस0पी0 द्वारा उस पर हस्तक्षेप करके 29 नवम्बर को उसका असलाहा जो जब्त किया गया था, वापस कर दिया गया जिसका कि नतीजा यह हुआ कि 27 दिसम्बर को उस बुलाकी धोबी को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गयी। एक प्रिकौशन लिया गया था, उसके असलाहे को उस पुलिस कांस्टेबिल को वापस करके इस तरह से हत्या कर दी गयी।

अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे सत्ता पक्ष के साथी इस माननीय सदन में बड़ी बुलन्दी के साथ कहते हैं कि — "आधी रोटी खायेंगे,

[श्री जटाशंकर सिंह]
इन्दिरा जी को वापस लायेंगे।'' मैं कहता हूं कि इसकी जगह पर आप यह क्यों नहीं कहते कि ''जब इन्दिरा जी को वापस लायेंगे, आधी रोटी खिलवायेंगे।'' प्रदेश की जनता आधी रोटी भी नहीं पा रही है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और समय देने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे निवेदन किया था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने के पश्चात उसमें जो निर्णय लिया जायेगा वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वही मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 और 21 जनवरी, 1982 की बैठकों में यह सिफारिश की है कि विधान सभा का 22 जनवरी, 1982 से 29 जनवरी, 1982 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :--

जनवरी, 1982	
22 शुक्रवार	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—
	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 ... दो घन्टे
	(2) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन विधेयक, 1981 .. एक घण्टा
	(3) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 एक घण्टा
23 शनिवार	
24 रविवार	
25 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
26 मंगलवार (गणतंत्र दिवस)	
27 बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
28 गुरुवार	(1) 19-1-1982 के ''भारत बन्द'' के सम्बन्ध में प्रदेश में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा .. दो घन्टे
	(2) श्री रियासत हुसैन के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना और उस पर विचार :---
	''यह सदन दिनांक 18-11-1981 तथा 30-12-1981 को ग्राम दिवली और ग्राम साढ़पुर, जनपद मैनपुरी में हुए हरिजनों के कत्लेआम पर घोर चिन्ता व्यक्त करता है और संस्तुति करता है कि हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार विस्तृत विशेष योजना बनाये'' .. दो घन्टे
29 शुक्रवार	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—
	(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 .. एक घन्टा

(2) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 .. एक घन्टा

(3) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 .. एक घन्टा

(4) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982 .. एक घन्टा ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना आज अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 5 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना --- दिनांक 3-1-82 को उन्नाव शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर रैलीज केमिकल फैक्ट्री, मगरवारा के हड़ताली कर्मचारियों पर गोली वर्षा से 5 लोगों की मृत्यु होने के संबंध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया। शेष अस्वीकार की गयी।

श्री मोतीलाल दहेलवी–

मान्यवर, यह मामला कल हमारे माननीय हुकुम सिंह जी ने नियम 52 में प्रस्तुत किया था। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है और बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसमें 12 लोगों की जानें गयी हैं और डेढ़ सौ लोग अपने घरों से लापता हैं पता नहीं वह भी मारे गये हैं या क्या है । तो यह बड़ा विस्तृत विषय है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह चर्चा का विषय है। इसको मान्यवर, नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा के लिए स्वीकार कर लें।

श्री भीखालाल–

माननीय दहेलवी जी ने जो अनुरोध किया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि इसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लें क्योंकि यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, समय निर्धारित करा दें जो इसकी अविलम्बनीयता है उस पर कल ही बयान आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रस्ताव था उसमें 5 लोगों की मृत्यु की बात थी और सौ से अधिक मजदूरों के लापता होने की बात है। अब इसमें आपने कहा कि 12 लोगों की मृत्यु हो गयी। माननीय भीखालाल जी ने भी इस संबंध में समर्थन दिया है। जहां तक प्रस्ताव का प्रश्न है नियम 51 में मुझे सूचना मिली और माननीय हुकुम सिंह जी की 52 के अन्तर्गत सूचना आई थी उसका मुझे पता नहीं था, मैं नियम 51 की इस सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर चुका हूं । संसदीय कार्य मंत्री जी, कब इस पर वक्तव्य दे सकेंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

जब आप कहें।

श्री अध्यक्ष–

28 तारीख को रख लेते हैं वक्तव्य के लिए और उस वक्तव्य के साथ 28 तारीख उस समय अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं और चर्चा की बात उठायेंगे तो जैसा होगा उस पर चर्चा करा लेंगे।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

21 जनवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 454 पर)

वर्ष 1980-81 में निर्गत सीमेंट लाइसेंसों की सूची

1—सर्वश्री संतोष कुमार अशोक कुमार, सदर बाजार, सण्डीला।

2—श्री राम चन्द्र सिंह पुत्र श्री अम्बर सिंह, अतरौली, तहसील-सण्डीला।

3—मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स, कछोना, तहसील-सण्डीला ।

4—श्री जगदीश नरायन गुप्ता, बिलग्राम ।

5—श्री भगवान दास गुप्ता, माधोगंज, तहसील-बिलग्राम।

6—श्री लियाकत अली, पाली तहसील-शाहाबाद ।

7—मैसर्स सुरेन्द्र कुमार संतोष कुमार, रेलवेगंज, हरदोई ।

8—मैसर्स भारत ट्रेडर्स, रेलवेगंज, हरदोई।

4—श्री जगदीश नरायन गुप्ता, बिलग्राम ।

9—श्री राजीव कुमार, शाहाबाद ।

10—श्री विष्णु चन्द्र गुप्ता, सण्डीला ।

11—मेसर्स अचल बहुमुखी सेन्टर, शाहाबाद ।

12—संयुक्त सहकारी श्रम संविदा समिति, हरदोई ।

13—श्री ऋषिकान्त शुक्ला, पाली तहसील-शाहाबाद ।

14श्री नरेश कुमार द्विवेदी, बेहंदर, तहसील-सण्डीला ।]

15—मैसर्स संजय कुमार मनोज कुमार, रेलवेगंज, हरदोई।

16—श्री राजीव कुमार मिश्र, शाहाबाद ।

17—श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बेनीगंज तहसील-सण्डीला।

18—मर्सश्री कनौजिया एण्ड ब्रदर्स, मल्लावां तहसील-बिलग्राम।

19—श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, शाहाबाद ।

20—श्री छत्रपाल, फौसगंज, तहसील-सण्डीला।

21—श्री अब्दुल मन्नान, शाहाबाद ।

22—श्रीमती बृजरानी, सण्डीला।

23—मैसर्स विपिन कुमार अनिल कुमार, बर्धौली, हरदोई।

24—श्री शिव नारायन गुप्ता एण्ड संस।

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'ख'

(अतारांकित प्रश्न सं0 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 473 पर)

क्रम सं0 अस्पताल का नाम	कुल धनराशि	
	वर्ष 1979–80	वर्ष 1980–81
1—श्री शिव प्रसाद गुप्त, अस्पताल वाराणसी	9,93,861.80	9,36,394.23
2—महिला अस्पताल, वाराणसी	1,77,200.24	1,90,154.75
3—ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी (आठ डिस्पेंसरी)	3,94,657.58	4,45,758..65
4—लबेट अस्पताल, राम नगर	1,21,021.71	1,77,920.99
5—एम0सी0एस0 अस्पताल, ज्ञानपुर	29,632.06	25,889.47
6—संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली	14,637.32	78,686.68
7—पुलिस अस्पताल	7,307.18	22,597.35
8—पी0ए0सी0 अस्पताल	37,609.46	31,455.44
9—उप मु0चि0 अस्पताल (प्रथम) (प्रा0स्वा0 केन्द्रों तथा राजकीय चिकित्सालयों हेतु)	4,683.29	30,559.29
10—उप मु0चि0 अस्पताल (द्वितीय) (प्रा0स्वा0 केन्द्रों तथा राजकीय चिकित्सालयों हेतु)	21,637.85	40,657.08
11—उप मु0चि0 अस्पताल (तृतीय) (प्रा0स्वा0 केन्द्रों तथा राजकीय चिकित्सालयों हेतु)	26,799.74	4,032.98
सम्पूर्ण योग	18,29,048.23	19,84,106.91

संसद पुस्तकालय विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 478 पर)

दवा घोटाला काण्ड में गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की सूची

क्रम सं0	नाम पता अधिकारी/व्यक्ति	पद तथा नियुक्ति स्थान
1	डा0 एस0 आर0 जैन	मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ (निलम्बित)
2	डा0 पी0 सी0 सीमन्त	उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम), आजमगढ़।
3	डा0 बी0 डी0 सिंह	उप मुख्य चकित्साधिकारी, आजमगढ़
4	डा0 जी0 सी0 दास गुप्ता	उप मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़
5	डा0 के0 सी0 चक्रवर्ती	अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़
6	डा0 मिस ए0 कौर	अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, महिला, आजमगढ़
7	डा0 ए स0 एन0 सहाय	मुख्य चकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद
8	डा0 सुरेश चन्द्र सक्सेना	जिला मलेरिया अधिकारी, फर्रुखाबाद
9	डा0 वी0 डी0 कटियार	अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद
10	डा0 वी0 डी0 आहूजा	अधीक्षक (सेवा निवृत्त) फर्रुखाबाद
11	डा0 के0 एल0 ग्रोवर	मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव
12	डा0 के0 पी0 मित्तल	उप मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर
13	डा0 एस0 सी0 पांडिया	अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उन्नाव
14	डा0 वी0 के0 शर्मा	उप मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
15	डा0 वी0 के0 सक्सेना	चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सिधौली
16	डा0 सन्त राम वर्मा	चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, परसेंडी, सीतापुर।
17	डा0 के0 के0 गुप्ता	चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र कसमण्डा, सीतापुर।
18	श्री केशव सिंह	लिपिक स्टोर कीपर, चिकित्सालय, आजमगढ़
19	श्री ओम प्रकाश शुक्ला	स्टोर कीपर, चिकित्सालय, आजमगढ़।
20	श्री चन्द्रशेखर शुक्ला	स्टोर कीपर, सीतापुर
21	श्री मोहम्मद अब्दुल हसीब	स्टोर कीपर, परसेंडी
22	श्री सईदुल हसन	स्टोर कीपर कम-भण्डारी, सीतापुर
23	श्री वेद प्रकाश ग्रोवर	मालिक फर्म मेसर्स ग्रोसन्स प्रा0 लि0, लखनऊ
24	श्री मोहम्मद सलीम	मालिक एम0 एस0, ट्रेडर्स
25	श्री योगेश्वर दयाल	लेखाधिकारी फर्म मेसर्स ग्रोसन्स
26	श्री एस0 ए0 जैदी	लिपिक ग्राम्य विकास, सचिवालय
27	डा0 सी0 बी0 अग्रवाल	मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।

नोट—कोई भी अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु शेष नहीं है।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 481 पर)

वर्ष	माह	कितनी बार	लिए गये टी0ए0, डी0ए0 का विवरण
1	2	3	1
			रुपए
1975	जनवरी	एक बार	42.51
	फरवरी	एक बार	37.01
	मार्च	दो बार	97.92
	अप्रैल	एक बार	55.41
	मई	एक बार	49.91
	जून	दो बार	94.32
	जुलाई	दो बार	63.02
	अक्तूबर	एक बार	58.21
1976	जनवरी	एक बार	48.01
	फरवरी	दो बार	74.10
	मार्च	एक बार	31.51
	अप्रैल	एक बार	37.01
	मई	एक बार	31.51
	जून	एक बार	26.01
	अगस्त	दो बार	79.52
	सितम्बर	एक बार	44.41
	अक्तूबर	तीन बार	421.68
	नवम्बर	दो बार	216.58
	दिसम्बर	एक बार	113.04
1977	जनवरी	एक बार	103.54
	फरवरी	एक बार	113.04
	अप्रैल	एक बार	103.54
	जुलाई	दो बार	216.58
	अक्तूबर	एक बार	103.19
	नवम्बर	एक बार	103.19
1978	जनवरी	एक बार	122.19
	फरवरी	एक बार	112.69
	मार्च	एक बार	103.19
	मई	एक बार	103.19
	जुलाई	दो बार	206.38
	सितम्बर	एक बार	103.19
	अक्तूबर	एक बार	103.19
	दिसम्बर	दो बार	225.38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
1979	जनवरी	एक बार	112.69
	फरवरी	एक बार	93.69
	मार्च	एक बार	87.79
	अप्रैल	दो बार	194.38
	अगस्त	एक बार	56.09
	नवम्बर	दो बार	121.68
	दिसम्बर	एक बार	45.79
1980	जनवरी	एक बार	45.79
	अप्रैल,	एक बार	50.34
	अगस्त	एक बार	49.89
	सितम्बर	एक बार	49.89
	दिसम्बर	एक बार	52.14
1981	जनवरी	एक बार	61.64
	फरवरी	एक बार	51.04
	मई	एक बार	53.74
	अगस्त	एक बार	63.24

विधान सभा सचिवालय पदेश्वर

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 486 पर)

फरवरी 1981 से 31 मई 1981 के बीच टाउन एरिया मझोली के लोगों में आवंटित सीमेंट का वितरण

क्रमांक	नाम आवंटी एवं पता		आवंटित सीमेंट की मात्रा (बोरी में)
1	2		3
माह फरवरी, 1981			
1	श्री शारदा प्रसाद,	मझोली	5
2	देवता	,,	5
3	किशन	,,	5
4	शफी अहमद	,,	5
माह मार्च, 81			
1	हमिदिया गर्ल्स स्कूल	मझोली	20
2	बांके लाल	,,	16
3	काशी नाथ	,,	3
4	बंशी प्रसाद	,,	2
5	तूफानी	,,	4
6	दुर्गा	,,	2
7	राम नाथ	,,	2
8	बकरीदन	,,	3
9	जगदीश	,,	3
10	मैनुद्दीन	,,	3
11	इद्रीश	,,	2
12	इब्राहीम	,,	2
13	केदार	,,	4
14	भोला	,,	2
15	रामसेवक सिंह	..	5
16	रामजीत यादव	,,	5
17	महताब आलम	,,	4
18	विजय बहादुर	,,	4
19	मदन	,,	2
20	लछमन	,,	2
21	चिन्तामणि	,,	2
22	शारदा	,,	3
23	मोती लाल	,,	4
24	अब्दुल रहमान	,,	3
25	बकरीदन	,,	2
26	शिव कुमार	मझोली	3
27	विश्वनाथ	,,	2
28	श्रीनाथ	,,	3
29	मोती लाल	,,	2
30	गंगा	,,	2
31	सब्बीर अहमद	,,	2
32	माहसीन रज्जाक	,,	2
33	राम बिहारी	,,	2
34	रमाशंकर	,,	2
35	हीरा लाल	,,	2
36	गौरी शंकर	,,	2
37	शरीफ नरुल जमा	,,	2
38	राजा राम	,,	2
39	मुस्तकीम	,,	2
40	मजीद	,,	2
41	मोहम्मद अली खां	,,	3
42	मकसूदन अली	,,	3
43	राजेन्द्र प्रसाद	,,	2
44	शिव सागर	,,	3
45	अशरफ अली	,,	3
46	राम रक्षा	,,	2
47	ब्रह्म देव	,,	2
48	अयूब खां	,,	2
49	शाहनवाज खां	,,	2
50	अल्ताफ अहमद	,,	2
51	मुश्ताक अहमद	,,	2
52	इमत्याज अहमद	,,	3
53	मोहम्मद अजीज	,,	2
54	हफीजउल्लाह	,,	2
55	रमेश चन्द्र	,,	3
56	राम दुलारे	,,	2

1	2	3
57	गिरीश चन्द्र मझौली	2
58	बासुदेव मलिक ,,	3
59	राम दुलारे ,,	2
60	केदार नाथ ..	2
61	मोहम्मद इस्माईल ,,	2
62	अहसान अली ,,	2
63	कपिल देव ,,	2
64	गोकुल सिंह ,,	2
65	सी0पी0 दुबे ,,	5
66	चन्द्र शेखर ,,	3
67	महेन्द्र ,,	10
68	अवधेश ,,	10
69	जीउत ,,	5
70	नन्द किशोर ,,	3
71	राम प्रवेश ..	4
72	सोहन ,,	4
73	हरद्वार ,,	4
74	छेदी ,,	4
75	गोबिन्द प्रसाद ,,	4
76	कृष्ण मोहन ,,	4
77	हेम देव ,,	4
78	गुलजार ,,	4
79	बच्चा प्रसाद ,,	4
80	बाल किशन ,,	4
81	बजरी प्रसाद ,,	4
82	लाल प्रसाद ,,	4
83	शारदा प्रसाद ,,	4
84	रामजीत प्रसाद ,,	4
85	नायब नाजीर ग्राम सलेमपुर	7

माह अप्रैल, 1981

1	श्री हरीहर लाल बख्शी, मझौली	40

माह मई, 1981

1	टाउन एरिया मझौली	50
2	हमीदिया बालिका विद्यालय, मझौली।	10
3	बांके लाल, मझौली	10
4	बबुना यादव ,,	10
5	अन्नूरवा ,,	10
6	बब्बन यादव मझौली	10
7	रमजान अली ,,	10
8	जगदीश नारायण दूबे ,,	10
9	रामाश्रय ,,	5
10	बैजनाथ ,,	5
11	राम शंकर ,,	5
12	भोला शंकर ,,	3
13	राम भजन ,,	3
14	नरायन ,,	3
15	बब्बन ,,	3
16	ठाकुर ,,	3
17	महंगे ,,	5
18	सलामत ,,	5
19	उसमान ,,	5
20	अजहर ,,	5
21	कैलाश ,,	5

(1 फरवरी, 81 से 31 मई, 81 के बीच टाउन एरिया भटनी में आवंटन)

माह फरवरी, 81

1	सर्व श्री मोहन लाल शर्मा टाउन एरिया भटनी	15
2	राम नाथ प्रसाद ,,	10
3	शिव पूजन प्रसाद ,,	10
4	लाल बहादुर ,,	8
5	दहारी ,,	8
6	विश्वनाथ ,,	7
7	राम नरेश दुबे ,,	7
8	मंगर ,,	10
9	गगा ,,	5
10	मिठाई लाल ,,	8
11	गौरी शंकर ,,	7
12	विनोद कुमार ,,	8
13	श्याम लाल ,,	5
14	सुभाष चन्द्र ,,	3
15	इस्लाम ,,	5
16	मोहन लाल ,,	4
17	सुरेश सिंह ,,	6
18	ठाकुर प्रसाद ,,	8
19	रामेश्वर प्रताप ,,	5
20	कुबेर प्रसाद ,,	3
21	सुखदेव यादव ,,	6

उत्तर प्रदेश सभा

1	2	3
22	इदरीस खां टाउन एरिया भटनी	6
23	लालजी	8
24	हरिवंश भट ,,	4
25	भक्तिनाथ सिंह, प्रधान प्रबन्धक सुभाष इण्टर कालेज, ,,	6
26	काशी शंकर, विश्वकर्मा,,	4
27	शिवधनी ,,	4
28	श्यामदेव शर्मा ,,	4
29	कैलाश ,,	2
30	अब्दुल मियां ,,	2
31	भोला प्रसाद ,,	3
32	धनेश्वर प्रसाद ,,	5
33	स्वामी नाथ पाण्डेय ,,	6
34	विश्वनाथ प्रसाद ,,	15
35	छेदी ,,	6
36	अशोक कुमार गुप्ता ,,	6
37	सोहन लाल वर्मा ,,	5
38	शंकर प्रसाद ,,	5
39	राम कृपाल ,,	7
40	बादामी देवी ,,	7
41	सुरेन्द्र सिंह ,,	8
42	सदालत मियां ,,	6
43	हीरा लाल ,,	5
44	ओम प्रकाश ,,	5
45	जयराम वर्मा ,,	4
46	रामेश्वर राय ,,	5
47	राम नाथ ,,	4
48	भगवान ,,	5
49	रामायण यादव ,,	6
50	विश्वनाथ ,,	4
51	बहादुर प्रजापति ,,	6
52	सुरेन्द्र यादव ,,	6
53	शंकर प्रसाद ,,	4
54	इंदल यादव ,,	4
55	श्री राम गुप्त ,,	5
56	राधा कृष्ण ,,	5
57	शिवजी ,,	4
58	राजवंशी ,,	5
59	गणेश मिश्र ,,	10

मार्च, 81

1	2	3
1	राधा कृष्ण ,,	5
2	रामाधार टाउन एरिया भटनी	5
3	परम हन्स	5
4	गोवर्धन ,,	5
5	दयाशंकर गुप्ता ,,	5
6	रामनरेश ,,	5
7	सुलेमान ,,	5
8	ईश्वरी ,,	5
9	सर्वजीत ,,	2
10	अशोक कुमार ,,	5
11	सूर्य नारायण ,,	5
12	दीनानाथ ,,	3
13	छोटे लाल ,,	4
14	बाबू राम गुप्ता ,,	5
15	राम प्रवेश ,,	4
16	महादेव ,,	5
17	मोती लाल ,,	5
18	राधेश्याम ,,	10
19	राम सिगार ,,	4
20	विभीषण ,,	5
21	काशी प्रसाद ,,	5
22	राम नगर सिंह ,,	4
23	सुरेन्द्र सिंह ,,	4
24	सुभग ,,	5
25	खुरशीद ,,	4
26	नजीर अहमद ,,	4
27	जाकीर हुसैन ,,	3
28	गंगा राम ,,	7
29	लाल चन्द्र ,,	5
30	अलाउद्दीन ,,	7
31	सुखराज ,,	7
32	कैलाश सिंह ,,	5
33	सर्वजीत सिंह ,,	5
34	श्याम नारायण वरनवाल ,,	5
35	किशोर ,,	4
36	काशी ,,	3
37	दल सिंगार ,,	3
38	गंगा ,,	8
39	राम सिंगार ,,	3
40	राम चन्द्र ,,	3
41	आनन्द लाल ,,	5
42	आनन्द ,,	5
43	वली दरायन ,,	3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
44	बृज कुमार शर्मा टाउन एरिया भटनी	3
45	छेदी हरिजन ,,	3
46	वी0 पी0 प्रकाश ,,	3
47	सुरेश कुमार ,,	5
48	कान्ती ,,	10
49	रामानन्द ,,	5
50	परम हन्स सिंह ,,	10
51	प्रभावती देवी ,,	10
52	मोती लाल ,,	5
53	मुरारी ,,	4
54	श्याम बली ,,	4
55	नरसिंह प्रसाद ,,	4
56	श्याम बिहारी ,,	4
57	श्री कृष्ण ,,	4
58	रामायण ,,	4
59	सुनील कुमार ,,	4
60	रमा शंकर ,,	4
61	मोहन लाल ,,	8
62	जयश्री भगत ,,	5
63	बाबू राम गुप्ता ,,	8
64	जयदेव ,,	8
65	शिव पूजन गुप्त ,,	10
66	रामायण ,,	5
67	राम नगीना ,,	4
68	गोरख सिंह ,,	5
69	जय प्रकाश ,,	5
70	खण्ड विकास अधिकारी,,	100
71	बृज बिहारी ,,	2
72	राम असीस सिंह ,,	8
73	शरत यादव ,,	2
74	राम प्रित ,,	3
75	राम अवतार ,,	5
76	राम देव ,,	5
77	बैज नाथ ,,	5
78	गौरी शंकर ,,	5
79	राम किशोर ,,	5
80	राम वृक्ष सिंह ,,	10
81	हरिहर प्रसाद ,,	9
82	महादेव ,,	5
83	बाजी लाल ,,	7
84	मोहन लाल ,,	4
85	विश्वनाथ ,,	3
86	हीरा लाल ,,	10
87	राम अवध टाउन एरिया भटनी	5
88	सीता राम ,,	6
89	लाल बाबू ,,	5
90	परमानन्द ,,	6
91	जगर नाथ ,,	7
92	राघव भूज ,,	4
93	निसार ,,	6
94	राम विलास सिंह ,,	6
95	राम नरेश ,,	5
96	सदानन्द प्रसाद पाण्डे ,,	5
97	भीखा लाल गुप्ता ,,	5
98	काशी ,,	6
99	ओम प्रकाश ,,	7
100	गणेश ,,	5
101	संजीव ,,	5
102	राज किशोर ,,	5
103	सत्य नारायण ,,	5
104	सकुन्ती लाल ,,	5
105	छट्ठू राम ,,	4
106	सुरेश कुमार ,,	5
107	मोहन लाल ,,	9
108	विश्वनाथ ,,	3
109	कासिम ,,	7
110	बन्धुजी ,,	6
111	धर्मनाथ सिंह ,,	3
112	छेदी लाल ,,	6
113	हरिहर ,,	3
114	नथुनी प्रसाद ,,	7

माह अप्रैल, 1981 में कोई परमिट जारी नहीं हुए।

माह मई, 1981

1	जमशेद लारी	भटनी	20
2	रामवृक्ष सिंह	,,	20
3	शान्ति देवी	,,	20
4	मंगर शाह	,,	20
5	नन्द लाल	,,	20
6	महबूब	,,	20
7	राम नाथ प्रसाद	,,	20
8	कृष्ण कान्त दीक्षित	,,	10
9	रमा शंकर	,,	20

1	2	3	1	2	3
10 राम अवध यादव	भटनी	10	29 अदालत यादव	भटनी	3
11 मुन्नर यादव	,,	10	30 श्याम सुन्दर	,,	3
12 नन्द लाल	,,	10	31 राम प्रवेश शर्मा	,,	3
13 भरत प्रसाद	,,	10	32 देवी दयाल	,,	3
14 छेदी लाल	,,	8	33 जय नारायण	,,	5
15 गणेश प्रसाद	,,	10	34 आद्या शंकर	,,	5
16 राम नरेश	,,	16	35 सरस्वती देवी	,,	5
17 विजय कुमार	,,	14	36 सत्य नारायण	,,	4
18 मोहम्मद साहब	,,	10	37 विश्वनाथ गुप्ता	,,	3
19 करम चन्द्र	,,	10	38 ओम प्रकाश	,,	5
20 श्रीकान्त प्रसाद	,,	10	39 महेन्द्र गुप्ता	,,	5
21 नकछेद प्रसाद	,,	10	40 श्री राम	,,	5
22 मुरली धर	,,	10	41 हरिहर	,,	5
23 श्रीधर मिश्र	,,	10	42 दामोदर	,,	5
24 रामनाथ सिंह	,,	5	43 गुगुल किशोर	,,	5
25 रामानुज सिंह	,,	2	44 श्रीमती सुरजी देवी	,,	5
26 विश्वनाथ सिंह	,,	5	45 साधू सरन लाल	,,	2
27 मधुसुदन राय	,,	5	46 सतीश चन्द्र	,,	3
28 महेन्द्र प्रताप	,,	5	47 परमानन्द	,,	5

संसद सदस्य सहायता

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 486 पर।)

1 फरवरी, 81 से 31 मार्च, 81 के बीच ब्लाक सलेमपुर, जिला देवरिया के लोगों को आवंटित सीमेंट का वितरण

क्रमांक	आवंटी का नाम एवं पता	दी गयी सीमेंट मात्रा (बोरी में)
1	2	3
1	सर्वश्री एल0एल0 मिश्र, सलेमपुर	15
2	मोहम्मद शरीफ ,,	15
3	लक्ष्मी लाल पंडारी बाजार	15
4	चन्द्रजीत धनवती राय	7
5	रामानन्द यादव धुसरी	20
6	हंस नाथ तिवारी, जमुआ	15
7	बाबू लाल, मधवारपुर	10
8	श्रीराम पाण्डे, मुसाहरी	20
9	चन्द्र भूषण, परसीयातारा	15
10	सर्वदेव, चकरवा बहरदास	10
11	मारकण्डे चन्द्र, बछोर	10
12	सत्य नारायण लोहरा	10
13	इन्द्रजीत, परैनी मिश्र	20
14	सुभाष, धुसरी	15
15	हफिजउल्ला , बछउर	20
16	यमुना पाण्डे, महुआ पांडे	2
17	शशीकला देवी, पयासी	15
18	चन्द्र देव पांडे, अमवा पान्डे	20
19	नगरपालिका विद्यालय, पुरैनी	15
20	के0वी0 त्रिपाठी, लहरौली	20
21	विशुन, प्रान छपरा	15
22	दरोगा पांडे, विशुनपुरा	25
23	हरिहर यादव, घरौली	20
24	प्रधानाचार्य शिव विद्यालय, मन्दिर, आमा	15
25	गजेन्द्र कुमार यादव, बलडीहा दलपत	15
26	बंका प्रसाद यादव, बलडीहा दलपत	15
27	रामजी सिंह , रामपुर बुजुर्ग	15
28	कन्हैया तिवारी, डमवेलिया	25
29	डी0एन0 खान, सहानी	20
30	जगहीर, स्टनली कोल्ड स्टोरेज	20
31	पारसनाथ सिंह , सलेमपुर	15
32	उपेन्द्र नाथ मिश्र, बनकटा मिश्र	20
33	वेचू तिवारी, चौनिया	15
34	पारस नाथ मिश्र, वोदरवा	15
35	रमाशंकर यादव, चांदपार	15
36	सलाहउद्दीन खां, रामपुर	10
37	इसलामे खां, नवलपुर	5
38	खलीउल्लाह खां, राघेपुर	5
39	रामायण मिश्र, लोहरौली	5
40	पी0सी0 राजवंशी सिंह , वंजरिया	30
41	सुरेश प्रसाद मिश्र, गुमटही	10
42	भोला मिश्र, वंशीधर	15
43	शिवराज यादव, उर्दवली	15
44	राजीव मिश्र, काडिया मिश्र	20
45	राजेन्द्र नाथ तिवारी, परसिया तारा	2
46	रामजी मौर्य, रजवल	15
47	शत्रुघन तिवारी, सिसवा दीक्षित	20
48	ओम प्रकाश, वास्ते अभय नन्दन तिवारी, डुमवलिया	15

इस विकास क्षेत्र के लोगों को माह फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 81 के महीनों में सीमेंट की कोई परमिट जारी नहीं की गयी

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 83 का उत्तर पीछे पृष्ठ 486 पर)

देवरिया जनपद में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों का ब्योरा

स्थान का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से पद रिक्त है
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
1—मझगांवा	1	13-8-80
2—पथरदेवा	1	13-8-80
3—बनकटा	2	19-12-79
4—महेन प्रथम	1	3-9-81
द्वितीय	1	19-12-79
तृतीय	1	3-9-80
5—सुकरोली	1	26-7-81
6—नेबुआ नौरंगिया—प्रथम	1	2-5-80
द्वितीय	1	5-7-81
7—कुबेरनाथ	2	9-8-79
8—तरयासुजान	1	9-8-79
9—दुवई	1	22-6-81
10—कठबुइयां (अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र)	1	7-8-80
	1	जुलाई, 79
योग ..	16	
महिला चिकित्सालय		
11—वरहज	1	9-7-80
12—छितौनी	1	2-4-80
13—सेवरही	1	अगस्त, 81
योग ..	3	
पुरुष चिकित्सालय		
14—पड़री बाजार	1	7-7-80
15—मोला पंडित	1	7-7-80
16—महुई संग्राम	1	7-11-80
17—समौरे बाजार	1	10-5-80
18—खोरमा कन्हैली	1	17-5-80
19—सरांव	1	17-2-81
योग ..	6	

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 496 पर)

क्रम-संख्या	जनपद के थोक वितरक का नाम जिन्हें पाम-आयल प्राप्त होता है	आमद (टिन) वर्ष 80–81	संस्था का नाम जिन्हें पाम आयल फुटकर बिक्री निमित दिया गया वर्ष 1980–81	मात्रा टिन में
1	2	3	4	5
	1—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, ब्रांच लहराबीर वाराणसी।	19,256	1—केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति लि0	8,982
			2—क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0 विशेश्वरगंज	5,209
			3—जिला सहकारी फेडरेशन लि0, वाराणसी	4,475
			4—जगदम्बा गृह निर्माण सहकारी समिति लि0	150
			5—सहकारी संघ सकलडीहा, वाराणसी	300
			6—एयर फोर्स कार्यालय	140
			योग ..	19,256
	2—उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, ब्रांच, वाराणसी।	2,557	1—क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0, विशेश्वरगंज	608
			2—जिला सहकारी संघ	450
			3—साधन सहकारी समिति लि0, सिकन्दरपुर	15
			4—शिवपुर उपभोक्ता सहकारी समिति लि0	19
			5—अमौली साधन सहकारी समिति लि0	30
			6—हरहुआ साधन सहकारी समिति लि0	10
			7—फूलपुर साधन सहकारी समिति लि0	15
			8—सकल डीहा सहकारी संघ	650
			9—शिवपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0	591
	कुल योग ..	21,813		

1	2	3	4	5
			10—बीरापट्टी साधन सहकारी समिति लि0	7
			11—बरियासनपुर साधन सहकारी समिति लि0	5
			12—अनाज दाल उत्पादन सहकारी समिति लि0	9
			13—भारलाई सहकारी संघ लि0	15
			14—भेड़ बकरी प्रजनन सहकारी समिति लि0	17
			15—जनता उपभोक्ता सहकारी समिति लि0	5
			16—कटेहर उपभोक्ता सहकारी समिति लि0	15
			17—जन हितैषी उपभोक्ता सहकारी समिति लि0	20
			18—साधन सहकारी समिति लि0, चन्दापुर	20
			19—आदर्श उपभोक्ता सहकारी समिति लि0, मुगलसराय	20
			20—हरिजन कल्याण सहकारी समिति लि0	10
			21—अमरपुर साधन सहकारी समिति लि0	26
			योग	2,557
			कुल योग	21,813

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अतरांकित प्रश्न संख्या 163 का उत्तर पीछे पृष्ठ 506 पर)

सूची

निम्नलिखित कोआपरेटिव सोसायटियों ने 190 क्विटल चीनी का वितरण नहीं किया—

	मात्रा (कुन्टल में)
1—चौकिया, क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०	15
2—चौकिया, सहकारी संघ लि०	26
3—बहुआर साधन सहकारी समिति लि०	20
4—जमालपुर साधन सहकारी समिति लि०	17
5—जमालपुर सहकारी संघ लि०	15
6—ओड़ी साधन सहकारी समिति लि०	24
7—डोहरी साधन सहकारी समिति लि०	26
8—सोनपुर क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०	47
योग ..	190 कुन्टल

विधान सभा बिहार

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 506 पर)

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण शाखा (वि0यां0) उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के द्वारा खुले बाजार में वर्ष 1978–79 एवं 1979–80 में रु0 10 हजार से अधिक की सामग्रियों के विवरण

क्रम-सं0	आपूर्ति किए गये सामानों का नाम	कुल व्यय
1	2	3
	वर्ष 1978–79	
1	पी ग्रवेल	53,616
2	पम्पिग प्लान्ट	3,21,058
3	पम्पिग प्लान्ट अससेरीज	74,359
4	नलकूप अससेरीज	1,14,212
5	जी0 सी0 शीट्स	39,852
	योग . .	6,03,097
	वर्ष 1979–80	
1	पम्पिग प्लान्ट	1,50,800
2	स्वीच बोर्ड	55,211
3	स्टार्टर	44,565
4	नलकूप असेसरीज	30,614
5	अन्य सामग्री	19,156
	योग . .	3,00,346

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 506 पर)

COPY OF RULE-9 OF APPENDIX XIX OF FINANCIAL HAND BOOK VOLUME V, PART---I

9=Whenever practicable and advantageous, contracts should be placed only after tenders have been invited. In regard to contracts for 'work" or 'repairs' tenders should invariably be invited for these estimates to cost Rs. 10,000 or more in the Public Works and Irrigation Departments or Rs. 2,000 or more in other departments. In the Public Works and Irrigation Department when work has to be performed within 10 Kilo meters of the headquarters of a civil district where it is possible to call for tenders as laid down in paragraphs 360-364, Public Works Account Rules, the full instructions in those rules must be observed for all contracts exceeding Rs. 2,000. In case of contracts for 'supplies' reasons for not inviting tenders should be recorded if the cost of supplies exceed Rs. 2,000.

संसद सदस्य सूचना प्रणाली

नत्थी 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 196 का उत्तर पीछे पृष्ठ 514 पर)

वर्ष 1981 में स्थानान्तरित किए गये अधिकारियों की सूची

नगर महापालिका, लखनऊ

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम
1	2	3
1	सर्वश्री राधे मोहन सिन्हा	उप प्रशासक
2	मदन मोहन	सहायक नगर अधिकारी
3	बी0 एम0 सिंह	सहायक नगर अधिकारी
4	बी0 एस0 सुधाकर	सहायक नगर अधिकारी
5	ए0 के0 बनर्जी	मुख्य अभियन्ता
6	बतून सिंह	अधिशासी अभियन्ता
7	गणेश चन्द्रा	अधिशासी अभियन्ता
8	ए0 के0 खन्ना	सहायक अभियन्ता
9	पी0 के0 जैन	सहायक अभियन्ता
10	के0 एस0 वर्मा	सहायक अभियन्ता
11	के0 एच0 जाफरी	लेखाधिकारी
12	बाल कृष्ण शर्मा	मुख्य नगर लेखा परीक्षक
13	पी0 सी0 मित्तल	सहायक लेखा धिकारी
14	वी0 पी0 गुप्ता	चिकित्साधिकारी (एलो0) श्रेणी–2
15	डा0 ए0 सी0 राय	पशु चिकित्सक

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

1	सर्वश्री एन0 पी0 भटनागर	अतिरिक्त सचिव
2	एम0 एन0 शर्मा	उप नगर अधिकारी
3	एस0 एन0 पी0 अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता
4	बी0 एल0 सिंह यादव	अधिशासी अभियन्ता
5	एस0 के0 गोयल	अधिशासी अभियन्ता
6	कृष्ण कान्त	अधिशासी अभियन्ता
7	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता
8	श्याम मोहन श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता
9	प्रेम कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता
10	गौरी शंकर राय	सहायक अभियन्ता
11	रामासनी सिंह राय	सहायक लेखाधिकारी

विधान सभा उत्तर प्रदेश

जल संस्थान, लखनऊ

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम
1	2	3
1	सर्वश्री मोहम्मद यासीन अन्सारी	सहायक जलकल अभियन्ता
2	सैयद हसन जाफर	सहायक जलकल अभियन्ता

उन अधिकारियों की सूची जिनके स्थानान्तरण रोके/निरस्त किए गये

नगर महापालिका, लखनऊ

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम
1	2	3
1	सर्वश्री मदन मोहन	सहायक नगर अधिकारी
2	गणेश चन्द्रा	अधिशासी अभियन्ता
3	बाल कृष्ण शर्मा	मुख्य नगर लेखा परीक्षक
4	बी0पी0 गुप्ता	चिकित्साधिकारी (एलो0) श्रेणी–2
5	डा0ए0सी0 राय	पशु चिकित्सक

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

पी0एस0यू0पी0—एच0 373 वि0ज्ञा—(660)+1983—8131